कुमायूं बन तथ्य निरूपण समिति

का

प्रतिवेदन

मुद्रक :

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री (लखनऊ), उत्तर प्रदेश, भारत।

१९६०

सं० २०६३ उ० म० (शि० का)

सेवा में,

सचिव, वन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विषय : कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति का प्रतिवेदन

दिनांक, लखनऊ, १० दिसम्बर, १६५६ ।

महोदय,

मुझे आपको कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति के प्रतिवेदन की दो प्रतियां भेजते हुये यह सूचित करने का आदेश है कि समिति ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है ।

२—प्रतिवेदन की दो अन्य प्रतियां आपको शीघ्र ही भेज दी जायंगी ।

भवदीय,

पी० सी० चटर्जी,

सचिव ।

विषय-सूची

भाग १

		पृष्ठ
अध्याय १	प्रस्तावना	१–२
अध्याय २	कार्यारम्भ	३–५
अध्याय ३	भौगोलिक वर्णन	६–७
अध्याय ४	नदियां जल वितरण तथा वन साधन	८–१४
अध्याय ५	वनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ..	१५–२२

भाग २

अध्याय ६	कुमायूं में वन विभाग की विकास कार्यवाहियों की तुलना में स्थानीय लोगों की आवश्यकता के विषय में वन नीति ..	२३–३२
अध्याय ७	कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के वन संबंधी अधिकारों तथा सुविधाओं से संबंधित परिवेदनाओं की जांच ..	३३–३७
अध्याय ८	पर्वतीय शहरों में इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी तथा कोयले की सप्लाई और उनके मूल्यों की वृद्धि का प्रश्न .	३८–४४
अध्याय ९	वनों में चराई की सुविधा का सामान्य प्रश्न	४५–४७
अध्याय १०	वनों में गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्र करने तथा हटाने का प्रश्न ..	४८–४९
अध्याय ११	भूमिहीनों को बसाने के लिये वनों को साफ करने का प्रश्न	५०–५२
अध्याय १२	टिहरी में सार्वजनिक उपभोग के लिये इमारती लकड़ी आदि देना	५३
अध्याय १३	कुमायूं के वनों में जनता के अधिकारों से संबंधित अन्य कोई प्रश्न	५४–५९
अध्याय १४	उपसंहार	६०

भाग ३

परिशिष्ट १	कुमायूं वन तथ्य शोधक समिति की प्रश्नावली	६१–६९
परिशिष्ट २	उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों की संख्या आदि	७०
परिशिष्ट ३	कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति की बैठकें	७१–७२
परिशिष्ट ४	कुमायूं सिविल वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन आदि का उत्पादन	७३–७४
परिशिष्ट ५	शासकीय आदेश संख्या १४५, दिनांक २२ मार्च, १९४१ ..	७५–८०
परिशिष्ट ६	शासकीय आदेश संख्या ६०५, दिनांक २२ सितम्बर, १९४१ ..	८१–९०
परिशिष्ट ७	राष्ट्रीय वन नीति	९१–१००
परिशिष्ट ८	कुमायूं वन पंचायत नियम	१०१–१०५
परिशिष्ट ९	हक हकूक की लकड़ी देने के लिये प्रस्तावित रजिस्टर के फार्म का नमूना	१०६

परिशिष्ट १०	शासकीय आदेश संख्या ६६०, दिनांक १ नवम्बर, १६३२ ..	१०७
परिशिष्ट ११	शासकीय आदेश संख्या ६११, दिनांक १२ जून, १६२२ ..	१०८–१०६
परिशिष्ट १२	सिविल डिवीजनों के वनों का विवरण	११०
परिशिष्ट १३	कुमायूं सिविल डिवीजन में स्थित वनों की आय और व्यय का व्योरा	१११–११२
परिशिष्ट १४	कुमायूं सिविल डिवीजन के जिलों में भूमि तथा वनों की स्थिति ..	११३
परिशिष्ट १५	हक हकूकों में दी गई लकड़ी का विवरण	११४–११५
परिशिष्ट १६	सार्वजनिक उपयोगिता के प्रमाण पत्र पर दी गई लकड़ी का विवरण	११६–११७
परिशिष्ट १७	समिति के सम्मुख साक्षी देने वालों का विवरण ..	११८
परिशिष्ट १८	शासकीय आदेश संख्या ४०७, दिनांक १४ जून, १६५१ ..	११६–१२०
परिशिष्ट १६	तराई भावर के निवासियों को निःशुल्क लकड़ देने के नियम ..	१२१–१२७
परिशिष्ट २०	सुरक्षित वनों के संबंध में ग्रामीणों को सुविधायें तथा उनका उत्तरदायित्व (टिहरी में)	१२८–१३१
परिशिष्ट २१	नैनीताल : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३२–१३३
परिशिष्ट २२	टिहरी गढ़वाल : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३४–१३५
परिशिष्ट २३	गढ़वाल : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३६–१३७
परिशिष्ट २४	अल्मोड़ा : जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण ..	१३८–१३६
परिशिष्ट २५	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : गढ़वाल ..	१४०–१४१
परिशिष्ट २६	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : नैनीताल ..	१४२–१४५
परिशिष्ट २७	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : अल्मोड़ा ..	१४६–१४७
परिशिष्ट २८	प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण : टिहरी ..	१४८–१५१
परिशिष्ट २६	कुमायूं सिविल डिवीजन के जिलेवार जन संख्या ..	१५२

भाग १

अध्याय १

प्रस्तावना

१--कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति का गठन शासकीय आदेश संख्या ३६५/१४, लखनऊ, ७ अप्रैल, १६५६ के अन्तर्गत किया गया। इस संबंध में जो शासकीय विज्ञप्ति निकली वह निम्नलिखित है।

२--अभी हाल में सरकार को विधान मंडल के सदस्यों तथा जनता से कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों द्वारा अनुभव की जाने वाली कथित कठिनाइयों के संबंध में बहुत से अभ्यावेदन (representation) मिलें हैं। जो कुमायूं के निवासियों को वनों से प्राप्त सुविधाओं के बारे में हैं। अतः सरकार ने जनता की परिवेदनाओं (grievances) की जांच करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है:

(१) श्री बलदेव सिंह आर्य, उप मंत्री, अध्यक्ष।

(२) श्री खुशहाल सिंह, एम० एल० सी०, सदस्य।

(३) श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी, एम० एल० सी०, सदस्य।

(४) श्री मोहनसिंह मेहता, एम० एल० ए०, सदस्य।

(५) श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट, एम० एल० ए०, सदस्य।

(६) श्री नारायणदत्त तिवारी, एम० एल० ए०, सदस्य।

कुमायूं सर्किल के अरण्यपाल इस समिति के सचिव होंगे।

३--समिति द्वारा जांच के मुख्य विषय निम्नलिखित होंगे।

(१) कुमायूं* में वन विभाग की विकास कार्यवाहियों की तुलना में स्थानीय लोगों की आवश्यकता के विषय में वन नीति।

(२) कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के वन संबंधी अधिकारों तथा सुविधाओं से संबंधित परिवेदनाओं की जांच।

(३) पर्वतीय शहरों में इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी तथा कोयले की सप्लाई और उनके मूल्यों की वृद्धि का प्रश्न।

(४) वनों में चराई की सुविधाओं का सामान्य प्रश्न।

(५) वनों में गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्र करने तथा हटाने का प्रश्न।

(६) भूमिहीन व्यक्तियों को बसाने के लिये वनों को साफ करने का प्रश्न।

(७) टिहरी में सार्वजनिक उपभोग के लिये इमारती लकड़ी आदि देना।

(८) कुमाऊं के वनों में जनता के अधिकारों से सम्बन्धित कोई अन्य विषय।

---

* कुमायूं जहां जहां भी आया है उसका तात्पर्य समिति ने कुमायूं राजस्व खंड अथवा नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों से लिया और इस समस्त क्षेत्र में वन संबंधी कठिनाई की जांच की।

४—समिति को अपनी रिपोर्ट तथा सिफारिशें सरकार को चार महीने के अन्दर प्रस्तुत कर देनी चाहिये।

५—श्री नारायणदत्त तिवारी के विदेश यात्रा पर जाने के स्थान पर प्रेस विज्ञप्ति सं० ३२२३/१४—६७२-५६, दिनांक २० अप्रैल, १६५६ के अन्तर्गत श्री नारायणदत्त तिवारी, एम० एल० ए०, के स्थान पर श्री प्रतापसिंह, एम० एल० ए०, समिति के सदस्य नियुक्त किये गये।

६—प्रेस विज्ञप्ति संख्या ४११३/१४—६७२-५६, दिनांक १२ जून द्वारा इस समिति का नाम कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति रक्खा गया।

७—समिति के प्रथम सचिव कुमाऊं के तत्कालीन अरण्यपाल श्री कैलाशचन्द्र जैन, पी० यफ० यस० थे। श्री जैन के स्थानान्तरण के बाद श्री एच० सी० डे, पी० यफ० यस० समिति के सचिव हुये। किन्तु २४ जून, १६५६ की शासकीय विज्ञप्ति के अन्तर्गत श्री प्रतुल चन्द्र चटर्जी, समिति के सचिव नियुक्त किये गये जिन्होंने अपना कार्यभार ७ जुलाई, १६५६ को संभाला। श्री एच० सी० डे, पी० यफ० यस०, अरण्यपाल, सचिव के पद से मुक्त होने के उपरान्त समिति के सदस्य नियुक्त हुये।

८—प्रारम्भ में समिति का कार्यकाल चार माह का था किन्तु शासकीय आदेश संख्या ६०६७/१४, दिनांक २५ अगस्त, १६५६ और संख्या १०२४४/१४—६७२-५६, दिनांक १०-१२-५६ के द्वारा इसकी अवधि दिनांक १०-१२-१६५६ तक बढ़ा दी गई।

श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट ने २६ सितम्बर, १६५६ को समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया।

अध्याय २

कार्यारम्भ

९—समिति की प्रथम बैठक २३ अप्रैल, १९५९ को लखनऊ में हुई। प्रारम्भ में अध्यक्ष ने संक्षिप्त भाषण में समिति के अध्ययन विषयों की चर्चा की। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा :—

(क) पार्वत्य क्षेत्र की जनता कुछ समय से अपने हक हकूक तथा सहूलियतों के उपभोग करने में कठिनाई अनुभव कर रही है। समिति को इन कठिनाइयों के सम्बन्ध में जांच करनी है तथा इस सम्बन्ध में उचित संस्तुतियां शासन को भेजनी हैं।

(ख) पर्वतीय नगरों में कुछ समय पूर्व इमारती लकड़ी तथा कोयले का मूल्य बढ़ा तथा जनता को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में अच्छा कोयला प्राप्त करने में कठिनाई हुई। समिति को जनता की कोयले, और इमारती लकड़ी की आवश्यकता, पूर्ति के प्रश्न पर भी विचार करना है तथा इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां शासन को भेजनी हैं।

(ग) भूमिहीनों को, जंगलों का विहीनीकरण कर, भूमि देने की मांग है। समिति को सावधानी के साथ विचार करना है कि क्या वन सम्पदा तथा राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाये बिना कुमाऊं क्षेत्र में जंगलों का विहीनीकरण करके स्थायी खेती के लिये भूमि प्राप्त हो सकती है।

(घ) खेतिहर तथा साधारण जनता के हित में उस व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत हक हकूक वाले गांव जंगलों से निःशुल्क या रियायती मूल्य पर वन उपज को प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ) नैनीताल, अलमोड़ा तथा गढ़वाल में सम्बन्धित जिलाधीश के प्रमाण-पत्र पर जनोपयोगी कार्यों के लिये इमारती लकड़ी को प्राप्त करने का प्राविधान है किन्तु टिहरी गढ़वाल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समिति को इस प्रश्न पर भी विचार करना है।

१०—संक्षेप में अध्यक्ष ने कहा कि समिति ने कुमाऊं में प्रचलित वन नीति तथा व्यवस्था की खामियों की खोज करने का यत्न करना है और फिर इस सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें शासन को देनी हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोग सरलता से अपने परम्परागत हक हकूक का उपभोग कर सकें।

११—अध्यक्ष के भाषण के पश्चात् समिति ने निश्चय किया कि जनता की कठिनाइयों को जानने के लिये एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की जाय तथा समिति के सम्मुख स्वीकृति के लिये रखी जाय। इस कार्य के लिये अध्यक्ष की देख-रेख में तीन सदस्यों की—सर्वश्री नरेन्द्रसिंह भंडारी, प्रतापसिंह तथा खुशहालसिंह—की एक उप-समिति बना दी गई। समिति ने बन विषयों सम्बन्धी जनता की कठिनाइयों की अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये अधिक से अधिक क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया।

१२—समिति की दूसरी बैठक नैनीताल में ६ मई, १९५९ को हुई और उसमें विस्तृत दौरे का कार्यक्रम तैयार किया गया। इसी बैठक में समिति ने उप-समिति द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली* को भी स्वीकार किया और उसकी ६,००० प्रतियां छपवा कर चारों जिलों के संसद तथा विधान मंडल के सदस्यों, ग्राम-सभाओं के सभापतियों, वन पंचायत व अदालती पंचायतों के सरपंचों, अंतरिम जिला परिषदों के सदस्यों, राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं बार एसोसियेशन के सभापतियों में वितरित करने का निश्चय किया।

---

*देखिये परिशिष्ट १ और २

१३—समिति को ६६६ प्रश्न-पत्रों के उत्तर प्राप्त हुये* । इसके अतिरिक्त समिति को स्थानीय जनता तथा प्रतिनिधि संस्थाओं से भी लगभग ४,००० स्मरण-पत्र प्राप्त हुये। अधिकांश पत्रों में महत्वपूर्ण सुझाव अंकित थे जिनसे समिति लाभान्वित हुई।

१४—प्रत्येक वन खंड के दौरे की समाप्ति पर समिति ने उपलब्ध जानकारी के आधार पर सम्बन्धित उप-अरण्यपाल तथा अन्य वन कर्मचारियों से पूछ-ताछ की। इसके अतिरिक्त समिति ने कुमाऊं, टिहरी तथा पश्चिमी वृत के अरण्यपालों से भी सामूहिक रूप से तथा पृथक-पृथक परामर्श किया। समिति ने चारों जिलों के नियोजन अधिकारियों, वन पंचायत अधिकारियों तथा खंड विकास अधिकारियों से भी कुमाऊं की वन समस्याओं पर विचार विमर्ष किया। इससे समिति को वन विभाग के दृष्टिकोण को समझने तथा अपनी सम्मति बनाने में आसानी हुई तथा और अन्य वैभागिक अधिकारियों के ज्ञान व अनुभव से लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हुआ।

१५—समिति के अध्ययन विषय अत्यन्त व्यापक थे। इससे समिति का कार्यक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो गया। उसे कुमाऊं निवासियों की वन सम्बन्धी कठिनाइयों का निकट से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ।

१६—अपने आठ मास के कार्यकाल में समिति ने ७९ बैठकें की तथा चारों जिलों के नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तृत दौरा किया** । समिति की दो बैठकें लखनऊ में दिनांक २३, नवम्बर से ३ दिसम्बर तक तथा ६ दिसम्बर से ९ दिसम्बर तक हुईं। पहली बैठक में समिति ने टिहरी की जनता द्वारा दी गई साक्षी पर विचार किया, अरण्यपाल, मुख्य कार्यालय, मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश तथा रसद मंत्री, उत्तर प्रदेश, श्री जगमोहनसिंह नेगी, की साक्षी ली तथा अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप प्रदान किया।

१७—समिति की अंतिम बैठक दिनांक ६ दिसम्बर, ५९ से लखनऊ में प्रारम्भ हुई। समिति को ७ दिसम्बर, ५९ को मुख्य मंत्री, डा० सम्पूर्णानन्द, को सुनने का भी अवसर मिला। मुख्य मंत्री ने आशा प्रकट की कि समिति ने विवेकपूर्ण ढंग से अपने उत्तरदायित्व का पालन किया होगा। इस कार्य को सम्पादित करने में समिति ने जो श्रम किया उसकी उन्होंने सराहना की।

१८—समिति के अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र में गृह मंत्री, पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त ने लिखा "पर्वतीय जिलों के लिये वन सम्पदा का खास महत्व है, और इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ जंगलात पर अवलंबित होती है" गृह मंत्री ने आशा व्यक्त की कि समिति की सिफारिशों से स्थानीय जनता की कठिनाइयां कम हो सकेंगी और उससे इस क्षेत्र के विकास के क्रम को बांधने में सहायता मिलेगी।

१९—जनता ने समिति के कार्यों में गहरी रुचि ली और प्रत्येक स्थान पर सैकड़ों की संख्या में अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुई। ऐसी परिस्थिति में समिति के लिये प्रत्येक व्यक्ति की बात पृथक रूप से सुनना सम्भव न था। अतः मुख्यतः जनता के प्रतिनिधियों, ग्राम सभापतियों, पंचायती अदालतों व बन पंचायत तथा बार एसोसियेशन के सदस्यों की साक्षी ली गई।

२०—समिति, सर्वप्रथम इस क्षेत्र की समस्त जनता, उसके विभिन्न प्रतिनिधियों, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं, एवं संस्थाओं तथा राजनैतिक दलों के नेताओं, के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को प्रश्नावली का उत्तर देने का कष्ट किया अथवा उसके समक्ष साक्ष्य दिया और समिति को अपने बहुमूल्य सुझावों से लाभ उठाने का अवसर दिया।

२१—समिति को अपने अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग से जो सहायता मिली उसके प्रति भी वह कृतज्ञता प्रकट करती है। अरण्यपाल श्री कैलाशचन्द्र जैन, जो समिति के सर्वप्रथम सचिव थे और

**देखिये परिशिष्ट—३

धनौलटी में एकत्रित जन-समूह का एक दृश्य

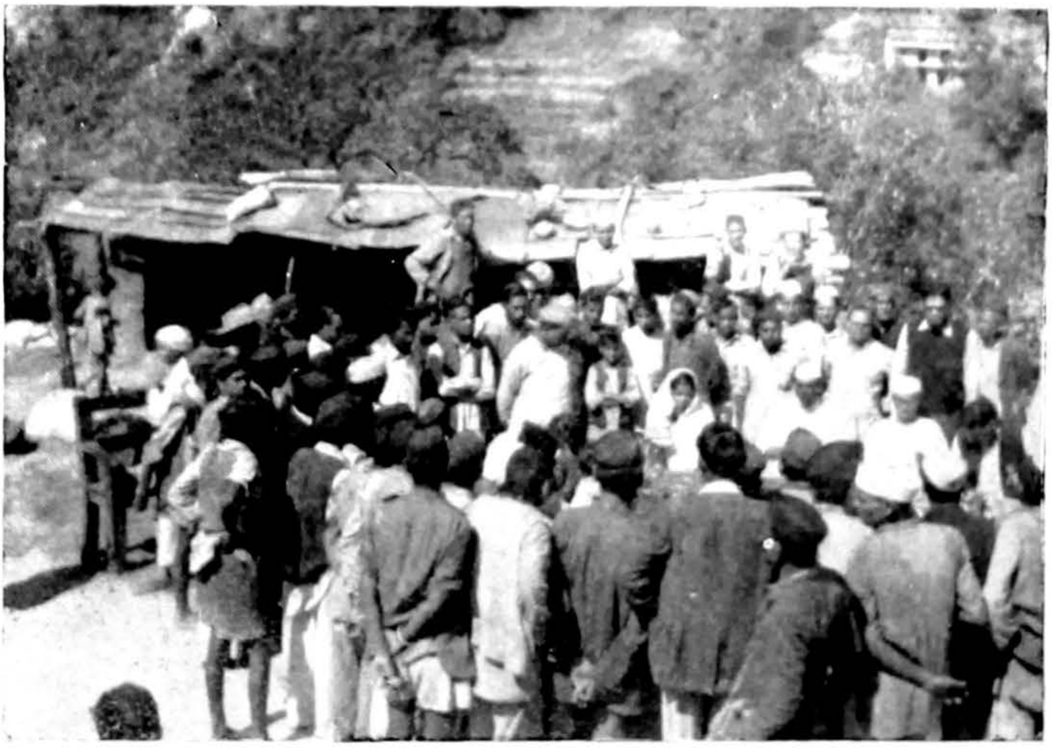

तिलवारा में समिति

समिति के अध्यक्ष ग्वालदम में गवाही देने के लिए आये हुए जन-समूह के सम्मुख भाषण देते हुए।

श्री एच० सी० डे जो समिति के द्वितीय सचिव थे तथा समिति के वर्तमान सचिव, श्री पी० सी० चटर्जी ने अपने उत्तरदायित्व का उत्साह तथा अथक शक्ति के साथ निर्वाह किया। समिति के सहायक श्री नवीनचन्द्र पन्त तथा श्री लक्ष्मीदत्त भट्ट ने अपने कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्वों के प्रति पूर्ण निष्ठा का अनुकरणीय परिचय दिया। समिति इनके कार्य की सराहना करती है। समिति के अन्य कर्मचारियों को भी कठोर परिश्रम करना पड़ा और समिति को प्रसन्नता है कि इनमें से प्रत्येक ने पूरे उत्साह से अपने कर्त्तव्य का पालन किया। इन सभी लोगों के तत्पर तथा उदार सहयोग के अभाव में यह वृहत कार्य सम्पन्न करना कठिन था। समिति इन सबके प्रति आभार प्रकट करती है।

२२—समिति को अपने कार्य में समस्त विभागीय अधिकारी वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग तथा समर्थन प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में समिति वन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करती है जिन्होंने कमेटी के दौरे तथा बैठकों में हर संभव सहायता पहुंचाई। इसके अलावा समिति इन चार जिलों के विकास खंडों एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों के तथा माल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति जिन्होंने समिति को हर प्रकार का सहयोग और सुविधा दी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। समिति उन समस्त अन्य व्यक्तियों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने कमेटी को सहायता दी।

अध्याय ३

भौगोलिक वर्णन

२३—स्थिति आकार तथा विस्तार—कुमाऊं सिविल डिवीजन में अलमोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के चार पर्वतीय जिले हैं। ये २९.३२ अक्षांश तथा ७७.८१ देशान्तर के मध्य स्थित हैं। उत्तर में इसकी सीमायें तिब्बत, दक्षिण में बरेली, रामपुर, बिजनौर तथा देहरादून, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, देहरादून तथा पूर्व में नैपाल से मिलती हैं। पर्वतों की जड़ों पर स्थित तराई भावर की संकुचित पट्टी को छोड़ शेष समस्त क्षेत्र हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित है तथा इसका अधिकांश भाग हिमाच्छादित पर्वत मालाओं से घिरा हुआ है जिनसे प्रसिद्ध नन्दाकोट, पंचचूली, चौखम्भा, नीलकंठ, गंगोत्री, बन्दरपूंछ तथा कामेट हैं।

२४—चारों जिलों का क्षेत्रफल १८,२७८ वर्गमील है तथा ८,८५७ वर्गमील जंगलों से आच्छादित है।

२५—जलवायु—जलवायु दक्षिण तराई क्षेत्र में ऊष्ण और ऊपर के हिम शिखरों में अत्यन्त ठन्डी है। हिमशिखरों से भरपूर पर्वतमालाओं तथा समतल मैदानों के मध्य का भूभाग वनस्पति युक्त है। किन्तु इसके विपरीत हिमाच्छादित पर्वतमालाओं तथा पनढाल के मध्य का क्षेत्र पूर्णतः वनस्पतिविहीन है। तापक्रम तराई भावर तथा घाटी के क्षेत्रों में तथा हिमाच्छादित पर्वत शिखरों तक ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है; किन्तु गर्मियों में सभी उच्च शिखरों पर सूर्य की किरणें तीव्र पड़ती हैं। ज्यों ज्यों उत्तर की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की प्रबलता धीरे धीरे कम होती जाती है। ऋतुओं का क्रम भीषण जाड़े में ऊंची चोटियों पर हिमपात व कोहरा तथा घाटियों व तराई भावर में वर्षा के अतिरिक्त उत्तर भारत के मैदानों की भांति है। हिमपात कभी-कभी ३,५०० फीट तक की ऊंचाई पर हो जाता है, किन्तु ७,५०० फीट से कम की ऊंचाई पर बहुत ही कम रुकता है। जाड़ों के पश्चात् तराई भावर तथा नीचे की घाटियों में गर्मी का मौसम प्रारम्भ होता है किन्तु उत्तर के ऊंचे क्षेत्रों में हल्की फुहारें पड़ती हैं और कभी-कभी मई के अन्त तक भी हिमपात हो जाता है। अन्त में वर्षा ऋतु आती है, जब वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग बरसता है, । इसकी विशेषता अत्यधिक वर्षा तथा कुहरा है। उन क्षेत्रों में जो ऊपरी चोटियों के पीछे हैं, उन पर्वत मालाओं या दक्षिण दिशा की तलहटियों की अपेक्षा कहीं कम वर्षा होती है, जहां मानसूनी हवायें पूरे वेग से चलती हैं।

२६—समस्त क्षेत्र में भूमि की बनावट के अनुसार वर्षा होती है। प्रत्येक स्थान पर वर्षा उसकी परिवृति के अनुसार न्यूनाधिक होती है। अधिक वर्षा उन स्थानों पर होती है, जहां ऊंचाई यकायक बढ़ती है। पर्वतमालाओं के प्रारम्भ होने के स्थानों पर अथवा हिमपंक्ति के प्रारम्भ होने के स्थलों में वर्षा मैदानों की अपेक्षा जल्दी हो जाती है। स्थानीय वर्षा जो उत्तरी तथा पश्चिमी हवाओं से युक्त होती है लगभग मानसून आने के थोड़े ही पूर्व प्रारम्भ हो जाती है।

२७—भौमिकी, शिलायें तथा मृदा (Geology, Rocks and Soil) हिमालय की कुमाऊं पर्वत क्षेत्र में स्थित तीन मुख्य पर्वत शृंखलाओं में निम्नलिखित तीन मुख्य शिलायें पाई जाती हैं:—

(१) निचले हिमालय में तृतीयक युग की परतदार चट्टानें।
(२) विशाल हिमालय के केन्द्र तथा केन्द्र के दोनों ओर परिवर्तित चट्टानें।
(३) विशाल हिमालय के केन्द्र के पीछे निचले स्थानों में तिब्बती वर्ग की शिलायें।

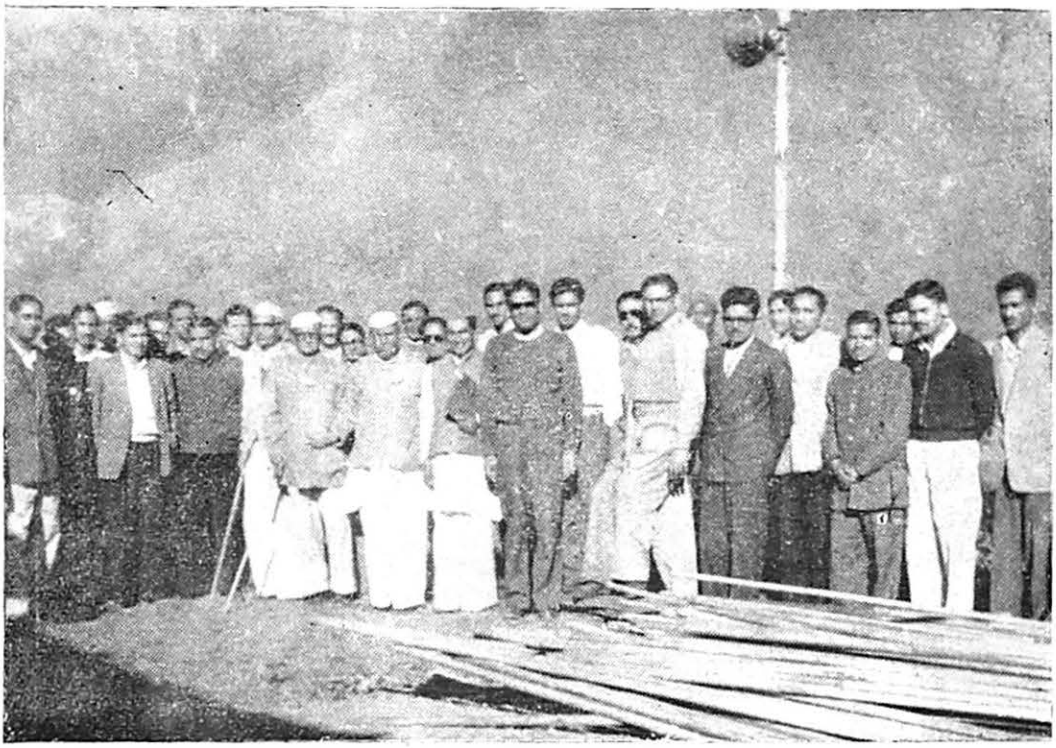

कुमाऊं वन तथ्य निरूपण समिति के सदस्य विकास खंड जोशी मठ के
अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ।

२८—परतदार श्रेणी की शिलाओं में परतदार उत्पति की समस्त चट्टानें जैसे शिलिका (slate) स्फटिकाश्म (quartzites) संपिडन (conglomerates) और चूने का पत्थर आदि हैं। यह न्यूनाधिक रूप में अलग-अलग भूमि तल से हैं जिस कारण कोई भी दो वर्ग निश्चय रूप से पृथक नहीं किये जा सकते हैं। जहां इन शिलाओं का अध्ययन किया गया है, इन्हें स्थानीय नाम दे दिया गया है।

२९—परिवर्तित चट्टानों में मुख्य तीन तत्व पाये जाते हैं (intrusive granite) नितुन्न कणाश्म शिलायें, परिवर्तित शुभाजा शिलायें (meta morfic schists) तथा अन्त में प्राचीनकणमय दलाश्म सुभाजा (gneiss, schists) तथा स्फटात्मक चूर्ण प्रस्तर के शैल।

३०— ग्रेनाइट शिलायें दो प्रकार की प्राप्त हैं। एक पणित शैल जो कि मुख्यतया स्फटिक (quartz) शोभिज (felspar) तथा काले अभ्रक (biotite) से निर्मित हैं तथा एक बाद की अपणित ग्रेनाइट जिसमें स्फटिक तथा शोभिज के अतिरिक्त सफेद अभ्रक (muscovite) प्रजाति (beryl) तथा अन्य खनिज भी सम्मिलित हैं। विशाल हिमालय की गगनचुम्बी चोटियों की ऊंचाई ग्रेनाइट नामक शिलाओं की उपस्थिति के ही कारण बताई जाती हैं। इस मणीमय पेटी की शाखायें विशाल हिमालय के केन्द्र के दोनों ओर उपस्थित परतदार तथा तिब्बती वर्ग की शिलाओं में पायी जाती हैं।

३१—तिब्बती वर्ग की शिलायें मुख्यतया समुद्र के अन्दर बनी हुई परतदार चट्टानें हैं जिनमें अनेक प्रकार की शिलायें वर्तमान हैं जैसे शिलिका (slate) संपिडन और चूर्ण प्रस्तर। अपनी दक्षिणी सीमा में तिब्बती वर्ग की ये शिलायें हिमालय की ग्रेनइट नामक शिलाओं के सम्पर्क में हैं। ग्रेनाइट शिलाओं की बहुत सी शाखायें तिब्बती वर्ग की इन परतदार चट्टानों तक पहुंची हुई हैं जिसके कारण परतदार वर्ग की चट्टानों के बहुत से संघटकों का रूप परिवर्तित हो गया हैं।

३२—मिट्टी की किस्म में संरचना (composition) गहराई, ऊंचाई, प्रावण्य (gradient) तथा आकृति के अनुसार अन्तर हो जाता है। यहां हर प्रकार तथा विविध गुणो वाली मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ों की तलहटी में भावर स्थित हैं जिनमें गण्डदिम (boulders) तथा उच्च पत्थरों की पेटियां हैं। यहां छिद्रपूर्ण मिट्टी पाई जाती हैं जो कि पानी से सर्वथा रहित है। तराई के क्षेत्रों में गंगा की जलोढ़ मृदा (alluvium) द्वारा लाई गई मिट्टी का मिलना प्रारम्भ हो जाता है। यह मिट्टी गहरी तथा उपजाऊ है तथा इसके ऊंचे और पुराने क्षेत्रों में साल के घने वन स्थित हैं।

३३—अन्य क्षेत्रों में बालुकामय प्रमृदा (sandy loam) प्रमृदा (loamy clay) तथा मृत प्रमृदा (clayey loam) आदि जिनकी गहराई मध्यम है, पाई जाती है पानी की निकासी अच्छी है। आबादी से दूर तथा सीधे ढालों से रहित वनों में प्राकृतिक खाद (humus) की मात्रा पर्याप्त है।

अध्याय ४

नदियां, जल वितरण तथा वन साधन

३४—गंगा अनेक सहायक नदियों से बनती है जिनमें कुछ स्वयं काफी बड़ी तथा महत्वपूर्ण समझी जाती है। ये सभी इन चार जिलों से निकलती है। इनमें से मुख्य यमुना, रामगंगा और काली हैं। बुर्राड तथा हेडन (१९३३) के अनुसार इन विभिन्न इकाइयों का यू० पी० हिमालय में जलग्रह क्षेत्र नीचे लिखा है :

गंगा	..	..	..	८,९०० वर्गमील
यमुना	..	..	..	४,५०० ,,
रामगंगा	..	..	..	२,६०० ,,
काली	..	..	..	६,३०० ,,

३५—गंगा संसार की बड़ी नदियों में है तथा हिन्दुओं द्वारा अत्यन्त पवित्र मानी जाती है। इसके समतल प्रवाह क्षेत्र, उत्तर प्रदेश बिहार तथा पश्चिमी बंगाल, संसार के सर्वाधिक घने बसे हुये क्षेत्रों में है।

३६—गंगा नदी भागीरथी तथा अलकनन्दा के मिलने से बनती है। अलकनन्दा बड़ी नदी है। यह अलकापुरी बांक से निकलती है तथा इसमें भागीरथी से अधिक जल है। इसमें जोशीमठ के समीपस्थ विष्णु प्रयाग में विष्णुगंगा मिलती है। विष्णु प्रयाग से नीचे अलकनन्दा, नन्दादेवी (२५,६४५) तथा बद्र नाथ (२३,१९०) के मध्य हिमालय पर्वत माला को काटते हुये एक संकुचित पर्वत माला के मध्य (gorge) बहती है। इसमें नन्द प्रयाग में नन्दाकिनी मिलती है जो नदादेवी पर्वत से निकलती है। इसको एक दूसरी सहायक नदी पिंडर है जो नन्दादेवी तथा पूर्वी त्रिशूल(२२,३२०) के मध्य उदय होती है तथा पश्चिम उत्तर पश्चिम में बहती हुई अलकनन्दा से कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी अथवा काली गंगा इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है जो बद्रीनाथ तथा केदारनाथ (२२,७७०) के दक्षिण में स्थित है।

३७—त्रिशूल के पश्चिम में पिंडर तथा नन्दा किनी का संगम है। अलकनन्दा भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। नयार नदी व्यासघाट के निकट गंगा से मिलती है जहां से शिवालिक, ऋषीकेश तथा हरिद्वार होते हुये गंगा मैदानों में उतरती है।

३८—यद्यपि अलकनन्दा बड़ी नदी है। भागीरथी परम्परा से मूल गंगा मानी जाती है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर (विस्तार १९ मील) में है जो कि केदारनाथ से थोड़ा उत्तर गोमुख (१२,८००) में स्थित है। भागीरथी की पश्चिमी सहायक नदी जाह्नवी मुख्य हिमालय पर्वत माला के कुछ उत्तर से निलकती है। भागीरथी बंदर पूंछ (२०,७२०) तथा श्रीकांठ (२०,१२०) पर्वतमाला के मध्य एक संकुचित मार्ग से दोनों ओर के पर्वत शिखरों से १३,००० फीट नीचे बहती है। यह संकुचित नदी-मार्ग केन्द्रीय हिमालय पर्वतमाला में सबसे प्रसिद्ध है तथा सौन्दर्य में संसार की किसी अन्य घाटी के समकक्ष है। सबसे अधिक तंग तथा सुन्दर स्थल भैरोंघाटी है।

३९—यमुना पश्चिमी भाग में स्थित है तथा बंदरपूंछ के उत्तर पश्चिम में स्थित जमनोत्री ग्लेशियर से निलकती है। हिमालय के मध्य अपनी यात्रा में मंसूरी पर्वतमाला के पीछे इसमें टोंस नदी मिलती है।

४०—रामगंगा तुलना में एक छोटी नदी है जो कि मुख्य हिमालय पर्वतमाला की दक्षिण दिशा में बधाणगढ़ी में उदय होती है। इसकी सहायक नदी कौशिला अथवा छोटी कोसी है जो मैदान में जाकर इससे मिलती है। रामगंगा शिवालिक पर्वतमालाओं से टकराकर दक्षिण पश्चिम को बहती हुई मैदानों में प्रवेश करती है।

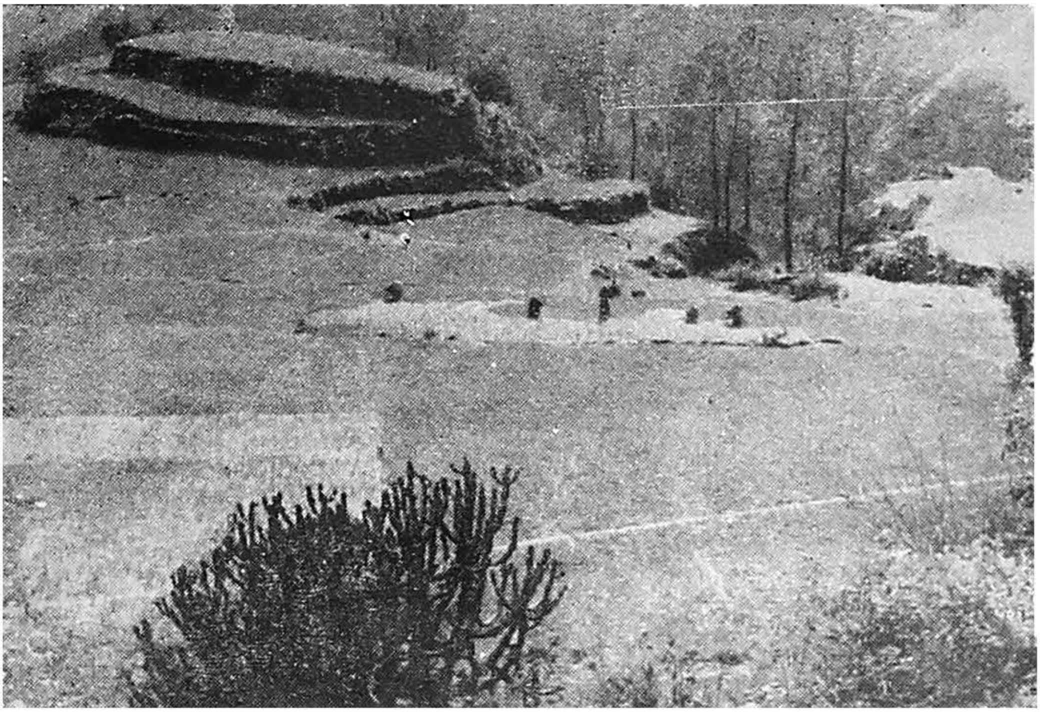

सीढ़ीनुमा खेत

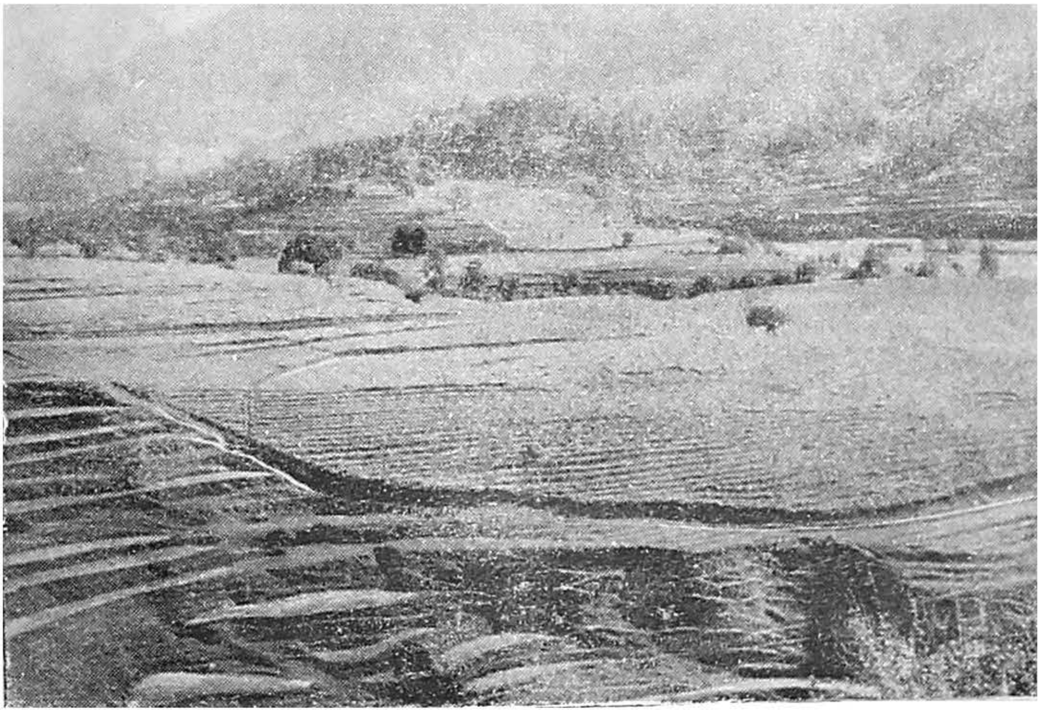

सीढ़ीनुमा खेत वज़ूला

४१—काली अथवा कालीगंगा या शारदा अपनी सहायक नदी गौरीगंगा के साथ नंदादेवी के उत्तर पूर्व में मिलम ग्लेशियर से निकलती है। इसका उद्गम स्थान किंगरी बिंगरी (१८,३००), लीपू लेक, दार्मा ला तथा दूसरे तिब्बत को जाने वाले दर्रे हैं। इसकी दो मुख्य धारायें हैं। दार्मा ला तथा लिस्सर जो कि ऊपर काली एवं गौरी के मध्य दक्षिण पूर्व की दिशा में समानान्तर बहती हैं। मुख्य धाराओं में सहायक नदी सरजू तथा पूर्वी रामगंगा उत्तर दक्षिण की दिशा से आकर गिरती हैं। इस संगम के बाद यह नदी शारदा अथवा सरजू कहलाती है तथा टनकपुर के समीप बरमदेव में प्रकट होती है।

४२—इस प्रकार हम देखते हैं कि गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ अजस्र स्रोतों से उदय होती है तथा इस समस्त क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में जल देती है। किन्तु अनेक पर्वतों पर विशेषकर गर्मी की ऋतु में पानी की कमी होती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि अनेक जल स्रोतों का पानी काफी घट गया है। यह बात समस्त कुमायूं के सम्बन्ध में सत्य है तथा यह समझना उचित ही है कि इसका प्रधान कारण जंगलों का संहार है।

४३—बहुत से क्षेत्र वृक्षों से सर्वथा रहित हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों से वर्षा का जल तेजी से बह जाता है तथा ये क्षेत्र जल का संचय नहीं कर पाते। इसका दूसरा कारण जंगलों में जल्दी जल्दी आग लगाना, जानवरों का चराना भी है जिसके कारण घास फूस समाप्त हो जाती है तथा भूमि सूख जाती है।

४४—**भूमि कटाव**—भूमि के ऊपर तेजी से बहता हुआ जल अथवा वायु अपने साथ धूल मिट्टी उठा ले जाती है। हरी वनस्पति तथा पेड़ इस कार्य को रोकते हैं। किन्तु जब भूमि वनस्पति से रहित होती है तो उस पर जल तथा वायु का सीधा प्रहार पड़ता है तथा मिट्टी के बहने अथवा उड़ने की प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र हो जाती है। मिट्टी के ऐसे बहाव तथा उड़ान से ही भूमि कटाव उत्पन्न होता है। यदि इसको तुरन्त न रोका गया तो भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि वृक्षों तथा वनस्पति के रक्षण की अनुकूल परिस्थितियों में एक इंच भूमि बनाने में ६०० से १,००० वर्ष तक लगते हैं। इस प्रकार ८ इंच उपजाऊ भूमि की परत बनाने में प्रकृति को २,००० वर्ष लगते हैं। विपरीत अवस्थाओं में इतनी मिट्टी केवल कुछ ही वर्षों में बह जाती है।

४५—उत्तर प्रदेश के कुमायूं जैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिए जिसके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार खेती तथा वन सम्पदा है सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था का निर्माण भूमि रक्षण तथा बचाव की नीतियों पर ही किया जा सकता है। अतः समस्त भूमि क्षेत्रों को बचाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जहां कहीं सम्भव हो इन क्षेत्रों को स्थानीय जनता की खाद्य, लकड़ी, ईंधन तथा घास की अधिकाधिक मांग पूर्ति के लिये अधिक उपयुक्त बनाना भी आवश्यक है।

४६—**खेती की रीति**—इन पर्वतीय जिलों में स्थायी खेती के अन्तर्गत २७०३ वर्गमील क्षेत्र हैं जो कि भूभाग का १५ प्रतिशत है। सम्पूर्ण स्थायी खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के एक प्रतिशत से कम भाग को सिंचाई सुविधा प्राप्त है।

४७—चारों जिलों में तराई भावर की पट्टी में केवल थोड़ा सा भू-भाग समतल है जहां खेती मैदानों की भांति होती है।

४८—पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तम खेती सीढ़ी नुमा खेतों पर होती है जिन पर उर्वरा शक्ति के संचय के लिए परती छोड़ने के अतिरिक्त निरन्तर खेती होती रहती है। इन सीढ़ीनुमा खेतों को बनाने, इन्हें कृषि के उपयुक्त बनाये रखने में कठोर श्रम तथा पर्याप्त धन लगता है। ये खेत अनेक वर्षों में बनकर तैयार हो पाते हैं। पर्वतों पर सीढ़ीनुमा खेतों के अलावा जो खेती होती है उसे खील, कुराली या कटील कहते हैं।

४६—सामान्यतः कम ऊंचाई पर आबादी अधिक है। पर्वतों की तलहटी में तथा तराई भावर के क्षेत्र पर्वतों पर स्थित गांवों की अपेक्षा अधिक घने बसे हुए हैं। हिम शिखरों वाले तथा उसके नीचे के क्षेत्र बहुत ही कम आबाद हैं।

५०—लोगों का मुख्य उद्यम खेती है। खेती के अतिरिक्त लोग काफी संख्या में पशु रखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में काफी संख्या में भेड़ें तथा बकरियां पाली जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में गर्मियों की ऋतु को छोड़कर जब गूजर काफी संख्या में भैंसे ले जाते हैं सामान्यतया भैंसें नहीं पाली जाती हैं। व्यापार अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है। मुख्यतः अनाज, दालें, घी, ऊन, शहद तथा पशुओं तक ही व्यापार सीमित है। कुछ समय से इन क्षेत्रों में काफी मात्रा में आलू तथा फल भी पैदा होने लगे हैं जिनका मैदानी क्षेत्रों को निर्यात किया जाता है। सीमान्त क्षेत्र के निवासियों का तिब्बत के साथ भी कुछ व्यापार होता है किन्तु कुछ समय से इसमें कमी हो रही है।

५१—मैदान से इस क्षेत्र में आने वाली मुख्य वस्तुयें कपड़ा, कपास, गुड़, तेल, तम्बाकू, अनाज, नमक तथा लोहे का सामान व सीमेंट है तथा इसकी मांग प्रत्येक गांव में होती है। विविध हुनरों के ज्ञान तथा हस्तकला का इन क्षेत्रों में सर्वथा अभाव नहीं है और स्थानीय सुनार, लोहार, दर्जी, राज, बढ़ई सभी स्थानों में पाये जाते हैं। जाड़ों की ऋतु में काफी लोग जीविकोपार्जन तथा खेती के लिये नीचे मैदानों में चले जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग घामतप्पा तथा गोठिया कहलाते हैं।

५२—इस क्षेत्र के लोग अत्यन्त सरल, मेहनती, उद्यमी तथा बुद्धिमान हैं। वे कठोर जीवन के अभ्यस्त होते हैं तथा इनकी आवश्यकतायें सीमित हैं। यह बाल्यकाल से ही साहसी होते हैं। शिक्षा की दिशा में भी यह क्षेत्र प्रगति पर है तथा दुर्गम स्थानों में भी पाठशालायें खुलती जा रही हैं।

५३—फसलें—खेती प्रगाढ़ व विस्तृत रूप से की जाती है और आमतौर पर मैदानों की भांति दो फसलें उत्पन्न की जाती हैं। खेती के लिये खाद की आवश्यकता को स्थानीय किसान पूरी तौर से अनुभव करता है तथा इस कार्य के लिये पालतू जानवरों का गोबर काम में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय किसान भेड़, बकरियों के मल मूत्र, हरी, पत्तियों, वनस्पति आदि से निर्मित खाद का भी प्रयोग करता है। गाय भैंस की नस्ल में काफी गिरावट आ गई है। वे बहुत ही कम दूध देती हैं और प्रधानतया गोबर के लिये ही रखी जाती हैं। स्थानीय पशुओं की शक्ति के अनुसार बने हल मैदानों की अपेक्षा कहीं अधिक हल्के व छोटे होते हैं। तराई के अतिरिक्त अन्य स्थानों में मिट्टी की विशेष अवस्था के कारण गहरी जुताई नहीं की जा सकती है।

५४—पहाड़ी पट्टियों में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, जौ, मक्का, मडुवा, झंगोरा आदि हैं। इसके अतिरिक्त उर्द, मूंग, गहत भट्ट (सोयाबीन) लाई, तिल, अलसी, आलू तम्बाकू अफीम, भांग तथा अनेक प्रकार की सब्जियां व फल उत्पन्न होते हैं। कहीं कहीं चाय भी पैदा होती है। अधिक ऊंचाई पर, दस सहस्त्र फीट के ऊपर गेहूं के स्थान पर काली जई तथा अन्य अनाजों के स्थान पर आलू फापर उत्पन्न किया जाता है। अत्यधिक ऊंची चोटियों पर जाड़ों में हिम से दबे रहने वाले तथा ग्लेशियरों के समीपस्थ स्थानों पर एक सुन्दर प्रकार का गेहूं (नापाल) खरीफ की फसल में उगाया जाता है।

५५—खरीफ की मुख्य फसल धान है जो तराई भावर में ७००० फीट की ऊंचाई तक उत्पन्न की जाती है।

५६—रबी की फसलें गेहूं, जौ तथा लाई है। अधिक उंचाइयों पर चूआ, उवा, जौ उत्पन्न किया जाता है।

५७—तराई भावर के क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी दोनों फसलें महत्वपूर्ण हैं। गेहूं, चावल, मक्का मडुवा, दालें, तम्बाकू आदि के अतिरिक्त काफी विस्तृत क्षेत्र में गन्ना उत्पन्न होता है। गन्ने की खेती, लाई के अतिरिक्त इस क्षेत्र के किसानों के लिये विशेषरूप से लाभकर है।

५८—अन्न उत्पादन से इस क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी नहीं होतीं और काफी मात्रा में गेहूं, दालें, चना, तिलहन, गुड़, नमक आदि बाहर से आयात किये जाते हैं। जहांतक प्रति एकड़ उत्पादन का प्रश्न है यह बहुत ही कम है। कम उत्पादन का मुख्य कारण धरती का उपजाऊ न होना, सिंचाई की सुविधा का प्राप्त न होना, खाद की कमी तथा भूमि रक्षण की सर्वथा उदासीनता है।

५९—सुरक्षित बन—कुमायूं राजस्व खंड में निम्नलिखित श्रेणी के बन हैं:—

			क्षेत्रफल वर्गमील में
(क) पुराने सुरक्षित वन	..	..	३९०
(ख) नये सुरक्षित वन	..	..	
(१) दर्जा १	..	..	१,७४३
(२) दर्जा २	..	..	५,०४५
बन विभाग के अन्तर्गत			
(ग) रक्षित जंगल	..	..	७६४
(घ) पंचायती बन	..		
(ङ) सिविल बन	..	..	९१५
(च) निजी जंगल	..		
		कुल योग	८,८५७

६०—किन्तु इस संबंध में भूमियह सावधानी के साथ समझने की आवश्यकता है कि दर्जा १ के जंगल तथा रक्षित जंगल अधिकांश में ऊसर भूमि तथा वृक्षों से रहित नंगी पर्वतमाला में हैं तथा इन स्थानों पर ग्रामीण बिना किसी रोकटोक के चराई, घास कटाई कर सकते हैं तथा नई घास उगाने के लिये आग लगा सकते हैं। इसके कारण अधिकांशतः इन बनों की अवस्था अच्छी नहीं है। वास्तविक जंगलों का क्षेत्रफल ८८५७ वर्गमील है जो कुल क्षेत्र का ४९ प्रतिशत है। इस संबंध में समस्त उत्तर प्रदेश, भारत तथा अन्य देशों के आंकड़े तुलना के लिये नीचे दिये गये हैं।

देश		प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत	जिला	प्रतिशत
भारत	..	१९	बम्बई	१५.०	अलमोड़ा	२०
जर्मनी	..	२७	मद्रास	२६.४	ननीताल	६४
वर्मा	..	६३	मध्य प्रदेश	३१.४	गढ़वाल	५७
फ्रांस	..	१९	पंजाब	१३.४	टेहरी गढ़वाल	६१
ब्राजील	..	४८	बंगाल	१२.४		
चीन	..	८	उत्तर प्रदेश	१९.३		
सोवियट संघ	..	४५	..	..	..	..
इंगलैंड	..	४	..	..	..	..
कनेडा	..	३५	..	..	..	..
संयुक्त राष्ट्र अमरीका		३३	..	..	..	..

६१—वन प्ररूप—विशिष्ट भूमि बनावट तथा जलवायु के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के बन पाये जाते हैं जिन्हें जंगलों में पाई जाने वाली वनस्पति के अनुसार चार श्रेणियों

में विभक्त किया जा सकता है अर्थात् उप ऊष्ण क्षेत्रः (८०० से ४,०००), (८०० से ४,०००) समशीतोष्ण क्षेत्रः (४,००० से ६,५००), उप उच्च पर्वत क्षेत्रः (६,५०० से १०,०००), उच्च पर्वत क्षेत्रः (१०,००० से १५,०००)। लगभग १२,००० फीट से ऊपर वृक्ष उग नहीं पाते तथा १५,००० फीट पर हिम रेखा प्रारम्भ हो जाती है।

६२—इन सीमाओं के मध्य घास के क्षेत्र स्थित हैं। हिम रेखा के ऊपर के क्षेत्र के पर्वत शिखर सदैव बर्फ से आच्छादित रहते हैं।

६३—**उप ऊष्ण क्षेत्र**—इस क्षेत्र में कुमायूं राजस्व खंड के अन्तर्गत पूर्व से पश्चिम तक वहिर्वर्ती पहाड़ियों के नीचे स्थित टनकपुर से हरिद्वार तक के समस्त वन आ जाते हैं। इन वनों में साधारण रूप से पाया जाने वाला किन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण वृक्ष साल है जो कि पर्वतों में भी ३,५०० फीट की ऊंचाई तक हो जाता है और आम तौर पर सभी घाटियों में पाया जाता है। यह ६० फीट से १०० फीट तक ऊंचा होता है। इसकी गोलाई ६ फीट तक होती है और इसका तना ३० फीट से ४० फीट तक सीधा होता है।

६४—साल के मुख्य साथी सेन, सिरीश, कंजू, हल्दू, सेमल, घोड़ी, जामुन, झींगन, तुन, गुटेल, गैठी आदि हैं। इन वनों में वृक्षों के नीचे मुख्य रूप से घोला, करोंदा, गंबेला, कुरी आदि की झाड़ियां उत्पन्न होती हैं। पर्वतों के नीचे वाले क्षेत्र में रेतीली मिट्टी वाली जमीन में अनेक प्रकार के जंगल खैर, शीशम, सेमल आदि वृक्षों से भरपूर हैं। बांस समस्त क्षेत्र में यत्र तत्र होता है किन्तु लैन्सडाउन वन खंड में विशेष रूप से होता है।

६५—इन जंगलों से राज्य सरकार को पर्याप्त आमदनी होती है। इस दृष्टि से इनका विशेष महत्व है।

६६—**सम शीतोष्ण क्षेत्र**—इस क्षेत्र के वन ३,००० से ६,००० फीट के मध्य में स्थित हैं। बांज, बुरांस, तुन, सांदन तथा सूचीकार वृक्ष इस समस्त क्षेत्र की पर्वतमालाओं एवं घाटियों को आच्छादित किये हैं जिनसे इस क्षेत्र की सभी प्रकार की लकड़ी तथा ईंधन की आवश्यकतापूर्ति होती है। नीचे ढालों पर अनेक प्रकार की इमारती लकड़ी पायी जाती है जिन में तलहटी वाले क्षेत्रों में पाये जाने वाले सभी वृक्ष सम्मिलित हैं।

६७—इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाने वाला वृक्ष चीड़ है। यह २,५०० फीट से ऊपर पाया जाता है। पर्वत चोटियों तथा नालों के समानान्तर तथा खालों में बांज, बुरांस तथा अयार भी पाये जाते हैं। नीचे घाटियों में कुकाट की झाड़ियां काफी होती हैं। चीड़ दक्षिण ढालों की ओर और कभी कभी ७,५०० फीट तक की ऊंचाई तक (टिहरी गढ़वाल) तथा गढ़वाल में कैल के साथ मिला हुआ पाया जाता है।

६८—अल्मोड़ा तथा नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में पेचदार चीड़ मिलता है।

६९—अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल के कुछ भागों में कुछ स्थानों पर बांज तथा चीड़ के साथ देवदार भी मिलता है। देवदार प्राकृतिक रूप से साधारणतः इस क्षेत्र का पेड़ नहीं है। प्रारम्भ में कुछ पेड़ मंदिरों के समीप लगाये गये थे इससे कुछ पेड़ प्राकृतिक रूप से बढ़े हैं तथा अन्य लगाये गये हैं।

७०—**उप उच्च पर्वत क्षेत्र**—यह क्षेत्र ६,५०० फीट से १०,००० फीट के मध्य स्थित हैं। टिहरी गढ़वाल तथा गढ़वाल के इस क्षेत्र में मुख्य रूप में देवदार, कैल, रई, मुरंडा, के साथ पाये जाते हैं। इन वनों में पाये जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले मुख्य वृक्ष बांज, तिलोंज, खरसू, बोंरास, अंयार, अखरोट, अंगू तथा तुम हैं। इन वनों में खुले स्थानों में पर्याप्त मात्रा में झाड़ियां मिलती ह जिनमें मुख्य सकीना, मट्टा, कुंज, गुइया, किलमीड़ा, सतपुड़ा रिंगाल आदि होते हैं।

७१—नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल के जिलों में बांज तथा मुरंडा के साथ सुराई के वृक्ष भी मिलते हैं। अल्मोड़े जिले में गोलफा से पूर्व की ओर ८,००० से ११,००० फीट पर तुनसिन के वृक्ष पाये जाते हैं।

७२—राई तथा मुरंडा फर (ऊंचे तथा नीचे) साधारण रूप से १०,००० से १२,००० फीट पर मिलते हैं। यद्यपि ये कभी-कभी उत्तरी ढलान पर ७,५०० फीट तक मिलते हैं पर आम तौर से गरम सतहों पर वे १२,००० फीट से अधिक ऊंचाई तक मिलते हैं। इन वृक्षों की उत्पत्ति काफी घनी होती है। इन जंगलों के नीचे भाग में (केवल टिहरी तथा गढ़वाल) कैल तथा देवदार के पेड़ भी बिखरे हुए पाये जाते हैं। ११,५०० फीट के ऊपर ऊंची सतहों पर रई, फर तथा यत्रतत्र कैल के वृक्ष पाये जाते हैं।

७३—इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष तथा उनके नीचे झाड़ियां काफी मात्रा में मिलती हैं। इनमें प्रमुख तिलोंज, खिरसू, पांगर, अखरोट तथा पदम हैं उनके नीचे मुख्य रूप से कुंज, गुइया, किलमोड़ा, रिंगाल आदि उत्पन्न होते हैं।

७४—इस भाग का काफी क्षेत्र ६,००० से १३,५०० फीट तक जो पेड़ों के उगने की अंतिम सीमा है, बांज तथा दूसरी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष से भरा पड़ा है यद्यपि बांज कभी-कभी ठंडे स्थानों तथा नालों के किनारे ४,००० फीट तक पैदा हो जाता है।

७५—कुमायूं के किसान के लिये बांज के जंगल सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इस पर भी इसको संरक्षण की ओर उसका ध्यान पर्याप्त रूप से नहीं गया यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वे मुख्य पनढालों तथा नीचे की हिमालय-चोटियों को आच्छादित करते हैं। इन्हीं पर्वत चोटियों से पानी के नाले तथा दूसरे स्रोत फूट पड़ते हैं। यद्यपि इन जंगलों से राज्य सरकार को विशेष आमदनी नहीं होती है तथापि स्थानीय जनता की ईंधन, लकड़ी, घास फूस, खाद आदि की आवश्यकतापूर्ति के दृष्टिकोण से वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। आबादी से भरपूर क्षेत्रों के समीप उनकी स्थिति खराब है क्योंकि पत्ती तथा ईंधन के लिये उन्हें अनियंत्रित रूप से काटा जाता है। आबादी से दूर उनकी अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी है।

७६—इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले दूसरे वृक्ष तिलौंज, खरसू, अखरोट, मैपल, भोजपत्र आदि हैं।

७७—खरसू इस क्षेत्र में ८,००० फीट से ऊपर ११,५०० फीट तक लगभग सर्वत्र पाया जाता है। यह कहीं-कहीं स्प्रूस, रई के साथ मिला हुआ पाया जाता है। इससे अधिक ऊंचाइयों पर विशेष कर उत्तरी ढलान तथा नालों के किनारे चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों में फंजूला, भोज तथा पदम के वृक्ष और था सिमरू की झाड़ियां पाई जाती हैं।

७८—बांज तथा तिलोंज के जंगलों के मध्य पापरी भी यत्र तत्र पाई जाती हैं।

७९—उच्च पर्वत क्षेत्र—यह क्षेत्र १०,००० तथा १५,००० के मध्य स्थित है। इसके कुछ भाग में उच्च पर्वत क्षेत्रों में पाये जाने वाले जंगल हैं तथा कुछ में घास के लम्बे चौड़े मैदान हैं जिन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में बुग्याल कहते हैं। जंगल १२,००० फीट की ऊंचाई तक पाये जाते हैं और साधारण रूप से ढंगारी अथवा ढालू भूमि पर पाये जाते हैं। इन जंगलों के नीचे की ओर खरसू तथा फर आदि होते हैं।

८०—ऊपर के क्षेत्रों में भोज अधिक पाया जाता है जिसके नीचे साधारणतः बूप की झाड़ियां (नैर) होती है। खरसू बांज इस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र में खरसू का स्थान कैल, मैपल तथा फर, रई ने ले लिया है।

८१—एलपाइन घास के क्षेत्र—बुग्याल वृक्ष रेखा तथा हिम रेखा के मध्य स्थित होते हैं। इनके ढलान साधारणतः कम ढालू हैं। ये क्षेत्र नवम्बर के अन्त से मई तक बर्फ से ढके रहते हैं किन्तु जून के बाद इस क्षेत्र में अच्छी घास उग जाती है।

वन-साधन

८२—सुरक्षित जंगलों की जो वन विभाग के नियंत्रण में हैं सम्पदा का प्रयोग योजनानुसार होता है किन्तु दर्जा १, सोयम अथवा सिविल जंगलों की सम्पदा स्थानीय जनता अनियोजित रूप से प्रयुक्त करती है।

८३—जंगलों से अनेक वस्तुयें प्राप्त होती हैं जिनमें मुख्य इमारती लकड़ी, ईंधन तथा कोयला है। इन जंगलों में पाई जाने वाली लगभग ५० प्रकार की इमारती लकड़ियों में केवल कुछ का जैसे साल, सैन, शीशम, सैमल, तुन, चीड़ कैल, देवदार, फर, रई, मुरंडा, की बिक्री आसानी से हो सकती है। इसके अतिरिक्त सुगम स्थानों में प्राप्त गुटेल, हल्दू, कंजूला, पापरी भी आसानी से बेचे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ी का वार्षिक उत्पादन लगभग ९० लाख घनफुट है। ईंधन आदि के उत्पादन के आंकड़े परिशिष्ट (४) में दिये गये हैं। इन सबसे शासन को लगभग ३ करोड़ रुपये की आय प्रति वर्ष होती है।

अध्याय ५

वनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

८४—वर्तमान कुमायूं राजस्व खंड में अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल तथा टिहरी-गढ़वाल के चार जिले सम्मिलित हैं जिनका कुल क्षेत्रफल १८,२७८ वर्गमील है। टिहरी-गढ़वाल १९४८ में उत्तर प्रदेश में विलयन से पूर्व एक रियासत थी। विलयन के उपरान्त टिहरी गढ़वाल के लिये एक अरण्यपाल के अधीन पृथक टिहरी वृत की स्थापना की गई। टिहरी वृत में स्थानीय जनता के अधिकार तथा सुविधायें कुमायूं वृत से पृथक हैं।

८५—अंग्रेजों के आगमन के पूर्व कुमाऊं के वनों की कोई सुनियोजित व्यवस्था न थी। आबादी कम थी तथा वनों का क्षेत्र व्यापक था। स्थानीय जनता अपनी समस्त आवश्यकताएं वनों से आसानी से पूरी कर सकती थी। गांव की सीमा के भीतर के वन गांव निवासियों की सामूहिक सम्पत्ति समझे जाते थे। गांव निवासियों को इन जंगलों में जानवरों को चराने, इमारती लकड़ी तथा ईंधन लाने की पूरी स्वतंत्रता थी।

८६—१८१५ में कुमायूं में अंग्रेजी राज्य का सूत्रपात हुआ। १८१७ से १८२३ तक ट्रेल ने कुमायूं तथा गढ़वाल में जमीन के सात बन्दोबस्त किये। १८८० सम्वत के कारण इन बन्दोबस्तों को अस्सी साला बन्दोबस्त और इनमें निर्धारित सीमायें "साल अस्सी की सीमायें" कहलाती हैं। "साल अस्सी" की सीमाओं का यद्यपि कानूनी रूप से विशेष महत्व नहीं है तथापि इनका इस रूप में विशेष महत्व है कि इन सीमाओं के भीतर गांव वाले चरान चुगान, लकड़ी ईंधन काटने के अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से ट्रेल का कार्य राजस्व व्यवस्था के लिये भूमि तथा गांव की सीमा निर्धारण करना था।

८७—प्रारम्भ में सरकार का ध्यान पर्वत प्रदेश की वन सम्पदा की ओर आकृष्ट नहीं हुआ। चीड़ का जो कुमायूं के जंगलों में बहुतायत में पाया जाता है या जो कुमायूं का प्रधान वृक्ष है व्यावसायिक दृष्टि से उस समय कोई महत्व न था। इस काल में रेलवे स्लीपरों के लिये साल की अत्यधिक मांग थी और अनेक ठेकेदारों ने १८२८–५८ तक तराई भावर के जंगलों से मनमाने तरीके से नाम-मात्र की रौयल्टी पर इस हेतु साल के पेड़ काटे। इसके फल स्वरूप बन सम्पदा की व्यापक हानि हुई। १८५८ से १८६८ तक इनजंगलों का प्रबन्ध कुमायूं कमिश्नर सर हैनरी रामजे को सौंप दिया गया। सर हैनरी रामजे ने इन जंगलों के सामूहिक संहार को रोकने के लिये अनेक आज्ञायें निकालीं। १८७७ में तराई के कुछ वन विधिवत सुरक्षित घोषित किये गये।

८८—१८५६ में हम वनों की सुरक्षा की पहली चरचा सुनते हैं जब मद्रास तथा वर्मा में इस संबंध में अधिनियम बनाये गये। १८६८ में पहला भारतीय अधिनियम बनाया गया। १८७८ में सातवें अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम को रद्द कर दिया गया और नया अधिनियम बनाया गया।

८९—१८५० में नैनीताल नगरपालिका की स्थापना हुई और इसी के कुछ समय बाद नैनीताल के समीपस्थ वनों की सीमा निर्धारित की गई। १८७३ में रानीखेत के तथा १८७५ में अल्मोड़ा के कुछ भूखंडों में वनों की सीमा निर्धारित की गई तथा इन्हें सुरक्षित वन घोषित किया गया।

९०—१८६८ में कुमायूं के वनों की सुव्यवस्था के लिये पृथक अरण्यपाल मेजर पीयर्सन नियुक्त किये गये। १८७७ में अल्मोड़ा, नैनीताल के वनों की विधिवत सीमा निर्धारित की गई तथा कुमायूं के उपरोक्त वनों को सुरक्षित वन खंड घोषित किया गया जिनको इस समय पुराने सुरक्षित (Old Reserves) वन कहते हैं। १८७७ के आरक्षण के आदेशों के अनुसार उस समय कुल ६७४.५ वर्गमील क्षेत्र जंगलों के अन्तर्गत लाया गया। इसमें से २९०.५ वर्गमील में स्थानीय जनता के अंकित अधिकार थे और ३८४ वर्गमील में कोई अधिकार न थे।

६१—१८६५ में भारत की तत्कालीन विधायिका सभा में पहले भारतीय अधिनियम की आलोचना का उत्तर देते हुए सर हैनरी मैन ने परिषद को आश्वासन दिया कि सरकार की इच्छा जंगलों अथवा जंगलों में उत्पन्न वस्तुओं पर स्थानीय जनता के अधिकारों को सीमित करने अथवा उनपर अंकुश लगाने का नहीं है।

६२—१८७८ में सातवें अधिनियम भारतीय बन अधिनियम की बहस के दौरान में श्री होप ने सर हैनरी मैन द्वारा दिये गये आश्वासनों को दोहराया। इसी समय सर जान स्ट्रैची ने जो विभिन्न पदों पर कुमायूं में कार्य कर चुके थे तथा यहां की समस्याओं आदि से सुपरिचित थे बिल की धाराओं के अन्तर्गत कुमायूं के जंगलों को सुरक्षित किये जाने के संबंध में अनेक शंकायें प्रकट कीं। उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिये ही रक्षित बनों संबंधी उपबन्ध अधिनियम में रखे गये।

६३—बिल के तृतीय वाचन के दौरान में श्री होप ने ६ मार्च, १८७८ को घोषणा की "सरकार को नियत भूमि पर अथवा जंगलों में उत्पन्न वस्तुओं पर जनता के अधिकार कम करने अथवा उनपर बंधन लगाने का नहीं है। यह कहा गया है कि 'सुरक्षित' शब्द अस्पष्ट, रूप से प्रयुक्त हुआ है तथा विभिन्न बनों के संबंध में विभिन्न रूप से लागू हुआ है, इसके अन्तर्गत रक्षित मात्र (protected) बनों को ऊँचे किस्म के सुरक्षित बनों में परिवर्तित करना संभव होगा। इस प्रकार के कार्य की संभावना विशेष रूप से कुमायूं में है, जहां अनेक बन सुरक्षित बन (reserved forests) कहे जाते हैं किन्तु जिनमें जनता को कुछ स्पष्ट समझौते अथवा गारन्टी के अतिरिक्त अत्यन्त व्यापक हक हकूक हैं। मैं यह विश्वास करना कठिन पाता हूं कि ऐसे अधिकारों को कभी भी जब्त करने की सिफारिश की जायेगी तथापि इस संबंध में संदेहों का निवारण करने के लिये भारतीय बन अधिनियम की धारा ३४ प्रस्तुत की जाती है। सरकार की इच्छा भूमि अथवा जंगलों में उत्पन्न वस्तुओं पर जनता के हक हकूकों को सीमित करने अथवा प्रभावित करने की नहीं है।" इस संबंध में सर जौन स्ट्रेची ने कहा "अब यह स्पष्ट हो जायगा कि विधायिका सभा की इच्छा इस धारा द्वारा जंगलों में राज्य अथवा किसी व्यक्ति की हैसियत को बदलना नहीं है और सभी विद्यमान हक हकूक अपरिवर्तनीय रहेंगे।"

६४—१८७८ से १८९३ तक अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल में अनेक भू-खंडों की सीमा निर्धारित की गई तथा उनको रक्षित बन घोषित किया गया। १८७८ में भारतीय बन अधिनियम के पास हो जाने पर इन बनों को पुनः सुरक्षित तथा रक्षित बनों में वर्गीकृत करना आवश्यक हुआ। इस अवसर पर अरण्यपाल कुमायूं ने जिला अधिकारियों तथा कुमायूं के आयुक्त से विचार विमर्श करने के बाद ३८.६७ वर्गमील क्षेत्र को सुरक्षित बन से पृथक किया तथा ६३८.८३ वर्गमील क्षेत्र को सुरक्षित बन घोषित किया तथा कर्नल गारस्टिन ने २९०.७ वर्गमील क्षेत्र में जनता के अधिकार अंकित किये।

६५—१७ अक्तूबर, १८९३ की एक घोषणा के अनुसार अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल के समस्त जंगल तथा बंजर भूमि, रक्षित जंगल घोषित कर दिए गये। किन्तु इस घोषणा के पूर्व भारतीय वन अधिनियम (Indian Forests Act) की धारा ३४ के अन्तर्गत कुमायूं निवासियों को इन बनों में प्राप्त हक हकूकों के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई। १८९४ में जिलाधीश के अन्तर्गत इन जंगलों की व्यवस्था के नियम बनाये गए जिन्हें अरण्यपाल की शक्ति प्रदान की गई।

६६—रक्षित वनों की व्यवस्था, कमिश्नर कुमायूं के नियंत्रण तथा अरण्यपाल पश्चिमी वृत की देखरेख में जिला अधिकारियों को सौंप दी गई। इस सम्बन्ध में निकाले गए एक आदेश ८४३-एफ/६३८—६९, दिनांक २४ अक्तूबर, १८९४ के अन्तर्गत इन सुरक्षित बनों में जनता के हक हकूकों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। इन प्रतिबंधों के कारण गांव निवासियों के लिए सड़कों के १०० फीट के अन्दर तथा गांव के ५ मील के बाहर वृक्ष काटना वर्जित हो गया, खेती योग्य बंजर जमीन तोड़ने, जंगलों में शिकार आदि करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तिथि को प्रसारित एक दूसरे आदेश ८४६, एफ/६३८—७२, दिनांक २४-१०-१८९४ के अन्तर्गत देवदार, साइप्रेस, चीड़, पापड़ी,

साल, सीसू, तुन तथा खैर सुरक्षित घोषित कर दिए गए। इन आदेशों का परिणाम तुरन्त प्रगट नहीं हुआ क्योंकि इनके कार्यान्वित करने में कुछ समय लगा किन्तु क्रमशः ज्यों ज्यों जिला तथा बन अधिकारी इनका पालन करने लगे जनता की तकलीफें बढ़ने लगीं और कालान्तर में चरम सीमा तक पहुंच गई।

९७—१९ अक्तूबर, १८९४ को भारत सरकार ने अपनी बन नीति की घोषणा की। इस नीति के अन्तर्गत जनता की सुख सुविधा को राजस्व से अधिक महत्त्व दिया गया तथा बनों का विकास तथा उनके रक्षण से अधिक खेती को प्राथमिकता दी गई। १८९४ से १९५२ तक जब नई बन-नीति घोषित की गई, इसी नीति के आधार पर समस्त भारत में बन व्यवस्था की जाती रही।

९८—१८९३–९४ से बन अधिकारी कुमायूं के रक्षित बनों को सीधे जंगलात विभाग के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव कर रहे थे। १८९७ में अरण्यपाल पश्चिमी वृत्त ने प्रस्ताव किया कि रक्षित वनों को विभिन्न बनों में वर्गीकृत कर दिया जाय तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बन जंगलात विभाग को सौंप दिये जायें। सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। १९०० में अरण्यपाल पश्चिमी वृत ने उपर्युक्त प्रस्ताव को पुनः शासन के पास भेजा किन्तु तत्कालीन गवर्नर सर एन्टोनी मैकडोनेल ने इसे पुनः अस्वीकार कर दिया। अन्त में १९०३ में जंगलात विभाग के निरन्तर प्रस्ताव करने पर शासन ने बन विभाग की मांग को स्वीकार कर दिया और खेती की सीमा के बाहर की पर्वत चोटियों को पुनः उत्पत्ति के लिए बंद घोषित कर दिया। इस सम्बन्ध में दिनांक ५ अप्रैल, १९०३ को कुमायूं के रक्षित बनों के सम्बन्ध में जो नियम प्रकाशित हुए उनका प्रारम्भिक खंड इस प्रकार है "कुमायूं के पहाड़ी बनखंडों के रक्षित बन जो साधारण रूप से सिविल बनों के नाम से ज्ञात हैं कुमायूं के निवासियों के लाभ के लिए व्यवस्थित किये जाते हैं।"

९९—नये नियमों के अन्तर्गत इन रक्षित सिविल बनों को दो भागों में बांट दिया गया (१) बंद सिविल बन, (२) खुले सिविल बन। यह व्यवस्था की गई कि बंद सिविल बनों में ग्रामीणों के हक हकूकों के सम्बन्ध में जिलाधीश व्यवस्था करेंगे। खुले बनों में ग्रामीणों को सभी प्रकार के अधिकार अर्थात् घास, रिंगाल, बांस आदि काटने के, जानवर आदि चराने के, पत्थर आदि निकालने के बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त रहेंगे। रक्षित वृक्षों में देवदार के पेड़ों के विषय में जिलाधीश आज्ञा देंगे किन्तु अन्य प्रकार के रक्षित पेड़ों के विषय में प्रधान तथा पटवारी आज्ञा देंगे। गांव वालों को घास लाने के सम्बन्ध में भी व्यापक अधिकार रहेंगे। कुमायूं के निवासियों ने ऊसर तथा बेनाम भूमि व बनों पर सरकार के अधिकार को अनुचित तथा अन्यायपूर्ण तथा अपने अधिकारों का अपहरण समझा और इसका विरोध किया। इस सम्बन्ध में १९०७ में मेजर जनरल व्हीलर की अध्यक्षता में अलमोड़ा में एक विराट सभा हुई और इस नीति का अर्थात समस्त बंजर भूमि तथा बनों को रक्षित घोषित किए जाने का विरोध किया गया।

१००—जनता के असंतोष व विरोध को शान्त करने के लिए १९०८ में बरेली दरबार में सर जान हिवेट ने घोषणा की "सरकार की इच्छा बनों से आय अर्जित करने की नहीं है किन्तु वह अतिरिक्त आय को कुमायूं निवासियों के हित के लिए व्यय करना चाहती है। सरकार मुख्य रूप से केवल कुमायूं के बनों का सर्वनाश रोकना चाहती है।" उन्होंने उपरोक्त आश्वासनों को १९१२ में हल्द्वानी अस्पताल का उद्घाटन करते समय पुनः दुहराया।

१०१—१९१० में नैनीताल में कुमायूं के बन व्यवस्था के सम्बन्ध में एक सम्मेलन हुआ। इसमें सर जान हिवेट, सर जान कैम्पबेल तथा श्री कलक्टरबक ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कुमायूं की बन व्यवस्था (बंदोबस्त) करने का निर्णय किया गया। वास्तव में यह बन बंदोबस्त १८९३ की घोषणा के पूर्व हो जाना चाहिए

था। अक्तूबर, १९११ में स्ट्राइफ तथा नैलसन ने क्रमशः अलमोड़ा तथा गढ़वाल के बन बंदोबस्त का कार्य भार सम्हाला। हरबर्ट इनके सहयोगी थे। गढ़वाल, अलमोड़ा का बंदोबस्त समाप्त करने के बाद इन तीनों ने नैनीताल का बन बंदोबस्त किया। इन लोगों ने ३,००० वर्गमील से अधिक क्षेत्र भारतीय बन अधिनियम (१८७८) के अन्तर्गत सुरक्षित बन क्षेत्र में सम्मिलित किया। इस प्रकार १९१२ में संयुक्त प्रान्त में बनों का जो क्षेत्रफल ४१७५ वर्गमील था वह १९१५ में बढ़कर ७,५०० वर्गमील हो गया। यद्यपि अपनी घोषणाओं में स्ट्राइफ तथा नैलसन दोनों अधिकारियों ने जनता को विश्वास दिलाया था कि जंगलों को कुमायूं की जनता के हित तथा लाभ के लिए सुरक्षित किया जायगा तथा सुरक्षित क्षेत्र के बाहर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए जायंगे किन्तु इस बंदोबस्त के फल स्वरूप बनों को वन विभाग के नियंत्रण तथा देख-रेख में दे दिया गया। बंदोबस्त के परिणामस्वरूप गांव वालों के लकड़ी, ईंधन, चरान, चुगाम आदि के हक हकक काफी कम कर दिये गये और बहुत सी नाप जमीन भी बनों में ले ली गई।

१०२—१९११/१७ के जंगल बंदोबस्त के फल-स्वरूप नये सुरक्षित जंगलों को "क" "ख" "ग" तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। "क" वर्ग के जंगल मुख्य रूप से स्थानीय जनता की आवश्यकता पूर्ति तथा बाहरी जनता के पास विक्रय एवं उनके रक्षण तथा उत्पादन के लिए बन विभाग की देख-रेख तथा नियंत्रण में थे। "ख" श्रेणी के बन ईंधन तथा घास की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यह भी बन विभाग के प्रबंध में थे किन्तु इनमें नियंत्रण कठोर न था। इनमें गांव वालों के लकड़ी, ईंधन, चराई चुगाई आदि हक हकूकों पर कोई प्रतिबंध न था। "ग" श्रेणी के बन जंगल की शेष भूमि पर थे जो वन विभाग के नियंत्रण के बाहर लोगों के उपभोग के लिए छोड़ दी गई थीं।

१०३—१९१२ में पश्चिम वृत से पृथक एक नये बन वृत का निर्माण किया गया जो कुमायूं वृत कहलाया।

१०४—जंगलों का वर्गीकरण बनों के इस प्रकार के वर्गीकरण तथा उपरोक्त प्रतिबंधों के कारण कुमायूं में अत्यन्त असंतोष फैला। कहीं-कहीं पर गांव वालों नें बनों में आग भी लगाई।

इस असंतोष को समाप्त करने, सिविल बनों के सुरक्षितीकरण से उत्पन्न जनता की कठिनाइयों की सही जांच करने तथा लोगों को यथा सम्भव पर्याप्त सुविधाऐं देने के लिए सरकार ने १९२१ में आयुक्त कुमायूं, अरण्यपाल कुमायूं तथा दो गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया। इस कमेटी ने अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल का दौरा किया। इस कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार व्यावसायिक महत्व की लकड़ी, ईंधन या घास के सुरक्षित क्षेत्र अथवा मुख्य नदियों को पानी प्रदान करने वाले वनों को सुरक्षित बनों में रख दिया गया और अलग अलग स्थानों में छोटे-छोटे टुकड़ों में स्थित अलाभकारी बनों को और ऐसे बनों को जिनका व्यापारिक दृष्टि से कोई महत्व न था सुरक्षित बनों से अलग कर दिया गया।

१०५—१९२१ की समिति की सिफारिशों पर सुरक्षित बनों का दो भाग में वर्गीकरण कर दिया गया। (१) दर्जा एक के बन, (२) दर्जा दो के बन। दर्जा एक श्रेणी के वन यद्यपि व्यावसायिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं तथापि मुख्य नदियों के जल स्रोत होने के कारण इनका विशेष महत्व है। ये वन अब जिलाधीश के नियंत्रण में हैं जो नाममात्र का है। ऐसे बनों का क्षेत्रफल जो वन विभाग के नियंत्रण से अलग किए गए १,७४२ वर्गमील है। इन बनों में मुख्य प्रतिबंध यह है (१) कोई रक्षित पेड़ बिना अनुमति से नहीं काटा जायगा, (२) मुनारबंदी के भीतर बिना भारतीय वन अधिनियम, १८७८ के अनुसार बन विहीनीकरण हुये खेती की आज्ञा नहीं है, (३) देहाती कारीगरों (village artisans) की आवश्यकता के अतिरिक्त जंगल की उपज का विक्रय वर्जित है।

१०६--समिति की सिफारिशों के अनुसार दर्जा एक बनों में बन विभाग का नियंत्रण मामनात्र का कर दिया गया और इन वनों से पतरौल, रेंजर आदि अलग कर दिये गये ।

१०७--दर्जा २ के बनों को वन विभाग के नियंत्रण में रखा गया इनमें कुछ वे बन हैं जिनका विशेष व्यावसायिक महत्व तो नहीं है किन्तु जो नदियों को पानी प्रदान करने के स्रोत हैं और दूसरे वे बन हैं जो इमारती लकड़ी के वृक्षों से भरपूर हैं तथा साथ ही साथ घास, ईंधन आदि के सुरक्षित क्षेत्र हैं। ऐसे बन चीड़, साल, देवदार, साइप्रेस, कैल, स्प्रूस आदिसे युक्त हैं।

१०८--इनकी व्यवस्था के प्रमखतः निम्न आधार हैं।

(१) हक हकूक वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति।

(२) चीड़ के बनों से लीसा, इमारती लकड़ी और बांज के बनों से ईंधन और कोयला प्राप्त करना।

(३) बनों की उन्नति और उनमें पुनः उत्पत्ति करना ।

(४) पहाड़ी भागों को कटाव से बचाना और पानी के स्त्रोतों की रक्षा करना।

१०९--समिति की इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए शा० आ० सं० ८९५/१४-२८५, दिनांक २२-१०-१९२५ द्वारा कुमायूं के नये सुरक्षित बनों (New Reserves) में जनता के चरान, चुगान तथा बन सम्पदा सम्बन्धी हक हकूकों तथा सुविधाओं से सम्बधिन्त निर्देश जारी किए गए। इस आदेश को बाद में शा० आ० स० १४५/१४--३०८-१९३६, दिनांक २२-३-१९४१ के द्वारा परिवर्तित तथा परिवर्द्धित किया गया। (देखिए परिशिष्ट ५)।

११०--इस समिति की सिफारिशों से कुमायूं की जनता को पूरा संतोष नहीं हुआ क्योंकि कमेटी के अध्ययन के विषय अत्यन्त सीमित थे। १९३७ में प्रदेश में प्रथम मंत्रिमंडल के निर्माण के पश्चात् १९३८ में कुमायूं के प्रतिनिधियों ने कुमायूं के सुरक्षित बनों में ग्रामीण जनता के अधिकारों का प्रश्न पुनः उठाया और इस पर शासन ने कुमायूं बन समिति से दर्जा दो के बनों तथा कुमायूं के पुराने रक्षित वनों में ग्राम निवासियों के हक हकूकों के प्रश्न पर विचार करने को कहा। इस समिति ने पश्चिमी वृत के सम्बन्ध में भी ऐसे प्रश्नों पर विचार किया।

१११--कुमायूं बन समिति इस कार्य के लिए तीन जिला कमेटियों में विभक्त हुई और इन तीनों समितियों की रिपोर्ट को संकलित एवं सम्पादित कर शासन को प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट कुमायूं वृत के जंगलों में ग्रामीणों के हक हकूकों की जांच के रूप में प्रकाशित हुई।

११२--कुमायूं बन समिति की सिफारिशों पर शासकीय आदेश सं० ६०५* (ए० एफ०)/१४--२४०--१९३८, दिनांक २२ सितम्बर, १९४१ के द्वारा जो व्यवस्था की गई वे आज भी लागू हैं। तब से अब तक कुमायूं के बनों के सम्बन्ध में कोई नीति विषयक परिवर्तन नहीं हुआ।

११३--टिहरी गढ़वाल--टिहरी १९४८ के विलयन के पूर्व एक प्रथक रियासत थी। १९वीं शताब्दी के प्रथम अर्द्धभाग के उत्तरार्द्ध में विल्सन नाम के एक अंग्रेज ने टिहरी के तत्कालीन महाराज को नजराना पेश करके टिहरी के जंगलों के विदोहन-कस्तूरा, मुनाल, जंगली जानवरों की खाल, ईंधन, इमारती लकड़ी जैसी बन सम्पदा निकालने के अधिकार प्राप्त किए । उस समय कुमायूं में सर्वत्र और विशेषतया टिहरी में जंगलों की प्रचुरता

**देखिये परिशिष्ट (६):

था। अक्तूबर, १९११ में स्ट्राइफ तथा नैलसन ने क्रमशः अल्मोड़ा तथा गढ़वाल के बन बंदोबस्त का कार्य भार सम्हाला। हरबर्ट इनके सहयोगी थे। गढ़वाल, अल्मोड़ा का बंदोबस्त समाप्त करने के बाद इन तीनों ने नैनीताल का बन बंदोबस्त किया। इन लोगों ने ३,००० वर्गमील से अधिक क्षेत्र भारतीय बन अधिनियम (१८७८) के अन्तर्गत सुरक्षित बन क्षेत्र में सम्मिलित किया। इस प्रकार १९१२ में संयुक्त प्रान्त में बनों का जो क्षेत्रफल ४१७५ वर्गमील था वह १९१५ में बढ़कर ७,५०० वर्गमील हो गया। यद्यपि अपनी घोषणाओं में स्ट्राइफ तथा नैलसन दोनों अधिकारियों ने जनता को विश्वास दिलाया था कि जंगलों को कुमायूं की जनता के हित तथा लाभ के लिए सुरक्षित किया जायगा तथा सुरक्षित क्षेत्र के बाहर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए जायंगे किन्तु इस बंदोबस्त के फल स्वरूप बनों को वन विभाग के नियंत्रण तथा देख-रेख में दे दिया गया। बंदोबस्त के परिणामस्वरूप गांव वालों के लकड़ी, ईंधन, चरान, चुगान आदि के हक हकूक काफी कम कर दिये गये और बहुत सी नाप जमीन भी बनों में ले ली गई।

१०२—१९११/१७ के जंगल बंदोबस्त के फल-स्वरूप नये सुरक्षित जंगलों को "क" "ख" "ग" तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। "क" वर्ग के जंगल मुख्य रूप से स्थानीय जनता की आवश्यकता पूर्ति तथा बाहरी जनता के पास विक्रय एवं उनके रक्षण तथा उत्पादन के लिए बन विभाग की देख-रेख तथा नियंत्रण में थे। "ख" श्रेणी के बन ईंधन तथा घास की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। यह भी बन विभाग के प्रबंध में थे किन्तु इनमें नियंत्रण कठोर न था। इनमें गांव वालों के लकड़ी, ईंधन, चराई चुगाई आदि हक हकूकों पर कोई प्रतिबंध न था। "ग" श्रेणी के बन जंगल की शेष भूमि पर थे जो वन विभाग के नियंत्रण के बाहर लोगों के उपभोग के लिए छोड़ दी गई थी।

१०३—१९१२ में पश्चिम वृत से पृथक एक नये बन वृत का निर्माण किया गया जो कुमायूं वृत कहलाया।

१०४—जंगलों का वर्गीकरण बनों के इस प्रकार के वर्गीकरण तथा उपरोक्त प्रतिबंधों के कारण कुमायूं में अत्यन्त असंतोष फैला। कहीं-कहीं पर गांव वालों ने बनों में आग भी लगाई।

इस असंतोष को समाप्त करने, सिविल बनों के सुरक्षितीकरण से उत्पन्न जनता की कठिनाइयों की सही जांच करने तथा लोगों को यथा सम्भव पर्याप्त सुविधाएँ देने के लिए सरकार ने १९२१ में आयुक्त कुमायूं, अरण्यपाल कुमायूं तथा दो गैर सरकारी व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया। इस कमेटी ने अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल का दौरा किया। इस कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार व्यावसायिक महत्व की लकड़ी, ईंधन या घास के सुरक्षित क्षेत्र अथवा मुख्य नदियों को पानी प्रदान करने वाले वनों को सुरक्षित बनों में रख दिया गया और अलग-अलग स्थानों में छोटे-छोटे टुकड़ों में स्थित अलाभकारी बनों को और ऐसे बनों को जिनका व्यापारिक दृष्टि से कोई महत्व न था सुरक्षित बनों से अलग कर दिया गया।

१०५—१९२१ की समिति की सिफारिशों पर सुरक्षित बनों का दो भाग में वर्गीकरण कर दिया गया। (१) दर्जा एक के बन, (२) दर्जा दो के बन। दर्जा एक श्रेणी के वन यद्यपि व्यावसायिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तथापि मुख्य नदियों के जल स्रोत होने के कारण इनका विशेष महत्व है। ये वन अब जिलाधीश के नियंत्रण में हैं जो नाममात्र का है। ऐसे बनों का क्षेत्रफल जो वन विभाग के नियंत्रण से अलग किए गए १,७४२ वर्गमील है। इन बनों में मुख्य प्रतिबंध यह है (१) कोई रक्षित पेड़ बिना अनुमति से नहीं काटा जायगा, (२) मुनारबंदी के भीतर बिना भारतीय वन अधिनियम, १८७८ के अनुसार बन विहीनीकरण हुये खेती की आज्ञा नहीं है, (३) देहाती कारीगरों (village artisans) की आवश्यकता के अतिरिक्त जंगल की उपज का विक्रय वर्जित है।

१०६—समिति की सिफारिशों के अनुसार दर्जा एक बनों में बन विभाग का नियंत्रण नाममात्र का कर दिया गया और इन वनों से पतरौल, रेंजर आदि अलग कर दिये गये।

१०७—दर्जा २ के बनों को वन विभाग के नियंत्रण में रखा गया इनमें कुछ वे बन हैं जिनका विशेषव्यावसायिक महत्व तो नहीं है किन्तु जो नदियों को पानी प्रदान करने के स्रोत हैं और दूसरे वे बन हैं जो इमारती लकड़ी के वृक्षों से भरपूर हैं तथा साथ ही साथ घास, ईंधन आदि के सुरक्षित क्षेत्र हैं। ऐसे बन चीड़, साल, देवदार, साइप्रेस, कैल, स्प्रस आदिसे युक्त हैं।

१०८—इनकी व्यवस्था के प्रमुखतः निम्न आधार हैं।

(१) हक हकूक वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति।

(२) चीड़ के बनों से लीसा, इमारती लकड़ी और बांज के बनों से ईंधन और कोयला प्राप्त करना।

(३) बनों की उन्नति और उनमें पुनः उत्पत्ति करना।

(४) पहाड़ी भागों को कटाव से बचाना और पानी के स्त्रोतों की रक्षा करना।

१०९—समिति की इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए शा० आ० सं० ८९५/१४–२८५, दिनांक २२–१०–१९२५ द्वारा कुमायूं के नये सुरक्षित बनों (New Reserves) में जनता के चरान, चुगान तथा बन सम्पदा सम्बन्धी हक हकूकों तथा सुविधाओं से सम्बधिन्त निर्देश जारी किए गए। इस आदेश को बाद में शा० आ० स० १४५/१४—३०८-१९३६, दिनांक २२–३–१९४१ के द्वारा परिवर्तित तथा परिवर्द्धित किया गया। (देखिए परिशिष्ट ५)।

११०—इस समिति की सिफारिशों से कुमायूं की जनता को पूरा संतोष नहीं हुआ क्योंकि कमेटी के अध्ययन के विषय अत्यन्त सीमित थे। १९३७ में प्रदेश में प्रथम मंत्रिमंडल के निर्माण के पश्चात् १९३८ में कुमायूं के प्रतिनिधियों ने कुमायूं के सुरक्षित बनों में ग्रामीण जनता के अधिकारों का प्रश्न पुनः उठाया और इस पर शासन ने कुमायूं बन समिति से दर्जा दो के बनों तथा कुमायूं के पुराने रक्षित वनों में ग्राम निवासियों के हक हकूकों के प्रश्न पर विचार करने को कहा। इस समिति ने पश्चिमी वृत के सम्बन्ध में भी ऐसे प्रश्नों पर विचार किया।

१११—कुमायूं बन समिति इस कार्य के लिए तीन जिला कमेटियों में विभक्त हुई और इन तीनों समितियों की रिपोर्ट को संकलित एवं सम्पादित कर शासन को प्रस्तुत किया गया। यह रिपोर्ट कुमायूं वृत के जंगलों में ग्रामीणों के हक हकूकों की जांच के रूप में प्रकाशित हुई।

११२—कुमायूं बन समिति की सिफारिशों पर शासकीय आदेश स० ६०५** (ए० एफ०)/१४—२४०—१९३८, दिनांक २२ सितम्बर, १९४१ के द्वारा जो व्यवस्था की गई वे आज भी लागू हैं। तब से अब तक कुमायूं के बनों के सम्बन्ध में कोई नीति विषयक परिवर्तन नहीं हुआ।

११३—टिहरी गढ़वाल—टिहरी १९४८ के विलयन के पूर्व एक प्रथक रियासत थी। १९वीं शताब्दी के प्रथम अर्द्धभाग के उत्तरार्द्ध में विल्सन नाम के एक अंग्रेज ने टिहरी के तत्कालीन महाराज को नजराना पेश करके टिहरी के जंगलों के विदोहन—कस्तूरा, मुनाल, जंगली जानवरों को खाल, ईंधन, इमारती लकड़ी जैसी बन सम्पदा निकालने—के अधिकार प्राप्त किए। उस समय कुमायूं में सर्वत्र और विशेषतया टिहरी में जंगलों की प्रचुरता

**देखिये परिशिष्ट (६) :

थी और जंगलों के विधिवत विदोहन की व्यवस्था भारत में कहीं भी प्रचलित नहीं हुई थी। १८५० में विल्सन की प्रथम लीज समाप्त हुई। उसने केवल ४०० ० की वार्षिक लीज पर पुनः पूर्ववत विदोहन के अधिकार प्राप्त किए। यह लीज १८५० से १८६४ तक के लिए थी।

११४—लीज अवधि के दर्मियान टिहरी के बहुमूल्य देवदार जंगल मनमाने तरीके से काटे गए तथा बढ़ागड्डी, भंडारस्यूं, महीडंडा के जंगल लगभग नष्ट कर दिए गए। प्रारम्भ में विल्सन ने केवल इमारती लकड़ी बनाने की ओर ध्यान दिया किन्तु बाद में उसने रेलवे स्लीपर निकालने का कार्य भी प्रारम्भ किया। विल्सन पहला व्यक्ति था जिसने जल मार्ग द्वारा लकड़ी के बहान का प्रयोग प्रारम्भ किया और इस प्रकार दुर्गम स्थानों से जल मार्ग द्वारा लकड़ी लाने का कार्य सम्भव सिद्ध कर दिखाया। बन सम्पत्ति के विदोहन में उसका यह योग अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

११५—विल्सन की यह लीज मई, १८६४ तक चली। इसके उपरान्त तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रान्त (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की सरकार ने दस हजार रूपये वार्षिक में यह लीज स्वयं ले ली। यद्यपि यह लीज केवल बीस वर्ष के लिए थी तथापि दोनों पक्षों की सहमति से यह एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। इसी समय के आस-पास उपरोक्त सरकार ने टौंस तथा यमुना घाटी के जंगल भी ४,५०० रु० प्रतिवर्ष की लीज पर ले लिया।

११६—लीज की समाप्ति पर १८८५ में टिहरी राज्य ने अपने जंगलात विभाग का संगठन किया। एक अरण्यपाल के अधीन ४ रेन्जर तथा २३ पतरौल जंगलों की देखभाल तथा वन विकास के लिए नियुक्त किए गए।

११७—टिहरी राज्य को १८८० के आस-पास ही जंगल विकास के महत्व तथा बन सम्पत्ति के विदोहन की सम्भावना का ज्ञान हो चुका था। १८८० में दरबार द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुसार हरसिल, रिखनाल, डालनू, जाख, वियानली, स्यालना, देवराना, देवलसारी, औतार एरीसौर, आदि के देवदार बनों की सीमा निर्धारित की गई तथा यह आदेश प्रसारित किये गए कि देवदार के पेड़ बिना आज्ञा के न काटे जायं।

११८—१८८५ से १८९६ तक राज्य के वनों की व्यवस्था अदीक्षित कर्मचारियों के हाथ में रही। इस पर भी इस काल में अनेक स्थानों पर देवदार की नई पौध लगाई गई, देवदार काटने तथा खील पर बदलती हुई खेती (shifting cultivation) पर प्रतिबंध लगाया गया।

११९—१८९७ के प्रारम्भ में राज्य ने तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रान्त की सरकार से दो दीक्षित बन अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त की और राज्य की वन व्यवस्था वन संरक्षण के सिद्धांतों के आधार पर की गई। १८९७—९९ में बहुमूल्य वनों की सीमा निर्धारित की गई तथा गांव वालों के द्वारा उनके उपभोग पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। सभी प्रकार के पेड़ों का बिना आज्ञा तथा बिना निशान के काटा जाना वर्जित किया गया, बांज की पत्तियों को तोड़ने तथा जंगलों में अग्नि रोकने के नियम बनाये गए, चरान चुगान पर प्रतिबंध लगाए गए तथा बंजर भूमि को खेती के लिए आबाद करने पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इन के अतिरिक्त देवदार के क्षेत्र बढ़ाए गए, बन अपराधों की खोज, जांच तथा निर्णय की व्यवस्था की गई तथा जंगलों का अनियंत्रित विदोहन समाप्त किया गया।

१२०—ग्रामीण जनता ने जंगलात सम्बन्धी इन नये नियमों का विरोध किया। मार्च, ३१, १९०५ के दरबार के आदेशों के अनुसार इन नियमों में परिवर्तन किया गया तथा गांव वालों को अपने भूमि में स्थिति सभी प्रकार के पेड़ों को काटने की आज्ञा प्रदान की गई, २० जरीब (chains) तक बन भूमि में खेती बढ़ाने की, बन जलाने की आज्ञा प्रदान की गई तथा देवदार, चीड़, कैल, थूनेर, रैंसू, शीशम, शाल, शैन तथा पापड़ी के अतिरिक्त अन्य वृक्षों को काटने की सुविधा दी गई।

१२१—१६०८ में राय बहादुर रामदत्त रतूड़ी ने सीमा निर्धारण की योजना बनाई तथा वनों का तीन प्रकार से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में वर्गीकरण किया। प्रथम श्रेणी के सुरक्षित तथा द्वितीय श्रेणी के रक्षित वनों की स्थिति किसी भी समय उनकी अवस्था के अनुसार परिवर्तनशील थी। ये दोनों वन, वन विभाग की ओर तीसरे श्रेणी के वन नागरिक अधिकारियों की देख रेख तथा नियंत्रण में रखे गये।

१२२—प्रथम श्रेणी के वनों में सभी विद्यमान रास्तों, गूलों के प्रयोग की आज्ञा दी गई किन्तु ईंधन लकड़ी आदि की आज्ञा विशेष अवस्थाओं में ही दी जाने की व्यवस्था की गई।

१२३—द्वितीय श्रेणी के रक्षित वनों में जनता को सभी प्रकार की वन सम्बन्धी आवश्यकतायें वन रक्षण सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत पूरी करने की व्यवस्था की गई अर्थात् फल, फूल, जड़ी बूटी आदि निकालने, वन क्षेत्रों में यदि वे पुनः उत्पत्ति के लिए बन्द न हों, तो घास काटने, चराने आदि की आज्ञा दी गई। हरे कुकाट, बांज, (रूनीज) (उतीस) आदि के काटने की आज्ञा दी गई। बाड़ के लिये झाड़ी कांटे तथा छप्पर बनाने के लिये घास की भी अनुमति दी गई। छान बनाने की आज्ञा प्रदान की गई। अनुमति लेकर स्थाई तथा अस्थाई खेती के लिये भूमि के विस्तार की व्यवस्था भी की गई।

१२४—तीसरे श्रेणी के वन मुख्य रूप से गांव निवासियों की आवश्यकता पूर्ति के लिये बनाये गये थे। इन वनों में खेती के विस्तार के लिये पेड़ रहित भूमि दरबार की आज्ञा से प्राप्त की जा सकती थी तथा तुन, देवदार, शीशम के अतिरिक्त अन्य वृक्ष बिना अनुमति के काटे जा सकते थे। इन जंगलों में स्थित खानों पर दरबार का अधिकार था।

१२५—१६०६—१६११ में पुनः वन वन्दोवस्त किया गया तथा मौके पर जांच करने के पश्चात स्थानीय लोगों को व्यापक सुविधायें प्रदान की गईं। इस सीमा निर्धारण में (१६२६—१६३१) केवल साधारण परिवर्तन किये गये जब इन्हें सुरक्षित तथा खुले जंगलों में विभक्त कर दिया गया।

१२६—इन्हीं सुरक्षित जंगलों को रियासत के विलयन के पश्चात प्रादेशिक वन विभाग ने गृहण किया और एक पृथक अरण्यपाल के अन्तर्गत टिहरी वन वृत्त की स्थापना की गई।

१२७—**सोयम वन**—सुरक्षित वनों के निर्माण के पश्चात् जो बन क्षेत्र बच रहे वे सोयम बन कहलाते हैं। इनकी इस समय वैसी ही दयनीय दशा है जैसे कुमाऊं में सिविल वनों की है और इन्हीं बनों से गांव वासी अपनी दैनिक साधारण आवश्यकतायें पूरी करते हैं।

१२८—**कुमाऊं राजस्व खंड के वन वृत्त**—वर्तमान कुमाऊं राजस्व खंड में तीन बन वृत्त (१) कुमाऊं बन वृत्त, (२) चकराता बन खंड को छोड़ टिहरी बन वृत्त, (३) देहरादून और सहारानपुर बन खंड को छोड़ पश्चिमी बन वृत्त सम्मिलित हैं। कुमाऊं बन वृत्त में नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र हैं। टिहरी स्वयं एक वन वृत्त है। नैनीताल तथा गढ़वाल के तराई भावर के क्षेत्र पश्चिमी बन वृत्त में हैं। इन तीनों बन वृत्तों में बन व्यवस्था तथा जनता के हक हकूक व सहूलियतें पृथक-पृथक हैं।

१२६—कुमायूं वृत्त में पुराने सुरक्षित तथा नये सुरक्षित दो प्रकार के वन हैं। गढ़वाल में पुराने सुरक्षित बन नहीं हैं। पुराने सुरक्षित बन वे बन हैं जो १६११ के पूर्व सुरक्षित किये गये थे। नये सुरक्षित बन वे बन हैं जो १६११—१६१७ के मध्य सुरक्षित किये गये थे। नये सुरक्षित बन दो श्रेणी में विभक्त हैं। दर्जा १ तथा दर्जा २ और इनकी व्यवस्था पूर्व उल्लिखित आधार पर की जाती है।

१३०—**सिविल रक्षित वन**—सुरक्षित बनों के अतिरिक्त जो बन हैं उनको सिविल बन कहते हैं। किसी समय इन बनों की अवस्था भी सुरक्षित बनों की ही तरह थी किन्तु ग्रामवासियों द्वारा इनके अनियंत्रित शोषण के कारण इनमें से अधिकांश नष्ट हो गये हैं और इनकी दशा शोचनीय

है पर कहीं कहीं पर जहां ग्रामवासियों ने इनकी रक्षा की है इनकी अवस्था कुछ अच्छी है तथा इन वनों की सम्पदा से गांवों को कुछ आमदनी हो जाती है जो ग्राम विकास के कार्यों में व्यय की जाती है।

१३१--पंचायती वन--१९२१ में कुमायूं ग्रीबेन्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि जो बन गांव वालों के लिये छोड़ दिये गये हैं उनको पंचायतों के सुपुर्द किया जाय। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य उन बनों को विनाश से बचाना और साथ ही साथ उनकी व्यवस्था ग्राम वासियों द्वारा उनके ही हित में करना था। उक्त उद्देश्य के लिये यह आवश्यक था कि इन बनों का प्रबन्ध लोकप्रिय ढंग पर हो जिस में व्यय भी कम हो और ग्रामवासियों का स्वच्छन्द सक्रिय सहयोग भी प्राप्त हो। इस हेतु १९२७ में गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल के तीन जिलों के लिये एक वन पंचायत अधिकारी(Forest Panchayat officer) की नियुक्ति की गई और १९३० में डिस्ट्रिक्ट सेड्यूल ऐक्ट के अन्तर्गत कुमाऊं बन पंचायत नियम बनाये गये। इन नियमों के अनुसार सिविल बनों और दर्जा १ के जंगलों से बन पंचायतें बनाई गईं जिसकी व्यवस्था ग्राम वासियों के हाथ में है। ये बन पंचायतें गांव की साल अस्सी की सीमाओं और बन बन्दोबस्ती सीमाओं के भीतर निर्मित की जाती है। [देखिये परिशिष्ट ८]

भाग २

अध्याय ६

अध्ययन विषय १

कुमायूं में बन विभाग की विकास की कार्यवाहियों की तुलना में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के विषय में बन नीति।

१३२--स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में बनों के महत्व, भूमि कटाव तथा बाढ़ की रोकथाम में उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में काफी कहा गया है और भारत की राष्ट्रीय बन नीति* (१९५२) में अन्य महत्वपूर्ण मान्यताओं के अतिरिक्त उपरोक्त विषय पर भी विशेष जोर दिया गया है। पुरानी बन नीति में खेती की आवश्यकताओं पर अधिक जोर दिया गया था लेकिन नई राष्ट्रीय बन नीति (१९५२) में राष्ट्रीय समृद्धि के लिये खेती के साथ बन विकास को भी प्रधान महत्व दिया गया है।

१३३--बनों की रक्षा, उनका विकास तथा विस्तार हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये आवश्यक हैं।

१३४--उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल १,१३,४०९ वर्गमील है। १९५२ की राष्ट्रीय बन नीति के अनुसार देश या प्रदेश का ४० प्रतिशत भाग बनों से आच्छादित रहना चाहिये। हिमालय पर्वत क्षेत्र के लिये नयी राष्ट्रीय बन नीति में वह क्षेत्र कम से कम ६० प्रतिशत निश्चित किया गया है। वर्तमान कुमाऊं का लगभग ४९ प्रतिशत भाग बनों से आच्छादित है।

१३५--उत्तर प्रदेश के गांगेय क्षेत्र में जहां आबादी का घनत्व ६५० व्यक्ति प्रति वर्गमील है, और कृषि भूमि तथा कुल भू-क्षेत्र का अनुपात सब से अधिक (७० प्रतिशत) है, सरकारी बन का अनुपात केवल २ प्रतिशत है। समस्त उत्तर प्रदेश में कुल बन क्षेत्र और कुल भू-क्षेत्रफल का अनुपात १९.३ है।

१३६--राष्ट्रीय बन नीति के अनुसार हिमालय पर्वत के कम से कम ६० प्रतिशत भाग में बन होने चाहिये जिससे पर्वतों की मिट्टी को बहने से रोका जा सके**। "हिमालय के बन राष्ट्र की श्रेष्ठ सम्पत्ति हैं और देश की समृद्धि के लिये हम उनके आभारी हैं। हिमालय पर्वत की ढालों की मिट्टी का पानी बह जाने से तथा उनके कम विकास के फलस्वरूप बार बार जोरों से बाढ़ें आ जाती हैं, कटाव होते हैं और पर्वत के नीचे की भूमि में मोटे-मोटे कंकड़ जम जाते हैं। इससे गंगा घाटी के मैदान में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों को असीम हानि तथा क्लेश उठना पड़ता है, जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं है। इससे भूमि की उर्वरता को क्रमशः स्थायी धक्का लगता है और सारे देश की कृषि की पैदायश में भारी कमी हो जाती है।"

१३७--कुमाऊं के जंगलों में स्थानीय निवासियों को प्राचीन काल से कुछ विशेष हक हकूक तथा सुविधायें प्राप्त हैं--कुमाऊं वन व्यवस्था की किसी भी योजना में जहां हमने राष्ट्र के व्यापक हित में इन बनों का संरक्षण, विकास तथा वृद्धि करनी है, दूसरी ओर हमको यहां के निवासियों के सनातन हक हकूकों, सुविधाओं तथा कल्याण की भी चिंतना करनी है और सम्पूर्ण राष्ट्र एवं कुमाऊं के हितों का समन्वय करना है।

---

*भारत की राष्ट्रीय वन नीति पृष्ठ ३३

**देखिये परिशिष्ट--७

१३८—जैसा आरम्भ में संकेत किया जा चुका है, प्रारम्भ में सरकार ध्यान कुमायूं की बन सम्पत्ति की ओर आकर्षित नहीं हुआ क्योंकि इस काल में इनका विशेष व्यावसायिक महत्व न था किन्तु सर हेनरी रामजे तथा कतिपय अन्य व्यक्तियों ने वन संरक्षण तथा विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग दिया और इस कार्य के लिये वर्तमान पीढ़ियां उनकी आभारी हैं। कालान्तर में बन विभाग का ध्यान बनों में व्यावसायिक विदोहन के अतिरिक्त उनके संरक्षण, विकास तथा अभिवृद्धि की ओर आकृष्ट हुआ। बनों के क्षेत्र, वर्ग तथा घनत्व को विकसित करने, स्थानीय जनता के हक-हकूकों, सुविधाओं की पूर्ति तथा बहुमूल्य वृक्षों की अभिवृद्धि की नई मान्यतायें विकसित हुईं।

१३९—दुर्भाग्यवश बन विभाग उतना लोकप्रिय नहीं है जितना उसे होना चाहिये। बन विभाग की अप्रियता के विषय में डा० भोलकर, इन्सपेक्टर जनरल आफ फारेस्ट ने १८९३ के अपने प्रतिवेदन में कहा था। कुछ-कुछ अपने कार्य के कारण, आवश्यकतावश ही जो प्रतिबंध लगाने का है किन्तु मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे गये कर्तव्य के कारण, तथा उन कार्यों के कारण जिनका संपादित किया जाना असम्भव है और अंतिम रूप से बहुत ही कम कर्मचारियों के कारण बन विभाग उतना लोक-प्रिय नहीं है जितना हो सकता था।"

१४०—उक्त कथन कुमायूं बन विभाग के सम्बन्ध में सही प्रतीत होता है। स्पष्ट है कि बन विभाग की लोकप्रियता की कमी के कारण जंगल विकास तथा संरक्षण के लिये जानवरों की चराई, घास कटाई, खेती तथा इमारती लकड़ी की पर्याप्त उपलब्धि पर समय-समय पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध हैं। लोगों की आम धारणा है कि मनुष्यों की उचित अनुचित आवश्यकता पूर्ति के लिये जंगल प्रकृति द्वारा बनाये गये हैं तथा यहां से मनुष्यों की आवश्यकता पूर्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। जंगलों के रक्षण के लिये लगाये गये आवश्यक प्रतिबन्धों को अधिकांश जनता नहीं समझती है तथा अपने जन्मजात प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण समझती है। इस प्रकार जंगल विभाग के प्रति जनता की, विशेष कर ग्रामीण जनता की कटुता का मुख्य कारण बन चेतना का अभाव है।

१४१—यह स्थिति उस अवस्था में विशेष रूप से विषम हो जाती है जब अत्यधिक उत्साही बन अधिकारी जनता की सुख-सुविधा तथा हित चिन्तन से आंख मूंद कर बन विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रारम्भ कर देते हैं।

१४२—विगत कुछ वर्षों से कुमायूं में बन विभाग की मौजूदा व्यवस्था में जनता ने अपने हक-हकूक तथा सहूलियतों के उपभोग में कठिनाई अनुभव की है तथा नगरों की जनता को भी कोयले, इमारती लकड़ी की प्राप्ति में असुविधा का सामना करना पड़ा है।

१४३—दूसरी ओर वन विभाग जंगलों को स्थानीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकता पूर्ति का साधन समझने के अतिरिक्त राजस्व अथवा आय का प्रमुख साधन भी समझता है। जंगल से आय अर्जन को कितना महत्व दिया जाय यह एक विचारणीय प्रश्न है।

१४४—कुमायूं के पार्वत्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर बन विभाग के प्रति जनता में न केवल असंतोष है किन्तु उसे अत्यन्त ही अविश्वास तथा आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। कुमायूं के अधिकांश ग्रामीण अभी भी जंगल विभाग के कर्मचारियों से भयभीत रहते हैं। यह निस्संदेह दुर्भाग्य का विषय है कि स्वतंत्रता के उपरान्त भी इस दृष्टिकोण में वांछनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः समिति सिफारिश करती है:—

संस्तुति—१—कुमायूं की बन व्यवस्था में जंगलों के संरक्षण, विकास तथा वृद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही साथ वन संरक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार स्थानीय जनता की विशेषकर ग्रामीण जनता की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिये।

२—जनता में व्याप्त वर्तमान आशंका तथा असंतोष के वातावरण को दूर करने के लिये सरकार की ओर से घोषणा हो जानी चाहिये कि सरकार जनता के हक-हकूकों का पूर्ववत आदर करेगी और बनों

का संरक्षण करते हुये स्थानीय जनता को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी।

१४५—प्रचार—वन संरक्षण की कोई भी योजना तब तक पूर्ण सफल नहीं हो सकती है तथा बन विभाग के इस दिशा में किये गये प्रयत्नों से उत्पन्न कटुता को तब तक पूरी तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि औसत नागरिक बन संरक्षण तथा विकास के महत्व से पूरी तौर पर परिचित न हो जाय और यह न अनुभव करने लगे कि वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों के हित में बनों की रक्षा करना आवश्यक है। नागरिक के व्यक्तिगत लाभ के लिये जंगलों का विनाश नहीं होने दिया जा सकता क्योंकि इससे बन समाप्त हो जायेंगे जिसके परिणाम भयंकर होंगे। केवल सहानुभूति पूर्ण प्रचार द्वारा ही लोगों में बन चेतना जाग्रत की जा सकती है। बनों में रक्षा करते हुये केवल उसी सम्पत्ति का उपयोग किया जा सकता है जिससे बनों की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

१४६—बन विभाग के वर्तमान संगठन में प्रचार के महत्वपूर्ण कार्य के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। साधारण नागरिक राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में बनों के महत्वपूर्ण योग से भलीभांति परिचित नहीं है। अतः इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि इस विषय में प्रबल जनमत जाग्रत करने के लिये तथा पर्याप्त रूप से बन चेतना विकसित करने के लिये बन विभाग के पास अच्छा संगठन हो।

संस्तुति—इसलिये समिति सिफारिश करती है कि बन विभाग के अन्तर्गत बन प्रचार संगठन की अविलम्ब व्यवस्था की जाय।

१४७—जनता में वन चेतना-वन अधिकारियों का योग—जनता में बन चेतना विकसित करने में विभाग के अधिकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग ले सकते हैं और वास्तव में यह उनके कर्त्तव्य का आवश्यक अंग बना दिया जाना चाहिये। इसी के साथ-साथ पाठशालाओं, विद्यालयों के पाठ्य-क्रम में भी बन सम्बन्धी शिक्षा को उचित स्थान मिलना चाहिये। इससे बन सम्बन्धी ज्ञान के फैलने में सहायता मिलेगी।

१४८—जन सम्पर्क—वर्तमान समय में वन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के जन सम्पर्क में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।

संस्तुति—अतः समिति यह सिफारिश करती है कि बन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी जन सम्पर्क में प्रशिक्षण दिया जाय।

१४९—जन पथ प्रदर्शिका का प्रकाशन—अनेक स्थानों पर जनता ने समिति के सम्मुख ऐसे विषयों के सम्बन्ध में शिकायतें रखीं जिन पर शासन तथा बन विभाग द्वारा स्पष्ट तथा निश्चित रूप से आदेश जारी किये जा चुके हैं। कभी-कभी कर्मचारियों की अनभिज्ञता तथा कभी उनके उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जनता को प्राप्त हक-हकूकों और रियायतों में हस्तक्षेप हुआ है।

संस्तुति—अतः समिति यह आवश्यक समझती है कि वन विभाग बनों की उपयोगिता, ग्रामीण जनता के बनों में हक-हकूकों, सुविधाओं तथा रियायतों के सम्बन्ध में अत्यन्त सरल भाषा में एक बन पथ प्रदर्शिका प्रकाशित करे तथा कुमायूं की समस्त ग्रामसभाओं में इसका वितरण करें। इस प्रकाशन को अधिकाधिक उपयोगी तथा आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया जाय।

१५०—वृक्षारोपण (बनीकरण)—नये जंगल लगाने का गांव वालों ने कहीं भी विरोध नहीं किया है और सभी जगह सिद्धान्त में उसका स्वागत किया है। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ स्थानों पर गांव वालों ने शिकायत की है कि प्लान्टेशन बिना परामर्श के कर दिये गये हैं। कहीं-कहीं पर आबादी के बहुत ही समीप नये जंगल लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। और कहीं कहीं तो गांव के गोचर, पनघट, मार्ग, गोठ, खरक, छानी तथा मरघट आदि बन्द कर दिये गये हैं जिससे गांव वालों को कठिनाई हो गई है।

अनेक बंद क्षेत्रों को आवागमन के लिये खोला है। वन विभाग के डाक बंगले अपने सौंदर्य, सफाई आदि के लिये प्रसिद्ध हैं। उत्तरी अल्मोड़ा, समस्त टिहरी तथा गढ़वाल के कुछ क्षेत्र इस दिशा में पिछड़े हैं।

संस्तुति—समिति की सिफारिस है कि इस प्रश्न को प्राथमिकता दी जाय और इन क्षेत्रों में डाक बंगलों तथा सड़कों के निर्माण के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध की जाय।

१६३—**टेलीफोन**—वर्तमान समय में जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो उसकी सूचना देने का कोई साधन नहीं है। आग का पता केवल धुयें से ही लगाया जा सकता है और धुयें के दृष्टिगोचर होने तक आग अति भयंकर हो जाती है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि बनों में स्थित वन रक्षक की चौकियों को रेंज कार्यालयों से टेलीफोन द्वारा जोड़ दिया जाय। डाक बंगलों में टेलीफोन की सुविधा से पर्यटक व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा।

१६४—**बन विभाग तथा पर्यटन विभाग**—समूचे कुमायूं क्षेत्र और विशेषकर सौंदर्य स्थलों एवं दुर्गम स्थानों में अब तक पर्यटकों को साफ सुथरे और आकर्षक विश्राम गृहों एवं सड़कों के रूप में जो कुछ भी सुविधायें मिली हैं, वे अधिकांश रूप से वन विभाग द्वारा ही प्रदान की गई हैं। प्रमुख सौन्दर्य स्थल-आकर्षक वनस्पति और वन्य जन्तु विहार और मनोहर जलाशय अथवा नदी-नाले भी वन क्षेत्रों में ही स्थित हैं। दुर्गम स्थानों पर वन विभाग के अतिरिक्त और किसी अन्य विभाग की ऐजेन्सी न होने के कारण इस कार्य को वन विभाग भली प्रकार विकसित कर सकता है। समिति के सम्मुख अनेक जन प्रतिनिधियों ने मांग की है कि पर्यटन उद्योग जंगल विभाग को सौंप दिया जाय।

संस्तुति—अतः समिति यह सिफारिश करती है कि इस क्षेत्र में पर्यटन विभाग का कार्य वन विभाग की देख-रेख में दे दिया जाय।

१६५—**दर्जा १ के जंगल**—जैसा कि पहले कहा जा चुका है दर्जा १ के बन इस समय जिलाधीशों की देख-रेख में हैं। ये बन वे हैं जो १६११-१७ के बन बन्दोबस्त के समय सुरक्षित वन घोषित किये गये थे और १६२१ की बन परिवेदना समिति (ग्रीवेन्स कमेटी) की सिफारिश पर बन विभाग के नियंत्रण से हटाकर जिलाधीशों के अन्तर्गत कर दिये गये थे। इन बनों का जिलेवार बार क्षेत्रफल निम्नलिखित है :

	एकड़
जिला नैनीताल	५२,४५६
जिला अल्मोड़ा	२,२३,९८३
जिला गढ़वाल	८,३९,०१९
जिला टेहरी-गढ़वाल में इस तरह के बन नहीं हैं।	..
कुल योग ..	११,१५,४५८

१६६—ये वन भी दर्जा २ के बनों की तरह ही सुरक्षित बन हैं किन्तु इनमें वन विभाग का नियंत्रण नहीं है। वर्तमान व्यवस्था में उचित देखभाल न होने के कारण इनकी दशा बहुत शोचनीय है। राष्ट्र और विशेषरूप से कुमायूं के हित में इन बनों को निरन्तर ह्रास से बचाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। समय-समय पर कुमाऊं बन समिति ने भी इस विषय पर गंभीरता से विचार किया और १९४८-४९ में समिति की सिफारिश पर सरकार ने शासकीय आदेश संख्या १७६८/१४-१६०-१९४९, दिनांक ३०-६-४९ के अनुसार चौड़ी पत्ती वाले कीमती बनों को वन विभाग के संरक्षण में लाने की सम्मति प्रदान की। इसके उपरान्त भी कुमायूं वन समिति समय-समय पर इन वनों की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार करती रही और १९५३ में समिति ने इन वनों की सुरक्षा तथा उचित प्रबन्ध, भूमि कटाव से रक्षा, जलाशयों की उचित व्यवस्था तथा इस क्षेत्र के निवासियों की दैनिक आवश्यकता पूर्ति के लिये निम्न सिफारिशें की :

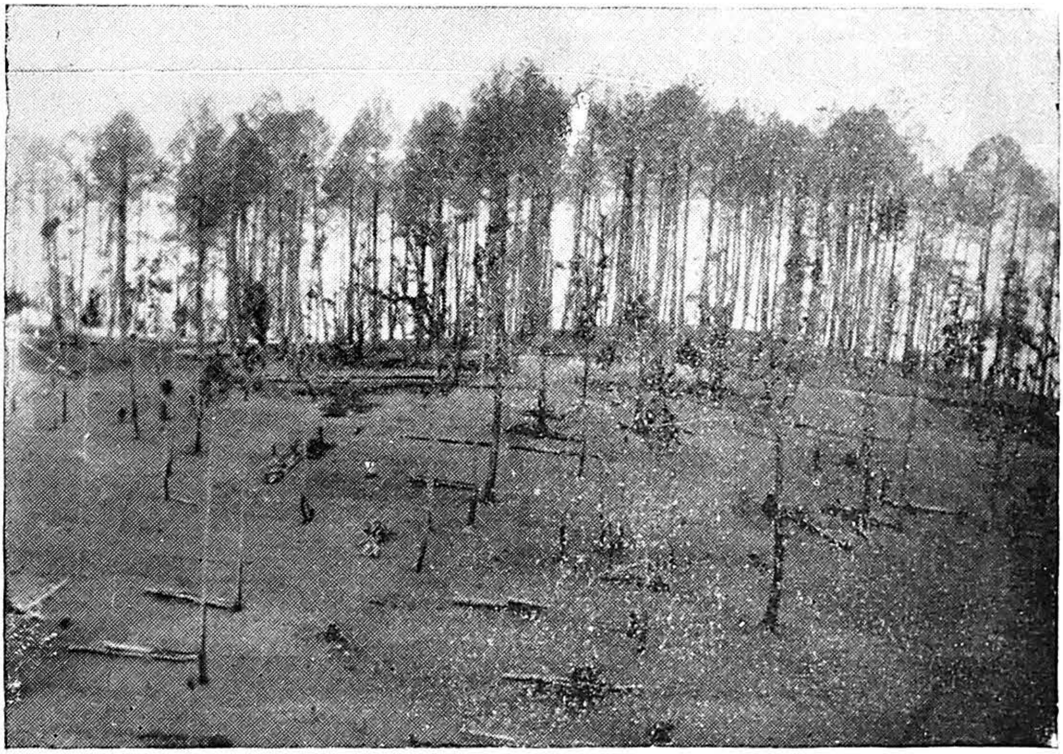

सिविल जंगल

(अ) जब तक दर्जा १ के बन पंचायती वन न बना दिये जांय या दर्जा २ में सम्मिलित न कर लिये जांय तब तक उनकी समुचित व्यवस्था तथा उनके रक्षण के लिये पर्याप्त कर्मचारीवर्ग का होना नितान्त आवश्यक है ।

(ब) ग्रामों के समीपवर्ती दर्जा १ बन ग्राम पंचायतों के सुपुर्द कर दिये जांय ।

(स) सुदूर स्थित दर्जा १ के वन विशेषतः पर्वत चोटियां सुरक्षित रखने के लिये दर्जा दो में ले लिये जांय और अन्य दर्जा १ के वन जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठतर हों वे भी दर्जा २ में ले लिये जांय जैसा कि शासकीय आज्ञा १७६८/१४-१६०-१६४६, दिनांक ३०-६-४६ में भी स्वीकृत है ।

१६७—समिति को अपनी जांच के दौरान में दर्जा १ के बनों को भी देखने का अवसर मिला । कुछ स्थानों पर लोगों ने भी अवैध रूप से बनों को नष्ट कर खेती आरम्भ कर दी है और अन्य स्थानों पर बनों की अवस्था अच्छी नहीं है । जो स्थान कुछ समय पूर्व घने वनों से अच्छादित थे और जहां के लोग अपनी सभी आवश्यकताएं इन वनों से पूर्ण कर लेते थे, आज वनों के ह्रास के कारण अपनी आवश्यकता पूर्ति में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । ये वन मुख्यतया चौड़ी पत्ती वाले पौधे के हैं जिनमें बांज, खरसू, अंगू, अखरोट, उनीस आदि हैं । इन वनों का महत्व औद्योगिक दृष्टिकोण से तो है ही साथ ही साथ इनसे भूमि कटाव और बाढ़ आदि भी रुकती है । इन तमाम प्रश्नों पर विचार करने के उपरान्त समिति सिफारिश करती है ।

संस्तुति—१—जहां तक सम्भव हो गांवों के समीपस्थ बनों में पंचायती बन बना दिये जांय। पंचायतों के निर्माण के समय साल अस्सी की सीमाओं तथा गांव हालतनामों में अंकित हक हकूकों का ध्यान रक्खा जाये ।

२—जहां बन पंचायत बनाना सम्भव न हो इन वनों को वन विभाग के संरक्षण में दे दिया जाय ।

३—संस्तुति दो के कार्यान्वित हो जाने पर भी इन वनों की श्रेणी में कोई परिवर्तन न किया जाय अर्थात ये बन दर्जा एक ही में रहें और लोगों को इनमें वे सब हक हकूक पूर्ववत् प्राप्त होते रहें ।

४—इन बनों को वन विभाग के संरक्षण में देने अथवा समीपस्थ वनों को ग्राम पंचायतों को सौंपने के कार्य के लिये प्रत्येक जिले में पृथक रूप से एक वन तथा राजस्व अधिकारी की टीम नियुक्त की जानी चाहिये ।

१६८—समिति यह समझती है कि उक्त सिफारिशों के कार्यान्वित हो जाने से इन वनों को उचित संरक्षण मिल सकेगा । सड़कों, डाक बंगलों का विकास होगा, पंचायती वनों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ लोगों के हक-हकूकों में भी कमी नहीं होगी ।

१६९—**पंचायती बन**—इस समय नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में अनेक स्थानों में वन पंचायतें कार्य कर रही हैं जो (Scheduled District Act) १८७४ को धारा ६ के अन्तर्गत बनाई गई । उपर्युक्त तीनों जिलों में ३० जून, १९५९ को पंचायतों के क्षेत्रफल, आय तथा संख्या के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

जिला				पंचायतों को संख्या	कोष	क्षेत्रफल (एकड़ों में)
अल्मोड़ा	..	..	..	१,१६३	२,२९,८६८	,५५,६१७
गढ़वाल	..	..	..	८०९	७५,५३०	१,४८,५३६
नैनीताल	..	..	..	१२४	७३,७३०	४५,००४

टिहरी गढ़वाल में पंचायती वन नहीं हैं किन्तु इस प्रकार के सोयम वन हैं।

१७०—इन पंचायतों को पांच रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है। गत तीन वर्ष में इन पंचायतों द्वारा जुर्माने की एकत्र आय की राशि निम्नलिखित है:

जिला	वर्ष १९५६–५७	वर्ष १९५७–५८	वर्ष १९५८–५९
	रु०	रु०	रु०
अल्मोड़ा	५,१५२	४,२१०	७,३६१
गढ़वाल	४,४१७	३,९७७	४,३४६
नैनीताल	२,१९३	२,५९३	२,१६३

१७१—इन पंचायतों को अवस्था साधारण रूप से संतोषजनक है। यह अपनी आय को सार्वजनिक हित के कार्यों में व्यय कर सकती हैं। कुछ पंचायतों ने वन रक्षा और विकास में अनुकरणीय कार्य किया है। किन्तु कहीं-कहीं पर वन पंचायतों के निर्माण के कारण गांव हालतनामें में अंकित जनता के घास, लकड़ी, ईंधन आदि से सम्बन्धित हक-हकूकों के उपभोग में कठिनाई उपस्थित हो गई हैं।

१७२—वन पंचायतों के कार्य को देख-रेख के लिये कुछ समय पूर्व तक एक पृथक वन पंचायत अधिकारी था किन्तु इस समय जिलाधीश, जिला नियोजन अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी तथा परगनाधीश, वन पंचायत निरीक्षकों द्वारा इनके कार्य को देखते हैं। इस कार्य के लिये नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में केवल क्रमशः १, ४ तथा ३ वन पंचायत निरीक्षक हैं। कार्य के विस्तार तथा महत्व को देखते हुये यह संख्या नितान्त अपर्याप्त है। वन पंचायतों के निर्माण को वर्तमान विधि भी दोषपूर्ण है। उसमें आपत्ति आमंत्रित करने का जो ढंग है उसमें प्रतिवेदित क्षेत्र को कभी-कभी आपत्ति करने का पूरा अवसर नहो मिल पाता। इस प्रकार गांव हालतनामें में अंकित गांवों के हक सीमित या समाप्त हो जाते हैं।

१७३—जहां समिति बन पंचायतों द्वारा वन संरक्षण के लिये किये गये कार्य की सराहना करती है तथा यह आशा है कि निकट भविष्य में लगभग प्रत्येक गांव में एक बन पंचायत का निर्माण होगा। वहां समिति वन पंचायतों के कार्य को दृढ़ आधार प्रदान करने तथा स्थानीय जनता के कष्टों को कम करनेके लिये निम्नलिखित संस्तुतियां भी पेश करती है।

संस्तुति—(१) वन पंचायतों का निर्माण—वर्तमान समय में वन पंचायतों की व्यवस्था १८७४ के डिस्ट्रिक्ट शेडूएल ऐक्ट से हो रही है, वह रद्द (repeal) हो गया है। अतः शासन इनको व्यवस्था के लिये शोघ्र एक अधिनियम बनाये। वन पंचायतों के निर्माण में संक्षेप में उसी प्रक्रिया को अपनाया जाय जिस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के अन्तर्गत बनों को सुरक्षित किया जाता है। वन पंचायतों के निर्माण से स्थानीय जनता को जो कठिनाइयां हो जाती हैं उनका निराकरण करने के लिये प्रत्येक जिले में एक विशेष अधिकारी उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करे और देखे कि साल अस्सी की सीमा के भीतर को जनता के अधिकार या सुविधायें सुरक्षित कम या समाप्त तो नहीं कर दो गई।

(२) कर्मचारी—वर्तमान समय में इस कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कम है। समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक जिले में इस कार्य के लिये पृथक्-पृथक् पूरे समय वाला वन पंचायत अधिकारी नियुक्त किया जाय तथा निरोक्षण करने वाले कर्मचारयों की संख्या बढ़ाई जाय और इनको जिला परिषद् के अधिकार क्षेत्र में सौंप दिया जाय।

(३) आय—पंचायतें अपनी लीसे अथवा अन्य सम्पदा से प्राप्त आय को लोकोपयोगी कार्यों में व्यय कर सकती हैं किन्तु कहीं-कहीं यह शिकायत थी कि जिलाधीश के यहां से इस कार्य के लिये

काफी देर में धन मुक्त किया जाता है तथा लीसे की रायल्टी उसके वर्तमान बाजार भाव को देखते हुये अपर्याप्त है। समिति सिफारिश करती है कि पंचायतों की इस आय को सीधे वन पंचायतों के कोष में जमा करवा दिया जाय तथा लीसे की रायल्टी बाजर भाव को देखते हुये बढ़ा दी जाय और प्रत्येक वन पंचायत द्वारा प्रस्तावित विकास योजनाओं की जांच तथा उन्हें स्वीकृत करने का दायित्व जिला परिषदों को सौंप दिया जाय।

(४) गठन——वन पंचायतों के निर्वाचन में समाज के दुर्बल वर्गों को वर्तमान व्यवस्था में कभी-कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। पहाड़ी क्षेत्रों की जनता की वनों पर आर्थिक निर्भरता को देखते हुये यह आवश्यक है कि समाज के दुर्बल वर्गों को इन पंचायतों में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाय।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि वन पंचायतों में उस क्षेत्र के हरिजनों की उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाय। किन्तु जहां हरिजनों की संख्या काफी न हो वहां अनिवार्य रूप से उनका एक प्रतिनिधि वन पंचायत में शामिल किया जाय।

१७४—टिहरी के सोयम वनों का पंचायती वनों में परिवर्तन—टिहरी में सुरक्षित वनों के अतिरिक्त सोयम वन भी हैं। इन सोयम वनों का पट्टी पंचायतों द्वारा प्रबन्ध होता था परन्तु अंतरिम मंत्री मंडल के आने पर इनका प्रबन्ध वन विभाग को सौंप दिया गया और उनसे जो आय होती है उसमें से वन विभाग प्रबन्ध व्यय काटकर शेष सम्बन्धित ग्राम सभाओं की आय में जमा कर देता है।[1]

१७५—इन वनों की दशा आज भी संतोषजनक नहीं है और साथ ही जो आय होती है उसका उपयोग स्पष्ट आदेशों के अभाव में नहीं हो पा रहा है।

संस्तुति—(क)—अतएव समिति सिफारिश करती है कि सोयम वनों का प्रबन्ध वन पंचायतों के आधीन कर दिया जावे और टिहरी गढ़वाल में भी कुमायूं के अन्य जिलों की भांति वन पंचायतें स्थापित की जावें।

(ख) जो आय ग्राम सभाओं के खाते में जमा है उसका उपयोग सम्बन्धित ग्राम सभाओं के विकास कार्यों के लिये किया जाय और इस सम्बन्ध में उचित आदेश प्रसारित किये जांय।

१७६—सिविल जंगल—इनके रख-रखाव की व्यवस्था जिलाधीश के अधिकार में हैं। इनकी वर्तमान अवस्था अत्यन्त शोचनीय है तथा इनके रक्षण, विकास तथा वृद्धि का समुचित प्रयास नहीं किया जा रहा है।

संस्तुति—रक्षण की व्यवस्था—गांव निवासी अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिये इन वनों को अनियमित रूप से नष्ट करते हैं। साधारण रूप से इन वनों के अन्तर्गत नंगे, वीरान क्षेत्र हैं।

संस्तुति समति सिफारिश करती है कि इन क्षेत्रों के रक्षण के लिये इनमें वन पंचायतें स्थापित करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाय।

१७७—आय—सिविल जंगलों तथा वन पंचायतों के लीसे की रायल्टी से इस क्षेत्र में सम्बन्धित गांवों को प्रतिवर्ष अस्सी हजार रुपये की आय होती है। लीसे की रायल्टी बढ़ाने के पक्ष में समिति अपने विचार व्यक्त कर चुकी है। लीसे के आय के सम्बन्ध में यह भी शिकायत है कि वन पंचायतों तथा सिविल बनों को यह आय जिलाधीशों के यहां से तुरन्त तथा सरलता से लोकोपयोगी कार्यों के निर्माण के लिये नहीं मिल पाती है जिससे विकास कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

संस्तुति—समिति यह सिफारिश करती है कि इस मद को सीधे गांव सभाओं के कोष में जमा करवा दिया जाय।

---

[1] पंचायती नियमों के लिये देखिये परिशिष्ट ८

१७८—कुमाऊं वन समिति—कुमाऊं के वनों की विशेष समस्याओं के सम्बन्ध में वन विभाग तथा शासन को आवश्यक परामर्श देने के लिये शासन ने १९२५ में इस समिति का गठन किया था आयुक्त कुमाऊं इसके सभापति तथा अरण्यपाल, कुमाऊं इस समिति के सचिव होते हैं। इस समिति के सदस्य कुमाऊं के कई गण्यमान्य व्यक्ति रह चुके हैं जिनमें गृह मंत्री पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त जो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

१७९—सन् १९४१ से १९४६ के (द्वितीय विश्व युद्ध के काल में) समिति की कोई बैठकें नहीं हुई। पंचायतों तथा सिविल वनों के रक्षण, विकास आदि के विषय में उक्त समिति ने समय-समय पर उपयोगी तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। समिति के पास इस समय अपना पृथक् कार्यालय तथा कर्मचारी नहीं हैं। अतः अरण्यपाल, कुमाऊं के कार्यालय में कार्यभार बढ़ जाने से कभी-कभी सदस्यों तथा जनता के पत्रों, स्मृति-पत्रों आदि का उत्तर देने में स्वाभाविक रूप से विलम्ब हो जाता है।

संस्तुति—समिति यह सिफारिश करती है कि कुमाऊं वन समिति के लिये पृथक् कार्यालय की व्यवस्था की जाय तथा उसे कुमाऊं वन रक्षण तथा वन विकास के लिये अधिक उपयुक्त बनाया जाय।

१८०—टिहरी में फारेस्ट मैनुअल को लागू करना—इस समय टिहरी में बिलीनी कृत टिहरी राज्य के समय में बनाई गई जंगलात मैनुअल, हक हकूक और रियायतों के सम्बन्ध में काम में लाई जाती है। जनता की मांग है कि कुमाऊं राजस्व खंड में एक ही फारेस्ट मैनुअल लागू किया जाय।

संस्तुति—समिति का मत है कि एकरूपता लाने के लिये यह आवश्यक है और इस मांग को स्वीकार किया जाय।

अध्याय ७

अध्ययन विषय २—कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों के वन सम्बन्धी अधिकारों तथा सुविधाओं से सम्बन्धित परिवेदनाओं की जांच

१८१—नैनीताल, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में प्रायः सभी ग्रामों को निश्चित हक-हकूक प्राप्त हैं। १८७८ के आस-पास कर्नल गारस्टिन ने ३६०.७ वर्ग-मील क्षेत्र में स्थानीय जनता के हक-हकूक अंकित किये थे। १९११-१७ के वन बन्दोबस्त के दौरान में स्ट्राइफ नेलसन तथा हरवर्ट ने अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल की जनता के हक-हकूक अंकित किये। टिहरी क्षेत्र में जनता को हक-हकूकों के ही समान सुविधाएं प्राप्त हैं। (देखिये परिशिष्ट २०)

१८२—पश्चिमी वृत्त के कुमाऊं राजस्व खंड के अन्तर्गत आने वाले वनों में भी कुमाऊं के समान जनता के हक-हकूक तथा सुविधाएं अंकित हैं। तराई भाबर के वनों में समीपस्थ जनता को हक-हकूकों के अनुरूप ही सुविधाएं प्राप्त हैं। (देखिये परिशिष्ट १९)

१८३—बन्दोबस्त के समय अंकित हक-हकूकों के अनुसार विभिन्न वर्गों के जंगलों में यह अधिकार अलग-अलग हैं। जनता को तुलनात्मक रूप में पुराने सुरक्षित वनों में विशेष रूप से चराने, घास काटने तथा पत्ती तोड़ने के कम अधिकार हैं। पुराने सुरक्षित वन नैनीताल, अल्मोड़ा तथा रानीखेत के समीप हैं तथा मुख्य रूप से इन नगरों की ईंधन, लकड़ी, घास आदि की आवश्यकता पूर्ति के लिये बनाए गए हैं। नये सुरक्षित वनों के दर्जा १ में हक-हकूक प्राप्त ग्रामीण, रक्षित किये गए पेड़ों के अतिरिक्त अन्य किसी पेड़ को काट सकते हैं तथा शाख तराशी कर सकते हैं। रक्षित पेड़ जिलाधीश की अनुमति लेकर काटे जा सकते हैं। किसी क्षेत्र के घास तथा ईंधन के लिये सुरक्षित घोषित किये जाने पर उसमें पेड़ तथा पत्ती काटने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

१८४—नये सुरक्षित वनों के दर्जा २ में हक-हकूक प्राप्त कुमायूं निवासी कुछ प्रतिबन्धों के साथ रक्षित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों को काट सकते हैं। हक-हकूक तथा सुविधा प्राप्त ग्रामों को रक्षित पेड़ मांग पत्र (indent) की प्राप्ति पर छाप कर दिये जाते हैं। इसी प्रकार घास तथा ईंधन के सुरक्षित क्षेत्रों से कृषि औजारों की लकड़ी दी जाती है। नये सुरक्षित वनों में हक-हकूक और रियायतों को नियंत्रित करने के वर्तमान नियम शासकीय आज्ञा संख्या १४५/१४—३०७-१९३६, दिनांक २२ मार्च, १९४१ में दिये हुए हैं। (देखिये परिशिष्ट ५)

१८५—हक-हकूकों और रियायतों में सर्वाधिक महत्व इमारती लकड़ी तथा कृषि के औजारों के लिये मिलने वाली लकड़ी का है। इस समय कुमाऊं वन वृत्त में इस हेतु ११,९४,०६८ घनफुट लकड़ी दी जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त गांव वालों की आवश्यकतापूर्ति के लिये सहूलियतों के रूप में भी लकड़ी दी जाती है। इसके अन्तर्गत टिहरी वृत्त में लगभग २,५०,००० घनफुट तथा तराई भावर में ७०,००० घनफुट लकड़ी दी जाती है। कुमाऊं वृत्त के हक-हकूक प्राप्त गांव इस समय केवल लगभग पांच लाख घनफुट लकड़ी का उपयोग करते हैं जोकि उनके कुल हक की लकड़ी के आधे से कम है। इसके विरुद्ध पश्चिमी वृत्त के गांव अपने हक की लगभग सभी लकड़ी ले जाते हैं।

१८६—गढ़वाल वन खंड में २,३४६ गांवों को हक-हकूकी लकड़ी प्राप्त है। ५९ गांवों को कोई हक नहीं है और १४१ गांव ऐसे हैं जिनके हक काफी दूरी पर हैं। अतः यह लोग अपने हकों का उपयोग नहीं कर पाते। अल्मोड़े वन खंड में ३,९८७ गांव के हक अंकित हैं। २२० गांवों को कोई हक प्राप्त नहीं हैं तथा ४९ गावों के हक अत्यन्त दूरी पर स्थित हैं। नैनीताल वन खंड में ५९९ गांवों को हक प्राप्त हैं तथा ६३ गांवों को कोई हकूक प्राप्त नहीं हैं और ९८ गांवों के हक बहुत दूरी पर हैं।

१८७—पश्चिमी वृत्त में १,५८५ गांव के हक अंकित हैं, ६३ गांवों को कोई हक प्राप्त नहीं हैं तथा ४६१ गांवों के हक बहुत दूरी पर हैं। अतः वे उनका उपयोग नहीं कर पाते। समिति को खेद है कि उसे टिहरी के आंकड़े उपलब्ध न हो सके।

१८८—उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनता अपने हकों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है। ग्राम निवासियों को प्राप्त हक ४० वर्ष पूर्व १९११—१७ के वन बन्दोबस्त में अंकित किये गए थे। गांव वालों को १९११–१७ में जो अधिकार दिये गये थे वे तत्कालीन आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए दिये गये थे। आबादी के बढ़ने, नये गांवों की स्थापना, नये जंगलों तथा सड़कों के विकसित होने के कारण उनका वर्तमान आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है।

१८९—कुमाऊं के ग्रामीणों के हक-हकूक या सहूलियतों की वृद्धि तथा उसमें आवश्यक बदलाव का प्रश्न १९३८ की वन शिकायत समिति के सम्मुख भी उपस्थित हुआ था। इस सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर जो आदेश निकाले गए थे वे परिशिष्ट ६ पर हैं। नये तथा पुराने वनों में जनता को जो अधिकार प्राप्त हैं वे शासकीय आदेश संख्या ४०७/१४—१, दिनांक १४ जून, १९२१ से नियंत्रित होते हैं।

१९०—१९३७ में वनों का पुनः बन्दोबस्त करने तथा जंगलों की क्षमता के अनुसार हक-हकूक या सहूलियत वृद्धि के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने लिखा था, "हमारा मत है कि जहां वनों के सुरक्षतीकरण को काफी समय हो गया है, वहां अधिकारों में संशोधन करना तथा यह देखना आवश्यक है कि क्या जंगल मांग तथा आवश्यकता के अन्तर्गत अधिक बोझ वहन कर सकते हैं और यदि वे कर सकते हैं तो उन अधिकारों को बढ़ाना, जिनका उपभोग सम्भवतः जनता पूर्वकाल में करती थी। हम वनों के सम्बन्ध में भी राजस्व बन्दोबस्त के संशोधन सम्बन्धी सिद्धान्तों का अनुकरण करना चाहते हैं" ....

"We hold that where a considerable time had passed since the reservation of a forest, it is proper to revise the rights and to see if consistantly with the interests and demands of the forests that can stand a larger and heavier strain and in case they can to enlarge the rights that may have been allowed previously. We want to follow the principle of revision of revenue settlement even in the matter of forest settlement."

१९१—लोकप्रिय मंत्रिमंडल के त्याग-पत्र के पश्चात् सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। सम्भवतः उसके बाद जन प्रतिनिधियों को कभी इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने का अवसर भी नहीं मिला।

१९२—समिति से अनेक स्थानों पर कहा गया है कि हक की लकड़ी का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है तथा समाज के दुर्बल वर्ग को कभी भी हक की लकड़ी नहीं मिलती है। हक की लकड़ी के वितरण के सम्बन्ध में पहिले भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा १९३० में कुमाऊं वन समिति ने इस प्रश्न पर अत्यन्त गंभीरता से विचार किया था। वितरण की वर्तमान व्यवस्था में गांव के प्रधान की अध्यक्षता में एक विशेष समिति द्वारा हकों की लकड़ी के वितरण करने तथा इस कार्य के लिए गांव प्रधान के पास एक रजिस्टर रखे जाने का प्राविधान है किन्तु वास्तव में न तो उक्त समिति ही इस कार्य को करती है और न वह रजिस्टर ही रखा जाता है। नियमों के अनुसार यह रजिस्टर निरीक्षण के लिये फारेस्टर तथा कानूनगो तथा ऊपर के अनेक अधिकारियों के सम्मुख उपस्थित किया जाना चाहिये किन्तु व्यवहार में इन नियमों का कतई भी पालन नहीं किया जाता। गांव सभा के प्रधान तथा मालगुजार मनमाने तरीके से लकड़ी का वितरण करते हैं।

१९३—अतः इन समस्त प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति सिफारिश करती है—

१—संस्तुत—वनों की सीमा निर्धारण, अधिकारों की पुर्नव्यवस्था आदि प्रश्नों का उचित समाधान करने के लिए टिहरी-गढ़वाल में वन बन्दोबस्त किया जाय अथवा इन प्रश्नों को किसी अन्य रीति से हल किया जाय।

२—अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल में आबादी वृद्धि के अनुसार सुविधाओं को बढ़ाने, गांव वालों को दूरस्थ वनों में प्राप्त हक-हकूकों के स्थान पर समीपस्थ जंगलों में सुविधायें दिलाने, जिन ग्रामों के हक दर्ज नहीं हैं उनको हक-हकूक देने तथा सीमा निर्धारण जैसे प्रश्नों का हल करने के लिये प्रत्येक जिले में एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाय।

३—अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल वन खंडों में हक-हकूकों की मांग से बच रही लकड़ी छः वर्ष तक एकत्र होने के उपरान्त उन ग्राम निवासियों को बांट दी जाय जिनको आवश्यकता हो।*

४—जिन ग्रामीणों की आवश्यकतापूर्ति हक-हकूकों से प्राप्त लकड़ी से नहीं हो सकती अथवा जिनको कोई हक-हकूक अथवा रियायतें प्राप्त नहीं हैं उनको रियायती मूल्य पर लकड़ी दी जानी चाहिए, प्रतिबन्ध यह है कि यह लकड़ी व्यावसायिक प्रयोग में न लाई जाय और निजी उपभोग की भी आवश्यकता ग्राम सभा के प्रधान द्वारा प्रमाणित हो।

५—हकों की लकड़ी के न्यायपूर्ण तथा उचित वितरण के लिये ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा की एक विशेष समिति बनाई जाय जिसमें हकूकी गांवों अथवा गांव के ५ प्रतिनिधि रहें। पंचायत मन्त्री इस समिति का संयोजक हो। गांव में हरिजन बस्ती होने पर इसमें कम से कम एक हरिजन सदस्य हो। लकड़ी का मांग-पत्र (indent) उक्त समिति के द्वारा वन विभाग को भेजा जाय।

६—हकों की लकड़ी के वितरण का विवरण परिशिष्ट ९ में दिये गये निर्धारित रूप पत्र में रखा जाय।

७—यह विवरण संसद सदस्य, विधान मंडल के सदस्यों, पंचायत निरीक्षक तथा उसके समकक्ष विकास अधिकारियों, रेंजर तथा अन्य वन अधिकारियों के सम्मुख निरीक्षण के लिये उपस्थित किया जाना चाहिये। विधान मंडल तथा संसद के सदस्यों के अतिरिक्त उपरोक्त शेष सभी अधिकारियों द्वारा ऐसा निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये।

८—वन विभाग हक-हकूक रियायत की लकड़ी तुरन्त दिये जाने की व्यवस्था करे।

१९४—कृषि की लकड़ी में कुमायूं के किसान को मुख्य रूप से हल, नासी, हल पन्याली, जुये की लकड़ी की आवश्यकता होती है। लकड़ी के हल का जीवन थोड़ा होता है। हल पन्याली के लिए भी किसान कभी-कभी पूरे पेड़ों को काट लेते हैं। यह राष्ट्रीय वन सम्पत्ति का अपव्यय है। इस सम्बन्ध में समिति के सामने यह सुझाव आया कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि यंत्रों के निर्माण के लिए सहकारिता के आधार पर अथवा उद्योग विभाग द्वारा उत्पादन केन्द्र खोले जायं। उत्पादन केन्द्र वन विभाग से लकड़ी लेकर किसान को सहकारी समितियों या गांव सभाओं के द्वारा उचित मूल्य पर सुधरे किस्म के हल दें। इस प्रयोग से लकड़ी की काफी बचत की सम्भावना है।

१९५—एक अन्य सुझाव समिति के सामने यह आया कि कृषि विभाग कुमाऊं क्षेत्र के लिये उन्नत किस्म के लोहे के हलके हल का निर्माण करे तथा ऐसे हल को खरीदने के लिये स्थानीय किसानों को आवश्यक सहायता दी जाय। इससे वन सम्पदा की रक्षा होगी तथा स्थानीय किसान भी हर दूसरे तीसरे वर्ष हल बदलने की समस्या से मुक्त हो जावेंगे।

१९६—**पत्थर स्लेट निकालने की सुविधा**—इस सम्बन्ध में पुराने तथा नये सुरक्षित वनों में अलग-अलग प्रकार के अधिकार प्रदान किये गये हैं। पुराने सुरक्षित बनों में सभी विद्यमान खानों से हक-हकूक प्राप्त ग्रामीण निःशुल्क पत्थर निकाल सकते हैं किन्तु व्यापारियों तथा हक-हकूक

---

*टिप्पणी—शासकीय आदेश संख्या ६०५-एफ/१४—२४०-१९३८, दिनांक २५ सितम्बर, १९४१ के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये किन्तु यह आदेश कार्यान्वित नहीं किए गए हैं।

रहित व्यक्तियों से शुल्क लिया जाता है। कभी-कभी हक-हकूक प्राप्त ग्रामीणों को भी (slates and millstones) घराट के पत्थरों तथा स्लेट के लिये शुल्क देना पड़ता है।

१९७—नये सुरक्षित वनों में कुमायूं का प्रत्येक निवासी अपने निजी प्रयोग के लिये पत्थर, पटाल आदि निकाल सकता है। इसमें वन अधिकारियों की आज्ञा प्राप्ति के पश्चात् नई खानें भी खोली जा सकती हैं।

१९८—समिति से कुछ स्थानों पर कहा गया कि स्वीकृत तथा अंकित खानों से पत्थर निकालने में वन विभाग के कर्मचारी बाधा उपस्थित करते हैं तथा औजार छीन लेते हैं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि रायल्टी बढ़ा दी गई है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि शासन पुराने सुरक्षित बनों में नई खाने खोलने की अनुमति देने का अधिकार उप-अरण्यपालों को दे दे जो प्रत्येक प्रार्थना-पत्र पर मांग के औचित्य के अनुसार निर्णय दे। दूसरे शब्दों में इन वनों में भी नये सुरक्षित वनों की भांति कुमायूं के निवासियों को अपने निजी उपयोग के लिये निःशुल्क पत्थर निकालने का हक प्रदान कर दिया जाय।

१९९—पिरूल सूखी पत्तियां—कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि वन विभाग के कर्मचारी जनता को सूखी पत्तियां तथा पिरूल नहीं लाने दे रहे हैं। ऐसी शिकायतें लोहाघाट, टनकपुर, कालाढूंगी, खटीमा तथा थरवाट (थारूग्राम, तहसील खटीमा, सितारगंज, जिला नैनीताल) में काफी थीं। इन क्षेत्रों में प्लान्टेशन किया गया है तथा ये क्षेत्र पुनः उत्पत्ति के लिये बन्द घोषित कर दिए गए हैं। पिरूल तथा सूखी पत्तियां जानवरों के नीचे डालने तथा खाद बनाने के काम में लाई जाती हैं। अतः समीपवर्ती क्षेत्रों में घास पत्ती उपलब्ध न होने पर स्थानीय जनता को कठिनाई हो जाती है।

संस्तुति—इस सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है कि प्लान्टेशन क्षेत्र में भी जहां यह सुविधाएं पूर्ववत् दी जा सकती हैं वह अवश्य दी जायं।

२००—साधारण वन-उपज—कुमाऊं के वनों में अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियां तथा अन्य साधारण उपज जैसे झूला, बनस्फा, कचूर, रोली, डोलू, सम्यों, तरुड़, गेठी आदि मिलती हैं। समय-समय पर निकाले गये विभिन्न शासकीय आदेशों द्वारा भी स्थानीय जनता को प्राप्त इन सुविधाओं को स्वीकार किया गया है। गांव वाले लकड़ी आदि लेने के लिये जब वनों में जाते हैं तो यदि कोई ऐसी उपयोगी वस्तु मिल गई तो उसे भी ले आते हैं। १९२१ तक इन वस्तुओं पर दस्तूर-उल-अमल के अनुसार चुंगी ली जाती थी। जब सरकार ने यह अनुभव किया कि यह चुंगी नितांत ही अपर्याप्त है तब इन वस्तुओं का ठेका देने का निश्चय किया। कुछ समय बाद पुनर्विचार के पश्चात् ठेके की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, क्योंकि ठेकों से ग्रामीण जनता को असुविधाएं थीं। नई व्यवस्था १ मई, १९५८ तक चली जब शासन ने तीन वर्षों की औसत आय पर पांच वर्ष के लिए हलद्वानी, रामनगर, तराई-भावर, लैंसडाउन, देहरादून, कालागढ़, सहारनपुर, टिहरी, उत्तरकाशी, यमुना, टोंस, चकराता वन खंडों की जड़ी-बूटियां, रोली, पीपल तथा फल आदि एकत्र करने का एकाधिकार शासकीय आदेश सं० १४७ एफ/१४, दिनांक १ मई, १९५८ द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को दे दिया जिससे गांव वालों को पुनः कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

२०१—उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को ठेका दिये जाने के पूर्व इन वस्तुओं के ऊपर कुमाऊं वन वृत्त के भीतर कोई चुंगी नहीं ली जाती थी। केवल निर्यात किये जाने वाले माल पर चुंगी ली जाती थी।

२०२—वतमान व्यवस्था म सहकारी संघ के कर्मचारी कुमाऊं निवासियों को जंगलों से तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को जड़ी-बूटी नहीं ले जाने देते।

२०३—परम्परा से कुमाऊं की ग्रामीण जनता के लिये इन जड़ी-बूटियों को एकत्र करने से थोड़ी बहुत आय हासिल हो जाती है। इस आय के साधन में हस्तक्षेप करने का कोई भी कार्य जनहित के विरुद्ध होगा।

संस्तुति—अतः समिति सिफारिश करती है कि इनके संग्रह आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाया जाय तथा जनता इस सम्बन्ध में पहिले की-सी सुविधाओं का यथावत् उपयोग करती रहे।

२०४ छटान तथा न बेची जा सकने वाली वस्तु—वन विभाग द्वारा वन संरक्षण के लिए कभी-कभी जंगलों की छटान की जाती है। १९३२ में निकाले गये एक शासकीय आदेश* संख्या ६९०/१४—३१२-५, दिनांक १ नवम्बर, १९३२ के अनुसार कुमाऊं में उत्पन्न होने वाली कोई भी वनसम्पदा जो बेची नहीं जा सकती और जिसका वन विज्ञान के दृष्टिकोण से हटाया जाना आवश्यक है, कुमाऊं निवासियों को निःशुल्क दी जाती है। इस प्रकार की वन सम्पदा के वितरण में निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को अन्य लोगों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। समिति से कहा गया कि उपर्युक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में ग्रामीणों को सूचना भी नहीं मिल पाती।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि जब कभी भी जंगलों की छटान हो तो पास-पड़ोस के गांव वालों को इसकी सूचना ग्राम सभापतियों द्वारा दे दी जाय और उन्हें उस तिथि से भी अवगत कराया जाय जिसके अन्दर गांव वाले वन सम्पदा को निजी उपयोग के लिए उठा सकते हैं।

---

*देखिये परिशिष्ट १०।

अध्याय ८

अध्ययन विषय—पर्वतीय शहरों में इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी तथा कोयले की सप्लाई और उनके मूल्यों की वृद्धि का प्रश्न

२०५—कुमाऊं के पर्वतीय नगरों में इमारती लकड़ी, कोयले के मूल्य १९५८ में बढ़ाये गए। समिति ने इस सम्बन्ध में अनेक वर्तमान तथा अवकाशप्राप्त वन अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों का विचारण किया, पुरानी पत्रावलियों का निरीक्षण किया तथा विस्तार से इस सम्बन्ध में पुरानी व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया।

२०६—कुमाऊं के इन नगरों में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से वन विभाग द्वारा लकड़ी कोयले की व्यवस्था की जा रही है।

२०७—नैनीताल—नैनीताल में लकड़ी-कोयले की व्यवस्था वन विभाग ने १ जनवरी, १८९४ को अपने हाथ में ली। ठेकेदार १९१४ तक कोयला टाल पर लाता था, जहां वन विभाग के मुहर्रिर उसे बेचते थे। १९१४ में बेचने का काम भी ठेकेदारों को सौंप दिया गया। ठेकेदार विभाग द्वारा निश्चित दरों पर लकड़ी कोयला बेचता था। १९२१ तक वन विभाग शासन की अनुमति ले कर मूल्य वृद्धि करता था किन्तु १९२१ में अरण्यपाल, कुमाऊं के प्रस्ताव पर नैनीताल के लिये ईंधन का मूल्य स्थिर करने का कार्य जिलाधीश, नैनीताल तथा अरण्यपाल, कुमाऊं को सौंप दिया गया। दोनों अधिकारियों के बीच मतभेद होने की अवस्था में निर्णय लेने का भार आयुक्त कुमाऊं को सौंप दिया गया। नैनीताल नगरपालिका १९२१ के पूर्व इस कार्य के लिये कोई रायल्टी नहीं लेती थी, किन्तु २२ सितम्बर, १९२१ में विभाग द्वारा मूल्यों में कुछ वृद्धि करने पर नगरपालिका ने प्रति सेर बोझा छः पैसे तथा इसके अतिरिक्त रायल्टी लेने का निश्चय किया।

(शा० आ० सं० १३३८-सी, दिनांक जून १७, १९२१)

२०८—१ जनवरी, १९२३ को नैनीताल नगर की लकड़ी-कोयले की व्यवस्था, नगरपालिका को सौंप दी गई और अगले ३० वर्ष (३१ दिसम्बर, १९५३) तक यह व्यवस्था नगरपालिका के हाथों में रही।

२०९—१९२७ में फिर एक बार नैनीताल में लकड़ी-कोयले के मूल्य बढ़ाने का प्रश्न उपस्थित हुआ। असरकारी सदस्यों ने इस प्रश्न को कुमाऊं वन समिति में उठाया और मूल्य वृद्धि का विरोध किया। शासन ने समस्त प्रश्न पर विचार करने के बाद निश्चय किया कि मूल्य वृद्धि न की जाय।

(शा० आ० सं० १३०५-सी/१४, दिनांक १६ मार्च, १९२९)

२१०—नैनीताल में वन विभाग द्वारा लकड़ी-कोयले की व्यवस्था लेने के बाद लकड़ी के मूल्य बढ़ाने का प्रश्न सर्वप्रथम १८९३ में उत्पन्न हुआ। मूल्य वृद्धि का नैनीताल नगरपालिका ने प्रबल प्रतिरोध किया। १८९९ में जब पुनः मूल्य वृद्धि का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो शासन ने आयुक्त, कुमाऊं से इस प्रश्न पर पहले नगरपालिका के विचार जानने को कहा। तब से १९५८ तक मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर नगरपालिका से परामर्श करने की परम्परा बनी। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसके द्वारा विभाग जन प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त कर लेता था। इससे जनता संतुष्ट थी।

२११—अल्मोड़ा—१९०३ के पूर्व अल्मोड़ा में ईंधन की व्यवस्था वन विभाग द्वारा नहीं की जाती थी। १९०३ से १९३४ तक वन विभाग ठेकेदारों से लकड़ी की व्यवस्था करवाता था। १९३४ में वन विभाग ने लकड़ी के डिपो चलाने का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण किया। तब से खत्याड़ी, नारायण तिवारी देवाल तथा बाजार में विभाग के डीपो चल रहे हैं। पेड़ों के कटाने, ढुलाने का कार्य ठेकेदार करते हैं तथा लकड़ी नियंत्रित दर पर बेची जाती है।

शासकीय आदेश संख्या १३०५-सी/१४—३२५, दिनांक १६ मार्च, १९२९।

२१२—प्रारम्भ में अलमोड़े में कोयले की क्या व्यवस्था थी यह ज्ञात नहीं हो सकी। किन्तु १९१८ के पूर्व पेड़ ठेकेदारों को दिये जाते थे और उनसे ४ आने ६ पाई प्रति मन की दर से रायल्टी ली जाती थी। १९३४ के आसपास इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और वन विभाग ने अपने डिपो पर कोयला मंगवाने तथा निश्चित दर पर बेचने की व्यवस्था प्रारम्भ की। वर्तमान व्यवस्था में कोयला टाल तक लाने के लिये टेन्डर मांगे जाते हैं तथा वहां वह निश्चित दर पर बेचा जाता है। टेन्डर के रेट तथा बेचने की कीमत के बीच का अंतर विभाग ले लेता है।

२१३—रानीखेत—१८७० से १९१९ तक रानीखेत की लकड़ी की मांग समीप के सुरक्षित जंगलों से पूरी की जाती थी। १९१९ में इस क्षेत्र के लिये नई कार्य योजना (working plan) बनाई गई। छावनी के जंगलों से स्थानीय जनता तथा छावनी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है और वन विभाग रानीखेत नगर में लकड़ी की व्यवस्था नहीं करता है। रानीखेत के नाग वाटर वर्क्स को वन विभाग ४०,००० मन लकड़ी देता है किन्तु निकट भविष्य में वाटर वर्क्स में बिजली का पम्प लग जाने पर यह मांग भी बहुत कम हो जायगी।

२१४—रानीखेत में कोयले की व्यवस्था का पूर्व इतिहास उपलब्ध नहीं हो सकता किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में रानीखेत तथा श्रीवरी की कोयले की आवश्यकताएं सुरक्षित बनों तथा छावनी के जंगलों से पूरी की जाती रही। १९३४ के बाद यहां भी अलमोड़ा की ही जैसी नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

२१५—पौड़ी—पौड़ी में ईंधन कोयले की व्यवस्था प्रारम्भ में वन विभाग द्वारा कब ली गई, यह ज्ञात नहीं है। किन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में निश्चित रूप से यहां ईंधन, कोयले की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की जाती थी। प्रारम्भ में ठेकेदार कोयला ईंधन टाल पर देते थे जहां वन विभाग के कर्मचारी उसे बेचते थे। १९२५ में यह व्यवस्था बदल दी गई और ठेकेदारों द्वारा विभाग से निश्चित दर पर ईंधन कोयला बेचने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। १९२१–१९२२, १९२३ में अरण्यपाल, कुमाऊं ने आयुक्त कुमाऊं से मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव किया जिसका उन्होंने विरोध किया। अतः १९२३ में अरण्यपाल, कुमायूं ने इस विषय में शासन को लिखा और १९२३ में शासन की सहमति से लकड़ी कोयले के मूल्य बढ़ाए गए। प्रारम्भ में प्रतिवर्ष अरण्यपाल कुमाऊं, जिलाधीश तथा आयुक्त कुमाऊं से मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में परामर्श करता था और मतभेद होने की अवस्था में शासन से आदेश लिये जाते थे।

२१६—इन नगरों में ईंधन, कोयले की कमी का एक कारण इन नगरों की बढ़ती हुई जन-संख्या भी है। गत पांच वर्षों में इन नगरों में कोयले की खपत किस प्रकार बढ़ी है यह नीचे लिखे आंकड़ों से स्पष्ट है :—

सन्	अलमोड़ा	रानीखेत	नैनीताल	पौड़ी
१९५४	२२,२००	१४,७००	४९,७००	९,४००
१९५९	३०,०००	२०,०००	७२,०००	१३,०००

२१७—वन अधिकारियों के कथनानुसार एक मन कोयला बनाने में पांच से छः मन लकड़ी की आवश्यकता होती है। अतः साधारण हिसाब से कोयले का मूल्य लकड़ी की रायल्टी का छः गुना तथा कटाई, ढुलाई आदि के खर्चे के योग के बराबर होना चाहिये। किन्तु इन स्थानों की जनता को बहुत समय से सस्ता कोयला मिलता रहा है। पुराने समय में नगरों के समीप जंगलों की प्रचुरता होने के कारण यह समस्या वर्तमान रूप में उत्पन्न न हुई। यह प्रश्न १९ वीं शताब्दी के अन्त से ही जटिल बनता गया। वर्तमान समय में नगरों के समीपस्थ बनों की कमी या समाप्ति के कारण यह प्रश्न प्रति वर्ष उग्र रूप धारण कर रहा है।

२१८—कोयला केवल निश्चित मोटाई के पेड़ों का बनाया जाता है। नैनीताल के समीप स्थित वनों में वे तमाम वृक्ष समाप्त हो गये हैं जो इस योग्य थे। अतः अब वन अधिकारियों को नैनीताल की कोयले की मांग पूर्ति के लिये कार्य योजना में निश्चित जंगलों के अतिरिक्त अन्य

वनों का भी विदोहन करना पड़ता है। वनों के संरक्षण के दृष्टिकोण से यह अवश्य ही अवांछनीय है।

२१९—नैनीताल वन खंड में नैनीताल नगर की मांग पूर्ति लिये किस प्रकार कार्य योजना के बाहर के वनों को गिराया गया यह नीचे लिखे आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है—

क्षेत्र जिसमें कार्य योजना के विरुद्ध वृक्ष गिराए गए

वर्ष						एकड़
१९५४–५५	..	..	..	.	..	३९०
१९५५–५६	..	..	..	.	..	४७७
१९५६–५७	..	..	..	.	..	३७८
१९५७–५८	..	..	..	.	..	५६२
१९५८–५९	..	..	..	.	..	५७५

२२०—स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गर्मियों में नैनीताल आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और अब गर्मियों में नैनीताल की आबादी पचास हजार तक हो जाती है। आबादी वृद्धि के साथ कोयला-ईंधन की मांग का बढ़ना स्वाभाविक है। वन विभाग के कथनानुसार नैनीताल वन खंड से केवल २०,००० मन कोयले की प्राप्ति की जा सकती है। शेष कोयले को दूसरे वन खंडों से मंगाना पड़ता है। जो अवस्था नैनीताल की है वही अन्य नगरों की भी है और वन विभाग के कथनानुसार भविष्य में सभी नगरों की मांग की पूर्ति वर्तमान वनों से पूरा करना असम्भव हो जायगा।

२२१—कोयले के वर्तमान मूल्य—१ जनवरी, १९५८ से पूर्व नैनीताल में कोयले का मूल्य ३.४४ प्रति मन था। इसके बाद यह बढ़ाकर ४.४० प्रति मन कर दिया गया। दीर्घकालीन परम्परा के अनुसार वन अधिकारियों द्वारा मूल्य स्थिर करने के पूर्व जिलाधीश, नैनीताल से तथा मतभेद होने की अवस्था में आयुक्त कुमाऊं से सहमति लेना आवश्यक था। इस सर्वमान्य परम्परा के अनुसार इस सम्बन्ध में नगरपालिका नैनीताल से भी विचार विमर्श कर लेना चाहिये था किन्तु इस समय ऐसा नहीं किया गया अपितु वन विभाग ने शासन से भी इस विषय में कोई आदेश नहीं लिये।

२२२—नैनीताल के अतिरिक्त अन्य पर्वतीय नगरों में भी कोयले के मूल्य बढ़ाए गए। वैभागिक अधिकारियों के कथनानुसार यह अवैध निर्यात को रोकने के लिये किया गया। १ मई, १९५८ के पूर्व रानीखेत में कोयले का मूल्य २.५० प्रति मन था और इसके बाद यह ४.४० कर दिया गया। अल्मोड़े में कोयले का मूल्य ३ रु० प्रति मन था। २४–११–५८ को उसे बढ़ा कर ४.४० प्रति मन कर दिया गया। पौड़ी में कोयले का मूल्य ३.२५ प्रतिमन था जो १–४–५८ को बढ़ाकर ४.४० प्रति मन कर दिया गया।

२२३—लैन्सडाउन में कोयले का मूल्य ४.७५ प्रति मन था जो बढ़ाकर ५.५० प्रति मन कर दिया गया। लैन्सडाउन के ईंधन कोयले की व्यवस्था का इतिहास उपलब्ध नहीं हो सकता। अतः वहां क्या आदेश तथा परम्परा थी यह ज्ञात नहीं है।

२२४—कोयले की मूल्य वृद्धि के अतिरिक्त १९५७–५८, १९५८–५९ के जाड़ों में जनता को अपनी साधारण आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त करने में भी काफी कठिनाई व कष्ट का सामना करना पड़ा।

२२५—रानीखेत में जिस प्रकार मूल्य बढ़ाये गये तथा घटाए गए उससे जनता को यह कहने का अवसर मिला कि वन विभाग ने मूल्य मनमाने तरीके से बढ़ाए। रानीखेत के मूल्य घटाने से अन्य स्थानों की जनता को बढ़ाये गये मूल्यों के औचित्य पर शंका होने लगी। वन विभाग द्वारा मूल्यों में समानता लाने तथा अवैध निर्यात को रोकने के तर्कों से जनता तनिक भी प्रभावित नहीं हुई।

२२६—समिति का मत है कि यदि विभाग ने पूर्ववर्ती आदेशों, प्रक्रियाओं तथा परम्पराओं का पालन किया होता और इस प्रकार जनता व जनप्रतिनिधियों को विश्वास में ले लिया होता तो इमारती लकड़ी और कोयले की व्यवस्था की समस्या इतना उग्ररूप धारण न करती।

२२७—कोयले के वर्तमान मूल्य सामान्यतया अधिक समझे जाते हैं तथा जनता ने सर्वत्र इन्हें कम करने की मांग की है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पुराने समय में भी नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत तथा पौड़ी आदि नगरों में कोयले का मूल्य निश्चित करते समय शासन रायल्टी पर विशेष ध्यान नहीं रखती थी तथा इन नगरों में कोयले का मूल्य कम रखने का यत्न किया जाता था। इसलिये अब भी जनता यही आशा करती है कि जिस प्रकार अभावग्रस्त क्षेत्रों में सरकार सस्ते दामों पर अन्न की व्यवस्था करती है उसी प्रकार इन पर्वतीय नगरों के निवासियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उन्हें पूर्ववत् सस्ते दामों पर और पर्याप्त मात्रा में ईंधन, कोयला और लकड़ी उपलब्ध करने की व्यवस्था करें।

संस्तुति— २२८—अतएव समिति सिफारिश करती है:

१—सभी पर्वतीय नगरों में कोयले के वर्तमान मूल्य को कम करने के लिये कोयले पर रायल्टी प्राप्त करने का लक्ष्य न रखा जाय, कोयले का प्रबन्ध व्यय जनता से न लिया जाय, नगरपालिका कोयले के प्रवेश पर चुंगी न ले।

२—सभी पर्वतीय नगरों से कोयले के अवैध निर्यात की सम्भावनाओं को समाप्त करने के लिये आवश्यक नियम बनाए जायं।

३—कोयले का ढुलान व्यय कम करने के लिये वन विभाग अथवा कोयला ईंधन की व्यवस्था करने वाली अन्य एजेन्सी, ट्रकों की व्यवस्था करें।

४—पर्वतीय नगरों में जहां कहीं भी कोयले की व्यवस्था न हो, वहां विभाग द्वारा मूल्य कम रखने के लिये एक ही नीति अपनाई जाय।

५—ईंधन कोयले के नये क्षेत्र विकसित करने के लिये वन विभाग दुर्गम वन क्षेत्रों को नई सड़कों के द्वारा सुगम बनाये।

२२९—**कोयले के स्थान पर अन्य ईंधनों का प्रयोग**—जैसा पहिले कहा चुका है वन विभाग के कथनानुसार इन नगरों की वर्तमान मांग स्थानीय वनों से पूरी नहीं की जा सकती, इसके लिये भविष्य में अधिकाधिक दूर के वनों में जाना पड़ेगा। देहाती जनता ने नगरों की आवश्यकता पूर्ति के लिये बांज तथा अन्य वन सम्पत्ति के नष्ट किये जाने का अधिकांश स्थानों पर विरोध किया है। कुमाऊं के अधिकांश निवासियों की तरह समिति, बांज के जंगलों के विनाश से दुःखी तथा चिन्तित है तथा इस बात की आवश्यकता अनुभव करती है कि कुमाऊं में वन सम्पदा की रक्षा के लिये कोयले के स्थान पर अधिकाधिक वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग किया जाय। कोयला निर्माण के लिये वनों के संहार को समिति अत्यन्त चिन्ता तथा गम्भीरता से देखती है।

२३०—नैनीताल के हलवाई, होटल, छात्रावास आदि पन्द्रह हजार मन लकड़ी के कोयले का प्रयोग करते हैं और इस समय इन पहाड़ी नगरों में पत्थर के कोयले का प्रयोग कम होता है।

२३१—इस समस्त प्रश्न पर विचार करने के पश्चात समिति इस निर्णय पर पहुंची है कि नगरों में कोयल का खर्चा कम करना आवश्यक है। समिति जहां एक ओर इन पर्वतीय नगरों के स्थायी निवासियों को शीत ऋतु में सुविधा देने हेतु कोयले के मूल्य उचित स्तर पर रखना चाहती है वहां इन नगरों में कोयले के खर्च को कम करना भी अनिवार्य समझती है। इसके लिये समिति निम्न सिफारिशें करती है:

संस्तुति—

१—प्रदेश के अन्य भागों की तरह यहां भी पर्याप्त मात्रा में 'ए' ग्रेड पत्थर का कोयला मंगाया जाय।

२—हलवाइयों, होटलों, छात्रावासों, क्लबों तथा अन्य ऐसे स्थानों पर लकड़ी के कोयले के प्रयोग पर विधिवत् प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ।

३—सरकारी तथा अन्य कार्यालयों में कमरे गर्म रखने के लिये बिजली के हीटरों का प्रयोग किया जाय, घरों में भी बिजली के हीटर को बढ़ावा देने के लिये जाड़े की ऋतु में रियायती मूल्य पर बिजली देने की व्यवस्था की जाय ।

४—लकड़ी के बुरादे की अंगीठी तथा मिट्टी के तेल के स्टोव के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाय ।

५—टाल पर सदैव सूखी लकड़ी दिए जाने की व्यवस्था की जाय ।

६—अच्छे किस्म के धुवां न देने वाले (smokeless) चूल्हे का प्रचलन किया जाय ।

७—आधुनिक तरीकों के द्वारा कोयला बनाने की संभावना पर विचार किया जाय । पुराने तरीकों में लकड़ी का काफी अपव्यय होता है ।

२३२—विक्रय की व्यवस्था—दुर्भाग्यवश विक्रय की वर्तमान व्यवस्था लोकप्रिय नहीं है । इस समय कुछ स्थानों पर विक्रय की व्यवस्था वन विभाग करता है तथा अन्य स्थानों पर वन विभाग के नियंत्रण में ठेकेदार करते हैं । वर्तमान व्यवस्था में कहीं-कहीं पर शिकायत है कि कोयला बिना छना, चूरे तथा कंकड़ पत्थर वाला तथा कभी-कभी गीला बेचा जाता है ।

२३३—समिति—इसने समस्त प्रश्न पर विचार किया । वन विभाग एक प्रावैधिक विभाग है, अतएव स्वयं उसके द्वारा लकड़ी के कोयले के विक्रय को समिति वांछनीय नहीं समझती है । नैनीताल में १९५३ के पूर्व कोयले की व्यवस्था नगरपालिका के पास थी जब प्रयोगात्मक रूप में वन विभाग ने देखभाल और १९५७-५८ में बेचने का भार भी स्वयं ले लिया । १९५३ के पूर्व कोयले की व्यवस्था का उत्तरदायित्व नगरपालिका का था किन्तु मूल्य वन विभाग जिलाधीश के परामर्श से निश्चित करता था ।

संस्तुति—विक्रय व्यवस्था के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है:—

१—नैनीताल तथा अन्य पर्वतीय नगरों में यह व्यवस्था पुनः नगरपालिका को सौंप दी जाय ।

२—नगर पालिका कोयले ईंधन का ठेका देने में अन्य ठेकेदारों की अपेक्षा सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दे ।

३—कोयले तथा ईंधन की किस्म सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिये प्रत्येक टाल पर एक शिकायत की किताब रखी जाय, जिसका प्रति सप्ताह सम्बन्धित रेंजर तथा यथासम्भव प्रति मास उपअरण्यपाल निरीक्षण करें ।

२३४—टाल के खुलने तथा बन्द होने के वर्तमान समय से भी जनता को असुविधा हुई है । समिति से यह भी कहा गया कि टाल इतवार के स्थान पर किसी अन्य दिन बन्द रहे । यह दोनों सुझाव अत्यन्त सरलता से लागू किए जा सकते हैं और समिति को आशा है कि यह सुविधा जनता को प्रदान की जायेगी ।

२३५—ईंधन—ईंधन की वर्तमान दरों के विषय में कोई असंतोष नहीं है किन्तु समिति से कहा गया है कि सूखी अच्छी लकड़ी टाल पर सदैव उपलब्ध नहीं रहती । कोयले के प्रयोग को कम करने तथा ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है कि प्रचुर मात्रा में सदैव सूखी लकड़ी टाल पर उपलब्ध रहे ।

२३६—समिति को नैनीताल तथा अन्य स्थानों पर लकड़ी कोयले के टालों को देखने का अवसर मिला। अधिकांश टाल वर्षों पूर्व बनाये गये थे तथा उनमें प्रकाश, वायु आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है और बहुत से नगरों में लकड़ी कोयले आदि को रखने के लिये ढके हुए टाल की पूर्ण व्यवस्था नहीं है जिससे कोयला, लकड़ी गीली हो जाती है तथा कोयला निकालने वालों को अत्यन्त कठिन अवस्थाओं में कार्य करना पड़ता है। समिति आशा करती है कि स्थानीय निकाय, कोयले लकड़ी के संग्रह तथा विक्रय के लिये अच्छे टाल बनाने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

२३७—इमारती लकड़ी की व्यवस्था—विगत कुछ वर्ष पूर्व इन नगरों में इमारती लकड़ी की कोई समस्या न थी। १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से इनप र्वतीय नगरों (रानीखेत, अल्मोड़ा, पौड़ी तथा नैनीताल) की इमारती लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिये वन क्षेत्र सुरक्षित कर दिये जाते थे। इन सुरक्षित कूप्स की लकड़ी इन्हीं नगरों में बेची जाती थी।

२३८—१९५८ में यकायक यह व्यवस्था बदल दी गई और यह आदेश प्रसारित कर दिये गये कि इन वन खंडों की लकड़ी १५ जून तक स्लीपर के रूप में इन नगरों में बिकें तत्पश्चात ठेकेदारों को उसका निर्यात करने की स्वतंत्रता रहे। इन नगरों में आरा मशीन न होने के कारण नागरिकों को इन आदेशों के कारण अत्यन्त कठिनाई व असुविधा का सामना करना पड़ा तथा इन नगरों में तख्ते, कड़ी आदि का एकदम अभाव हो गया। समिति से कहा गया कि इस काल में (नैनीताल, अल्मोड़ा में) मुर्दों के कफन के बक्से बनाने के लिये तख्ते प्राप्त करने में भी कठिनाई हुई।

२३९—व्यवस्था को बदलने के पूर्व वन विभाग ने जिला अधिकारियों, जन-प्रतिनिधियों तथा आयुक्त कुमाऊं से भी कोई परामर्श नहीं किया तथा शासन से भी कोई आदेश नहीं लिये।

२४०—यह परिवर्तन क्यों और किस आधार पर किये गये तथा इसका औचित्य क्या था, समिति समझने में असमर्थ रही है। इस सम्बन्ध में विभाग की ओर से जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया वह पर्याप्त रूप से संतोषप्रद नहीं है।

२४१—जनता की दृष्टि में १५ जून से दिसम्बर तक की आवश्यकता की लकड़ी खरीदकर रख लेने के आदेशों के द्वारा जनता की सुविधा की उपेक्षा की गई। इस समस्त व्यवस्था के कारण सरकार तथा वन विभाग की कठोर आलोचना हुई।

२४२—जनता की मांग पर शासन ने इस विषय में १९५३-५४ के पूर्व की व्यवस्था को अर्थात्—(१) जंगलों का छोटे टुकड़ों में नीलाम, (२) सभी आकार में लकड़ी का उपलब्ध किया जाना,, (३) इन नगरों की लकड़ी का इन्हीं नगरों में बेचा जाना, (४) इस लकड़ी को ठेकेदार द्वारा निर्यात करने पर प्रतिबन्ध पुनः लागू कर दिया है। समिति का विश्वास है कि उपर्युक्त व्यवस्था में जनता की वर्तमान कठिनाइयां बहुत कुछ कम हो जायेंगी तथापि यदि इस व्यवस्था में कोई त्रुटि पाई गई और संशोधन की आवश्यकता हुई तो समिति द्वारा नगर स्तर पर प्रस्तावित वन सलाहकार समिति उस पर विचार करेगी जो अन्य बातों के अतिरिक्त इस लकड़ी को खरीददार द्वारा इन नगरों के बाहर ले जाने पर तिबन्ध लगाने पर भी विचार करेगी।

२४३—टिहरी—नैनीताल, अलमोड़ा, रानीखेत तथा पौड़ी में इमारती लकड़ी की पूर्ति के लिए एक विशेष कार्य वृत्त है। इस कारण इन नगरों में सभी आकारों में इमारती लकड़ी उपलब्ध हो सकती हैं। टिहरी में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण वहां सभी आकारों में लकड़ी नहीं मिल पाती।

२४४—शासन ने टिहरी को जिला मुख्यालय (District Headquarters) बनाने का निश्चय किया है, अतः निकट भविष्य में वहां काफी निर्माण-कार्य होंगे। इस दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि यहां पर सभी आकारों की लकड़ी सरलता से तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध की जाय।

२४५—वर्तमान समय में टिहरी में अधिकांश लकड़ी बहा कर लाई जाती है। बहान द्वारा सभी आकारों की लकड़ी लाने में कठिनाई होती है। किन्तु सड़कों के विकास से यह कठिनाई कुछ हद तक दूर हो गई है और अब भिन्न-भिन्न आकारों में लकड़ी टिहरी नगर में लाई जा सकती है।

संस्तुति—अतः समिति सिफारिश करती है :

१—टिहरी के लिये भी सभी आकारों में इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये विशेष कार्य वृत निर्मित किया जाय।

२—वहां वन विभाग द्वारा एक आरा मशीन लगाने की व्यवस्था की जाय।

२४६—अन्य नगरों की व्यवस्था—समिति के सम्मुख अन्य विकसित हो रहे नगरों में मांग की गई है कि इन स्थानों पर वन विभाग इमारती लकड़ी, कोयला तथा ईंधन की व्यवस्था करे। समिति आशा करती है कि वन विभाग इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

२४७—वन सलाहकार समिति का निर्माण—समिति इन पर्वतीय नगरों में नगर स्तर पर वन विभाग को कोयला, इमारती लकड़ी व ईंधन के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक परामर्श देने के लिये एक सलाहकार समिति बनाने की सिफारिश करती है।

संस्तुति—कोयला, ईंधन, इमारती लकड़ी के मूल्य नीति तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के पूर्व इस समिति से परामर्श लेना आवश्यक होगा। यह समिति अपने प्रस्ताव सम्बन्धित अरण्यपाल के पास भेजेगी जो मतभेद होने की अवस्था में शासकीय आदेश प्राप्त करेंगे।

इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :

१—उस क्षेत्र के विधान सभा तथा संसद के सदस्य :

२—अध्यक्ष नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया अथवा उप-सभापति छावनी बोर्ड (जैसी स्थिति हो)।

३—कुमाऊं वन समिति द्वारा मनोनीत एक सदस्य। क्षेत्र के उप-अरण्यपाल इस समिति के संयोजक होंगे।

२४८—समिति को विश्वास है कि यह समिति भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होने पर जनता तथा वन विभाग के बीच कड़ी का कार्य करेगी और इसकी सहायता से मूल्य, वितरण आदि के प्रश्न सरलता से हल हो जावेंगे

२४९—श्मशान घाटों पर ईंधन की व्यवस्था—समिति का ध्यान कई स्थानों पर इस विषय में जनता की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया गया। इस प्रकार की समस्या बागेश्वर, अल्मोड़ा, भुवाली, भिकियासेन, श्रीनगर, द्वाराहाट, टिहरी, उत्तरकाशी तथा अन्य कुछ और स्थानों पर जटिल है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि जहां कहीं ऐसी समस्या हो वन विभाग उचित मूल्य पर श्मशान घाट के लिये ईंधन की व्यवस्था करे और जहां ये श्मशान घाट स्थानीय निकायों में पड़ते हैं वहां लकड़ी रखने के लिये ढंके हुए शेड की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा करवाई जाय।

अध्याय ६

अध्ययन विषय—वनों में चराई की सुविधाओं का सामान्य प्रश्न

२५०—कुमांयू के वनों में स्थानीय जनता को चराई आदि के सम्बन्ध में कुछ हक-हकूक व सुविधाएं मिली हुई हैं। इन सुविधाओं में पशु चराने, घास काटने, खरक या गोठ बनाने आदि की सुविधाएं प्रमुख हैं। ये सुविधाएं तथा अधिकार बन्दोबस्त के समय निकाली गई सुरक्षितीकरण विज्ञप्ति के परिशिष्ट "ख" में अंकित हैं। पुराने सुरक्षित वनों में चराई की सुविधा का उपभोग कर सकने वाले गांवों के पशुओं की संख्या निर्धारित है। नये सुरक्षित वनों में कुमाऊं निवासियों को पुनः उत्पत्ति, चारे, ईंधन तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध के पशु चराने की सुविधा प्राप्त है। तराई भावर के रक्षित वनों में भी जनता को यह सुविधा प्राप्त है किन्तु वहां पर निर्धारित पशुओं की संख्या के ऊपर चराई ली जाती है। टिहरी वृत्त में गांव सीमा के पांच मील के क्षेत्र के अन्दर तो चरान सम्बन्धी सुविधा निःशुल्क प्राप्त है किन्तु पांच मील के बाद चराई ली जाती है।

२५१—चराई—कुमाऊं वन वृत्त में चराई के नियम बहुत सुविधाजनक हैं तथा वहां इस सम्बन्ध में काफी उदार नीति का पालन किया गया है। गत कुछ वर्षों से कतिपय गांवों के समीपस्थ क्षेत्रों के पुनः उत्पत्ति अथवा वृक्षारोपण के लिए बन्द कर दिये जाने से कुछ गांवों को असुविधा हो गई है किन्तु कालान्तर में इन जंगलों के विकास से यही गांव वाले लाभ उठावेंगे। वृक्षारोपण क्षेत्रों में सम्बन्धित गांव निवासियों की सुविधा का ध्यान रखने के विषय में समिति पृथक से सिफारिश कर चुकी है और आशा है प्रस्तावित व्यवस्था में गांव निवासियों को भविष्य में असुविधा का सामना न करना पड़ेगा।

२५२—लैंसडाउन, रामनगर, हल्द्वानी तथा तराई भावर के वनों में हक-हकूक प्राप्त गांवों के पशुओं की निर्धारित संख्या के ऊपर चराई ली जाती है। इन क्षेत्रों के वनों में गूजरों तथा दूध का व्यापार करने वाली अन्य जातियों के कारण चराई का दबाव अत्यन्त अधिक है। तराई भावर के इस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लगभग तीन लाख एकड़ भूमि वन विहीनीकरण द्वारा खेती योग्य बनाई गई। अतः इस समस्त क्षेत्र में चराई के क्षेत्रों की बहुत कमी हो गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में २,५०,००० पशु हैं जिनमें से लगभग दो लाख पशुओं को निःशुल्क चराई की सुविधा प्राप्त है। पाश्चात्य देशों के स्तर से यह संख्या उपलब्ध वनों को देखते हुये काफी बड़ी है।

२५३—टिहरी वृत्त में पांच मील के बाहर चराई ली जा रही है। समिति से यह भी कहा गया है कि वहां आदेशों के विरुद्ध अभी भी राहदारी या पूंछी ली जा रही है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि टिहरी-गढ़वाल में राहदारी तथा चराई शुल्क समाप्त कर दिये जांय।

२५४—घास काटना—कुमाऊं वृत्त में केवल अधिकार रहित वनों (Right free reserves), वृक्षारोपण और पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों में घास काटने का प्रतिबंध है। किन्तु इन क्षेत्रों में भी अरण्यपाल, कुमाऊं ने वन विभाग की देख-रेख में घास काटने की आज्ञा दे दी है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि टिहरी में भी इन सुविधाओं को दिया जाय।

२४५—वर्तमान समय में टिहरी में अधिकांश लकड़ी बहा कर लाई जाती है। बहान द्वारा सभी आकारों की लकड़ी लाने में कठिनाई होती है। किन्तु सड़कों के विकास से यह कठिनाई कुछ हद तक दूर हो गई है और अब भिन्न-भिन्न आकारों में लकड़ी टिहरी नगर में लाई जा सकती है।

संस्तुति—अतः समिति सिफारिश करती है :

१—टिहरी के लिये भी सभी आकारों में इमारती लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये विशेष कार्य वृत निर्मित किया जाय।

२—वहां वन विभाग द्वारा एक आरा मशीन लगाने की व्यवस्था की जाय।

२४६—अन्य नगरों की व्यवस्था—समिति के सम्मुख अन्य विकसित हो रहे नगरों में मांग की गई है कि इन स्थानों पर वन विभाग इमारती लकड़ी, कोयला तथा ईंधन की व्यवस्था करे। समिति आशा करती है कि वन विभाग इनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

२४७—वन सलाहकार समिति का निर्माण—समिति इन पर्वतीय नगरों में नगर स्तर पर वन विभाग को कोयला, इमारती लकड़ी व ईंधन के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक परामर्श देने के लिये एक सलाहकार समिति बनाने की सिफारिश करती है।

संस्तुति—कोयला, ईंधन, इमारती लकड़ी के मूल्य नीति तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के पूर्व इस समिति से परामर्श लेना आवश्यक होगा। यह समिति अपने प्रस्ताव सम्बन्धित अरण्यपाल के पास भेजेगी जो मतभेद होने की अवस्था में शासकीय आदेश प्राप्त करेंगे।

इस समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :

१—उस क्षेत्र के विधान सभा तथा संसद के सदस्य :

२—अध्यक्ष नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया अथवा उप-सभापति छावनी बोर्ड (जैसी स्थिति हो)।

३—कुमाऊं वन समिति द्वारा मनोनीत एक सदस्य। क्षेत्र के उप-अरण्यपाल इस समिति के संयोजक होंगे।

२४८—समिति को विश्वास है कि यह समिति भविष्य में इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित होने पर जनता तथा वन विभाग के बीच कड़ी का कार्य करेगी और इसकी सहायता से मूल्य, वितरण आदि के प्रश्न सरलता से हल हो जावेंगे

२४९—श्मशान घाटों पर ईंधन की व्यवस्था—समिति का ध्यान कई स्थानों पर इस विषय में जनता की कठिनाइयों की ओर आकृष्ट किया गया। इस प्रकार की समस्या बागेश्वर, अल्मोड़ा, भुवाली, भिकियासेन, श्रीनगर, द्वाराहाट, टिहरी, उत्तरकाशी तथा अन्य कुछ और स्थानों पर जटिल है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि जहां कहीं ऐसी समस्या हो वन विभाग उचित मूल्य पर श्मशान घाट के लिये ईंधन की व्यवस्था करे और जहां ये श्मशान घाट स्थानीय निकायों में पड़ते हैं वहां लकड़ी रखने के लिये ढंके हुए शेड की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा करवाई जाय।

अध्याय ६

अध्ययन विषय—वनों में चराई की सुविधाओं का सामान्य प्रश्न

२५०—कुमांयू के वनों में स्थानीय जनता को चराई आदि के सम्बन्ध में कुछ हक-हकूक व सुविधाएं मिली हुई हैं। इन सुविधाओं में पशु चराने, घास काटने, खरक या गोठ बनाने आदि की सुविधाएं प्रमुख हैं। ये सुविधाएं तथा अधिकार बन्दोबस्त के समय निकाली गई सुरक्षितीकरण विज्ञप्ति के परिशिष्ट "ख" में अंकित हैं। पुराने सुरक्षित वनों में चराई की सुविधा का उपभोग कर सकने वाले गांवों के पशुओं की संख्या निर्धारित है। नये सुरक्षित वनों में कुमाऊं निवासियों को पुनः उत्पत्ति, चारे, ईंधन तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध के पशु चराने की सुविधा प्राप्त है। तराई भावर के रक्षित वनों में भी जनता को यह सुविधा प्राप्त है किन्तु वहां पर निर्धारित पशुओं की संख्या के ऊपर चराई ली जाती है। टिहरी वृत्त में गांव सीमा के पांच मील के क्षेत्र के अन्दर तो चरान सम्बन्धी सुविधा निःशुल्क प्राप्त है किन्तु पांच मील के बाद चराई ली जाती है।

२५१—चराई—कुमाऊं वन वृत्त में चराई के नियम बहुत सुविधाजनक हैं तथा वहां इस सम्बन्ध में काफी उदार नीति का पालन किया गया है। गत कुछ वर्षों से कतिपय गांवों के समीपस्थ क्षेत्रों के पुनः उत्पत्ति अथवा वृक्षारोपण के लिए बन्द कर दिये जाने से कुछ गांवों को असुविधा हो गई है किन्तु कालान्तर में इन जंगलों के विकास से यही गांव वाले लाभ उठावेंगे। वृक्षारोपण क्षेत्रों में सम्बन्धित गांव निवासियों की सुविधा का ध्यान रखने के विषय में समिति पृथक से सिफारिश कर चुकी है और आशा है प्रस्तावित व्यवस्था में गांव निवासियों को भविष्य में असुविधा का सामना न करना पड़ेगा।

२५२—लैंसडाउन, रामनगर, हल्द्वानी तथा तराई भावर के वनों में हक-हकूक प्राप्त गांवों के पशुओं की निर्धारित संख्या के ऊपर चराई ली जाती है। इन क्षेत्रों के वनों में गूजरों तथा दूध का व्यापार करने वाली अन्य जातियों के कारण चराई का दबाव अत्यन्त अधिक है। तराई भावर के इस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् लगभग तीन लाख एकड़ भूमि वन विहीनीकरण द्वारा खेती योग्य बनाई गई। अतः इस समस्त क्षेत्र में चराई के क्षेत्रों की बहुत कमी हो गई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में २,५०,००० पशु हैं जिनमें से लगभग दो लाख पशुओं को निःशुल्क चराई की सुविधा प्राप्त है। पाश्चात्य देशों के स्तर से यह संख्या उपलब्ध वनों को देखते हुये काफी बड़ी है।

२५३—टिहरी वृत्त में पांच मील के बाहर चराई ली जा रही है। समिति से यह भी कहा गया है कि वहां आदेशों के विरुद्ध अभी भी राहदारी या पूंछी ली जा रही है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि टिहरी-गढ़वाल में राहदारी तथा चराई शुल्क समाप्त कर दिये जांय।

२५४—घास काटना—कुमाऊं वृत्त में केवल अधिकार रहित वनों (Right free reserves), वृक्षारोपण और पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों में घास काटने का प्रतिबंध है। किन्तु इन क्षेत्रों में भी अरण्यपाल, कुमाऊं ने वन विभाग की देख-रेख में घास काटने की आज्ञा दे दी है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि टिहरी में भी इन सुविधाओं को दिया जाय।

२५५—शाख तराशी—इन समस्त क्षेत्रों में गर्मियों में अथवा हिमपात के समय चारे की कमी हो जाती है। अतः इन दिनों ग्रामीण महिलायें चारे के लिये बांज, मिकुला, क्वेराल आदि के पत्तों को काटा करती हैं। कुमाऊं वृत्त में पुराने सुरक्षित वनों, वृक्षारोपण तथा पुनः उत्पत्ति के लिये बंद क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में बांज, खरसू आदि के वृक्षों के तने से लेकर दो तिहाई भाग तक की शाख तराशी में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।

२५६—पुराने सुरक्षित वन मुख्य रूप से नगरों की ईंधन, घास की पूर्ति के लिये बनाये गये हैं। अतः वन विभाग की राय है कि उनमें शाख तराशी की आज्ञा देने पर नगरों की ईंधन तथा घास सम्बन्धी मांग की पूर्ति करने में कठिनाई उपस्थित होगी।

२५७—१९३८ में कुमाऊं वन समिति की सिफारिशों पर इस सम्बन्ध में हाथ से पत्ती तोड़ने के नियम बनाये गये थे, किन्तु ग्राम निवासियों के द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग करने के कारण बाद में उसे वापस ले लिया गया।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि उन समस्त क्षेत्रों में जहां वनों को हानि पहुंचाये बिना शाख तराशी की सुविधा देना संभव हो इस हेतु नियम बनाये जायं।

२५८—खरक तथा छानियां—जंगल के भीतर कुछ गांवों को अस्थायी रूप से अपने पशु रखने के अधिकार व सुविधायें प्राप्त हैं। इन स्थानों को खरक तथा छानियां कहते हैं। खरक तथा छानियां बन सम्पदा को हानि पहुंचाती हैं। किन्तु ये ऐसी सुविधायें या हक-हकूक हैं जिनका उपभोग ग्राम निवासी बहुत दीर्घ काल से करते आ रहे हैं तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप से जनता को असुविधा होगी और उसमें असंतोष फैलेगा। समिति से कुछ स्थानों पर कहा गया कि उनके खरक या छानियां बन्द कर दी गई हैं। समिति नये खरकों एवं छानियों की व्यवस्था करने के विरुद्ध है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि गांव हालतनामे में दर्जशुदा खरकों तथा छानियों में वन विभाग द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय तथा जनता की सभी विद्यमान सुविधायें पूर्ववत रहें।

२५९—समिति से यह भी कहा गया कि इन खरकों तथा छानियों पर ग्रामीणों को स्थाई फसल उत्पन्न करने की सुविधा दे दी जाय। समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया और उसका मत है कि ऐसा करना वन सम्पत्ति व जनता के हित में न होगा तथा ऐसा किया जाना खरकों या छानियों के प्रयोग करने वालों में संघर्ष तथा कटुता का कारण होगा।

२६०—गोठिया तथा कबाड़ी—कुमाऊं के पर्वतीय भागों से बहुत से लोग जाड़े की ऋतु में जीविका के अर्जन के लिये अपने पशु लेकर नीचे भावरी (मैदानी) इलाकों में चले आते हैं। इन लोगों को गोठिया कबाड़ी अथवा घमतप्पा कहते हैं। ऐसे लोगों का टिहरी-गढ़वाल में कोई नाम नहीं है। ये लोग झोपड़ी बनाकर तीन-चार महीने तराई भावर के क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुछ समय से इन लोगों को वृक्षारोपण के कारण चराई में तथा झोपड़ी के लिये घास प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। कुछ स्थानों में इन लोगों के गोठ वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्दर आ गये हैं।

२६१—गोठिया प्रतिवर्ष वन विभाग से लकड़ी, घास प्राप्त करके अपने रहने के लिये झोपड़ी बनाते हैं। उनके जाने के उपरान्त ये झोपड़ियां या तो वन विभाग द्वारा नीलाम कर दी जाती हैं या नष्ट कर दी जाती हैं।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है:—

१—प्लान्टेशन क्षेत्र निश्चित करते समय घमतप्पा, गोठिया, कबाड़ी आदि के गोठ यथासंभव अछूते छोड़ दिये जायं। यदि यह संभव न हो तो उसे वैकल्पिक गोठ दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

२—घमतप्पा तथा अन्य लोगों की झोपड़ियों के लिये कोरी, बल्ली, घास आदि उदारतापूर्वक समय पर दी जाय।

२६२—भोटिया—भोटिया, जाड़ तथा गद्दी भी प्रतिवर्ष जाड़ों में अपनी भेड़-बकरी लेकर नीचे उत्तर आते हैं। इनसे कुमाऊं वृत्त में कोई चराई शुल्क नहीं लिया जाता किन्तु पश्चिमी वृत्त में शुल्क तथा टिहरी वृत्त में राहदारी ली जाती है। कुमाऊं वृत के अन्दर जंगलात में तथा गढ़वाल में सिविल बेनाम भूमि पर इनके पड़ाव निर्धारित हैं किन्तु गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल में इनके अधिकांश पड़ावों में गांव निवासियों ने गांव पंचायतें बना दी हैं अथवा उनको खेती में परिवर्तित कर दिया है।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि जहां कहीं भी तकलीफ हो, भोटिया, जाड़ पड़ावों की समुचित व्यवस्था की जाय।

२६३—गूजर—गूजर खानाबदोश कबीले के लोग हैं जो संभवतः कई शताब्दी पूर्व अपने जानवरों को लेकर जम्मू से सहारनपुर, बिजनौर तथा तराई के क्षेत्र में आये। गूजर जाड़ों में नीचे और गर्मियों में दस हजार फीट तक अपनी सहस्रों भैंसों को लेकर विशेष रूप से टिहरी-गढ़वाल तथा गढ़वाल के दूरस्थ भूखंडों तक चले जाते हैं।

२६४—अधिकांश स्थानों पर स्थानीय जनता तथा गूजरों के संबंध अच्छे नहीं हैं। यह लोग वन सम्पत्ति तथा खेती को भी काफी क्षति पहुंचाते हैं। इनके जाने तथा लौटने के समय फसल क्रमशः बोई तथा काटी जाती है। निरन्तर घूमते रहने के कारण गूजरों के बच्चों की उचित शिक्षा भी नहीं हो पाती और वे अपने पुश्तैनी पेशे के अतिरिक्त और अन्य किसी दूसरे पेशे में प्रविष्ट नहीं हो पाते।

२६५—आधुनिक काल में किसी भी भू-खंड में ऐसे खानाबदोश कबीलों का रहना अशोभनीय है। अतः इन लोगों को तुरन्त बसाया जाना आवश्यक है। कालाढूंगी एवं लैन्सडाउन में कुछ गूजर भी समिति के सम्मुख उपस्थित हुए थे। यह लोग किसी भी क्षेत्र में बसाये जाने के इच्छुक हैं।

संस्तुति—अतः समिति सिफारिश करती है:—

१—गूजरों को सहारनपुर तथा बिजनौर में जहां भी भूमि उपलब्ध हो निश्चित क्षेत्रों में बसा दिया जावे। उनकी शिक्षा तथा विकास के लिये आवश्यक व्यवस्था की जाय। नई पीढ़ी के गूजरों को दूसरे व्यवसायों में प्रवेश पाने के लिये उत्साहित किया जाय।

२—भेड़ों तथा भैंसों के लिये चराई के अलग-अलग क्षेत्र निश्चित किये जायं।

३—गूजरों द्वारा लाये जाने वाले पशुओं की संख्या पर नियंत्रण रक्खा जाय। उनके एक स्थान पर अधिकतम दिनों तक रुकने की अवधि को सीमित कर दिया जाय तथा उनके साथ वन विभाग के एक कर्मचारी के जाने की व्यवस्था की जाय जिससे गूजर खेती तथा वन सम्पत्ति को हानि न पहुंचा सकें।

२६६—घास के ठेके—समिति से टिहरी-गढ़वाल तथा पश्चिमी वृत में विशेष रूप से थरवाट (खटीमा तहसील) में कहा गया कि वन विभाग घास के ठेके दे देता है जिससे स्थानीय जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है। कुमाऊं वन वृत्त में नगरों की घास पूर्ति के लिये निर्धारित वनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में घास के ठेके नहीं दिये जाते हैं। घास के ठेकों से राज्य को विशेष आय भी नहीं होती।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि कुमाऊं वन वृत की भांति टिहरी-गढ़वाल तथा पश्चिमी वृत में भी इसी नीति का पालन किया जाय।

अध्याय १०

अध्ययन विषय---वनों में गिरी हुई जलाने की लकड़ी को एकत्र करने तथा हटाने का प्रश्न

२६७---कुमाऊं निवासियों को सुरक्षित वनों से, पुनः उत्पत्ति तथा वृक्षारोपण क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से गिरी-पड़ी, सूखी लकड़ी लाने की सुविधा प्राप्त है। समिति से कई स्थानों पर विशेष रूप से तराई-भावर के क्षेत्र में कहा गया कि ग्राम निवासियों की इस सुविधा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

२६८---तराई भावर के हल्द्वानी, रामनगर, टनकपुर आदि नगरों में बहुत प्राचीनकाल से घमतप्पा लोगों को जंगल से सूखी लकड़ी लाकर बेंचने की सुविधा प्राप्त है। घमतप्पा अधिकांशतः भूमिहीन वर्ग के लोग हैं जो इस प्रकार लकड़ी लाकर अपनी जीविका अर्जन करते हैं। कुछ समय पूर्व इन लोगों पर परमिट लेकर लकड़ी लाने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त व्यवस्था की गई कि घमतप्पा लोग लकड़ी पर रायल्टी दें तथा लकड़ी को सरकारी डिपों में ही बेंचे। इस व्यवस्था में घमतप्पा लोग तथा लकड़ी के उपभोक्ता दोनों को परेशानी तथा असुविधा का सामना करना पड़ा।

२६९---कुमाऊं के पार्वत्य प्रदेश में कटान के क्षेत्र में पहले झावा मुंडी (lops and tops) ग्रामीण जनता को प्राप्त होते थे। कुछ समय से जनता को इन्हें प्राप्त करने में कठिनाई है। ठेकेदार सभी उठा ले जा रहे हैं।

२७०---कुछ समय पूर्व तक किसी भी क्षेत्र में नियंत्रित आग लगाने (controlled burning) के पूर्व उस स्थान की जनता को सूचना देकर निश्चित अवधि के भीतर सूखी, गिरी-पड़ी लकड़ी एकत्र करने की सुविधा प्राप्त थी, किन्तु जंगल में कुल्हाड़ी ले जाने की अनुमति नहीं थी। जंगल में कभी कभी गांव निवासियों को सूखे पेड़ मिलते हैं। कुल्हाड़ी के अभाव में वह उन्हें काटकर नहीं ला सकते अतः ऐसे पेड़ पड़े-पड़े सड़ते रहते हैं।

२७१---समिति से पश्चिमी वृत्त के कुछ क्षेत्रों में कहा गया कि विभाग द्वारा ईंधन के लिये जंगल बेंचने के पूर्व स्थानीय गांव निवासियों की आवश्यकताओं को नजरअन्दाज किया जाता है।

२७२---इससे कभी-कभी गांव निवासियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह प्रश्न १९३७ में भी कुमाऊं परिवेदना समिति के सम्मुख उपस्थित हुआ था और इस विषय में शासन ने आदेश प्रसारित किये थे।

२७३---अल्मोड़े जिले के कुछ क्षेत्रों में चीड़ के पेचदार पेड़ मिलते हैं। अधिक पेचदार पेड़ इमारती लकड़ी के लिये उपयुक्त नहीं होते। कुछ वर्ष पूर्व तक ऐसे वृक्षों का लीसा निकालने के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग न था। वर्तमान कार्य योजना में चीड़ के ऐसे पेचदार पेड़ जिनका हटाया जाना वन विज्ञान के दृष्टिकोण से आवश्यक हो गांव वालों को ईंधन आदि के लिये दिये जाने की अथवा गांव वालों द्वारा उनके न हटाये जाने पर विभाग द्वारा उनको स्वयं कटवा देने की व्यवस्था है।

२७४---कुछ समय पूर्व सहारनपुर की एक मिल को कागज बनाने के लिये दो आना प्रति घन-फुट के भाव से ऐसी लकड़ी दी गई। समिति के सम्मुख बागेश्वर, लोहाघाट, द्वारहाट, गरुड़, बाड़ेछीना तथा पिथौरागढ़ में जनता ने मिल को लकड़ी दिये जाने का विरोध किया।

२७५---इस विषय में समिति के सम्मुख तीन बातें कही गईं। कुछ स्थानों में जनता ने इतने कम मूल्य पर मिल को लकड़ी बेंचने का विरोध किया। दूसरे स्थानों पर जनता ने मांग की कि ऐसी

मिलें कुमायूं क्षेत्र में ही स्थापित की जायं जिससे स्थानीय जनता को रोजगार मिले। अन्य स्थानों में इस बात की भी आशंका प्रकट की गई कि मिल को इस प्रकार लकड़ी देने से कालांतर में इस क्षेत्र में लकड़ी का सर्वथा अभाव हो जावेगा और स्थानीय जनता की दिक्कतें बढ़ेंगी।

२७६—स्थानीय जनता के असंतोष का एक कारण संभवतः यह भी था कि प्रारम्भ में कुछ स्थानों पर मिल के कर्मचारियों ने घास, लकड़ी के लिये गई हुई महिलाओं के घास, लकड़ी एकत्र करने में हस्तक्षेप किया।

२७७—समिति से लगभग सभी स्थानों पर जनता ने इस लकड़ी को मिल को देने का विरोध किया तथा मांग की कि इस क्षेत्र से कोई लकड़ी बाहर न भेजी जाय। समिति राष्ट्र के विकास में उद्योगों के महत्व को विशेषरूप से कागज के महत्व को स्वीकार करती है तथा यह उचित समझती है कि उद्योगों के विकास के लिये हर सम्भव सहायता दी जाय।

संस्तुति—

२७८—इन समस्त प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात् समिति सिफारिश करती है:—

१—नियंत्रित आग लगाये जाने तथा कलचर आपरेशन (controlled burning and culture operations) के पूर्व स्थानीय जनता को गांव सभापति के द्वारा निश्चित अवधि के भीतर ईंधन निकालने की सूचना दे दी जाय।

२—पश्चिमी वृत के तराई भावर क्षेत्र में निजी आवश्यकता पूर्ति के लिये गाड़ी द्वारा लकड़ी लाने की अनुमति समय से दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

३—कुमाऊं तथा टिहरी वृत्त में साल, शीशम, खैर, तुन तथा देवदार को छोड़कर ईंधन योग्य अन्य सूखे खड़े पेड़ ग्राम स्तर पर प्रस्तावित लकड़ी वितरण समिति की सिफारिश पर जनता को दिये जायं।

४—पश्चिमी वृत्त में विभाग द्वारा ईंधन के लिये टुकड़े बेचने के पूर्व ग्रामीण जनता की ईंधन संबंधी आवश्यकता पूर्ति की व्यवस्था की जाय।

५—पेंचदार चौड़ के वृक्षों का विक्रय स्थानीय जनता की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखकर ही किया जाय।

६—स्थानीय जनता को झावा मुंडी पूर्ववत प्राप्त रहे।

७—घमतप्पा के जंगल से लकड़ी लाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध तथा अड़चनें न लगाई जायं।

८—कुमाऊं तथा टिहरी वन वृत्त में अनुमति लेकर सूखे खड़े पेड़ काटने के लिये कुल्हाड़ी ले जाने की अनुमति दे दी जाय।

अध्याय ११

अध्ययन विषय—भूमिहीनों को बसाने के लिये बनों को साफ करने का प्रश्न

२७९—कुमाऊं के भूमिहीनों को बसाने की समस्या अत्यन्त व्यापक तथा जटिल है। भौगोलिक अवस्था के कारण उपलब्ध भूमि का अधिकांश खेती के अयोग्य हैं। नीचे की घाटियों तथा सिचाई की सुविधा प्राप्त भूमि को छोड़ शेष भूमि में प्रति एकड़ उपज भी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होती है।

२८०—उद्योग-धंधों तथा जीविका अर्जन के अन्य साधनों के अभाव के कारण भूमि की भूख अत्यन्त तीव्र है। समिति के सम्मुख अनेक स्थानों पर सैकड़ों की संख्या में भूमिहीनों ने उपस्थित होकर भूमि की मांग की।

२८१—पर्वतीय प्रदेश की प्रति एकड़ कृषि भूमि की उपज को देखते हुए तथा ५ सदस्यों के परिवार को एक औसत परिवार मानते हुए ऐसे परिवार जिनके पास १ एकड़ जमीन है उनकी संख्या कुमाऊं में लगभग २ लाख है।

२८२—समिति ने जिला अधिकारियों से भूमिहीनों के संबंध में सम्पूर्ण और सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की किन्तु वे भी इस सम्बन्ध में समिति को कोई निश्चित सूचना नहीं दे सके। १९५१ की जनगणना के अनुसार चारों पर्वतीय जिलों में २०,५२४ व्यक्ति खेतिहर मजदूर हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधीश, नैनीताल तथा गढ़वाल के अनुसार इन दोनों जिलों में ६४,५०१ व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष केवल एक रुपया मात्र राजस्व देते हैं। यह स्वीकार करना अनुचित न होगा कि अल्मोड़ा तथा टिहरी-गढ़वाल में भी एक रुपया राजस्व देने वालों की संख्या लगभग एक लाख होगी। इन आंकड़ों से कुमाऊं के भूमिहीनों तथा छोटे खेतिहरों की समस्या का अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है।

२८३—बहुत समय से कुमायूं के इन भूमिहीनों की मांग है कि जंगलों का विहीनीकरण कर उनको बसाया जाय। समिति जहां एक ओर भूमिहीनों को बसाने के प्रश्न को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझती है वहां उसका यह भी विश्वास है कि बन क्षेत्रों को किसी प्रकार से भी संकुचित करने पर राष्ट्र की भयानक हानि हो सकती है। अतः इस क्षेत्र में उन्हीं बनों में कृषि के लिये भूमि दी जाय जहां वन रक्षण तथा देश के व्यापक हितों को इससे हानि न पहुंचे।

२८४—यह सर्वमान्य है कि कुमाऊं में छोटे टुकड़ों में लाभकर खेती नहीं की जा सकती। अतः इस क्षेत्र के भूमिहीनों को यहां छोटे टुकड़ों में बसाकर आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। जनता की रोजी का समुचित प्रबन्ध करने के लिये कुमाऊं में फलों के बगीचे, साग, सब्जी, मौन, मुरगी तथा सूकर पालन, कुटीर उद्योग तथा पर्यटन व्यवसाय का संगठन एवं विस्तार करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश अभी तक इस दिशा में वांछनीय प्रगति नहीं हो सकी है।

२८५—समिति के सामने तराई भावर में भूमिहीनों को बसाने का सुझाव आया। समिति से कहा गया कि अधिकतम जोत के नियमों को लागू होने के बाद तराई भावर के क्षेत्र में जो भी भूमि उपलब्ध हो तराई भावर तथा कुमाऊं के भूमिहीनों को दे दी जाय। जीविका अर्जन के अन्य साधनों के अभाव में साधारण नागरिक बनों का विहीनीकरण कर खेतों के लिये भूमि की मांग करता है। बनों के अनियोजित, नियोजित विहीनीकरण के दुष्परिणामों से वह परिचित नहीं हैं।

२८६—समिति के सामने हरद्वार से टनकपुर तक भूमिहीनों को बसाने के लिये नई जमीन तोड़ने की भी चर्चा हुई। समिति से कहा गया कि इस क्षेत्र में कोई बहुमूल्य जंगल नहीं हैं तथा इस क्षेत्र में काफी संख्या में भूमिहीनों को बसाया जा सकता है।

इन सभी तथा अन्यान्य सुझावों पर समिति ने पूरी सावधानी के साथ विचार किया। उसने भूमिहीनों को बसाने के प्रश्न को राष्ट्रीय हित, देश की वन नीति तथा कुमाऊं के वनों के समुचित विकास एवं उनके संरक्षण की पृष्ठभूमि में हल करने की कोशिश की। अतः समिति सिफारिश करती है :

संस्तुति

१—तराई भाबर के क्षेत्र में भूमि वितरण में कुमाऊं के भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाय।

२—पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जंगलों के हितों की रक्षा करते हुए भूमि विहीनीकरण किया जा सकता है, भूमिहीनों को भूमि दी जाय।

३—भूमिहीनों को भूमि के साथ हल-बैल खरीदने तथा पुनर्वास के लिये उदार सहायता ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाय।

४—टनकपुर से हरिद्वार तक जहां कहीं भी ऐसी भूमि हो जिस पर मूल्यवान वन न हों और जो कृषि के योग्य हों और बाढ़ आदि के खतरे से मुक्त हों वहां कुमाऊं के भूमिहीनों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने की एक योजना बनाई जाय।

५—अधिकतम जोत के नियमों के लागू होने पर तराई भावर कुमाऊं क्षेत्र में जो भी भूमि उपलब्ध हों वह कुमाऊं के भूमिहीनों को दी जाय।

६—उपरोक्त संस्तुतियों को कार्यान्वित करने के लिये औपनिवेशीकरण (colonization) की एक योजना बनाई जाय।

२८७—भोटिया—अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टिहरी-गढ़वाल के सीमांत में हिमाच्छादित क्षेत्रों की घाटी में रहने वाले तथा तिब्बत के साथ व्यापार करने वाले लोग अल्मोड़ा में भोटिया तथा गढ़वाल में मार्छा, तोलछा या खाम्पा और टिहरी गढ़वाल में जाड़ कहलाते हैं। गढ़वाल में ये लोग माना तथा नीति घाटी में, अल्मोड़े में जोहार, दारमा, दानपुर, व्यास, चौंदास में और टिहरी-गढ़वाल में हरिसिल तथा टकनौर में रहते हैं। गढ़वाल में यह लोग मार्छा, तोलछा, खाम्पा तथा अल्मोड़े में जौहारी, व्यासी वर्गों में विभक्त हैं किन्तु साधारण रूप से भोटिया शब्द इन सभी के लिये प्रयुक्त होता है।

२८८—भोटिया लगभग दस हजार फीट के आस-पास की ऊंचाई पर रहते हैं। ये क्षेत्र जाड़ों में हिमाच्छादित रहते हैं। भोटिया नवम्बर के शुरू में अपने गांवों को छोड़कर नीचे के क्षेत्रों में उतर आते हैं। गर्मियों में मई से अक्तूबर तक नाना प्रकार का उपभोक्ता, सामान लेकर ये तिब्बत के दो तीन चक्कर लगाकर आते हैं जहां से ये काफी मात्रा में ऊन या, ऊन का सामान, नमक, भेड़ इत्यादि आयात करते हैं लेकिन अब यह व्यापार समाप्त होने जा रहा है।

२८९—एक समय था जब भोटिया अर्थ व्यवस्था तिब्बत के व्यापार पर आधारित थी। तिब्बत व्यापार में अब भोटिया अनेक कठिनाई का अनुभव कर रहा है। अब उन्हें रोजी का कोई दूसरा जरिया ढूंढ़ना है। अधिकांश भोटिया भूमिहीन हैं। थोड़े से लोगों के पास जो कुछ भूमि है वह भी वर्ष में चार पांच माह तक बर्फ से दबी रहती है। ऐसे भोटिये जिनके पास गरम घाटियों में पर्याप्त भूमि है, अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं। अतः तिब्बत के व्यापार में कठिनाई आ जाने से भोटिया अपने भविष्य के विषय में अत्यंत शंकित हैं। समिति के सम्मुख कुछ भोटिया साक्ष्य देने के लिये उपस्थित हुए और उन सभी ने भोटिया पुनर्वास के प्रश्न की ओर समिति का ध्यान आकृष्ट किया। यद्यपि भोटिया अत्यंत ही ठंडे क्षेत्रों का निवासी है तथापि वह तराई भावर क्षेत्र में भूमि दिये जाने पर बसने को प्रस्तुत हैं।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि टनकपुर से हरिद्वार तक पर्वतीय क्षेत्रों में भूमिहीनों को बसाने के लिये जो भूमि प्राप्त की जाय उसमें इनकी भी बस्तियां बसाई जायं। जाड़ लोगों के संबंध में समिति सिफारिश करती है कि उन्हें ऋषीकेश से हरिद्वार के मध्य तथा चोरपानी में भूमि प्राप्त कर बसाया जाय।

२९०—बन रावत—असकोट के समीप भूमिहीनों के कुछ परिवार पिछड़ी अवस्था में थामथूरा तथा घानथूरा नामक स्थानों पर रहते हैं। थामथूरा वाले बहुत समय से और घानथूरा वाले पिछले दस वर्षों से इन स्थानों पर रहते हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर काम कर रहे हैं। ये लोग अपने को बन रावत कहते हैं तथा पुनर्वास के लिये बाहर तराई में जाने को प्रस्तुत नहीं हैं।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि इनको इन्हीं स्थानों पर अथवा अन्य उपयुक्त क्षेत्रों में बसा दिया जाय।

२९१—भूमिहीनों द्वारा वन क्षेत्रों का अनधिकृत कब्जा—समिति के सम्मुख अनेक स्थानों पर ऐसे भूमिहीन उपस्थित हुए जिन्होंने परिस्थितियों से बाध्य होकर जंगलों के क्षेत्रों को आबाद कर लिया है। इन लोगों के ऊपर बन विभाग द्वारा अनधिकृत प्रवेश के मुकदमे चलाये जा रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि इन्हें आबाद की गई भूमि स्थायी रूप से दे दी जाय। समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया। जहां समिति एक ओर अनधिकृत अधिकार के प्रयत्नों को बढ़ावा नहीं देना चाहती वह दूसरी ओर पीड़ित जनता की तकलीफों की भी उपेक्षा नहीं कर सकती।

संस्तुति—अतः समिति सिफारिश करती है कि ऐसे प्रत्येक मामले के औचित्य पर विचार करते हुये सहानुभूतिपूर्वक निर्णय किया जाय।

अध्याय १२

अध्ययन विषय—टिहरी में सार्वजनिक उपभोग के लिये इमारती लकड़ी आदि देना

२६२—वर्तमान नियमों के अनुसार कुमाऊं में जनोपयोगी कार्यों जैसे धर्मशाला, स्कूल, पुल आदि के निर्माण के लिये अथवा आयुक्त कुमाऊं द्वारा निश्चित अन्य कार्यों के लिये जिनका व्यय जिला परिषद् अथवा अन्य असरकारी संस्थायें उठायें, निःशुल्क लकड़ी जिलाधीश के प्रमाण-पत्र पर दी जाती हैं।

२६३—कुमाऊं वन वृत्त के अतिरिक्त कुमाऊं डिवीजन के अन्य हिस्सों में जनोपयोगी कार्यों के लिये लकड़ी देने का प्राविधान नहीं है, इसलिये टिहरी-गढ़वाल तथा पश्चिमी वृत्त में ऐसी लकड़ी नहीं मिलती। टिहरी-गढ़वाल में राज्य के विलयन के पूर्व जनता को यह सुविधा प्राप्त थी किन्तु १९५५ में यह सुविधा वापिस ले ली गई। टिहरी-गढ़वाल में तो समिति से स्थान-स्थान पर यह भी कहा गया कि वहां गैर कानूनी ढंग से वृक्ष काटने तथा जनोपयोगी कार्यों के लिये अनुमति प्राप्त करने में कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि एक पेड़ के पीछे जितना मुआवजा किसी से उसकी गैर कानूनी हरकत के लिये लिया जाता है उतनी ही कीमत उसे जनोपयोगी कार्यों के लिये प्राप्त पेड़ के लिये भी देनी पड़ती है। इससे गैर कानूनी हरकत को बढ़ावा मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इमारतें बनाने के लिये लकड़ी एक मुख्य निर्माण सामग्री है। टिहरी में जनोपयोगी कार्यों के लिये लकड़ी न दिये जाने के कारण लोगों को पंचायतघर, प्रारम्भिक पाठशाला के निर्माण में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

२६४—टिहरी के अतिरिक्त अल्मोड़ा, नैनीताल तथा गढ़वाल में समिति से कहा गया कि जिलाधीश द्वारा जनोपयोगी प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद भी वर्तमान व्यवस्था में वन विभाग लकड़ी देने में काफी देर लगाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न मूल्यों की लकड़ी निःशुल्क प्रदान करने का अधिकार विभिन्न अधिकारियों, उप-अरण्यपाल, अरण्यपाल, मुख्य अरण्यपाल तथा शासन को ही है। मूल्य की अधिकतम सीमा के नियम वर्षों पूर्व बनाये गये थे। उन कीमतों का वर्तमान कीमतों से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है।

२६५—समिति से कहा गया कि कुछ स्थानों पर उन कार्यों के लिए लकड़ी नहीं दी जा रही है जिन कार्यों के लिये शासकीय अनुदान प्राप्त है।

२६६—समिति ने इन समस्त प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया और उसकी सिफारिश है:—

संस्तुती

१—टिहरी-गढ़वाल जिले में भी कुमाऊं वन वृत्त की भांति जनोपयोगी कार्यो के लिये लकड़ी निःशुल्क दी जाय।

२—वन विभाग के प्रत्येक अधिकारी को निःशुल्क लकड़ी देने का अधिकार इमारती लकड़ी के वर्तमान मूल्य को दृष्टिगत करते हुये दिया जाय।

३—जिलाधीश इमारत के प्रस्तावित मूल्य, शासकीय अनुदान आदि की छानबीन करने के उपरान्त ही सावधानी से जनोपयोगी प्रमाण-पत्र दें।

४—टिहरी के अतिरिक्त कुमाऊं राजस्व खंड में स्थित पश्चिमी वृत्त के क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को भी जनोपयोगी कार्यों के लिये लकड़ी दी जाय।

अध्याय १३

अध्ययन विषय--कुमाऊं के बनों में जनता के अधिकारों से संबंधित

अन्य कोई प्रश्न

२९७--कुमांयू जल नियम--यह नियम शिडूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट की धारा ६ के अन्तर्गत बनाये गये थे और १९३० में शासकीय विज्ञप्ति संख्या ७००/१--६१७-१९२७, दिनांक २८ अक्तूबर, १९३० में प्रसारित किये गये थे। यह नियम टिहरी में लागू नहीं हैं। समिति के सम्मुख कुछ स्थानों पर कहा गया कि पानी की गूलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब होता है तथा इन पर शुल्क लिया जाता है।

२९८--इस सम्बन्ध में समिति ने स्थिति की जांच की और उसे पता चला कि गूलों के सम्बन्ध में स्वीकृति देने के पूर्व राजस्व, सार्वजनिक निर्माण आदि सरकारी विभागों से विचार-विमर्श किया जाता है तथा उस क्षेत्र की जनता से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं यह विचार-विमर्श आवश्यक है अन्यथा पानी का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों के हितों में आघात पहुंचने की आशंका है।

२९९--शुल्क केवल वहीं पर लिया जाता है जहां कोई पक्की डिग्गी या अन्य प्रकार का स्थायी निर्माण किया गया है। यह मुख्यतया सरकार के स्वामित्व की सुरक्षा करने के लिये किया जाता है।

संस्तुति--शिडूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट समाप्त हो गया है। अतः समिति सिफारिश करती है कि इन नियमों के विधिवत संशोधन की व्यवस्था की जाय। पीने तथा सिंचाई के लिये गूल स्वीकृत करने के उदार तथा सम्पूर्ण कुमाऊं के लिये एक ही प्रकार के नियम बनाये जायें।

३००--लीसा--चीड़ के वृक्ष से जो गोंदनुमा पदार्थ निकलता है उसे लीसा कहते हैं। लीसा तारपीन तेल बिरोजा आदि बनाने के काम आता है जो रंग, वार्निश, साबुन, फिनाइल, कागज आदि उद्योगों में काम आता है।

३०१--१९०३ के लगभग लीसे का समस्त उत्पादन ५,५९८ मन था। १९५८-५९ में केवल कुमाऊं वृत्त में २,०६,००० मन लीसा निकाला गया। इसके अतिरिक्त ४०,००० मन लीसा सिविल तथा पंचायती जंगलों से निकाला जाता है। उपर्युक्त लीसे के अतिरिक्त ९७,५०० मन लीसा टिहरी वन वृत्त तथा ३,००० मन लीसा पश्चिमी वृत्त के लैन्सडौन डिवीजन से भी निकाला जाता है।

३०२--लीसा उद्योग में इन पर्वतीय भागों के अनेक ग्रामीणों को आजीविका मिलती हैं। रानीखेत तहसील की सिलौर पट्टी के निवासी इस कार्य में विशेष रूप से दक्ष समझे जाते हैं।

३०३--लीसा निकालने के कार्य के अतिरिक्त लीसा उद्योग के लिये छोटे-मोटे औजारों, सकोरों या गमलों की आवश्यकता होती है। अतः इस उद्योग में लीसा निकालने वालों की एक बड़ी संख्या के अतिरिक्त लोहारों तथा कुम्हारों को भी आजीविका प्राप्त होती है।

३०४--लीसा निकालने का कार्य इस समय कुछ स्थानों पर मेटों की देख-रेख में होता है तथा कहीं-कहीं पर ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। ठेकेदार अपने मजदूरों को कोई वैज्ञानिक शिक्षण नहीं देते जिनसे कभी-कभी वन सम्पत्ति का नाश होता है। इसके विपरीत मेटों का कार्य अपेक्षाकृत वैज्ञानिक है। लेकिन मेटों के सम्बन्ध में कुछ स्थानों पर शिकायत प्राप्त हुई है कि मेट अपने साथ के अन्य मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देते।

३०५--समिति के सामने सुझाव आया कि लीसा निकालने का कार्य लीसा निकालने वालों की सहकारी समितियों को दिया जाय तथा ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय जिससे लीसा निकालने का फायदा स्वयं लीसा निकालने वालों को ही मिले।

३०६--१९४२ में एक बीस साला समझौते के अन्तर्गत कुमाऊं वृत्त का समस्त लीसा इस समय बरेली की इंडियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी को मिलता है। समिति को फैक्टरी को देखने का अवसर मिला। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसके विकास के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं।

३०७--समिति से अनेक स्थानों पर मांग की गई कि कुमाऊं में सहकारिता के आधार पर लीसे के छोटे-छोटे प्लान्ट लगाये जायें। इस समय कुमाऊं में रानीखेत, मुनि की रेती तथा कोटद्वार में सहकारिता के आधार पर अवनत तरीके पर आधारित छोटे-छोटे प्लान्ट चल रहे हैं जिन्हें वन विभाग लीसा देता है।

३०८--समिति को रानीखेत, कोटद्वार तथा मुनि की रेती के सहकारी कारखानों को देखने का अवसर मिला। मुनि की रेती की फैक्ट्री को जिला सहकारी संघ, टिहरी-गढ़वाल चलाता है। उसका कार्य प्रशंसनीय है। रानीखेत तथा कोटद्वार की सहकारी समितियां मध्यवर्तियों की सहकारी समितियां हैं। इन सहकारी समितियों ने अपने क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है किन्तु इनकी स्थापना से वास्तविक लीसा निकालने वालों को बहुत कम फायदा पहुंचा है।

३०९--समिति लीसे के क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर छोटे-छोटे प्लान्टों की स्थापना का स्वागत करती है किन्तु उसका निश्चित मत है कि ऐसे प्लान्टों को स्थापना से कुमाऊं के लीसा निकालने वाले स्थानीय ग्रामीण मजदूरों को लाभ पहुंचना चाहिये। इस समय कुछ सहकारी संस्थाओं के थोड़े से सदस्यों को लाभ पहुंच रहा है।

३१०--लीसे तथा उस से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है :

संस्तुति--१--लीसा निकालने के औजार स्थानीय लोगों द्वारा बनाये जायें और इस कार्य के लिये सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय।

२--धीरे-धीरे ठेके और मेट सिस्टम द्वारा लीसे निकालने की व्यवस्था समाप्त की जाय। यह कार्य वास्तविक लीसा निकालने वालों की सहकारी समितियों को सौंपा जाय।

३--वन पंचायतों, सिविल जंगलों तथा सोयम बनों का लीसा सहकारी संस्थाओं को दिया जाय।

४--यह लीसा केवल वास्तविक लीसा निकालने वाले श्रमिकों की सहकारी संस्थाओं को दिया जाय जो जिला सहकारी अथवा जिला औद्योगिक सहकारी संघ से सम्बद्ध हो।

५--स्थानीय जनता को लीसा निकालने का प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था की जाय।

६--वर्तमान सहकारी उद्योग पूर्ववत जारी रहें तथा उन्हें सुविधायें मिलती रहें पर एक निश्चित अवधि के अन्दर उन्हें जिला सहकारी संघ या जिला औद्योगिक सहकारी संघ से सम्बद्ध हो जाना चाहिये और उसकी सदस्यता में लीसा श्रमिकों को अधिकाधिक संख्या में लिया जाय।

३११--**वन्य जन्तु संरक्षण**--पर्वत प्रदेश की पट्टियों में रहने वाले लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिबन्ध के नये सुरक्षित बनों में (बन्द सीजन के अतिरिक्त शेष काल में) शिकार करने की सुविधा प्राप्त है। इस सुविधा के कारण इस समस्त क्षेत्र में वन्य जंतुओं का संहार हो रहा है। इस के अतिरिक्त लोग अवैध रूप से वर्जित जातियों का भी शिकार करते हैं। समिति से कई स्थानों पर कहा गया कि उचित व्यवस्था के अभाव में मुनाल तथा अन्य दुर्लभ वन जन्तु विलीन हो रहे हैं। कतिपय स्थानों में समिति के सम्मुख नदियों में डाइनामाइट से मछली मारने की भी शिकायत की गई।

३१२—समिति वन्य जन्तुओं के संहार को अत्यन्त चिन्ता की दृष्टि से देखती है तथा इस सम्बन्ध में सिफारिश करती है :

संस्तुति—

१—खेती तथा जान माल को हानि पहुंचाने की अवस्था को छोड़ अन्य अवसरों पर मुक्त शिकार की सुविधा समाप्त कर दी जाय।

२—अवैध शिकार तथा डाइनामाइट से मछली मारना रोकने की समुचित व्यवस्था की जाय।

३—पार्वत्य प्रदेश में मत्स्य पालन का कार्य वन विभाग को सौंप दिया जाय।

३१३—सहकारी संस्थाओं के ठेके—समिति के सम्मुख एक सुझाव यह भी था कि वन सम्पदा के ठेके ठेकेदारों को न देकर श्रमिक सहकारी संस्थाओं को दिये जायें। इस सम्बन्ध में बम्बई तथा अन्य राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में अनुकरणीय कार्य किया गया है।

३१४—कुमाऊं के अनेक स्थानों पर जनता की प्रबल मांग है कि वन सम्पदा के ठेके सहकारी समितियों अथवा स्थानीय निकायों, ग्राम समितियों को दिये जायें, जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व शासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के छोटे ठेके बिना टेंडर आमंत्रित किये हुये गांव समितियों, भारत सेवक समाज तथा श्रम हितकारी सहकारी समितियों को देने का निश्चय किया है।

३१५—वन सम्पदा के क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयोग प्रारम्भ करने पर राजस्व में भी कुछ कमी हो सकती है। प्रारम्भ में ऐसी सहकारी संस्थाओं का गठन करने की दिशा में सहकारिता विभाग को यथेष्ट रूप से यत्नशील होना पड़ेगा। इसमें शंक नहीं कि ऐसे प्रयोग की सफलता से कुमाऊं की बहुसंख्यक जनता को लाभ होगा।

संस्तुति—अतः समिति सिफारिश करती है कि वन विभाग द्वारा भी कुमाऊं के कुछ निश्चित स्थानों में भी इस प्रकार से प्रयोग सहकारिता विभाग के परामर्श से प्रारम्भ किये जायें।

३१६—वन उपज पर आधारित उद्योगों का विकास—कुमाऊं में उपजाऊ तथा सिंचित भूमि के अभाव तथा भूमि पर आबादी के बढ़ते हुये दबाव को देखते हुये यहां वन उपज पर आधारित उद्योगों के विकास की नितान्त आवश्यकता है।

३१७—पर्वतीय क्षेत्र के लिये वन सम्पदा का विशेष महत्व है और इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ जंगलों पर अवलम्बित है। अभी तक इस वनसम्पदा का समुचित उपयोग कर उसमें स्थानीय निवासियों को आजीविका देने के सम्बन्ध में विशेष कार्य नहीं हो पाया है।

३१८—विज्ञान की प्रगति तथा यातायात के साधनों के विकास ने इसके क्षेत्र के सम्मुख भी विकास की व्यापक सम्भावनायें उपस्थित कर दी हैं। अभी तक इन पर्वतों की बहुमूल्य वन सम्पत्ति का या तो कच्चे माल के रूप में निर्यात होता रहा अथवा उसका किसी भी प्रकार का उपयोग न हुआ और वह सड़ती रही।

३१९—समिति के सम्मुख जनता ने अनेक स्थानों पर, प्रश्नपत्रों द्वारा, लिखित अथवा मौखिक रूप से यह मांग की है कि इस क्षेत्र में वन सम्पत्ति पर आधारित छोटे और बड़े उद्योगों की स्थापना की जाय। समिति से कहा गया कि इस क्षेत्र में खेल के सामान, पैकिंग केसेज, चार तार, रेशम के कीड़े पालने, पेन्सिलें, कागज की लुगदी तथा कुटीर उद्योग के रूप में दियासलाई बनाने, औषधि निर्माण आदि की काफी सम्भावनायें हैं। कुछ समय पूर्व इस क्षेत्र में खड़िया तथा अन्य प्रकार की बहुमूल्य खनिज सम्पत्ति मिली। समिति आशा करती है कि वह दिन दूर नहीं जब कुमायूं

का साधारण नागरिक भी वन सम्पदा तथा खनिज सम्पत्ति का सुनियोजित रूप से विदोहन कर राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान करेगा।

३२०—कुमाऊं में व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी को देखते हुये समिति सिफारिश करती है:

संस्तुति—१—कुमायूं में वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाय।

२—खनिज सम्पत्ति के शोषण कार्य में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय।

३२१—छिलुका—चीड़ के पेड़ का अत्यधिक लीसे युक्त भाग छिलुका कहलाता है जो पर्वतीय क्षेत्रों में आग जलाने व प्रकाश करने के काम आता है। समिति से कहा गया है कि कुछ क्षेत्रों में छिलुके के ठेके दे दिये गये हैं। इन से ग्रामीणों को अत्यत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। छिलुके से चीर तार भी बनाया जाता है जिससे महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। चीर तार का कार्य इस क्षेत्र में कुमाऊं इंडस्ट्रीज तथा अन्य कतिपय व्यक्तियों द्वारा किया गया और इसमें उन्हें आंशिक सफलता भी हुई।

समिति सिफारिश करती है:

संस्तुति—(१) गांव वालों की उचित आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुये छिलुके के ठेके दिये जायें और किसी क्षेत्र में छिलुके निकालने का एकाधिकार न दिया जाय।

(२) चीर तार के उद्योग को विकसित करने का प्रयत्न किया जाय और इसके लिये आवश्यक सुविधायें दी जायें।

३२२—वन औषधियों का विकास—उत्तर प्रदेशीय कोआपरेटिव फेडरेशन ने इस क्षेत्र में जड़ी-बूटी तथा गौण उपज एकत्र करने का ठेका कुछ समय पूर्व लिया है। इस समय सहकारी संघ, रानीखेत में एक औषधि फैक्टरी भी चला रही है। समिति को रानीखेत जाकर फैक्टरी के कार्य को निकट से देखने का अवसर मिला। समिति जड़ी-बूटी का ठेका रानीखेत फैक्टरी को दिये जाने से वन उपज एकत्र करने में कुमाऊं की ग्रामीण जनता को जो कठिनाई हो रही है, उस को चर्चा तथा उस सम्बन्ध में अपना मत पहले ही व्यक्त कर चुकी है। यहां पर समिति केवल जड़ी-बूटी के विकास की चर्चा करेगी।

३२३—रानीखेत फैक्टरी का औषधि निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योग है किन्तु टिहरी-गढ़वाल व गढ़वाल में कुछ ऐसी धारणा है कि रानीखेत फैक्टरी ने उन क्षेत्रों में इस कार्य के विकास को ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

३२४—रानीखेत की फैक्टरी एकत्रित कच्चे माल का कुछ अंश बाहर भी बेच रही है। इस प्रकार उसकी स्थिति मध्यवर्ती व्यापारी की हो गई है। समिति ने फैक्टरी से समस्त क्षेत्र में एकत्रित जड़ी-बूटियों तथा फैक्टरी द्वारा स्वयं उपभोग की गई जड़ी-बूटियों के आंकड़ों की मांग की थी किन्तु अज्ञात कारणवश फैक्टरी समिति को ये आंकड़े दे न सकी जिस से कुछ संदेह पैदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को इन वस्तुओं का ठेका मुख्य रूप से औषधि उद्योग के विकास के निमित्त दिया गया था। स्पष्ट है कि यदि सहकारी संघ भी साधारण व्यापारी की ही तरह कच्चे माल के निर्यात द्वारा आय अर्जन में रुचि रखने लगेगा तो इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिये उन्हें यह सुविधायें दी गई थीं। उक्त सहकारी संघ ने कुमायूं की जनता को निराश किया, यह दुःखपूर्ण है।

३२५—इन समस्त प्रश्नों पर विचार करने के बाद समिति सिफारिश करती है:

संस्तुति—१—इस क्षेत्र में जड़ी-बूटी एकत्र करने के कार्य का एकाधिकार उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को दिये जाने के विषय में शासन पुर्नविचार करे।

२—उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को रानीखेत की औषधि निर्माणशाला की निर्माण क्षमता के अनुसार केवल अपनी निजी आवश्यकता के लिये ही जड़ी-बूटी एकत्र करने का अधिकार हो।

३—गढ़वाल तथा टिहरी-गढ़वाल में भी औषधि निर्माणशालायें बनाई जायें।

३२६—टिहरी-गढ़वाल में वन विभाग और मार्ग—उत्तर प्रदेश में विलयन के पूर्व टिहरी गढ़वाल के मोटर मार्गों को छोड़ शेष सभी मार्गों का निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव वन विभाग द्वारा होता था परन्तु विलीनीकरण के पश्चात् वन विभाग ने अधिकतर मार्गों की देखरेख, रख रखाव, मरम्मत आदि करना छोड़ दिया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी केवल दो यात्रा मार्ग अपने संरक्षण में लिये हैं। शेष मार्गों के रखरखाव का कोई प्रबन्ध नहीं है। इससे जनता को अत्यन्त कष्ट है।

संस्तुति—अतएव समिति सिफारिश करती है :

(१) सभी मार्गों के रखरखाव के लिये एक योजना बनाई जाय।

(२) प्रत्येक मार्ग के रख रखाव का प्रबन्ध किसी न किसी विभाग को सौंपा जाय।

(३) मुख्य मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रबन्ध में दे दिया जाय।

३२७—वनों में आग बुझाने का उत्तरदायित्व—वर्तमान नियमों के अनुसार वन में आग लगने पर प्रत्येक हक हकूक प्राप्त ग्रामीण को उसे बुझाने जाना अनिवार्य है। इसमें अधिकार प्राप्त व्यक्ति की आयु, अस्वस्थता आदि का विचार नहीं किया जाता। आग बुझाने के लिये न जाने पर जुर्माना कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आग के लिये उत्तरदायी व्यक्ति का पता न लगने की अवस्था में समस्त गांव पर सामूहिक जुर्माना कर दिया जाता है। आग से लड़ते हुये कभी-कभी ग्रामीणों को शारीरिक अथवा जीवन क्षति उठानी पड़ती है किन्तु वर्तमान अवस्था में ऐसे मामलों में तुरन्त सहायता देने की व्यवस्था नहीं है।

अतः समिति सिफारिश करती है :

संस्तुति—(१) आग बुझाने में वृद्ध (साठ वर्ष से अधिक आयु प्राप्त), अपंग और अस्वस्थ व्यक्तियों को ग्राम सभापति के प्रमाण-पत्र पर छूट दी जाय।

(२) आग बुझाते समय शारीरिक क्षति अथवा मौत हो जाने पर शारीरिक क्षति प्राप्त व्यक्ति को तुरन्त उचित मुआवजा दिया जाय, तथा मृत व्यक्ति के आश्रितों को उचित पेंशन दी जाय।

(३) सामूहिक जुर्माना करते समय वृद्ध, अस्वस्थ, अनाथ तथा अपाहिजों को छूट दी जाय।

३२८—अन्य प्रश्न—समिति से कई स्थानों पर कहा गया कि वन विभाग ने सड़क निर्माण में गांव वालों की भूमि ले ली है किन्तु उस का कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया है। १९११-१७ के वन बन्दोबस्त के समय बहुत सी नाम भूमि वन विभाग ने ली किन्तु राजस्व सम्बन्धी लेखों में परिवर्तन न किये जाने के कारण गांव वालों को इस भूमि पर अभी भी राजस्व देना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर वन विभाग द्वारा भूमि के ले लिये जाने के पश्चात् भी किसान उस भूमि पर अभी भी काबिज है। इस प्रश्न पर इसके पूर्व भी कई बार विचार किया जा चुका तथा विस्तृत आदेश ८७५/१४—२५९, दिनांक २८, जनवरी १९३८ निकाले जा चुके हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे मामले अभी

भी नहीं निपटाये जा सके हैं। कुछ स्थानों पर यह भी कहा गया कि गांव चारों ओर जंगल से घिर गये हैं। इससे जंगल विभाग तथा ग्रामीण दोनों को असुविधा है। जंगल विभाग को वन सम्पत्ति की हानि का भय रहता है। ग्रामीणों को वन्य जन्तुओं से जान माल या खेती के नुकसान की चिन्ता रहती है। ऐसे स्थानों पर गांव के भावी विस्तार की भी गुंजाइश नहीं रहती है। ग्राम निवासियों ने मांग की है कि ऐसे गांवों को मुआवजा देकर अन्यत्र बसा दिया जाय।

संस्तुति—समिति सिफारिश करती है कि इस किस्म का प्रत्येक मामला वन विभाग द्वारा उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत निपटाया जाय।

अध्याय १४

उपसंहार

समिति को प्रसन्नता है कि अध्ययन विषयों के सम्बन्ध में उसे जनता के सभी वर्ग, संगठनों तथा शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ। अपने कार्य के दौरान में समिति के सम्मुख अनेक ऐसे प्रश्न भी उपस्थित हुये जो यद्यपि वास्तव में उसके अध्ययन विषय के अन्तर्गत नहीं आते तथापि इस बात पर विचार करते हुये कि कुमायूं निवासियों का आर्थिक जीवन पूर्णतः जंगलों पर आधारित है, समिति ने ऐसे समस्त प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। कुमायूं निवासियों की कठिनाईयों का प्रश्न इस कारण विशेष जटिल हो गया है कि इस क्षेत्र में तीन वनवृत हैं तथा उसमें अलग-अलग नियम लागू हैं।

साधारण रूप से समिति ने १९५२ में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वन नीति की सीमा के भीतर रह कर कार्य किया है और राष्ट्रीयहितों को सर्वोच्च स्थान दिया है।

यद्यपि किसी भी समिति के कार्य की उपयोगिता केवल समय तथा अनुभव द्वारा आंकी जा सकती है तथापि समिति ने कुमायूं के वनों के सम्बन्ध में जनता द्वारा उठायी गई लगभग प्रत्येक समस्या का हल खोजने की चेष्टा की है और उसे आशा है कि समिति की सिफारिशें उसके कष्ट दूर करने में सहायक होंगी।

१—बलदेव सिंह, आर्य	अध्यक्ष
२—खुशहाल सिंह, एम० एल० सी०	सदस्य
३—नरेन्द्र सिंह भंडारी, एम० एल० ए०	सदस्य
४—मोहन सिंह मेहता, एम० एल० ए०	सदस्य
५—प्रताप सिंह, एम० एल० ए०	सदस्य
६—एच० सी० डे, अरण्यपाल, कुमाऊं वृत	सदस्य

भाग ३

परिशिष्ट

कुमाऊं वन तथ्य शोधक समिति

नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल एवं टिहरी-गढ़वाल के हक-हकूक तथा रियायतों आदि की छानबीन ।

प्रिय, श्री

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति स० ३६५/१४—७ अप्रैल, १९५९ के अनुसार कुमाऊं वन तथ्य शोधक समिति (नैनीताल अल्मोड़ा, गढ़वाल एवं टिहरी—गढ़वाल के हक—हकूक तथा रियायतों आदि की छान बीन) का निर्माण श्री बलदेव सिंह आर्य, उपमंत्री उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में किया है, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

१—श्री खुशहाल सिंह, एम० एल० सी०

२—श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, एम० एल० ए०

३—श्री मोहन सिंह मेहता, एम एल० ए०

४—श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट, एम० एल० ए०

५—श्री प्रताप सिंह एम० एल० ए०।

समिति ने संलग्न प्रश्नावली तैयार की है जो आप की सेवा में भेजी जा रही है। आप से अनुरोध है कि आप संलग्न प्रश्नावली का समुचित उत्तर १५ जुलाई, १९५९ तक निम्न हस्ताक्षरी के पास भेजने की कृपा करें।

आपका विश्वासपात्र,

एच०सी०डे,
पी० एफ० एस०,
अरण्यपाल, कुमाऊं वृत्त एवं सचिव,
कुमाऊं वन तथ्य शोधक समिति।

नैनीताल:
दिनांक ११ मई, १९५९ ई०

कुमाऊं वन तथ्य शोधक समिति

[नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल के हक-हकूकों तथा रिआयतों आदि की छानबीन]

प्रश्नावली

भाग १

छानबीन के मुद्दे—

(१) समिति स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा बन-विभाग के विकास कार्यों की दृष्टि से कुमाऊं में बरती जाने वाली सरकार की बन-नीति के औचित्य या अनौचित्य को जांचेगी।

प्रश्न १—आप के क्षेत्र में बन विभाग ने कोई नया काम किया है?

(क) क्या कोई नया बन लगाया है, यदि हां, तो उस बन में किस किस्म के पेड़ लगाये हैं?

(ख) क्या पुराने वन में नई पौध उगाई है, यदि हां, तो किस किस्म की?

(ग) नई सड़क बनाई है, यदि हां, तो किस किस्म की:—

(अ) अश्व मार्ग,

(आ) मोटर मार्ग।

(घ) बन सम्पदा के सदुपयोग के लिये कोई नया उद्योग शुरू किया है? यदि हां, तो किस किस्म का?

(ङ) वन उपज से कोई उद्योग चलता है? यदि हां, तो विवरण दीजिये।

प्रश्न २—क्या इन विकास कार्यों से आप को लाभ हुआ या नहीं? तात्कालिक लाभ के लिये क्या आप कुछ सुझाव देंगे?

प्रश्न ३—क्या आप के क्षेत्र में वन विभाग के ऐसे नये कार्यों से जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उपस्थित हुई है?

क—ईंधन या घास—

(अ) आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं हो सकता?

(आ) इसके लिये दूर जाना पड़ता है?

(इ) तार-बाड़ की गई है?

(ई) पतरौल, फारेस्टर इत्यादि ने दरांती-कुल्हाड़ी इत्यादि जब्त की है? यदि हां, तो कब और कितनी बार?

(उ) जुर्माना लिया है, यदि हां, तो कब और कितना?

(ऊ) क्या आपने जुर्माने के औचित्य या अनौचित्य को जानने की चेष्टा की:—

(१) विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा,

(२) सिविल कोर्ट के द्वारा?

(३) क्या फैसला हुआ?

ख—इमारती लकड़ी—

(अ) आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं होती?

(आ) अच्छी किस्म की नहीं मिलती?

(इ) गांव से दूर मिलती है?

ग—गोचर (चरागाह)—

(अ) पशु चराने नहीं दिये जाते?

(आ) पशु चराने के लिये दूर ले जाने पड़ते हैं?

(इ) पशु पर जुर्माना होता है?

(ई) चराई ली जाती है?

(उ) तार-बाड़ की गई है?

प्रश्न ४—बन विभाग जो नई पौध लगा रहा है, क्या आप सोचते हैं कि:—

क—उससे आपको कोई लाभ पहुंचेगा यदि हां तो किस प्रकार का—

(अ) औद्योगिक फायदे होंगे जैसे कि ऐसे (अंगू), बिलो, मेपल, शहतूत और अखरोट, पांगर इत्यादि के पेड़ों से?

(आ) फल प्राप्त होंगे जैसे कि आम, नीबू, अखरोट, च्यूरा, इत्यादि के पौधों से ?

(इ) लाभप्रद खाद के लिये पत्तियां प्राप्त होंगी ?

(ई) सूखी पंखुड़ियों से आटा, गुदा से गुड़ और बीजों से तेल पैदा किया जा सकेगा जैसे कि च्यूरा, महुआ के पौधे से ?

(ख) नई पौध की अपेक्षित सुरक्षा और उसमें प्रगति हो रही है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है:—

(अ) श्रेणी १ के जंगलों या सोयम वनों (टेहरी में) वन विभाग का एकाधिकार न होने के कारण ?

(आ) सिविल अधिकारियों की उपेक्षा या उनका ऐच्छिक सहयोग न होने के कारण?

(इ) जनता का सहयोग न होने के कारण ?

यदि हां तो इसका कारण क्या है ?—

(१) जनता की सुविधा का ध्यान न रखते हुये पौधे लगाना ?

(२) जंगलात विभाग के प्रति जनता की चिढ़ या रोष।

(३) बन विभाग के अधिकारियों द्वारा इस काम में जनता का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश न करना ?

प्रश्न ५—क्या आप के क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान या पशु-विहार है ? यदि हां, तो:

(क) उसकी वर्तमान दशा कैसी है ?

(ख) इसके प्रति जनता का कैसा रवैया है ? यदि असहयोगपूर्ण है तो उसका क्या कारण है ?

(अ) बन-जन्तुओं के प्रति जनता की स्वाभाविक घृणा ?

(आ) रक्षित वन जन्तुओं से फसल या पशु का नुकसान ?

(इ) बन जन्तुओं को मूल्यवान राष्ट्रीय निधि समझने जैसे दृष्टिकोण के प्रचार की कमी ?

प्रश्न ६—क्या आपके इलाके में कभी किसी को बन्दर, लोमड़ी, लंगूर, रीछ, भेड़िया, बाघ तथा शेर इत्यादि को मारने पर इनाम मिलता था ?

प्रश्न ७—क्या अब ऐसे जानवर मारने पर किसी पर जुर्माना हुआ ? यदि हां, तो किस पर और कितना ?

प्रश्न ८—आप के क्षेत्र में वन विभाग की ओर से—

(अ) नई किस्म की मछलियां पालने की कोशिश की गई? यदि हां, तो कहां और किस किस्म की ?

(आ) डाईनामाइट या कारतूस से मछली मारी जाती है, यदि हां, तो ऐसे लोगों पर कभी जुर्माना भी हुआ ?

(इ) क्या नदियों में मछली मारने पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है ?

भाग २

(२) समिति कुमायूं के निवासियों की उनके वन सम्बन्धी हकूक एवं रियायतों और उनको दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित शिकायतों का परीक्षण करेगी :

प्रश्न १—आपके वन सम्बन्धी हक-हकूक या रिआयतें क्या थीं, और किस बन में आपको ये हक-हकूक या रिआयतें प्राप्त थीं ?

(क) इमारती लकड़ी सम्बन्धी—

(अ) कितने मुकसर फीट ?

(आ) किस किस्म की ?

(ख) ईंधन की लकड़ी सम्बन्धी :—

(अ) गिरी सूखी लकड़ी इकट्ठा करना ?

(आ) चिरान के उपरान्त फालतू लकड़ी इकट्ठा करना ?

(ग) खाद के लिये पत्तियां इकट्ठा करना :

(अ) गांव से कितनी दूर ?

(आ) किस बन से ?

(घ) चराहगाह, पनघट एवं खरक, गोठ या पड़ाव :

(अ) गांव से कितनी दूर ?

(आ) समतल भूमि में या चढ़ाव-उतार वाली जमीन में?

(इ) अपने गांव की सीमा के अन्दर या दूसरे गांव में?

(ङ) एक आध फसल अस्थायी तौर पर पैदा करने का अधिकार:

(अ) खरक, गोठ, पड़ाववाली जमीन पर?

(आ) कांटेदार झाड़ी वाले जंगल में?

(इ) ज्यादा उम्र और अधिक मोटे लाभप्रद पौधे वाले जंगल में?

(च) खेती के औजार (हल, पनियाली आदि) लकड़ी की चीजें बनाने के लिये उचित लकड़ी प्राप्त करना:

(अ) कहां से?

(आ) किस मात्रा में?

(छ) रिंगाल आदि लघु वन उपज के सदुपयोग का अधिकार।

(ज) शहद, जड़ी-बूटी, स्लेट्स इत्यादि निकालने का अधिकार।

प्रश्न २—अब यह हक-हुकूक या रिआयतें आप को किस मात्रा में और किन वनों में प्राप्त हैं?

प्रश्न ३—क्या आप सोचते हैं कि इन हक-हुकूकों में कमी है?

(अ) जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण।

(आ) समय समय पर वन बन्दोबस्त न होने के कारण।

(इ) श्रेणी १, श्रेणी २ या पंचायती जंगलों की वृद्धि या विकास के कारण?

प्रश्न ४—क्या आप को अपने हक-हुकूक या रियायतों की प्राप्ति में कोई असुविधा होती है? यदि हां, तो किस प्रकार की?

प्रश्न ५—क्या इन हक-हकूकों या रियायतों पर कोई रोक लगी है?

(अ) सरकारी नीति के कारण?

(आ) वन अधिकारियों की उपेक्षा के कारण?

(इ) ग्रामीण जनों के आन्तरिक या गांवों के पारस्परिक द्वेष के कारण?

(उ) ठीक समय पर न मिलने के कारण?

प्रश्न ६—क्या वन विभाग ने १९११ में या उसके बाद बन लगाने के लिये आपकी आबाद भूमि आप से ली है यदि हां तो:

(अ) उसके बदले आपको कहीं भूमि दी गई?

(आ) आपको कोई मुआवजा दिया गया?

प्रश्न ७—इन हक-हुकूकों या रिआयतों के बारे में आप क्या चाहेंगे?

(अ) इनकी मात्रा में वृद्धि हो?

(आ) इनकी संख्या में वृद्धि?

(इ) हक-हकूक देने दिलाने का आसान तरीका अपनाया जाय।

(ई) आपके गांव के समीपस्थ वनों में मिलें?

(उ) यदि गांव के समीप जंगल न हों या समीपस्थ जंगलों में?

प्रश्न ८—किसी कारण आपको ईंधन, इमारती लकड़ी, खेती या अन्य सामान के लिये लकड़ी न मिल सके तो आप पसन्द करेंगे कि:

(१) आपके गांव के समीप लकड़ी या कोयले के टाल हों?

(२) इमारती या कारोबारी लकड़ी के सरकारी डिपो हों?

प्रश्न ९—क्या आपको जो हक दिये जाते हैं आप उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं, यदि नहीं तो क्या कारण है?

प्रश्न १०—आपके करीब में कोई ऐसे गांव हैं जिनको अपने बन्दोबस्त में हक नहीं दिये गये हैं और इस समय वह अपनी आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करते हैं?

भाग ३

(३) समिति इमारती लकड़ी, ईंधन और कोयले की मांग पूर्ति तथा उनके मूल्यों से संबंधित प्रश्नों की जांच करेगी।

प्रश्न १—आपके शहर में इमारती लकड़ी ईंधन और कोयले की मांग पूर्ति की क्या व्यवस्था है?

प्रश्न २—क्या आप उस व्यवस्था से संतुष्ट हैं यदि नहीं तो क्यों?

प्रश्न ३—आपकी राय में सर्वोत्तम व्यवस्था कौन सी होगी?

प्रश्न ४—आपके शहर में इमारती लकड़ी ईंधन एवं कोयला के मौजूदा दाम क्या हैं?

प्रश्न ५—पांच वर्ष पहले इन वस्तुओं के दाम क्या थे?

प्रश्न ६—क्या आप की राय में इन वस्तुओं के मूल्यों में इन पांच वर्षों के दर्मियान असाधारण वृद्धि हुई है? यदि हां तो आप की राय में इस असाधारण वृद्धि का कारण:—

(अ) सामान्तया सभी वस्तुओं के मूल्यों तथा सभी प्रकार की मजदूरी में वृद्धि?

(आ) आपके शहर से उन वनों की बढ़ती हुई दूरी जहां से यह वस्तुयें आज प्राप्त हो सकती हैं?

(इ) इन वस्तुओं की मांग पूर्ति की मौजूदा व्यवस्था?

(ई) वन विभाग द्वारा इन वस्तुओं का मूल्य मनमाने ढंग से बढ़ाना?

(उ) वन उपज का उपभोग अधिकार स्थानीय जनता को न देकर अन्य व्यक्ति, व्यक्ति समूह या एजेन्सी को देना है?

प्रश्न ७—क्या आप सोचते हैं कि इन वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रकार:

(अ) समीपस्थ जंगलों के सदुपयोग से?

(आ) मांग पूर्ति की व्यवस्था में उचित परिवर्तन कर?

प्रश्न ८—आपकी राय में उपरोक्त वस्तुओं की मांग-पूर्ति की व्यवस्था किसके सुपुर्द की जाय:

(क) ठेकेदारों को,
(ख) वन विभाग को,
(ग) सहकारी संघों को,
(घ) स्थानीय निकायों को,

भाग ४

(४) समिति वनों में चरागाह की सुविधाओं सम्बन्धी समस्याओं को जाचेंगी।

प्रश्न १—क्या आपके क्षेत्र में चराने-चुगाने की सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि नहीं तो इसका कारण:—

(अ) पशुधन में वृद्धि?

(आ) आबाद भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि?

(इ) वन विभाग द्वारा नयी पौध लगाना व तार बाड़ करना?

(ई) सिविल एवं पंचायत फारेस्ट में चरान चुगन पर पाबन्दी?

प्रश्न २—क्या आप सोचते हैं कि आपके क्षेत्र के अन्दर चरान-चुगान की सुविधाओं में कोई परिवर्तन हुआ है। यदि हां, तो किस प्रकार का?

(अ) क्या आपको बांज, कुकाट इत्यादि की पत्तियों को गाय, भैंस, भेंड़ बकरी इत्यादि के लिये काटने की इजाजत नहीं दी जाती?

(आ) क्या जाड़ों में आपको जंगलात की सीमा के अन्दर स्थित पड़ाव, गोठ व खरकों का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता?

(इ) क्या आपसे इन पड़ाव, गोठ या खरकों के इस्तेमाल के लिये कुछ चराई ली जाती है? यदि हां, तो किस हिसाब से?

(ई) क्या विगत पांच वर्षों के अन्दर चराई के भाव में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है? यदि हां तो कितनी?

प्रश्न ३––क्या आपने पड़ाव गोठ, खरक इत्यादि की पहले की जैसी सुविधायें देने के लिये वन विभाग से अनुरोध किया था ? यदि हां, तो आप को क्या जवाब मिला ?

प्रश्न ४––क्या आपके क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा भी आपसे किसी प्रकार की चराई ली जाती है ?

प्रश्न ५––वनों में चरान-चुगान की किस प्रकार की सुविधायें या रियायतें आप चाहेंगे ?

प्रश्न ६––क्या गूजरों के जानवरों से आपके चरागाहों या खेती को क्षति पहुंचती है। यदि हां, तो :

(अ) क्या गूजरों द्वारा आपके चरागाह का इस्तेमाल करने पर रोक लगायी जाय ?

(आ) क्या गूजरों पर चराई की दर बढ़ाई जाय ?

प्रश्न ७––क्या भोटिया, जाड़ लोगों को घाटियों में पड़ाव की सुविधायें पूर्ववत् मिलती रहती हैं, यदि नहीं तो :

(अ) क्या स्थानीय जनता द्वारा रुकावट पेश की जाती है ?

(आ) क्या सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ?

(इ) इस सम्बन्ध में आपका क्या सुझाव है ?

प्रश्न ८––(विशेष रूप से टहरी के लिये) क्या आपको जानवरों को लाने ले जाने के लिये राहदारी देनी पड़ती है यदि हां तो :

(अ) किस रूप में,

(आ) कितनी ,

(इ) कब से ,

(ई) क्या इसमें कुछ वृद्धि हुई है ,

(उ) इस सम्बन्ध में आपके सुझाव क्या हैं ?

भाग ५

(५) समिति कुमायूं के वनों से गिरा हुआ ईंधन इकट्ठा कर ले जाने के हक हकूक के प्रश्न पर छानबीन करेगी।

प्रश्न १––क्या आपके इलाके के अन्दर वनों में गिरी पड़ी लकड़ी इकट्ठा कर ले जाने पर कोई रोक तो नहीं है, यदि हां तो :

(अ) इसके लिये किसी पर जुर्माना हुआ है ?

(आ) कितनी लकड़ी ले जाने पर कितना जुर्माना हुआ ?

प्रश्न २––क्या यह भी सही है कि :

(अ) अपने निजी उपयोग के लिये गिरी पड़ी लकड़ी ले जाने की सुविधा आप को प्राप्त है ?

(आ) बाजार में बेचने के लिये ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

(इ) आप इस लकड़ी को केवल सरकारी डिपो पर बेच सकते हैं ?

(ई) सरकारी डिपो में आपको एक मन लकड़ी के लिये कितना मूल्य दिया जाता है?

(उ) खुले बाजार में आपको एक मन लकड़ी का कितना दाम मिलता था।

प्रश्न ३––गिरी-पड़ी लकड़ी इकट्ठा कर ले जाने तथा उसका इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में आपका क्या सुझाव है ?

भाग ६

(६) समिति कुमायूं के भूमिहीन लोगों को कृषक के रूप में बसाने के लिये कुछ वनों के वनविहीनीकरण के प्रश्न पर छानबीन करेगी।

प्रश्न १––क्या आपके क्षेत्र के अन्दर कुछ वन ऐसे भी थे जिन्हें वन विभाग ने खेती के लिये मुक्त किया हो ? यदि हां तो :

(अ) कितने रकबे पर खेती हुई?

(आ) इससे जंगलों पर या वन में प्राप्त आपकी सुविधा या रियायतों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

प्रश्न २––क्या आपके इलाके के अन्दर कुछ वन ऐसे भी हैं जहां बहुत कीमती पेड़ न हों और

जहां खेती को आसानी से और लाभकारी धंधे के रूप में शुरू किया जा सकता है, यदि हां तो:

(अ) वे वन कहां हैं?

(आ) पेड़ कम होने के क्या कारण हैं?

(इ) उनका कुल कितना रकबा होगा?

(ई) कुल कितने परिवारों को उन पर बसाया जा सकेगा?

प्रश्न ३—क्या आपके क्षेत्र के अन्दर कुछ ऐसे भी गांव हैं जो चारों ओर जंगलों से घिरे हुये हों? यदि हां तो आप की राय में:

(अ) उन्हें मुआवजा देकर अन्यत्र बसाया जाय?

(आ) कुछ भूमिहीनों को इन वनों का वनविहीनीकरण कर कृषक के रूप में वहां बसाया जाय?

भाग ७

(७) समिति टेहरी-गढ़वाल जिले में सार्वजनिक उपयोग के लिये इमारती लकड़ी आदि की सुविधा देने के प्रश्न पर छानबीन करेगी।

प्रश्न १—क्या सार्वजनिक कार्यों के उपयोग (public utility) के लिये आपको निःशुल्क लकड़ी मिलती थी?

प्रश्न २—यदि हां, तो क्या अब भी आपको यह रिआयत प्राप्त है?

प्रश्न ३—यदि नहीं तो यह रिआयत कब से बन्द कर दी गई है?

भाग ८

(८) समिति कुमायूं के जंगलों में स्थानीय जनता के हक-हकूकों से संबंधित अन्य प्रश्नों पर विवेचन करेगी।

प्रश्न १—क्या टिहरी गढ़वाल वन वृत्त और कुमाऊं वन वृत्त के वन सम्बन्धी नियम एक ही प्रकार के होने चाहिये?

(अ) यदि हां, तो आपकी राय में अधिक जनहित की दृष्टि से कौन से नियम लागू किये जायें? टिहरी-गढ़वाल फारेस्ट मैनुअल अथवा कुमाऊं वन सम्बन्धी नियम।

(आ) क्या आपकी राय में यह आवश्यक है कि समस्त कुमाऊं रेवेन्यू डिवीजन के लिये नये तौर पर बन सम्बन्धी नियम बनाये जायें?

प्रश्न २—क्या आपकी राय में बनों की पुनर्सीमाबन्दी होनी आवश्यक है? यदि हां तो क्यों?

(अ) वर्तमान सीमा बन्दी से असुविधायें?

(आ) खेती के लिये अधिक भूमि उपलब्ध हो सके?

(इ) बगीचों के लिये भू-भाग प्राप्त हो सके?

(ई) गांव पंचायत की भूमि में विस्तार हो?

(उ) वन हित में?

प्रश्न ३—टिहरी-गढ़वाल में जो सीमा बन्दी हुई है अथवा हो रही है उससे आपको संतोष है? यदि नहीं तो क्यों?

(अ) अपेक्षित सुविधा प्राप्त नहीं हुई है या नहीं हो रही है,

(आ) अन्य कोई कारण?

प्रश्न ४—क्या यह सही है कि श्रेणी १ अथवा सोयम वनों का ह्रास हो रहा है। यदि हां तो उसके बचाव के क्या उपाय हैं:

(अ) इन वनों में प्रबन्ध के लिये पूर्णरूप से वन विभाग को सौंप दिये जायें?

(आ) इन वनों के प्रबन्ध के लिये फारेस्ट पंचायतें कायम की जाय?

प्रश्न ५—क्या गांव की जो सीमा बन्दी है उसे भंग कर दिया जाय अथवा टिहरी-गढ़वाल जिले में भी गांव सीमा निर्धारित की जायें? कारण सहित लिखिये?

प्रश्न ६—क्या आप अपने गांव के वन खंड का पुनर्संगठन अपने हक-हकूक की सुविधा हेतु चाहते हैं, यदि हां तो इस सम्बन्ध में आप के क्या सुझाव हैं।

प्रश्न ७—क्या आपके गांव के मालगुजार अथवा ग्राम सभापति के पास आपके हक-हुकूकों अथवा रिआयतों का रजिस्टर उपलब्ध है?

प्रश्न ८—क्या वन विभाग द्वारा विकास कार्यों के लिये समुचित सुविधायें एवं सहयोग प्रदान किया जाता है? यदि नहीं तो कहां और किस प्रकार की रुकावट पेश की गयी हैं?

प्रश्न ९—क्या यह सही है कि वन में लगी आग बुझाने की जिम्मेदारी उन गांव की भी समझी जाती है जिनके इन वनों में हक-हुकूक नहीं होते? वन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में आप के क्या सुझाव हैं?

प्रश्न १०—आपकी राय में नये उद्योगों को चलाने के लिये वन उपज का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है?

प्रश्न ११—क्या आपकी राय में वन विभाग के वर्तमान रवैये से किसी गृह उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो किन-किन उद्योगों पर और किस प्रकार?

प्रश्न १२—क्या आपके गांव में लीसा निकालने का काम चलता है? यदि हां, तो क्या:

(अ) इस कार्य में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है?

(आ) यदि नहीं तो क्यों? क्या इसके कारण स्थानीय जनता में असंतोष है?

(इ) क्या आप यह उचित समझते कियह कार्य सहकारी समितियों द्वारा हैं करना बेहतर होगा?

(ई) क्या इस समय इस कार्य को करने के लिये सहकारी समितियां तैयार हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें वन विभाग से प्राथमिकता दी जाती है? यदि नहीं तो उदाहरण दीजिये जहां सहकारी समितियों की अपेक्षा व्यक्तिगत लोगों को प्राथमिकता दी गई है?

प्रश्न १३—क्या यह सही है कि वन विभाग की ओर से दो बार चीड़ तार के उत्पादन की कोशिश की गई? क्या आपकी राय में यह उद्योग सहकारी समितियों द्वारा सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है?

यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आप सरकार से क्या विशेष सुविधायें चाहेंगे?

प्रश्न १४—क्या यह सही है कि वनों की भूमि से कुछ लोगों से कब्जा छुड़ाया जा रहा है? विवरण दीजिये?

प्रश्न १५—क्या यह सही है कि टिहरी-गढ़वाल में वन विभाग कुछ लोगों से सन् १९४८ से पूर्व आबाद की गई भूमि छुड़ा रहा है?

यदि हां, तो कहां कहां? और क्यों?

प्रश्न १६—क्या खाम भूमि के निवासियों को समय पर माफी मिलती है? यदि नहीं तो इससे आपको क्षति एवं असुविधायें होती हैं?

प्रश्न १७—क्या आपके क्षेत्र में कुछ किस्म के पेड़ सुरक्षित घोषित किये गये हैं। यदि हां, इससे आप को क्या-क्या असुविधायें हुई हैं?

प्रश्न १८—क्या आपके इलाके में कोई वन श्रमिक सहकारी समिति है? यदि हां तो क्या:

(अ) वन विभाग से इन समितियों को पूर्ण सहयोग प्राप्त है?

(आ) ऐसी समितियों के सामने क्या-क्या कठिनाइयां हैं? उन्हें दूर करने के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

(इ) ये समितियां ठीक प्रकार से चल रही हैं? यदि नहीं तो इनके ठीक संचालन के लिये आपके क्या सुझाव हैं?

प्रश्न १९—क्या आपकी राय में वन सम्बन्धी हक-हुकूकों व रिआयतों की रक्षा के लिये एवं वनों की रक्षा और उनके समुचित विकास के लिये जनता के प्रतिनिधियों और वन विभागके अधिकारियों की मिली-जुली सलाहकारसमितियों का गठन किया जाय? यदि हां तो:

(अ) किस स्तर पर?

(आ) उनका गठन किस प्रकार से किया जाय?

(इ) उनकी सीमायें क्या हों?

प्रश्न २०—क्या आपको वन विभाग सम्बन्धी कोई अन्य शिकायत या सुझाव है, यदि हां तो सविस्तार लिखिये?

प्रश्न २१—क्या आपको आवश्यकता पड़ने पर रिआयती मूल्य पर इमारती लकड़ी प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है?

प्रश्न २२—आप की राय में आपके गांव के समीप की भूमि चराहगाह के लिये छोड़ी जाय या उस पर ईंधन या इमारती लकड़ी की पौध लगाई जाय?

७ फुट नोट—(१) प्रस्तुत प्रश्नावली में शब्द "कुमाऊं" जहां जहां भी आया है उसका तात्पर्य कुमाऊं रेवेन्यू डिवीजन अथवा नैनीताल, अल्मोड़ा गढ़वाल एवं टिहरी-गढ़वाल जिलों से है।

(२) यदि कोई व्यक्ति प्रश्नावली के उत्तर पृथक कागज पर देना चाहें तो वे प्रश्न का सिलसिला नम्बर देकर ऐसा भी कर सकते हैं।

परिशिष्ट २

कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित प्रश्नावली के उत्तर-दाताओं की संख्या इत्यादि :—

उत्तरदाता	जिला नैनीताल	जिला अल्मोड़ा	जिला गढ़वाल	जिला टेहरी-गढ़वाल	योग
ग्राम सभापति	५५	२०८	१४	३२	३०९
सरपंच	२८	६३	५८	१५	१६४
विधान मंडल और संसद सदस्य ..	१	१	२	१	५
पट्टी पटवारी	..	७७	..	९	८६
कानूनगो	..	५	..	..	५
तहसीलदार	..	३	..	२	५
सदस्य अ० जि० परिषद्	२	३	१	..	६
म्युनिसिपल बोर्ड	१	..	..	..	१
नोटिफाइड व टाउन एरिया	१	..	..	..	१
फारेस्ट आफिसर	१	१	२	..	४
फारेस्ट रेन्ज आफिसर	१०	४	८	..	२२
जिला विकास अधिकारी	..	१	..	..	१
जिलाधीश	..	१	१	..	२
पंचायत निरीक्षक	..	१	..	..	१
जिला नियोजन अधिकारी	१	..	..	..	१
अन्य	२	९	१३	१८	४२
बिना नाम पते के	..	११	..	..	११
योग ..	१०२	३८८	९९	७७	६६६

परिशिष्ट ३

कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति की बैठक

१—लखनऊ	२३ अप्रैल, १९५९	३३—चम्बा	२१ जून, १९५९
२—नैनीताल	६,७, और ८ मई, १९५९	३४—नागनी	२१ जून, १९५९
३—भीमताल	९ मई, १९५९	३५—नरेन्द्रनगर	२१ जून, १९५९
४—भवाली	९ मई, १९५९	३६—देवप्रयाग	२२ जून, १९५९
५—खैरना	९ मई, १९५९	३७—अल्मोड़ा	५ जुलाई, १९५९
६—रामगढ़	१० मई, १९५९	३८—अल्मोड़ा	६ जुलाई, १९५९
७—पहाड़पानी	१० मई, १९५९	३९—अल्मोड़ा	७ जुलाई, १९५९
८—मुक्तेश्वर	१० मई, १९५९	४०—बाड़ेछीना	७ जुलाई, १९५९
९—हल्द्वानी	११ मई, १९५९	४१—पनुवानौला	७ जुलाई, १९५९
१०—किच्छा	११ मई, १९५९	४२—जागेश्वर	७ जुलाई, १९५९
११—रुद्रपुर	१२ मई, १९५९	४३—हवालबाग	८ जुलाई, १९५९
१२—काशीपुर	१२ मई, १९५९	४४—रानीखेत	१७ जुलाई, १९५९
१३—कालाढुंगी	१३ मई, १९५९	४५—ताड़ीखेत	१७ जुलाई, १९५९
१४—रामनगर	१३ मई, १९५९	४६—मिंकियासैंन	१८ जुलाई, १९५९
१५—टनकपुर	२७ मई, १९५९	४७—द्वाराहाट	१९ जुलाई, १९५९
१६—खटीमा	२७ मई, १९५९	४८—नैनीताल	२०,२१ जुलाई, १९५९
१७—चम्पावत	२८ मई, १९५९	४९—लखनऊ	८, ९, १०, ११, १२ अगस्त, १९५९
१८—धूनाघाट	२९ मई, १९५९		
१९—लोहाघाट	२९ मई, १९५९	५०—लखनऊ	२६ अगस्त, १९५९
२०—पिथौरागढ़	३० मई, १९५९	५१—नैनीताल	१८ से २३ सितम्बर, १९५९
२१—कनालीछोना	३१ मई, १९५९		
२२—असकोट	३१ मई, १९५९	५२—लखनऊ	१,२ अक्टूबर, १९५९
२३—थल	१ जून, १९५९	५३—रानीखेत	८ अक्टूबर, १९५९
२४—बागेश्वर	२ जून, १९५९	५४—बरेली	१३ अक्टूबर, १९५९
२५—ग्वालदम	३ जून, १९५९	५५—कोटद्वार	१४ अक्टूबर, १९५९
२६—गरुड़	३ जून, १९५९	५६—दुगड्डा	१४ अक्टूबर, १९५९
२७—बैजनाथ	४ जून, १९५९	५७—लैन्सडाउन	१५ अक्टूबर, १९५९
२८—सोमेश्वर	४ जून, १९५९	५८—सतपुली	१६ अक्टूबर, १९५९
२९—अल्मोड़ा	५ जून, १९५९	५९—पौड़ी	१७ अक्टूबर, १९५९
३०—टेहरी	१८ जून, १९५९	६०—खिरसू	१७ अक्टूबर, १९५९
३१—घनसाली	१९ जून, १९५९	६१—श्रीनगर	१८ अक्टूबर, १९५९
३२—घनोल्टी	२० जून, १९५९	६२—कलियासौड़	१८ अक्टूबर, १९५९

परिशिष्ट २

कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित प्रश्नावली के उत्तरदाताओं की संख्या इत्यादि :—

उत्तरदाता	जिला नैनीताल	जिला अल्मोड़ा	जिला गढ़वाल	जिला टेहरी-गढ़वाल	योग
ग्राम सभापति	५५	२०८	१४	३२	३०९
सरपंच	२८	६३	५८	१५	१६४
विधान मंडल और संसद सदस्य ..	१	१	२	१	५
पट्टी पटवारी	..	७७	..	९	८६
कानूनगो	..	५	..	..	५
तहसीलदार	..	३	..	२	५
सदस्य अ० जि० परिषद्	२	३	१	..	६
म्युनिसिपल बोर्ड	१	..	..	..	१
नोटिफाइड व टाउन एरिया	१	..	..	..	१
फारेस्ट आफिसर	१	१	२	..	४
फारेस्ट रेञ्ज आफिसर	१०	४	८	..	२२
जिला विकास अधिकारी	..	१	..	..	१
जिलाधीश	..	१	१	..	२
पंचायत निरीक्षक	..	१	..	..	१
जिला नियोजन अधिकारी	१	..	..	..	१
अन्य	२	९	१३	१८	४२
बिना नाम पते के	..	११	..	..	११
योग ..	१०२	३८८	९९	७७	६६६

परिशिष्ट ३

कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति की बैठक

१—लखनऊ .. २३ अप्रैल, १९५९
२—नैनीताल .. ६,७, और ८ मई, १९५९
३—भीमताल .. ९ मई, १९५९
४—भवाली .. ९ मई, १९५९
५—खैरना .. ९ मई, १९५९
६—रामगढ़ .. १० मई, १९५९
७—पहाड़पानी .. १० मई, १९५९
८—मुक्तेश्वर .. १० मई, १९५९
९—हल्द्वानी .. ११ मई, १९५९
१०—किच्छा .. ११ मई, १९५९
११—रुद्रपुर .. १२ मई, १९५९
१२—काशीपुर .. १२ मई, १९५९
१३—कालाढुंगी .. १३ मई, १९५९
१४—रामनगर .. १३ मई, १९५९
१५—टनकपुर .. २७ मई, १९५९
१६—खटीमा .. २७ मई, १९५९
१७—चम्पावत .. २८ मई, १९५९
१८—चूनाघाट .. २९ मई, १९५९
१९—लोहाघाट .. २९ मई, १९५९
२०—पिथौरागढ़ .. ३० मई, १९५९
२१—कनालीछीना .. ३१ मई, १९५९
२२—असकोट .. ३१ मई, १९५९
२३—थल .. १ जून, १९५९
२४—बागेश्वर .. २ जून, १९५९
२५—ग्वालदम .. ३ जून, १९५९
२६—गरुड़ .. ३ जून, १९५९
२७—बैजनाथ .. ४ जून, १९५९
२८—सोमेश्वर .. ४ जून, १९५९
२९—अल्मोड़ा .. ५ जून, १९५९
३०—टेहरी .. १८ जून, १९५९
३१—घनसाली .. १९ जून, १९५९
३२—घनोल्टी .. २० जून, १९५९
३३—चम्बा .. २१ जून, १९५९
३४—मागनी .. २१ जून, १९५९
३५—नरेन्द्रनगर .. २१ जून, १९५९
३६—देवप्रयाग .. २२ जून, १९५९
३७—अल्मोड़ा .. ५ जुलाई, १९५९
३८—अल्मोड़ा .. ६ जुलाई, १९५९
३९—अल्मोड़ा .. ७ जुलाई, १९५९
४०—बाड़ेछीना .. ७ जुलाई, १९५९
४१—पनुवानौला .. ७ जुलाई, १९५९
४२—जागेश्वर .. ७ जुलाई, १९५९
४३—हवालबाग .. ८ जुलाई, १९५९
४४—रानीखेत .. १७ जुलाई, १९५९
४५—ताड़ीखेत .. १७ जुलाई, १९५९
४६—भिकियासैंन .. १८ जुलाई, १९५९
४७—द्वाराहाट .. १९ जुलाई, १९५९
४८—नैनीताल .. २०,२१ जुलाई, १९५९
४९—लखनऊ .. ८, ९, १०, ११, १२ अगस्त, १९५९
५०—लखनऊ .. २६ अगस्त, १९५९
५१—नैनीताल .. १८ से २३ सितम्बर, १९५९
५२—लखनऊ .. १,२ अक्टूबर, १९५९
५३—रानीखेत .. ८ अक्टूबर, १९५९
५४—बरेली .. १३ अक्टूबर, १९५९
५५—कोटद्वार .. १४ अक्टूबर, १९५९
५६—दुगड्डा .. १४ अक्टूबर, १९५९
५७—लैन्सडाउन .. १५ अक्टूबर, १९५९
५८—सतपुली .. १६ अक्टूबर, १९५९
५९—पौड़ी .. १७ अक्टूबर, १९५९
६०—खिरसू .. १७ अक्टूबर, १९५९
६१—श्रीनगर .. १८ अक्टूबर, १९५९
६२—कलियासौड़ .. १८ अक्टूबर, १९५९

६३—रुद्रप्रयाग .. १८ अक्टूबर, १९५९
६४—अगस्तमुनि
तिलवाड़ा .. १९ अक्टूबर, १९५९
६५—गौचर .. १९ अक्टूबर, १९५९
६६—कर्णप्रयाग .. २० अक्टूबर, १९५९
६७—नन्दप्रयाग .. २० अक्टूबर, १९५९
६८—चमोली .. २० अक्टूबर, १९५९
६९—पीपलकोटी .. २१ अक्टूबर, १९५९
७०—जोशीमठ .. २१ अक्टूबर, १९५९
७१—पांडूकेश्वर .. २२ अक्टूबर, १९५९
७२—माना .. २४ अक्टूबर, १९५९
७३—बद्रीनाथ .. २५ अक्टूबर, १९५९
७४—नैनीताल .. ६, ७, ९, ११ नवम्बर, १९५९
७५—उत्तरकाशी .. १६ नवम्बर, १९५९
७६—धरासूडुन्डा .. १७ नवम्बर, १९५९
७७—बड़कोट .. १८ नवम्बर, १९५९
७८—लखनऊ .. २३ नवम्बर, से ३ दिसम्बर, १९५९
७९—लखनऊ .. ६ दिसम्बर, से १० दिसम्बर, १९५९

जिलेवार

नैनीताल	अल्मोड़ा	गढ़वाल	टेहरी-गढ़वाल	विविध	योग
१५*	२४*	२०*	१०*	१०*	७९*

*इतने स्थानों पर गवाहियां ली गईं।

परिशिष्ट ४

कुमायूं सिविल डिवीजन के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन आदि का उत्पादन

पश्चिमी वृत्त

इमारती लकड़ी		घन फीट (हजारों में)	ईंधन		घन फीट (हजारों में)
लट्ठे	..	१,६६६	सरकार द्वारा	..	३
बल्लियां	..	२७६	व्यापारी द्वारा	..	१०,५१६
चिरी हुई	..	८८७	निःशुल्क	..	..
विविध	..	५०५	हक हकूक	..	४२३
योग	..	३,३४०			१०,९४२

कुमायूं वृत्त

लट्ठे	..	२५४	सरकार द्वारा	..	७६१
बल्लियां	..	२४८	व्यापारी द्वारा	..	६२८
चिरी हुई	..	२,०००	निःशुल्क	..	..
विविध	..	७२३	हक हकूक	..	३२,६३८
योग	..	३,२२५			३४,०२७

टिहरी वृत्त

लट्ठे	..	२८३	सरकार द्वारा	..	..
बल्लियां	..	६५	व्यापारी	..	७६
चिरी हुई	..	२,७६१	निःशुल्क	..	१
विविध	..	१८०	हक हकूक	..	८४८
योग	..	३,२८९			९२८

		कुल योग			कुल योग
लट्ठे	..	२,२०६	सरकार द्वारा	..	७६४
बल्लियां	..	५९२	व्यापारी द्वारा	..	११,२२३
चिरी हुई	..	५,६४८	निःशुल्क	..	१
विविध	..	१,४०८	हक हकूक	..	३३,९०९
योग	..	९,८५४	योग	..	४५,८९७

गौड़ वन उपज का उत्पादन

(१) लीसा	..	..	३,५०,००० मन*
(२) कत्था	..	..	१०,००० मन
(३) बांस	..	..	६५,६८,००० संख्या (इसमें रिंगाल सम्मिलित नहीं है
(४) छिलुका	..	..	१५,००० मन
(५) जड़ी बूटियां	..	..	२३,००० मन इससे झूला भी सम्मिलित है
(६) स्लेट तथा इमारती पत्थर			७,००० टन
(७) खालें तथा सींग	..	..	३०० मन
(८) शहद (मत्र्) मोम	..	..	३०० मन
(९) बाबड़ घास	..	..	१,२५,००० मन

*इसमें ४०,००० मन लीसा सिविल और पंचायत वनों का भी शामिल है ।

परिशिष्ट ५

विविध

२२ मार्च, १९४१।

संख्या १४५ ए० एफ०/१४–३०८–१९३६–विज्ञप्ति संख्या ८९५–१४—२८५, दिनांक २२ अक्टूबर, १९२५ में दिये गये नियमों का अतिक्रमण करके, विज्ञप्ति संख्या ११५४ १४–३०८—१९३६, दिनांक ३० जनवरी, १९४१ के क्रम में गवर्नर महोदय भारतीय वन अधिनियम (अधिनियम संख्या १६, १९२७) की धारा ७६ (डी) के अधीन कुमायूं बन वृक्ष के सरकारी सुरक्षित वनों में चराई तथा वन उपज सम्बन्धी हक-हकूक को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित अधिनियम बनाते हैं :

नियम

क—सामान्य

१—यह नियम ऐसे सभी नियमों तथा आदेशों का, जो इस दिनांक के पूर्व लागू थे अतिक्रमण करते हैं।

२—इन नियमों में "कुमायूं के वास्तविक निवासी" से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो १२ वर्ष से कुमायूं में रह रहा हो या जिसके मात पिता रहे हों, और शब्द "पशु" से तात्पर्य, घोड़ों, टट्टुओं, खच्चरों, गायों, बैलों, सांड़ों, भैंसों, जिवुओं, भेड़ों बकरियों से है।

३—सुरिक्षित बन जिनमें यह नियम लागू हैं सरकार के आदेश से दो श्रेणियों में विभक्त कर दिये गये हैं, जो क्रमशः प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के सुरक्षित बन कहलाते हैं।

४—ऐसे पंचायती बनों में, जिनका निर्माण प्रथम या द्वितीय श्रेणी के बनों से हुआ हो, केवल वे व्यक्ति जिनके नाम भारतीय बन अधिनियम की धारा १४ के अधीन उत्तर प्रदेश सरकारी गजट की अनुसूची ख में दर्ज हो या जिनके ऐसे वन साल अस्सी की सीमा के भीतर स्थित हों, अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। अतः इन नियमों में उपर्युक्त पंचायती बनों को उन स्थानों से पृथक कर दिया गया है, जहां कुमायूं के "समस्त वास्तविक निवासियों" को हक हकूक तथा रियायतें प्रदान की गई हैं।

किन्तु पंचायत बनाते समय जिलाधीश को अधिकार होगा कि श्रेणी १ से निर्मित पंचायती बनों में ऐसे व्यक्तियों को भी जो अभिलिखित हक हकूक न रखते हों, विशेष परिस्थितियों में सुविधायें प्रदान कर दें यदि जांच के पश्चात् यह सिद्ध हो जाय कि ऐसी सुविधायें प्रदान न करने से उक्त व्यक्तियों को वास्तव में कष्ट होगा।

५—ऐसे ही कारणों के अन्तर्गत जिलाधीश को अधिकार होगा कि वह एतत् पश्चात् उल्लिखत कोई सुविधा, कुमायूं के किसी वास्तविक निवासी या ग्रामीण अथवा व्यक्तियों के वर्ग को उस दशा में भी प्रदान कर दे जब कि वे उस ग्राम की परम्परागत सीमाओं के भीतर न रहते हों, जिससे साधारणतया उक्त सुविधा सम्बन्धित हों।

ख—प्रथम श्रेणी के रक्षित वन

६—कुमायूं के समस्त वास्तविक निवासियों को प्रथम श्रेणी के रक्षित बनों में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत बिना किसी सीमा या प्रतिबन्ध के पशुओं को चराने, वृक्षों को काटने, छांटने, घास काटने और समस्त अन्य अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार है।

स० ग्र० सं० ४६०३/१४ वि० ८ मार्च, १६५४ देवदार, सुराई, तुन, अखरोट, शहतूत, ऐश, राई, चीर, मैपुल, खरी, कमचूला, कजूंला, रहगा अथवा चीड़ के वृक्षों की जाति का कोई भी वृक्ष बिना जिलाधीश की पूर्वलिखित अनुमति के काटा छांटा न जायगा अथवा अन्य प्रकार से क्षति न पहुंचाई जायगी।

(१) सभी जातियों के वृक्षों की शाखतराशी की सुविधायें निम्नलिखित तक सीमित हैं:

(क) अधिकार प्राप्त व्यक्तियों तक उस वन में जिसमें उनके अधिकार वन बन्दोबस्त के समय अंकित किये गये हों, (ख) उन गांवों के निवासियों तक उस वन में जो साल अस्सी की सीमा में स्थित हों, किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि कोई वृक्ष अपनी चोटी से ६ फीट के भीतर नहीं छांटा जायगा।

(२) किसी जाति के कोई वृक्ष सरकार या जिला बोर्ड द्वारा संधारित सड़क या अश्वमार्ग की केन्द्रीय रेखा के ३० फीट के भीतर काटा और छांटा न जायगा।

(३) खेती के लिये भूमि का तोड़ा जाना वर्जित है जब तक कि भारतीय बन अधिनियम की धारा २६ के अन्तर्गत उक्त भूमि का वन विहीनीकरण न कर दिया जाय तथा राजस्व अधिकारियों द्वारा नयाबाद ग्रान्ट के लिये निर्धारित प्रक्रिया को कार्यान्वित न किया जाय।

तथापि, खंड ६ में दिये गये निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ खरकों में खेती की जा सकती है।

(४) ग्रामीण कारीगर किसी वन उपज का विक्रय अपने गांव के अतिरिक्त कहीं और नहीं कर सकता। किन्तु ग्रामीण यात्रियों के लाभ के लिये ईंधन और चारा बेच सकते हैं।

(५) चमड़ा, खाल, पत्थर, स्लेट तथा अन्य खनिज पदार्थों के निर्यात का एकाधिकार सरकार को प्राप्त रहेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गांव के लोग अपने निजी तथा गांव के कार्यों में इन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं।

(६) खरक अर्थात् वनों में पशुशालाओं (Steadings) की अनुमति ऐसे स्थानों पर है जिनकी सीमायें और क्षेत्र निर्धारित तथा अंकित कर दिये गये हैं। किसी खरक में रखे जाने वाले पशुओं की संख्या निर्धारित नहीं है। खरक में अधिक से अधिक एक एकड़ भूमि में अस्थाई खेती की जा सकती है किन्तु ऐसे खरकों का उपयोग उस अवस्था में नहीं किया जा सकता जबकि वे नियम ६ के आधीन चराई या शाखतराशी के लिये बन्द किये गये क्षेत्र के समीप स्थित हों।

७—प्रथम श्रेणी के रक्षित वनों से अग्नि सुरक्षा के समस्त नियम हटा लिये गये हैं किन्तु जहां ऐसे बन द्वितीय श्रेणी के बनों के समीप हैं वहां द्वितीय श्रेणी के वनों की सुरक्षा के लिये निम्नलिखित नियम निर्धारित किये जाते हैं।

यदि कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी के वनों में आग लगाना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में समुचित पूर्वोपाय करने का उत्तरदायी होगा कि आग द्वितीय श्रेणी के वनों में प्रवेश न करने पावे। ऐसे पूर्वोपायों में स्थानीय वन रक्षक को इस उद्देश्य से सूचना देना कि यदि आवश्यक हो तो वह उपस्थित रहे और आग को प्रविष्ट होने से रोकने में सहायता करे, और ऐसे समय पर जब ऋतु अनुकूल हो तथा ऐसी दिशा में जिससे द्वितीय श्रेणी के वनों की रक्षा की जा सके आग लगाना, और आग बुझाने के लिये पर्याप्त संख्या में लोगों को एकत्रित रखना सम्मिलित है।

८—रेंजर (अथवा रेंज का प्रभारी डिप्टी रेंजर) से नीचे के पद का कोई बन अधिकारी प्रथम श्रेणी के किसी वन का प्राधिकारी न होगा। नियत कालिक निरीक्षण किये जायेंगे और यदि किसी वन अधिकारी द्वारा किये जायेंगे तो वह अधिकारी उल्लिखित अधिकारी से नीचे के पद का न होगा।

६—सरकार इस सम्बन्ध में अपना अधिकार सुरक्षित रखती है कि वह जिलाधीश की संस्तुति पर वन के किसी भाग को जिसकी अधिक क्षति हो गई हो अधिक से अधिक २० वर्ष की अवधि के लिये

वृक्षारोपण अथवा पुनः उत्पत्ति के लिये, वन सम्बन्धी किन्हीं अधिकारों अथवा समस्त सुविधाओं के उपयोग को बन्द कर दे। किन्तु जिलाधीश उक्त हक हकूक आदि को उस समय तक बंद करने की सिफारिश न करेगा जब तक कि उसने स्वयं सब डिवीजनल अधिकारी, वन पंचायत अधिकारी अथवा उप अरण्यपाल ने सम्बन्धित स्थान का निरीक्षण न कर लिया हो और जब तक कि उसने उक्त क्षति पूर्ति की किसी अन्य निश्चित योजना पर विचार न कर लिया हो और पर्याप्त कारणों से उसे अस्वीकार न कर दिया हो।

ग—श्रेणी दो क सुरक्षित वन

१०—चराई—पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों, चारे के लिये सुरक्षित क्षेत्रों और वृक्षारोपण के क्षेत्रों को छोड़ कर द्वितीय श्रेणी के किसी वन में कुमायूं के सभी वास्तविक निवासियों को गिनती, संख्या अथवा रवन्ना के प्रतिबन्ध के बिना निःशुल्क पशु चराने की सुविधा प्रदान की जाती है।

११—खरक—वन विभाग द्वारा सीमा निर्धारित किसी भी खरक में कुमायूं के समस्त वास्तविक निवासियों को गिनती, संख्या, अथवा खन्ना के प्रतिबन्ध के बिना पशुशाला स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे सीमा निर्धारित खरकों में अधिक से अधिक एक एकड़ भूमि पर अस्थाई खेती की अनुमति दो जाती है। किन्तु ऐसे खरकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो किसी ऐसे क्षेत्रों में हों जो नियम २० अथवा २१ के अन्तर्गत चराई अथवा शाखतराशी के लिये बन्द कर दिया गया हो।

१२—शाखतराशी—सदैव इस प्रतिबन्ध के साथ कि शाखतराशी पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों, ईंधन तथा चारे के सुरक्षित क्षेत्रों, वृक्षारोपण क्षेत्रों तथा देवदार वनों में वर्जित है और यह कि किसी वृक्ष की चोटी से ६ फीट नीचे तक शाख तराशी नहीं की जा सकती—(क) अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को उस वन में जिसमें वन बन्दोबस्त के समय उनके अधिकार अंकित किये गये हों, और (ख) ग्राम निवासियों को उस वन में जो उनकी साल अस्सी की सीमा में स्थित हों, सभी जातियों के वृक्षों की शाख तराशी की सुविधा, निम्नलिखित वृक्षों को छोड़ कर प्रदान की जाती है।

सरकारी आदेश सं० ४६०३/१४, दिनांक ८ मार्च, १९५४

वृक्ष जातियां जिनकी शाखतराशी नहीं की जायगी :

देवदार (Cedrus deodara)
सुराई (Cupressus torulosa)
तुन (Cedrela toona)
अखरोट (Fuglaus regia, walnut)
चीड़ (Pinus longifolia)
साल (Shorea robusta)
कैल (Pinus excelsa)
राई (Picea morinda, Spruc)
रंहगा (Abies Pindrow and webbiaua A. Silver fir)
ऐश (Ash.)
शहतूत (Mulberry)
मैपल (Mapple)

सरकारी आदेश सं० ३८२/१४, १९४७, दिनांक ३ जून, १९४९।

१३—लैन्सडाउन खंड के खासान, माला, पलयाल गांव और मराल के सुरक्षित वनों अथवा ऐसे अन्य खंडों में जिनके सम्बन्ध में जिलाधीश प्रभारी, कुमायूं समय-समय पर इस कार्य के लिये विज्ञप्ति प्रसारित करें नियम १२ का प्रतिबन्ध बांस और खैर में भी लागू होगा।

१४—इमारती लकड़ी—(क) भारतीय वन अधिनियम (अधिनियम संख्या ७, १८७८ की धारा १९) (भारतीय वन अधिनियम संख्या १६, १९२७ की धारा २०) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गजट में विज्ञप्ति, अनुसूची (ख) में अंकित ऐसे ग्रामों के समस्त वास्तविक निवासियों को जिनको इमारती लकड़ी,

कृषि के औजारों के लिये लकड़ी पाने के हक-हकूक दिये गये हैं, नियम १२ में दिये गये वृक्षों के अतिरिक्त और पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों, ईंधन और चारे के सुरक्षित क्षेत्रों, वृक्षारोपण क्षेत्रों और देवदार वनों को छोड़ कर उन वनों के वृक्षों को बिना किसी सीमा या प्रतिबन्ध के काटने तथा हटाने की सुविधा दी जाती है, जिनमें उनके अधिकार और सुविधायें इन अनुसूचियों में दर्ज हैं।

किन्तु सरकार, या जिला बोर्ड द्वारा संधारित किसी सड़क अथवा अश्व मार्ग की केन्द्रीय रेखा के ३० फीट के भीतर न तो कोई वृक्ष काटा जायगा और न शाख तराशी की जायगी।

(ख) नियम १२ में दी गई जातियों के वृक्षों के लिये जो निर्माण कार्यों के लिये अपेक्षित हों हक हकूक तथा सुविधाओं के मांग पत्र (Indents) वन विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे और वन विभाग उनकी पूर्ति का नियंत्रण करेगा। इसी प्रकार ईंधन और चारे के सुरक्षित वनों से कृषि के औजारों के लिये लकड़ी के मांग-पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

शा० आ० सं० ३६५१/१४-५१५/१९४९ दि० फरवरी ८,१९५२

(ग) वन विभाग द्वारा नियत प्रपत्र में मांग-पत्र, गांव सभा के प्रधान द्वारा, जिसके अधिकार क्षेत्र में मांग पत्र प्रस्तुत करने वाला गांव या प्रस्तुत करने वाले गांव स्थित हों, सम्बन्धित वन क्षेत्र के अधिकार प्राप्त गांव के सदस्यों की विशेष समिति की सहायता से, रेंज अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे। मांग-पत्र के साथ प्रधान प्रार्थियों की एक ऐसी सूची प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक प्रार्थी को प्रदत्त लकड़ी की संख्या अंकित होगी, यदि प्रधान मांग-पत्र को भली प्रकार न भर सके तो रेंज अधिकारी उसकी सहायता करेगा। विभिन्न प्रार्थियों में स्वीकृत लकड़ी का वितरण प्रधान की अध्यक्षता में उपर्युक्त विशेष समिति द्वारा किया जायगा।

अधिकार प्राप्त ग्रामों को प्राथमिकता दी जायगी और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही गांव सभा अधिकार विहीन ग्रामनिवासियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायगा।

(घ) रेंज अधिकारी, अनुसूची ख में अनुज्ञेय मात्रा तक, तथा शा० आ० सं० ४०७/१४-१, दिनांक जून १४, १९१५ में विज्ञाप्ति शर्तों के अधीन गांव सभा के प्रधान के नाम मांगी गई लकड़ी के लिये आज्ञा पत्र प्रदान करेगा।

(ङ) अनुज्ञापत्र जारी करने के पश्चात् शीघ्र ही रेंज अधिकारी या उसका सहायक मौके पर जाकर गांव सभा के प्रधान अथवा गांव पंचायत के प्रधान के द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य को आज्ञा पत्र में अंकित मात्रा के लगभग समतुल्य खड़े चिन्हित वृक्ष दिखलायेगा। वृक्षों के अन्तर्वस्तु का हिसाब जब तक कि जिलाधीश, प्रभारी, कुमायूं की सहमति से उनका पुनरीक्षण न कर लिया जाय वन बन्दोबस्त के समय अंकित तत्वों के अनुसार लगाया जायगा। सही मात्रा में वृक्ष चिन्हित न किये जाने से उत्पन्न वृद्धियां अथवा कमियां प्रदत्त लकड़ी के हिसाब में समुचित रूप से दर्ज कर ली जायगी, वृक्षों को चिन्हित करते समय प्रार्थियों से उनकी आवश्यकताओं तथा इच्छाओं के बारे में सामान्य रूप से परामर्श कर लिया जायगा और वृक्ष उन क्षेत्रों से दिये जावेंगे जो सम्भवतः उन क्षेत्रों के समीपस्थ हों जहां उनकी आवश्यकता है किन्तु साथ ही साथ सम्बन्धित वन के संधानों और रक्षण को ध्यान में रखा जायगा।

(च) वर्ष में किसी भी समय मांग पत्र प्रस्तुत किये जा सकते हैं किन्तु आवश्यकता के मामलों के अतिरिक्त इमारती लकड़ी को चिन्हित करने, या वृक्षों को दिखाने का कार्य, पूर्व चिन्हित वृक्षों का इमारती लकड़ी में परिवर्तन और निर्यात का कार्य १ मार्च और ३० जून की अवधि के भीतर न किया जायगा। वृक्षों के चिन्हित करने और दिखाने के समय से १२ महीने की अवधि में उन्हें काटने और हटाने की अनुमति है। उपर्युक्त अवधि के भीतर जो वृक्ष काटे न जावेंगे या जो लकड़ी हटाई न जावेगी वह सरकार के हक में व्यपगत हो जायगी और प्रदत्त लकड़ी के लेखों में उसका समायोजन किया जायगा।

(छ) अत्यावश्यकता की दशा में उप-अरण्यपाल इमारती लकड़ी पेशगी दे सकता है। यदि किसी गांव के लेखे में लकड़ी शेष न रह गई हों। वह चिन्हित अनुपयुक्त वृक्षों के बदले और वृक्ष भी दे सकता है।

(ज) गांव सभा के प्रधान को जिलाधीश द्वारा नियत रूप तथा विधि में एक रजिस्टर रखना पड़ेगा जिसमें प्रत्येक अधिकार प्राप्त गांव के सम्बन्ध में निम्नलिखित अंकित किये जायेंगेः—

(१) वर्ष के दौरान में इमारती लकड़ी के लिये प्राप्त व्यक्तिगत प्रार्थना-पत्र।

(२) वर्ष के दौरान में हक-हकूक की इमारती लकड़ी की स्वीकृति।

(३) अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को लकड़ी का व्यक्तिगत वितरण ।

(४) हक की फालतू इमारती लकड़ी का, यदि कोई हो तो, दूसरों को वितरण।

यह रजिस्टर निरीक्षण तथा सत्यापनार्थ ऐसे अधिकारियों के लिये खुला रक्खा जायगा जो बन विभाग के फारेस्टर तथा राजस्व विभाग के सुपरवाइजर कानूनगो से पद में नीचे न हों। मनमाने ढंग से वृक्षों के दिये जाने की दशा में अधिकार प्राप्त व्यक्ति इस मामले की अपील सब डिवीजनल अधिकारी के यहां कर सकते हैं जो उक्त विभाजन का पुनरीक्षण कर सकता है।

१५—बांस—नियम १३ में उल्लिखित क्षेत्रों में जिनमें बांसों की शाख तराशी प्रतिबंधित है बांस की पूर्ति का नियंत्रण बन विभाग द्वारा किया जायगा। अनुसूची ख में उल्लिखित क्षेत्रों में अधिकार अथवा सुविधा प्राप्त गांव का मुखिया रेंज अधिकारी को मांग-पत्र प्रस्तुत करेगा। इमारती लकड़ी के लिये उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का यथा-संभव बांस की पूर्ति के सम्बन्ध में भी पालन किया जायगा। एक वर्ष से कम पुराने बांसों के कुंजों अथवा ऐसे कुंजों के जो फूल रहे हों काटना वर्जित है।

१६—गौण सुविधायें—पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों और वृक्षारोपण क्षेत्रों के अतिरिक्त इनमें से किसी बन में कुमायूं के समस्त वास्तविक निवासियों को बिना किसी प्रतिबन्ध, के गिरी लकड़ी, विविध प्रकार की झाड़ी आदि, चारा, छप्पर की घास, भावर घास, सूखी पत्तियों फल और जड़ें, लताओं की छाल, बांसो, (नियम १३ में वर्जित क्षेत्रों को छोड़ कर) रिंगाल, स्लेट, चूने, मिट्टी घराटों के पत्थरों, इमारती पत्थरों के प्रयोग की सुविधा प्रदान की जाती है किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि न तो ईंधन के लिये सुरक्षित बनों से गिरी लकड़ी और विविध झाड़ियां आदि उठाई जायंगी और चारे के सुरक्षित क्षेत्रों से चारा और घास उठाई जायगी और न उन स्थानों के अतिरिक्त जिनकी अनुमति बन विभाग द्वारा दे दी गई है, पत्थर खोद कर निकाले जावेंगे।

१७—वृक्षारोपण तथा पुनः उत्पत्ति के क्षेत्र ज्योंही उनके वृक्षों की स्थिति अनुमति देने योग्य हो जायगी घास काटने के लिये खोल दिये जायेंगे।

वृक्षों के काटे जाने के समय से एक वर्ष पश्चात उनके ठूंठ ईंधन के लिये हटाए जा सकते हैं किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि छिलके की कोई लकड़ी न हटाई जायगी।

१८—बन उपज का विक्रय—ग्रामीण कारीगर श्रेणी दो के सुरक्षित बनों की उपज का विक्रय अपने गांव के अतिरिक्त कहीं और नहीं कर सकते किन्तु यात्रियों के प्रयोग के लिये ग्रामीण ईंधन और चारा बेच सकते हैं।

१९—अग्नि नियंत्रण—(क) उप-अरण्यपाल की अनुमति के बिना, श्रेणी दो के बनों का जलाया जाना पूर्णतया वर्जित है।

(ख) श्रेणी दो के बनों की सीमाओं के समीप के बनों, ऊसर या गिरी पड़ी शेष लकड़ी आदि के जलाने पर उपर्युक्त नियम ७ में दिये गये प्रतिबन्ध लागू होते हैं।

(ग) श्रेणी दो के बनों में केवल प्रस्वीकृत पड़ावों पर ही आग जलाई जा सकती है और आग जलाने वाला इस बात का उत्तरदायी है कि बनों को सुरक्षा के लिये यथेष्ठ पूर्वोपाय किये गये हैं और यह कि आग उसके पड़ाव छोड़ने के पहले पूरी तरह बुझा दी जाती है।

श्रेणी दो के बनों में होकर जलती हुई लकड़ी या मशाल लेकर जाना वर्जित नहीं है किन्तु इनको लेकर जाने वाले व्यक्ति को यथेष्ठ पूर्वोपाय लेने चाहिये, और इस सम्बन्ध में यदि बन को कोई हानि पहुंचेगी तो वह इसका उत्तरदायी ठहराया जायगा।

२०—उप-आयुक्त प्रभारी कुमायूं, कुमायूं बन समिति से परामर्श करने के बाद किसी भी क्षेत्र को ईंधन अथवा चारे का सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकता है।

अरण्यपाल कुमायूं वृत्त भी उप-आयुक्त प्रभारी कुमायूं के अनुमोदन से अधिक से अधिक पांच वर्ष की अवधि के लिये २० एकड़ तक के किसी क्षेत्र को चारे का सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकता है और ऐसे मामले कुमायूं बन समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि एक ओर उप-आयुक्त, प्रभारी कुमायूं खंड तथा अरण्यपाल कुमायूं वृत्त और दू री ओर कुमायूं बन समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही में विरोध हो तो सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय करना होगा।

२१—श्रेणी दो के किसी बन के बन्दोबस्त खंड के ऐसे क्षेत्रों में जो खंड के समस्त क्षेत्र के १/६ से अधिक न हो, और जिनकी पुनः उत्पत्ति या पुनः वृक्षारोपण के लिये आवश्यकता हो, सरकार समस्त या कुछ अधिकारों तथा सुविधाओं का प्रयोग बंद कर सकती है, किन्तु ऐसा करने के पूर्व सामान्यतः कुमायूं बन समिति से परामर्श कर लिया जायगा। ऐसी दशाओं में जिनमें ५० एकड़ से कम क्षेत्रों का सम्बन्ध हो, अरण्यपाल कुमायूं वृत्त, उप-आयुक्त प्रभारी कुमायूं के अनुमोदन से उन्हें १० वर्ष की अवधि के लिये बंद कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बाद में कुमायूं बन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायगा। यदि एक ओर उप आयुक्त प्र भारी, कुमायूं खंड तथा अरण्यपाल कुमायूं वृ त और दूसरी ओर कुमायूं बन समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही में विरोध हो तो सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय करना होगा।

२२—सरकार पुनः वृक्षारोपण अथवा पुनः उत्पत्ति के प्रयोजनों के लिये बन पंचायत अधिकारी तथा अरण्यपाल कुमायूं वृत्त की सिफारिश पर श्रेणी दो के गम्भीर क्षति प्राप्त बन को पूर्णतः अथवा अंशतः अधिक से अधिक २० वर्ष के लिये इसी प्रकार बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

परिशिष्ट ६

उत्तर प्रदेश सरकार

*संख्या ६०५/ए एफ/१४—२४०-१९३८

वन विभाग

प्रस्ताव

दिनांक, लखनऊ, २२ सितम्बर, १९४१

निम्नलिखित पढ़े गए :

(क) कुमायूं वृत्त के बनों में ग्रामीणों के अधिकार :—

(१) छपा हुआ प्रतिवेदन, "कुमाऊं वृत में ग्रामीणों के अधिकारों के सम्बन्ध में अनुसंधान"

(२) उपर्युक्त पर कुमाऊं बन समिति की संस्तुतियां २४वीं बैठक के कार्य विवरण की मद १३।

(ख) पश्चिमी वृत्त के बनों में ग्रामीणों के अधिकार शासकीय आदेश संख्या ४३७/३१२—१४-१९२५, दिनांक १६ नवम्बर, १९३९ के आधीन नियुक्त समिति का प्रतिवेदन:—

अवलोकन

शासकीय आदेश संख्या ३१४—एफ/१४-२१७, दिनांक ११ फरवरी, १९३८ द्वारा सरकार ने उप-आयुक्त प्रभारी कुमाऊं खंड को सूचित किया कि कुमाऊं बन समिति के पुर्नसंगठन पर उसके सम्मुख जो पहला निर्देश रक्खा जायगा। वह कुमाऊं के पुराने सुरक्षित बनों में ग्रामीणों के अधिकारों के प्रश्न की जांच होगा। जब यह प्रश्न कुमायूं बन समिति के सम्मुख आया तो उसने अध्ययन विषय को विस्तृत करके उसमें श्रेणी दो के सुरक्षित बनों को भी सम्मिलित कर लिया। भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने विस्तार का समर्थन इस आशय के वक्तव्य से किया था कि "सरकार बनों के सम्बन्ध में भी राजस्व बन्दोबस्त के संशोधन सम्बन्धी सिद्धान्तों का अनुकरण करना चाहती है।" समिति ने इससे भी आगे बढ़ कर यह सिफारिश की कि "सरकार को एक ऐसी छोटी समिति नियुक्त करनी चाहिये जो पश्चिमी वृत्त के सम्बन्ध में भी ऐसे ही मामलों में जहां तक कुमायूं निवासी प्रभावित होते हों, सर्व श्रेष्ठ कार्य विधि की जांच करे" सरकार ने यह संस्तुति शा० आ० सं० ४३७ ३१२—१४-१९२५, दिनांक १६ नवम्बर, १९३९ के द्वारा स्वीकार की।

२—कुमायूं बन समिति ने नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के लिये तीन उपसमितियां स्थापित कीं। इसी प्रकार पश्चिमी वृत्त के लिये नियुक्त समिति ने हलद्वानी, कालागढ़, रामनगर और लैन्सडाउन बन खंडों के लिये उप समितियां नियुक्त कीं। समितियों तथा उप समितियों की संस्तुतियां सरकार को प्राप्त हो गई हैं और उसके सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व राज्यपाल महोदय, समितियों तथा उप समितियों के अध्यक्षों तथा सदस्यों को इस जटिल प्रश्न पर सावधानी के साथ विचार करने के लिये तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिये हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

३—समिति की संस्तुतियों पर राज्यपाल महोदय ने अत्यन्त गंभीरता से विचार किया है। वे कुमायूं वृत्त के पुराने सुरक्षित बनों तथा श्रेणी दो के नये सुरक्षित बनों के नियमों में प्रस्तावित

---

*शुद्धिपत्र दिनांक १३ अक्तूबर, १९४१ द्वारा संशोधित

परिवर्तनों की गभीरता को समझते हैं जो अत्यधिक शिकायतों के बावजूद बड़े पर्वतीय नगरों को सुविधा, शासन को राजस्व तथा बन विभाग को व्यावसायिक कार्य देने में समर्थ हुये हैं।

समितियों ने संस्तुति की है कि सरकार कुमायूं तथा पश्चिमी वन वृत्तों में अविलम्ब बन्दोबस्त करने के लिये एक बन अधिकारी अथवा राजस्व अधिकारी की नियुक्ति करें। श्रेणी दो के नये सुरक्षित बनों में लकड़ी के सम्बन्ध में लोगों के वर्तमान अधिकार हैं और ऐसे हक हकूकी लकड़ी की मात्रा ८,४२,८९१ घन फुट है किन्तु किसी भी वर्ष में अधिकार प्राप्त व्यक्तियों ने ४,६६,१२० घन फुट से अधिक लकड़ी नहीं ली है। इसके अतिरिक्त शासकीय आदेश संख्या ६९०/१४--३१२-(५), दिनांक १ नवम्बर, १९३२ के अन्तर्गत बन विभाग कुमायूं के किसी भी वास्तविक निवासी को ऐसी समस्त बन उपज प्रस्तुत करता है जो बेची नहीं जा सकती तथा बन विज्ञान के दृष्टिकोण से जिसका हटाया जाना आवश्यक है। इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये कुमायूं बन वृत्त के प्रत्येक खंड में 'छटाई" के आदेश दिये जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप १६ इंच मोटाई तक के सभी आकारों के सहस्रों पेड़ जिनमें चीड़ देवदार बांज तथा दूसरी चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष सम्मिलित हैं प्राप्त होते हैं। प्रति वर्ष यह छटाई केवल इसलिये नहीं की जाती है कि गांव वाले आबादी के समीप के कुछ स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों से इन वृक्षों को नहीं ले जाते हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बन विभाग उस मात्रा से कहीं अधिक लकड़ा देता है जितना कि गांव वाले ले जाने को तैय्यार हैं। यह प्रतीत होता है कि बन बन्दोबस्त की मांग मुख्य रूप से आबादी के समीप के बनों में सुविधा पाने के उद्देश्य से है। समितियां की संस्तुतियां १९११--१७ के पूर्वोदाहरण पर आधारित प्रतीत होती हैं। यह बन्दोबस्त ६ वर्ष तक चला और इसमें ४ लाख रुपया व्यय हुआ। राज्यपाल का विचार है कि इतने वृहत द्रव्य राशि तथा समय का व्यय उचित न होगा जब कि उद्देश्य केवल यह है कि किसी ऐसे हक को निर्धारित किया जाय जो १९११-१७ में प्रदान नहीं किया जा सका था या सुविधाएं प्रदान की जायं जब कि यह विदित है कि आबादी के समीप के बन अब अधिक बोझ सहन नहीं कर सकते।

५--उप समितियों ने सुरक्षित बनों में कतिपय इमारती लकड़ी के अधिकारों के निर्माण के सम्बन्ध में संस्तुति की है। संभवतः उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि भारतीय बन अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत न्यायिक जांच के अतिरिक्त कोई भी विद्यमान अधिकार परिवर्तित नहीं किया जा सकता और कोई नया अधिकार निर्मित नहीं किया जा सकता।

६--जहां तक कुमायूं बन समिति और पश्चिमी वृत्त में गांव वालों के अधिकारों की जांच करने के लिये नियुक्त समिति की अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है राज्यपाल महोदय निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं।

कुमायूं वृत्त

नीचे उधृत की गई संस्तुतियों द्वारा "कुमायुं के बनों के ग्रामीणों के अधिकारों की जांच" प्रतिवेदन के पृष्ठ ८ और उसके आगे दी गई संस्तुति के सार के अनुसार है।

नये सुरक्षित बन श्रेणी दो (क) इमारती लकड़ी।

(१) नये तथा पुराने सुरक्षित बनों में इमारती लकड़ी एकत्र होने की अवधि समान होनी चाहिये तथा वह ६ वर्ष पर निर्धारित होनी चाहिये।

जैसा ऊपर परिच्छेद ५ में संकेत किया गया है अंकित अधिकार विधिपूर्वक बढ़ाये या घटाये नहीं जा सकते, समाप्त नहीं किये जा सकते, अथवा पुनः प्रदान नहीं किए जा सकते और न नये अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। तथापि, समितियों की संस्तुतियों पर विचार करते हुए सरकार ने अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को, सुविधा के रूप में, श्रेणी दो के नये सुरक्षित बनों तथा पुराने सुरक्षित बनों में अधिकारों को ६ वर्ष तक एकत्र होने की आज्ञा देने का निश्चय किया है।

(२) क्योंकि कुछ सुरक्षित क्षेत्रों में इमारती लकड़ी की पूरी मात्रा नहीं ली जाती, शेष लकड़ी का वितरण अपर्याप्त अधिकार प्राप्त अथवा अधिकारहीन गांव निवासियों में कर देना चाहिये।

पहले बन्दोबस्त के समय प्रदत्त अधिकारों को उक्त बन्दोबस्त के दौरान में पुनः वितरित नहीं किया जा सकता। तथापि, समितियों की संस्तुति पर सरकार आदेश देती है कि उप अरण्यपाल ६ वर्षों के संचय के उपरान्त शेष लकड़ी उन गांवों को प्रदान कर दें जिन्हें लकड़ी की जरूरत है।

(३) जहां पर वर्तमान अधिकारों के पुनर्वितरण से मांग पूरी न की जा सकती हो, इस बात की जांच की जाय कि क्या सुरक्षित वन बढ़ी हुई मांग का भार सहन कर सकते हैं।

निकट भविष्य में पुनः वन बन्दोबस्त संभव नहीं है और सरकार को खेद है कि वे इस संस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकते।

(४) सरकार समिति की इन सिफारिशों को स्वीकार करती है कि—(क) जहां पंचायतों की स्थापना हो गई है वहां बन अधिकारों का वितरण उन्हीं के, न कि मालगुजारों द्वारा किया जाय, (ख) मालगुजार तथा पंचायतों को आदेश दिया जाय कि एक ऐसा रजिस्टर रक्खें जिसमें वितरण का विवरण और प्राप्त कर्त्ताओं की अभिस्वीकृतियां दिखाई जायं और यह रजिस्टर विभिन्न अधिकारियों के सम्मुख निरीक्षण के लिये खुला रहेगा, (ग) मालगुजारों के वितरण के मामलों की सब डिवीजनल अधिकारी के यहां अपील की जा सके।

(५) अधिकारों को विशेष सुरक्षित बनों में निर्धारित न करना चाहिये किन्तु उप अरण्यपालों को इस सम्बन्ध में पूरा विवेक प्राप्त होना चाहिये कि वे पुनः समायोजित अधिकार सूची के अनुसार यथा-संभव न्याय-पूर्ण रूप से लकड़ी प्रदान करें।

बन सम्बन्धी अधिकार सामान्य अधिकार नहीं है किन्तु वे किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न बन सम्पदा के अधिकार हैं। अधिकार निश्चित स्थानों से संलग्न रहने चाहिये और सरकार को खेद है कि वह इस संस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकती।

(६) जहां इस प्रकार की शिकायतें हों कि अधिकार दूरस्थ बनों में प्रदान किए गये हैं इस बात की जांच की जाय कि क्या उक्त अधिकार गांवों के समीपतर सुरक्षित बनों से प्रदान किये जा सकते हैं।

अधिकार एक खंड से दूसरे खंड को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते। विनियम की आज्ञा दी जा सकती है लेकिन क्योंकि गांवों के समीपस्थ बन अधिकारों के बोझ से दबे हैं, विनियम भी संभव नहीं है। सरकार को खेद है कि वह इस संस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकती।

(७) जांच की जाय कि क्या चीर के अधिकारों के बदले साल अथवा तुन दिया जा सकता है। सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है।

(८) जिला बोर्डों को जनोपयोगी प्रमाण-पत्र पर दिये जाने वाले निःशुल्क अनुदान अधिकार के रूप में अंकित कर लिये जायं।

जिला बोर्डों की आवश्यकताएं वर्तमान शासकीय आदेशों के अन्तर्गत पूरी की जा रही हैं। इस के अतिरिक्त बन विभाग एक व्यावसायिक विभाग है और साधारणतया किसी स्थानीय निकाय को अधिकार प्रदान नहीं करता। अतः शासन का विचार है कि जनोपयोगी प्रमाण-पत्र जारी करने की वर्तमान पद्धति पूर्ववत् रहे।

ख—चराई और चारा

(९) खरकों की संख्या जहां तक संभव हो बढ़ाई जाय। खरकों को बन जीवन को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले केन्द्र स्वीकार किया गया है। वे लगभग समस्त कुमायूं में जहां तहां स्थित हैं और उनकी पूरी देखभाल असंभव है। पशु सुरक्षित बनों में आ जाते हैं और नव विकसित पौधों को अपूर्व

हानि पहुंचाते हैं। तथापि, सरकार आदेश देती है कि उप अरण्यपाल इस बात की जांच करें और इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें कि नये खरक कहां सुरक्षा के साथ स्थापित किये जा सकते हैं।

(१०) सरकार सभी सुरक्षित बनों में चरागाहों को, क्रम स विश्राम देने की व्यवहारिकता के प्रश्न पर विचार करे। यह एक ठोस सुझाव है जिसे सरकार स्वीकार करती है।

ग—ईंधन

११—ईंधन के लिये गांव वालों द्वारा ले जाये जाने वाले सूखे पेड़ों को चिन्हांकन की वर्तमान प्रथा को नियमित कर दिया जाय और इस उद्देश्य के लिये एक नियम बना दिया जाय।

यह प्रथा बन विभाग द्वारा प्रमाणीकृत की जा चुकी है।

१२—देवदार बनों में गिरी पड़ी लकड़ी ईंधन के लिये दी जाय।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है।

पुराने सुरक्षित वन

अधिकारों से पृथक मुक्त सुरक्षित बन क्षेत्र

क—इमारती लकड़ी

(१) चीर की इमारती लकड़ी से सम्बन्धित संस्तुतियां वही हैं जो नये सुरक्षित बनों के लिये हैं किन्तु समितियां कहती हैं कि कुछ पुराने सुरक्षित बन किसी भी दशा में अपने वर्तमान भार से अधिक भार सहन नहीं कर सकते।

बन विभाग का इस आशय का प्रतिवेदन है कि और समितियां भी स्वयं स्वीकार करती हैं कि पुराने सुरक्षित बन अधिक अधिकारों का भार नहीं उठा सकते। ऐसी अवस्था में सरकार को खेद है कि वह इस संस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकती।

(२) बांज के ऐसे वृक्ष जो बन विज्ञान के दृष्टिकोण से हटाये जा सकते हों, कुमायूं के वास्तविक निवासियों को मुक्त रूप से दिये जाने चाहिये किन्तु समितियों ने कहा है कि कुछ पुराने सुरक्षित बनों पर अधिकारों का असाधारण भार है और दूसरे बनों का इसलिये संरक्षण करना चाहिये कि नगरों को ईंधन तथा कोयले की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह वन विभाग द्वारा शा० आ० सं० ६६०/१४—३१२—(५), दिनांक १ नवम्बर, १९३२ के अन्तर्गत इस समय भी किया जा रहा है।

ख—चराई और चारा

(३) कुमायूं के सभी वास्तविक निवासियों के लिये चराई मुक्त होनी चाहिय।

क्योंकि पुराने सुरक्षित बन बहुत छोटे हैं और उन पर अधिकारों का असाधारण भार है, सरकार को खेद है कि वह इन सुरक्षित बनों को कुमायूं के सभी वास्तविक निवासियों के लिये नहीं खोल सकती।

(४) खरकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

सरकार द्वारा नये सुरक्षित बनों में खरकों के सम्बन्ध में प्रकट की गई अभियुक्ति पुराने सुरक्षित बनों पर भी लागू होती है। सरकार को खेद है कि वह इस संस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकती।

(५) बांज के बनों तथा पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों को छोड़ कर सभी बनों में भेड़ बकरियों को चरने दिया जाना चाहिये।

क्योंकि पत्ती चरने वाल पशु बन सम्पदा के सब से बुरे शत्रु हैं, सरकार को खेद है कि वह भेड़ों तथा बकरियों की वर्तमान संख्या में कोई वृद्धि नहीं कर सकती।

(६) विज्ञप्तियों के अन्तर्गत बंद किए गये क्षेत्रों और अल्मोड़ा रानीखेत के समीप के बनों को छोड़ कर शेष स्थानों पर कुमायूं के समस्त वास्तविक निवासियों के लिये घास काटना मुक्त होना चाहिये।

यह प्रस्ताव उस उद्देश्य की उपेक्षा करता है जिसके लिये इन खंडों को सुरक्षित बन घोषित किया गया था। वह उद्देश्य अन्य दूसरी वस्तुओं के साथ पर्वतीय नगरों की घास की पूर्ति करना था। मुक्त रूप से घास काटने की सुविधा से इस उद्देश्य की पूर्ति न होगी और सरकार को खेद है कि वह इस संस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकती।

(७) सरकार संस्तुति ५ और ७ को स्वीकार करती है, अर्थात्

(क) कुमायूं के किसी भी वास्तविक निवासी द्वारा पिरूल तथा सूखी पत्तियों के हटान पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये।

(ख) शाख तराशी के अन्तर्गत बांज की पत्तियां तोड़ने के नियमों को दो वर्षों तक परीक्षण दिया जाना चाहिये। इस समय के पश्चात् इस पर पुर्नविचार किया जाना चाहिये।

८—हरी पत्तियां—स्वीकृत जातियों के वृक्षों की हरी पत्तियों का काटना कुमायूं के सभी वास्तविक निवासियों के लिये मुक्त होना चाहिये।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार नहीं करती। स्वीकृत जातियों के वृक्षों की हरी पत्तियों को काटने की अनुमति उसी प्रकार है जिस तरह शाख तराशी की योजनाओं के अन्तर्गत बांज की पत्तियों को चुनने की।

ग—ईंधन

(९) श्रेणी दो के सुरक्षित बनों पर भी वही नियम लागू होने चाहिये जो पुरान सुरक्षित बनों पर लागू हैं। अर्थात् पुनः उत्पत्ति क्षेत्रों, वृक्षारोपण क्षेत्रों और देवदार बनों को छोड़कर कुमायूं क समस्त वास्तविक निवासियों को बिना किसी प्रतिबन्ध के गिरी पड़ी लकड़ी ईंधन के लिये प्रयुक्त करने की सुविधा होनी चाहिये, सिवाय इस दशा के जबकि ऐसी लकड़ी की व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता हो।

सरकार इस संस्तुति को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार करती है कि कोई भी वन उपज स्थानीय निवासियों अथवा यात्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ न बेची जाय।

(१०) ईंधन के उपयुक्त गिरी पड़ी लकड़ी नगरों में न लाई जाय।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है।

घ—गौण उपज

(११) विविध वृक्षों के नीचे उगने वाली झाड़ियों, फलों तथा जड़ों, लताओं की छालों और रिंगाल के सम्बन्ध में पुराने सुरक्षित बनों पर नियम (नियम १६) लागू होना चाहिये जो श्रेणी दो के सुरक्षित बनों में लागू है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार को अधिकार प्राप्त लोगों के लिये रिंगाल सुरक्षित करने को कुछ बनों को बंद करने का अधिकार प्राप्त रहेगा। सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है।

पत्थर निकालना

(१२) नई खानें बिना बन विभाग की आज्ञा के न खोली जानी चाहिये, जो इस बात की जांच करेगा कि बनों को क्षति पहुंचाये बिना कुछ अधिक खानें चक्की के पत्थरों, स्लेटों के लिये खोली जा सकती हैं या नहीं।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है।

(१३) चक्की के पत्थरों तथा स्लेटों पर रायल्टी समाप्त कर दी जाय।

यह संदेहजनक है कि इस प्रश्न पर उतना ध्यान दिया भी गया है या नहीं जितना दिया जाना चाहिये। सरकार का मत है कि इस प्रश्न पर अलग विचार किया जाना चाहिये क्योंकि यह समस्त प्रान्त की समस्या का एक भाग है।

(१४) चक्की के पत्थरों तथा स्लेटों की समस्त खानें व्यावसायिक प्रयोजनों के अतिरिक्त कुमायूं के समस्त वास्तविक निवासियों के लिये खुली रहनी चाहिये।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है।

पुराने सुरक्षित वन

(अधिकार मुक्त सुरक्षित बन)

अल्मोड़े जिले की समिति ने इन सुरक्षित बनों के सम्बन्ध में कोई संस्तुति नहीं की किन्तु बन विभाग से इस सम्बन्ध में ब्योरेवार प्रस्ताव मांगे। सरकार, बन विभाग द्वारा किये गये और कुमायूं वन समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकार करती है।

रानीखेत सुरक्षित वन क्षेत्र

(कालीगढ़ और जंगदेव खंड)

(१) इमारती लकड़ी चीर तथा बांज–(१) शासकीय आदेश संख्या ६६०/१४—–३१२-(५), दिनांक १ नवम्बर, १६३२ द्वारा, प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा न दी जाय क्योंकि यह खंड व्यावसायिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा न केवल रानीखेत के लिये प्रति वर्ष आवश्यक लकड़ी, २५,००० घनफुट इमारती चीर की लकड़ी तथा ११,००० मन कोयले की पूर्ति करते हैं किन्तु नाग जल कल और ब्रीवरी द्वारा प्रयुक्त २२,००० मन लकड़ी प्रति वर्ष की भी पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एकड़ चीड़ बन से लीसा निकाला जाता है और क्योंकि यहां इस कार्य को प्रारम्भ हुये थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ है लीसा अत्यन्त लाभदायक दर पर प्राप्त होता है।

(२) चराई तथा घास काटना—निम्नलिखित कारणों से चराई की अनुमति न दी जाय।

(क) गांव वालों तथा रानीखेत के निवासियों द्वारा पशुओं के लिये चारे की बहुत मांग है।

(ख) समीप के गांवों में से अधिकांश स्वयं यह चाहते हैं कि इन बनों को घास काटने के लिये न कि चराई के लिये सुरक्षित कर दिया जाय।

(ग) यह नीति निश्चित रूप से सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के सर्वोच्च हितों में है। यह पूरी तरह पर सिद्ध हो चुका है कि सीमित घास काटने से चरने योग्य प्रति एकड़ घास की उपज में वृद्धि हो जाती है। चराई से इसमें कमी आ जाती है, जब कि अत्यधिक चराई से यह पूर्णतया नष्ट हो सकती है और भूमि कटाव भी हो सकता है।

घास काटना पूर्ववत जारी रक्खा जा सकता है किन्तु घास काटने का कोई अधिकार दिया नहीं जा सकता क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप :

(क) सरकार को १,३००रु० प्रति वर्ष की हानि होगी, (ख) रानीखेत छावनी को नुकसान होगा, जिसका अपने वनों से उपलब्ध घास की बिक्री पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ेगा यदि जनता समीपस्थ बनों की घास मुक्त रूप से प्राप्त कर सकेगी।

(ग) मछखाली के समीप के लोगों द्वारा लाभ के लिये अत्यधिक व्यापार किया जायगा जिनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे चारे की कमी के दिनों में काफी परिमाण में काटी हुई घास जनता को १ रुपया ४ आना प्रति मन तक के भाव से बेचते हैं ।

३—समीप के गांवों को बेचने के लिये नहीं किन्तु अपने निजी प्रयोग के लिये पिरूल तथा सूखी पत्ती हटाने, लताओं को छालों, फल रिंगाल तथा झाड़ियां निःशुल्क एकत्र करने की सुविधा प्रदान कर दी जाय । यह सुविधा रानीखेत नगर तथा छावनी के निवासियों को प्राप्त न हो ।

४—झावा मुंडी प्रस्ताव (३) में वर्णित सुविधा के समान झावा मुंडी के सम्बन्ध में भी इस प्रतिबन्ध के साथ सुविधा प्रदान की जाय कि वन विभाग को उन कूपों को बंद करने का अधिकार होगा जिसमें झावा मुंडी विक्रय के लिये आवश्यकता हो ।

५—पत्थर निकालना—कोई सुविधायें न दी जायं क्योंकि :

(क) पर्याप्त संख्या में अच्छी खाने दुली खेत में उपलब्ध हैं । जहां साधारण जनता सरलता से पहुंच सकती है ।

(ख) साधारणतया व्यावसायिक बनों में पत्थर निकालने का कार्य निरुत्साहित किया जाना चाहिये ।

६—बांज की पत्तियां—इन वनों में कोई सुविधा न दी जानी चाहिये क्योंकि इन खंडों में बांज अत्यधिक व्यावसायिक है, और बांज की पत्तियां तोड़ने की योजना द्वारा सभी आवश्यकतायें पूरी की जा सकेंगी ।

सिटोली तथा कालीमठ के वृक्षारोपण क्षेत्र

७—इमारती लकड़ी—कालोगढ़ तथा नगदेव खंड के सम्बन्ध में किया गया प्रस्ताव उपर्युक्त खंडों में भी लागू होगा किन्तु शा० आ० सं० ६९० १४–३१२(५), दिनांक १ नवम्बर, १९३२ इन पर लागू नहीं है ।

८—चराई तथा घास काटना—दोनों क्षेत्रों की घास अल्मोड़ा तथा समीपवर्ती गांवों को अच्छे चारे की मांग पूरी करने के लिये पूर्ववत् ठेके पर बेची जाय । कालोगढ़ तथा जगदेव खंड के सम्बन्ध में उपस्थित तर्क इन वृक्षारोपण क्षेत्रों के सम्बन्ध में और अधिक शक्ति से लागू होते हैं ।

९—पिरूल—अरण्यपाल के आदेश संख्या सी-३१४, दिनांक २१ जून, १९३० के अन्तर्गत पिरूल हटाने की सुविधा पूर्ववत्, प्राप्त रहे ।

१०—हरी पत्ती—अरण्यपाल के आदेश संख्या सी/३१४, दिनांक २१ जून, १९३० के अन्तर्गत हरी पत्तियों से सम्बन्धित सुविधा सम्मिलित कर दी जाय ।

११—सूखी गिरी लकड़ी—अरण्यपाल के आदेश संख्या सी--३१४, दिनांक २१ जून, १९३० के अन्तर्गत प्रदान की गई सुविधा प्राप्त रहे । वैभागिक ईंधन व्यवस्था के पश्चात् शेष झावा मुंडी अब की भांति उपर्युक्त सुविधा में सम्मिलित रहनी चाहिये ।

१२—लताओं की छालें तथा फल—समीपस्थ गांवों को यह निजी प्रयोग के लिये निःशुल्क दिये जायं ।

१३—झाड़ियां—झाड़ियों के सम्बन्ध में कोई सुविधा न दी जाय क्योंकि झाड़ियां बेची जा सकती है और नालों के समीपस्थ नंगे, बनस्पति हीन ढालों के कारण इनके हटाये जाने का सावधानी से नियंत्रण होना चाहिये ।

१४—पत्थर निकालना—किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है ।

१५—बांज के पत्तियों—पत्तियां चुनने की अनुमति न दी जायं क्योंकि इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का बांज रोग ग्रसित हो जाता है और पत्ती चुनने से उसके जीवन शक्ति का ह्रास होगा ।

७—कुमायूं बन समिति द्वारा नियुक्त जिला समितियों ने, (१) यातायात साधनों के सुधार, (२) बनों की पुनः सीमाबंदी, (३) शिल्पकारों के पुनर्वास, (४) लीसा उद्योग के गढ़वाल में प्रसार, (५) शस्त्रों के लाइसेन्स, (६) आराकश और (७) सूअरों तथा साही के पकड़ने के लिये जाल आदि क प्रचलन के सम्बन्ध में भी, जिन विषयों में उनसे परामर्श नहीं मांगा गया था संस्तुतियां की हैं । कुमायूं बन समिति को इनके सम्बन्ध में पृथक रूप से विचार करना चाहिये ।

पश्चिमी वृत्त

८—अधिकतर अवस्थाओं में पश्चिमी वृत्त के बनों में गांव वालों के अधिकारों की जांच के लिये नियुक्त की गई समिति की संस्तुतियां कुमायूं वृत्त के बनों के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों के समान हैं । इन अवस्थाओं में कुमायूं वृत्त के सम्बन्ध में संस्तुतियों पर प्रसारित आदेश पश्चिमी वृत्त पर भी लागू होते हैं । अन्य संस्तुतियों पर नीचे विचार किया जाता है :

(१) समिति ने सिफारिश की है कि मालगुजारों द्वारा हक की लकड़ी के वितरण में दुरुपयोग रोकने के लिये नियम बनाये जायं ।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है । आयुक्त प्रभारी कुमायूं खंड इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनायेंगे ।

(२) ईंधन—समिति ने संस्तुति की है—(क) वास्तविक पारिवारिक प्रयोग के लिये ईंधन की लकड़ी के हटाने का प्रतिबन्ध निरस्त कर दिया जाय :

(ख) जब वन विभाग ईंधन के लिये वन कूप बेचे तो इस बात की सावधानी रक्खी जाय कि स्थानीय जनता की आवश्यकता पूर्ति के लिये अन्य कूप उपलब्ध हों ।

(ग) थारुओं द्वारा बनों से लकड़ी उठाने की अवधि दो महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दी जाय ।

(घ) हक की लकड़ी को चिन्हित करने तथा उसे हटाने के सम्बन्ध में गांव वालों को अधिक सुविधा देने के लिये और बहुत कुछ किया जा सकता है ।

(ङ) शमशान घाटों पर मुर्दों के जलाने के लिये उन लोगों को जिन्हें आवश्यकता हो सदैव निःशुल्क ईंधन उपलब्ध होना चाहिये ।

सरकार इन संस्तुतियों को स्वीकार करती है ।

(३) शाख तराशी तथा चराई—(क) समिति का मत है कि सुरक्षित वृक्षों की अनेक जातियां जैसे बहेरा, हर्रा, जामुन, धौरी, तेंदू, कुसुम, अमलतास, पदम जिनकी शाख तराशी बनों को हानि पहुंचाये बिना की जा सकती हैं । तथापि वह यह अनुभव करती है कि कुछ समय तक वृक्षों को पत्तियां बिलकुल न काटी जायं और सुझाव देती है कि जहां कहीं संभव हो बारी-बारी शाख तराशी की एक योजना चलाई जाय ।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती हैं । मुख्य अरण्यपाल सुझाव देंगे कि किन वृक्षों को वृक्षों की सुरक्षित सूची से पृथक कर दिया जाय और वह बारी बारी से शाखतराशी की योजना बनायेंगे ।

(ख) भेड़ तथा बकरी—समिति इस विषय में एक मत नहीं है कि अधिकार रहित गांवों को कितनी भेड़ें अथवा बकरियां चरने की अनुमति दी जानी चाहिये । असरकारी सदस्य प्रत्येक परिवार के लिये अधिकाधिक १० भेड़ बकरियों की सिफारिश करते हैं किन्तु

सरकारी सदस्यों के विचार से यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अत्यन्त सावधानी के साथ विचार करना आवश्यक है ।

समिति संस्तुति करती है कि टट्टुओं को भी दूध देने वाले पशुओं के वर्ग में समझा जाय ।

क्योंकि भेड़ बकरियां वन उपज को सबसे अधिक हानि पहुंचाती हैं, सरकार को खेद है कि वह इनकी संख्या में कोई वृद्धि की आज्ञा नहीं दे सकती है तथापि उसे टट्टुओं को दूध देने वाले पशुओं के वर्ग में रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(ग) भोटिया तथा कवाड़ी—कुछ सदस्यों का मत था कि कुमायूं में रहने वाले भोटियों तथा कवाड़ियों से कोई चराई शुल्क न लिया जाय । समिति ने निश्चय किया कि इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है । तथापि वह संस्तुति करती है कि कालागढ़ और लैन्सडाऊन वन खंड में उन पर्वत निवासियों को जो जाड़े की ऋतु में अपने जानवर नीचे लाते हैं, अधिक बकरियां चराने की आज्ञा दी जाय ।

सरकार की दृष्टि में गोठिया तथा कवाड़ियों को चराई शुल्क से मुक्ति देने का कोई औचित्य नहीं है । नये गोठों के खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार का मत है कि सम्बंधित गांव को वन विभाग के विचारार्थ पृथक् से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें ।

(घ) जानवरों के लिये पानी की सुविधा—समिति का मत है कि जानवरों को पानी पीने की सुविधायें दी जाय और जहां-जहां वन के बंद क्षेत्र बीच में आ जाते हैं जानवरों को पानी के स्थान तक पहुंचने की सुविधा देने के लिये कोई न कोई व्यवस्था की जाय ।

सरकार इस संस्तुति को स्वीकार करती है ।

(ङ) भोटिया चराई—समिति की यह संस्तुति है कि भोटियों को एक पड़ाव पर तीन से अधिक बार रुकने की अनुमति न दी जाय और दूसरे नये उपयुक्त पड़ाव खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाय ।

सरकार को निश्चित पड़ावों पर तीन बार से अधिक रुकने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है । नये पड़ाव खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार का मत है कि इस सम्बन्ध में पृथक् से विचार के लिये वन विभाग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जायं

(४) सड़कें तथा रास्ते—समिति का मत है कि सरकार नई सड़कों के निर्माण के लिये अधिक धनराशि प्रदान करे और वर्तमान सड़कों को भारी मोटर यातायात के लिये उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कदम उठाये ।

सरकार इस सम्बन्ध में पहले ही से आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

(५) कुटीर उद्योग—समिति की सिफारिश है कि ग्राम विकास संस्थाओं तथा सहकारी समितियों की गौण वन उपज जैसे बेंत, बांस, पड़ेरा निःशुल्क दिये जायं । यह वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में पहले ही से अधिकारों के रूप में दी जा रही हैं । क्योंकि निःशुल्क दी गई सामग्री कदाचित ही मितव्ययता से प्रयुक्त होती हैं अतएव सरकार को खेद है कि वह इस संस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकती ।

(६) गौण उपज—समिति का सुझाव है कि पर्वतों की ओर से लाई जाने वाली गौण उपज पर कोई चुंगी न ली जाय किन्तु पर्वत क्षेत्रों से मैदानों को लाई जाने वाली वन उपज पर चुंगी ली जाय ।

सरकार का विचार है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर निश्चय विशेष जांच के पश्चात् ही किया जा सकता है किन्तु उसे इस बीच में उक्त सुझाव के परीक्षण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है ।

(७) शिकार—समिति का मत है कि सरकार द्वारा मांस भक्षी जानवरों को मारने के निमित्त बनाये गये नियमों का व्यापक प्रचार किया जाय, और ग्रामीणों को स्याही तथा सुअरों को मारने के लिये उत्साहित किया जाय, और सुअरों को मारने के लिये कुछ इनाम दिये जायें ।

सरकार का विचार है कि उसके द्वारा बनाये गये उक्त नियमों का यथेष्ट प्रचार पहले ही से किया जा चुका है और स्याही को मारने के लिये यथेष्ट पुरस्कार दिये जाते हैं । सुअरों के मारने के लिये पुरस्कार देने की वह कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करती ।

मछली मारना—समिति का सुझाव है कि स्थानीय गांव वालों को उन क्षेत्रों में जो अब अवैध रूप से मछली का शिकार रोकने के लिये बन्द कर दिये गये हैं, कुछ मात्रा में मछली मारने की अनुमति दी जाय ।

क्योंकि कुछ स्थानों पर जहां जनता को इस सम्बन्ध में अधिकार तथा सुविधायें प्राप्त हैं मछलियों का विशेषकर पालतू मछलियों का सामूहिक संहार किया गया है और क्योंकि वंशी और डोरी के द्वारा सुरक्षित वनों के भीतर भी ८ आना प्रति १५ दिन की नाममात्र फीस पर मछली मारने की अनुमति है, सरकार को खेद है कि वह और कोई सुविधा नहीं दे सकती ।

(८) सीमायें तथा अधिकारों का हस्तान्तरण—समिति का सुझाव है कि यदि कोई बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया जाय तो वह सीमाओं के पुनः निर्धारण तथा अधिकारों के हस्तान्तरण के प्रश्न पर भी विचार करे । एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि कुछ क्षेत्रों में गांवों के समीप के वनों की व्यवस्था गांव वालों को सौंप दी जाय, और यह कि कुछ भूमि, जो पहले गांव की साल अस्सी सीमा का भाग थी किन्तु बाद में सुरक्षित कर ली गई, खेती के लिये वन विहीनीकृत कर दी जाय ।

सरकार का विचार है कि इस सम्बन्ध में कोई वास्तविक शिकायत नहीं है, और उसका दृढ़ विश्वास है कि वन क्षेत्र को गांवों को सौंपने से उनका तेजी से विनाश होगा ।

(९) पानी—समिति संस्तुति करती है कि पीने तथा सिंचाई के लिये पानी निःशुल्क दिया जाय, किन्तु कोई नई डिग्गियां तथा गूलें बिना वन विभाग की पूर्व आज्ञा के न बनाई जायं ।

सरकार का मत है कि वन विभाग द्वारा पालन की गई नीति उदार है और सुरक्षित वनों के भीतर पानी की गूलें बनाने पर नियंत्रण रखना आवश्यक है । उसका मत है कि पानी की गूलों के लिये १ रुपये अथवा आठ आने प्रति वर्ष का नाममात्र शुल्क लिया जाय ।

(१०) कुमायूं वृत्त से पश्चिमी वृत्त को हाल में हस्तान्तरित खंड—समिति के असरकारी सदस्यों का मत था कि कुमायूं वृत्त से पश्चिमी वृत्त को हस्तान्तरित खंडों को कुमायूं वृत्त को पुनः हस्तान्तरित कर दिया जाये ।

क्योंकि यह हस्तान्तरण कुमायूं के हित में किया गया था, सरकार इन खंडों को पुनः हस्तान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं देखती ।

आदेश—आदेश दिया गया कि इस प्रस्ताव की प्रतियां उप-आयुक्त प्रभारी कुमायूं खंड, अल्मोड़ा, गढ़वाल, और नैनीताल के उप-आयुक्तों, मुख्य अरण्यपालों तथा अरण्यपाल, तथा प्रान्त के उप अरण्यपालों को भेज दी जाय ।

आदेश दिया गया कि यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेशीय गजट में प्रकाशित किया जाय ।

गवर्नर की आज्ञा से,
बजाहत हुसैन
सचिव ।

परिशिष्ट ७।

राष्ट्रीय वन नीति।

नई दिल्ली, १२ मई, १९५२

संख्या १३—१-५२ एफ०

भारत सरकार के पुराने राजस्व तथा कृषि विभाग ने अपने १९ अक्तूबर, १८९४ के प्रस्ताव संख्या १२-एफ० में देश के सरकारी वनों के प्रबन्ध के विषय में सामान्य नीति की स्थूल रूप रेखा स्पष्ट की थी। तब से अब तक आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में अत्यन्त व्यापक एवं महत्वपूर्ण विकास हो चुके हैं। देश की भौतिक स्थिति को सुरक्षित रखने में वनों का कितना महत्व होता है, यह अब अच्छी तरह से समझा जाने लगा है। भारत दो विश्व व्यापी युद्धों में से गुजर चुका है जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश की सुरक्षा वनों पर इतना निर्भर रहती है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। उद्योग तथा संचार साधनों का विकास एवं नदी घाटियों की तथा देश के पुर्ननिर्माण की अन्य योजनायें वन उपज पर अत्याधिक निर्भर हैं।

२—यद्यपि वन सम्बन्धी वर्तमान नीति पर आश्रित मौलिक धारणायें अब भी सही हैं, तो भी भारत सरकार का यह विचार है कि इस नीति की घोषणा के बाद हुये परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुये वन सम्बन्धी नीति को पुनः व्यवस्थित तथा स्पष्ट किया जाये।

३—राष्ट्र की महत्वपूर्ण आवश्यकतायें—भारत की राष्ट्रीय वन नीति देश की निम्नलिखित सर्वोपरि छः आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की गई है :

(१) भूमि उपयोग की एक सन्तुलित तथा अनुपूरक पद्धति को विकसित करने की आवश्यकता, जिससे कि प्रत्येक प्रकार की भूमि का ऐसा उपयोग हो कि ज्यादा से ज्यादा उपज तथा कम से कम ह्रास हो।

(२) निम्न बातों को रोकने की आवश्यकता—

(क) पर्वतीय इलाकों की मिट्टी का पानी के साथ बह जाना। इन इलाकों से ही उन नदियों को पानी मिलता है जो देश के उपजाऊ मैदानों से होकर बहती हैं।

(ख) बड़ी-बड़ी नदियों के वृक्ष रहित तटों का निरन्तर कटते रहना जिससे कि घाटियां बन जाती हैं तथा विषम एवं बेकार भूमियों के विशाल क्षेत्रों का निरन्तर कटते रहना जिससे कि संलग्न खेतों की उर्वरता नष्ट हो जाती है।

(ग) समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों का समुद्र की रेत से आक्रान्त हो जाना तथा रेत की टीलों का, विशेष रूप से राजस्थान के रेगिस्तान के टीलों का, अपनी जगह बदलते रहना।

(३) जनता के कल्याण तथा भौतिक एवं जलवायु सम्बन्धी हालात को सुधारने के लिये जहां-जहां संभव हो वहां वृक्षों वाली भूमि को तैयार करने की आवश्यकता।

(४) चराई के लिये अपेक्षित माल, कृषि औजारों के लिये छोटी लकड़ियां, तथा विशेषरूप से ईंधन उपलब्ध करने की लगातार बढ़ती हुई आवश्यकता जिससे कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये ढोरों का गोबर खाद के रूप में काम में लाया जा सके।

(५) देश की रक्षा, संचार तथा उद्योग के लिये अपेक्षित लकड़ी और वन उपज का निरन्तर उपलब्ध करने की आवश्यकता।

(६) पूर्वोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा वार्षिक आय की सार्वदिक वसूली की आवश्यकता।

ये महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, वनों का महत्व और उनकी उपयोगिता स्पष्ट करती है और उनके भविष्य के विषय में नीति निर्माणार्थ एक मौलिक आधार उपस्थित करती है।

४—कामों के अनुसार वर्गीकरण—भारतीय वनों को, चाहे वे सरकारी हों या निजी, पूर्वोक्त कामों के अनुसार निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है :

(क) रक्षण वन अर्थात् वे वन जिनका भौतिक अथवा जलवायु सम्बन्धी परिस्थिति की वजह से परीक्षण करना अथवा लगाना आवश्यक है।

(ख) राष्ट्रीय वन अर्थात् वे वन जिनकी देख-रेख और प्रबन्ध देश की रक्षा, संचार व्यावसायिक उद्योगों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक है।

(ग) ग्राम वन अर्थात् वे वन जो इसलिये रखे जायेंगे कि उनसे ईंधन प्राप्त हो सके ताकि गायों का गोबर खाद के रूप में काम में लाया जा सके, यह वन कृषि औजारों के लिये छोटी लकड़ी, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अन्य वन उपज तथा ढोरों के लिये चराई उपलब्ध कर सकेंगे।

(घ) वृक्ष भूमि अर्थात् वे इलाके जो वन सम्बन्धी साधारण व्यवस्था क्षेत्र से बाहर होते हुये भी देश की भौतिक परिस्थिति सुधारने के लिये अत्यावश्यक हैं।

यह वर्गीकरण केवल मोटे तौर पर किया गया है और इन वर्गों को एक दूसरे से भिन्न नहीं समझना चाहिये। वस्तुतः प्रत्येक वन से एक से अधिक कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिये प्रत्येक वन प्रबन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि उसके प्रमुख कामों में पूर्ण सफलता प्राप्त की जा सके। वनों के कामों के अनुसार किये गये इस वर्गीकरण का भारतीय वन अधिनियम १६,१९२७ में किये हुये वर्गीकरण के साथ जो कि वनों पर प्रयुक्त नियंत्रण की मात्रा पर आधारित है, कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

५—वर्गीकरण की आवश्यकता—कामों के अनुसार वनों का वर्गीकरण इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक वन के लिये अपेक्षित प्रबन्ध के तरीकों तथा उद्देश्यों के विषय में पूरा ध्यान दिया जा सके। प्रत्येक वन, चाहे उसकी बनावट, स्थान अथवा श्रेणी कैसी भी हो, रक्षा एवं उत्पादन दोनों का काम देता है और उसकी उपयोगिता स्थानीय, प्रादेशिक अथवा राष्ट्रीय महत्व की हो सकती है। तो भी इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि सब वनों के संरक्षण में, चाहे उनका मालिक कोई भी हो और किसी भी काम में आते हों, सम्पूर्ण देश का हित, निहित है और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर उन सबका प्रशासनिक प्रबन्ध भी करना होगा।

६—दो विचारों की सम्भावनाएं—इस विषय में दो विचार जो पहले ठीक मालूम होते हैं हो सकते हैं किन्तु इनको अनुचित महत्व देने से अन्त में देश हित के घातक हो सकते हैं इनका प्रत्युपाय करना आवश्यक है। ये निम्नलिखित विचार हैं :

(१) वन और उसकी उपज पर उसके समीप के क्षेत्रों का पहला हक है।

(२) वन क्षेत्रों पर कृषि आवश्यकताओं का पहला अधिकार है।

७—समीपस्थ लोगों का हक—यह स्वाभाविक ही है कि वन के पास के गांवों में रहने वाली जनता अपनी घरेलू तथा कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वन उपज का अधिक उपयोग करेगी। किन्तु इस उपयोग द्वारा राष्ट्र का अहित नहीं होने देना चाहिये। एक गांव का किसी वन के पास होना सारे देश को राष्ट्र सम्पत्ति से लाभ प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। वनों के महत्व एवं मूल्य को दृष्टि में रखते हुये उनका वैज्ञानिक संरक्षण करने से उपभोक्ता व्यक्तियों के स्वत्व एवं अधिकार का नियमन तथा संकोच भी अनिवार्य हो जाता है, चाहे समीपस्थ लोगों को इससे कैसा भी कष्ट क्यों न हो। मिसाल के तौर पर, हिमालय के वन राष्ट्र की श्रेष्ठ सम्पत्ति हैं और देश

की समृद्धि के लिये हम उनके आभारी हैं। हिमालय पर्वत की ढालों की मिट्टी का पानी बह जाने से तथा उनके कम विकास के फलस्वरूप बार-बार एवं जोरों से बाढ़ें आती हैं, कटाव होते रहते हैं और पर्वत के नीचे की उपजाऊ भूमि में मोटे कंकड़ जम जाते हैं। इससे भारत की गंगाघाटी मैदान में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों को असीम हानि तथा क्लेश उठाना पड़ता है, जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं है। इससे भूमि की उर्वरता को क्रमशः स्थायी धक्का लगता है और सारे देश की कृषि की पैदाइश में भारी कमी हो जाती है इसलिये यद्यपि स्थानीय जनता की आवश्यक मांगों को यथोचित पूर्ति करना आवश्यक है तो भी राष्ट्रीय हितों का विचार उनके अप्रत्यक्ष होने से त्याग नहीं करना चाहिये तथा वर्तमान जनता की विवेकहीनता के कारण भावी प्रजा के हित तथा अधिकार गौण नहीं समझने चाहिये।

८—कृषि प्रयोजनों के हित में वन भूमि का परित्याग—कृषि क्षेत्र के अव्यवस्थित विकास और वनों के लगातार नाश ने न केवल स्थानीय जनता को इंधन और इमारती लकड़ी से वंचित रखा है बल्कि आंधी, गर्म लू, तथा कटाव से सुरक्षित रखने के प्राकृतिक प्रतिकार उपायों का भी लोप कर दिया है। पुरानी नीति का उद्देश्य कृषि को प्रधानता देने का था और स्थायी कृषि के हित में वन गौण कर देने का था। चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों। यद्यपि वनों के त्याग के सम्बन्ध में कुछ शर्तें भी थी तो भी उनका उल्लंघन होता रहा जिसके फलस्वरूप परिस्थिति बिगड़ती गई एवं राष्ट्रीय हित की हानि हुई अतएव इस नीति को त्याग देना होगा। निःसन्देह स्थूल दृष्टि से वनों की अपेक्षा कृषि का हक अधिक बलवान मालूम होता है। यह धारणा व्यापक रूप से फैली हुई है कि वनों का भूमि पर कोई नैसर्गिक अधिकार नहीं किन्तु अन्य प्रयोजनों के पूरे हो जाने के बाद यदि कुछ भूमि बच जाये तो वहां वन लगाये जा सकते हैं। यह धारणा बिलकुल गलत है और इसका प्रतिरोध करना अत्यावश्यक है। राष्ट्रीय व्यवस्था के रक्षणात्मक तथा उत्पादनशील वस्तुओं में वन जो बड़ा भाग ले रहे हैं उससे उन्हें भूमि का पर्याप्त हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत की अधिकांश जनता अपने आजीविकार्थ कृषि पर निर्भर है। इस कारण ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में वनों के महत्व पर जितना भी जोर दिया जाय वह कम है।

९—भूमि का उपयोग—भूमि समस्या के हल करने का सही तरीका यह है कि भूमि का उपयोग संतुलित तथा अनुपूरक पद्धति से हो जिससे कि भूमि का उसी रूप में उपयोग किया जा सके जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो एवं कम से कम बिगाड़ हो। अतएव भूमि के उचित उपयोग के उद्देश्य से भूमि सम्बन्धी वितृस्त जांच-पड़ताल अत्यन्त वांछनीय है।

१०—रक्षण वन—रक्षण वन वे कहलाते हैं जो पर्वतों की ढलानों, नदी तथा समुद्र के तटों या अन्य स्थानों में जहां कटाव की सम्भावना है, पाये जाते हैं अथवा जिनका वहां लगाना आवश्यक है। ऐसे स्थानों में वनों का होना वहां की भू-भाग के रक्षण के विचार से भी आवश्यक है क्योंकि वनों द्वारा कटाव रोक दिये जाते हैं, नमी सुरक्षित की जाती है एवं बाढ़ों तथा पानी की तीव्र गति रोक ली जाती है। इस प्रकार के वन भूमि की मिट्टी को बहने से बचा देते हैं तथा जलग्रह क्षेत्रों के वन बाढ़ को रोकते एवं जल प्रवाह को जारी रखते हैं। इस कारण इस विषय में जो महत्वपूर्ण भाग वन ले रहे हैं वह वर्णनातीत है। समतल तथा रेतीली भूमि में, विशेषतः उस भूमि में जहां जलवायु खुश्क है, वन चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, हवा से पैदा हुए कटाव को कम करने, मिट्टी को स्थिर रखने, रेत के टीलों को बनने से रोकने, तथा वृक्षों की छाया से दूर की फसलों में निहित नमी को सूखने न देने का अत्यावश्यक काम करते हैं। अतएव राष्ट्रीय वन नीति के लिये यह आवश्यक है कि अधिकाधिक क्षेत्रों में वन लगा कर एवं वर्तमान वनों को सुरक्षित रख कर पर्वतीय इलाकों, नदी घाटियों तथा समुद्रतटवर्ती भू-भागों के तुरन्त सुधारने का एक शीघ्रातिक कार्यक्रम बनाया जाये। इस प्रकार के वनों की व्यवस्था का मुख्य ध्येय भूमि, जल एवं स्थानीय भौतिक तथा जलवायु सम्बन्धी परिस्थितियों पर उनके रक्षणात्मक प्रभाव का पूर्ण लाभ उठाने का होना चाहिये। इस ध्येय की सिद्धि के लिये उन हितों को गौण समझना चाहिये जिनका संकोच कर देना आवश्यक समझा जाता है। प्राणों एवं माल की सुरक्षा का ख्याल रखते हुये इन रक्षण वनों की वैज्ञानिक पद्धति से ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे लकड़ी के उत्पादन तथा प्रयोग से पूरा लाभ लिया जा सके।

११—पहाड़ियों तथा घाटियों का पुनः सुधार—पहाड़ियों की मिट्टी के पानी के साथ बहते रहने के कारण भूमि की उर्वरता पर बुरा प्रभाव और नदी तटों पर बढ़ता हुआ कटाव, जिसके लिये यमुना, चम्बल, माही, नर्मदा, कोसी तथा दामोदर नदियों ने काफी कुख्याति प्राप्त की है, इन दो बातों पर तुरन्त ध्यान देना आवश्यक है।

१२—राजस्थान के रेगिस्तान की गति का अवरोध—यहां राजस्थान के रेगिस्तान के प्रति, विशेषतः अपनी जगह बदलते रहने वाले रेत के टीलों को अचल बनाने के प्रश्न के प्रति ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। गर्मियों में इस प्रदेश में प्रचन्ड वेग से वायु चलती है। समुद्र तथा कच्छ की मरुभूमि से बड़ी तादाद में लदा हुआ नमक एवं रेत वाला यह वायु रेगिस्तान में भीषण आंधी पैदा करता है जिसका प्रकोप सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिम भारत में अनुभव किया जाता है। युगों से यह रेगिस्तान इस प्रकार फैलता रहा है कि सिंधु नदी पश्चिम को एवं सतलज उत्तर को स्थान बदलती रही हैं। सिर्फ पूर्व भाग में इसकी गति में थोड़ी-सी रुकावट अरावली की पहाड़ियों के कारण होती है। इस रेगिस्तान की गति को रोकना तथा इसके भीतर बचे हुए उर्वरक क्षेत्रों को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय वन नीति का एक प्रमुख ध्येय है।

१३—राष्ट्रीय वन—राष्ट्रीय वन भारत की शक्ति तथा सम्पत्ति के आधार स्तम्भ हैं क्योंकि इनमें बहुमूल्य इमारती लकड़ी वाले क्षेत्र आते हैं जिनकी उपज प्रतिरक्षा, संचार तथा अतिआवश्यक उद्योगों के लिये अनिवार्य है। इनका प्रबन्ध मुख्यतः सम्पूर्ण राष्ट्र के हित में होना आवश्यक है और इनका संघटन एवं विकास करना राज्यों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम है। व्यावसायिक उद्योगों के लिये लकड़ी बराबर मिलती रहे तथा प्रतिरक्षा, संचार एवं अन्य राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये बड़ी इमारती लकड़ी उपलब्ध हो, इसलिये इनका वैज्ञानिक और व्यावसायिक ढंग से प्रबन्ध करना अत्यावश्यक है। जहां तक वनों का सम्बन्ध है, हमारी मूलनीति इन अत्यावश्यक वस्तुओं में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की होनी चाहिये इसलिये भावी विकास भी इसी दिशा में करना होगा। खेती को इन बहुमूल्य इमारती लकड़ी वाले क्षेत्रों की सीमा में नहीं जाने देना चाहिये। बेशक निरंतर रूप से बढ़ती हुई आबादी की खाद्य समस्या का हल जोरदार खेती द्वारा करना होगा। परन्तु वनों को काट कर राष्ट्रीय सत्ता के मूलभूत आधार को ढीला कर देना इस समस्या का सही हल नहीं है।

१४—ग्राम वन—ग्राम वनों को लोक भाषा में ईंधन वन भी कहते हैं। इन से आस-पास के गांव की, मकानों एवं कृषि औजारों के लिये लकड़ी ईंधन, खाद और चारे के लिये पत्तियों, आड़ देने के लिये कांटे, चराई तथा खाने योग्य वन पदार्थों से सम्बन्ध रखने वाले अन्य आवश्यकतायें पूरी होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपेक्षित वस्तुएं मामूली दरों पर उपलब्ध होनी चाहिये बशर्ते कि ग्रामीण जनता उनका स्वयं उपयोग करे और उनको व्यापार के काम में न लाये। इन ग्राम वनों के प्रबन्ध का उद्देश्य स्थानीय जनता की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताएं पूरा करने का अतएव इन बनों से वार्षिक उपज से अधिक उपज निकालने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। न केवल वर्तमान जनता के हित में बल्कि भावी जनता के हितार्थ भी प्रतिबन्ध लगा देने चाहिये। इन विचारों से यह सिद्ध होता है कि उचित बचाव के उपाय करने के बिना पंचायतों को ग्राम वनों के प्रबन्ध का काम सौंप देने से संकटमय स्थिति पैदा हो जायगी जैसा कि कुछ राज्यों में देखा गया है। ग्राम वनों की रक्षा करने, लगाने तथा स्थानीय जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये निर्धारित वन उपज के वितरणार्थ पंचायतों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये किन्तु साथ ही अर्थ-व्यवस्था तथा कार्य कुशलता को धक्का नहीं लगने देना चाहिये। जबकि इन वनों के प्रबन्ध में लाभ की भावना को गौण कर देना आवश्यक है तो भी कर देने वाली ग्राम प्रजा पर इनका बोझ लाद देना बिलकुल अन्याय होगा। इन वनों के विकास तथा देखभाल का खर्चा सम्बन्धित गांव वालों की आमदनी से ही निकल आना चाहिये।

१५—वृक्ष भूमियां—जैसा कि पहले कहा गया है यद्यपि वृक्षों वाली भूमियां वन व्यवस्था क्षेत्र से बाहर होने के कारण वास्तविक वनों का भाग नहीं मानी जा सकती तो भी भारत जैसे देश

में जहां इनकी वृद्धि, प्रबन्ध तथा विकास करना जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अत्यावश्यक हैं। इनकी किसी भी विचार पूर्वक निर्मित की हुई नीति में से अलग करना अनुचित होगा। भारत सरकार के "भूमि स्वरूप परिवर्तन कार्यक्रम" का ध्येय दस वर्षों में ३० करोड़ वृक्ष लगाने का है। किन्तु देश में जल तथा पौष्टिक तत्वों के संतुलन को फिर से प्राप्त करने के लिये जो २,००० करोड़ वृक्षों के लगाने की आवश्यकता है उससे यह संख्या बहुत ही कम है। राज्यों के वन विभागों द्वारा वर्तमान में इतने बड़े पैमाने पर वनों का लगाना, उनके पास निधि और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण असम्भव है। इस विषय में प्रगति का एकमात्र उपाय जनता से वृक्ष चेतना को जागृत कर देना ही है। इस जागृति द्वारा जनता को वृक्षों के लगाने में प्रोत्साहन मिलेगा जैसा कि राष्ट्रीय वन महोत्सव आन्दोलन की सफलता से सिद्ध हो चुका है। इसके साथ ही बहुमूल्य वृक्षों को काट देने की असभ्य प्रवृत्ति भी रुक जायेगी तथा जनता को वृक्षों के सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलेगी जोकि उतनी ही दुर्लभ है जितनी की अभीष्ट है।

१६—वृक्ष भूमियों को बढ़ाने के लिये कार्य क्षेत्र की गुंजायश—राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र वृक्षों को लगा कर वृक्षों वाली भूमियों का क्षेत्रफल बढ़ाने के विषय में अत्यन्त विशाल है। सेना विभाग, रेलवे सरकारी निर्माण विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) विश्वविद्यालय तथा कालेज, जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं एवं अन्य स्थानीय समितियां तथा संस्थाएं अपने पास की भूमियों को वृक्ष भूमियों में बदल कर सहायता पहुंचा सकती हैं। इस नई वन नीति का ध्येय सुनियोजित वनों के लगाने के लिये विविध सरकारों तथा संस्थाओं को एक संयुक्त तथा सर्वोच्च प्रयत्न करने की दिशा में प्रेरित करने का है जिससे कि वृक्षों वाली भूमियां बढ़ती रहें। यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की स्थिति पैदा करने के लिये उपयुक्त सम्भावना खोज निकालनी होगी। सम्बन्धित सरकारों को वर्तमान वृक्ष भूमियों को बढ़ाने तथा नयी भूमियों पर वृक्ष लगाने का एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाना चाहिये। इस नयी नीति के अधीन सम्बन्धित वन विभागों के निम्न-कर्त्तव्य होने चाहिये :

(क) वृक्ष भूमियों के विकास, विस्तार तथा स्थान के बारे में अपने अधिकारियों में दिलचस्पी पैदा करना।

(ख) व्यावसायिक महत्व वाली वन जातियों को ख्याल में रखते हुए पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये योजनाएं बनाना।

(ग) बड़े तथा छोटे पौधों एवं बीजों को उपलब्ध करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में जखीरों तथा बीज भाण्डारों का स्थापन करना।

(घ) वृक्षों के रोपण का निरीक्षण करना तथा वृक्ष भूमियों के विकासार्थ यथोचित तकनीकी सहातया प्राप्त करना।

(ङ) जनता में प्रचार द्वारा, वन महोत्सव मनाकर तथा वन प्रेमी संघ को प्रोत्साहन देकर वृक्ष चेतना को जागृत करना।

१७—कृषि क्षेत्रों में वृक्ष भूमियां—देहातों की अर्थ रचना में जहां बहुत बड़ा अंश अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर रहता है वृक्ष भूमियों का इतना बड़ा महत्व है कि उस पर जितना भी जोर दें वह थोड़ा होगा। प्रथम दो वन महोत्सवों के अनुभवों से यह पता चलता है कि उन स्थानों में देहाती जनता ने पूरा सहयोग दिया, जहां पर सरकारी अफसरों ने पृष्ठ भूमि तैयार कर दी थी और जनता में उत्साह उत्पन्न कर दिया था। अपने आप लगाये वृक्षों के फल, लकड़ी और अन्य उपज का ग्रामीण जनता स्वयं उपयोग कर सकेगी, इस आश्वासन पर गांव की ग्राम भूमियों और सड़कों के दोनों और वृक्ष लगाने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहन देने के आन्दोलन ने बहुत अच्छी सफलता दिखाई है और भविष्य में ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा देना लाभकारी होगा। इन कार्यों में सफलता की प्रधान कुंजी स्थानीय ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग तथा वन विभाग और अन्य सरकारी विभागों द्वारा जनता को तकनीकी सलाह और सहायता करना था। यद्यपि बहुत स्थानों में किसानों के पास वृक्ष लगाने के लिये भूमि नहीं है तो भी अपने खेतों में प्रति एकड़ थोड़े से वृक्ष लगाने में उसे कोई भी दिक्कत

नहीं है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बहुत उपयोगी कार्य हुआ है जहां किसानों ने अपने खेतों में काफी बबूल के वृक्ष लगाये हैं, इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में अन्य प्रकार के वृक्ष का लगाना लाभकारी हो सकता है।

१८—निजी वनों पर नियंत्रण—जिन राज्यों में निजी वन अब भी मौजूद हैं, वहां वे निजी व्यक्तियों की सम्पति बने रहते हैं। वैयक्तिक अधिकारों के अव्यवस्थित प्रयोग द्वारा आम जनता के कल्याण को हर्जा वा खतरा पैदा न हो इसलिये राष्ट्रीय हित में निजी व्यक्तियों के इस प्रकार के स्वत्व अर्थात् मालिकपन का नियमन कर देना आवश्यक होगा। अतएव भौतिक, आर्थिक एवं जलवायु सम्बन्धी कारणों से निजी वनों का नियमन तथा नियंत्रण करना अत्यावश्यक है। विविध राज्यों द्वारा हाल में बनाये गये कानून का स्वरूप निम्न है :

(१) प्रथमतः निजी वनों के मालिकों को स्वीकार की हुई कार्यकारी योजना के अनुसार अपने वनों का प्रबन्ध करने का अवसर देना चाहिये।

(२) जहां वनों के मालिक जिद्दी हों एवं तुरन्त लाभ प्राप्ति के लोभवश अपना मूलधन बरबाद करने के लिये उद्यत् हों सिर्फ ऐसी स्थिति में कानून की यथोचित प्रक्रिया के अनुसार वनों का प्रबन्ध सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

(३) किन्तु सरकार द्वारा हथियाए हुई वनों का स्वत्व अर्थात् मालिकपन उनके मालिकों के हाथ में ही रहना चाहिये। सरकार को केवल प्रबन्ध का काम अपने हाथ में लेना चाहिये। उस प्रबन्ध के फलस्वरूप जो कोई शुद्ध लाभ हो वह मालिक को मिलना चाहिये।

निजी वनों के मालिक अपने वैयक्तिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये तथा वनों से पैसा कमाने के लिये वनों को अन्धाधुन्ध कटवाते हैं इस प्रवृत्ति से पूर्वोक्त कानूनी उपायों के उद्देश्य को भारी धक्का लगने की सम्भावना है। वनों की इस प्रकार की बरबादी को रोक देने के लिये राष्ट्रीय वन नीति की सफलता पर निर्भर है कि वनों का नियंत्रण एवं प्रबन्ध दृढ़ता से किया जाय और जहां यह नहीं किया जा सकता हो वहां यथोचित कानून द्वारा राज्य सरकारें उन्हें अपने हाथ में ले लें।

१९—वन क्षेत्रों का अनुपात—वनों के लिये स्थायी रूप से रखी जाने वाली भूमि का अनुपात, स्वभावतः भिन्न-भिन्न प्रदेशों में एक दूसरे से पृथक् होगा। व्यवहार की दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि समस्त भारत की कुल भूमि क्षेत्र के एक-तिहाई भाग में वनों को लगाने का ध्येय होना चाहिये। हिमालय, दक्षिण तथा अन्य पर्वतीय इलाकों में जहां कटाव की आशंका बनी रहती है, वहां पर पर्वतों की मिट्टी के बह जाने से उत्पन्न हानि की पूर्ति बनाये रखने के लिये इससे कहीं अधिक भूमि अर्थात् ६० प्रतिशत, वनों के अन्तर्गत रखनी चाहिये जिससे कि वे इलाके सुरक्षित रह सकें। उन मैदानों में जहां भूमि समतल है और जहां कटाव भी साधारणतया अधिक नहीं होता, वनों के अन्तर्गत भूमि का अनुपात २० प्रतिशत रखना चाहिये। कृषि की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए वन भूमियों के विस्तार का कार्य उन नदियों के किनारों और अन्य अनुकूल स्थानों पर जो कि कृषि योग्य नहीं है करना चाहिये। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि भारत के समस्त प्रदेश में वनों के वितरण का एक-सा रखना उतने ही महत्व का है जितना कि उसके सामान्य अनुपात का रखना, इसलिये ऐसे क्षेत्रों में जहां वनों की कमी है आसपास की भूमि नदियों द्वारा छोड़ी हुई भूमि और गांवों की बेकार भूमि में वन लगाने का कार्य करना चाहिये। यदि पूर्वोक्त अनुपात से कहीं पर अधिक वन क्षेत्र हो तो उसे नाश नहीं होने देना चाहिये। अतएव सामान्य औसत कायम रखने के लिये यह आवश्यक है कि आसानी से वृक्ष उगाये जाने वाले राज्य उन भागों की कमी को पूरा करने में सहायता दे जिनमें जलवायु और भूमि प्रतिकूल होने के कारण वृक्ष उग नहीं पाते।

२०—वन्य जीवन—राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा पशु जाति की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है खास कर उन पशुओं की रक्षा पर, जो कि बहुत कम पाये जाते हैं जैसे शेर और एक सींग वाला बड़ा गैन्डा, जो शीघ्रता से लुप्त होते जा रहे हैं। यद्यपि जंगली सुअर, हरिण, शल्यक

जैसे पशुओं द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से इन्कार नहीं किया जा सकता, फिर भी उनके प्राकृतिक शत्रुओं के लोप हो जाने से उनकी संख्या बढ़ेगी ही। इसलिये यह आवश्यक है कि पक्षियों और पशुओं का विशेष कानूनों द्वारा रक्षा की जाय और इनमें से जिनकी कमी होती जा रही है उनके लिये रक्षा स्थान और बड़े-बड़े राष्ट्रीय पार्क बनाकर उन्हें वहां सुरक्षित किया जाय। इस कार्य के लिये भारत सरकार के खाद्य और कृषि मंत्रालय के. संख्या ७--११०:५१--एफ०, तारीख ४ अप्रैल, १९५२ ई० वाले प्रस्ताव द्वारा वन्य जीवन के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड का निर्माण किया गया है।

२१---चराना---सरकारी वनों में चराने का प्रश्न विवादास्पद होने के कारण इस विषय में सरकारी नीति का साफ बतला देना आवश्यक है। साधारणतया वनों में प्रत्येक प्रकार की, विशेषतः असीमित या अनियंत्रित चराई वैज्ञानिक वन रोपण के अनुरूप नहीं है। परन्तु चराई वनों में होती ही है यह एक सत्य बात है जो माननी पड़ेगी। वस्तुतः बहुत से राज्यों में ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे परिमित चराई द्वारा प्रत्यक्ष हानि तो थोड़ी होती है जब कि आग का भय कम करने के कारण बहुत अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। किन्तु योग्य वन व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि चराई के समय और स्थान के साथ-साथ चरने वाले पशुओं की संख्या भी नियमित की जाय। चराई सम्बन्धी नीति का निर्माण निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्तों के आधार पर होनी चाहिये:

(क) पशुओं के बड़े-बड़े झुंडों को एक ही क्षेत्र में लगातार चराई अच्छी घास बरबाद कर देती है तथा घास की खासियत को बिगाड़ देती है। जहां चराई की इजाजत है और बहुत मांग है वहां पर बारी-बारी से चराई कराने की कोशिश करनी चाहिये तथा देहात के लोगों को इसके फायदे बताने और प्रदर्शित करने चाहिये।

(ख) सस्ती वन चराई का बुरा नैतिक प्रभाव पड़ता है। इससे पशुओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि, वन चराई का कम हो जाना, पशुओं के स्तर में गिरावट एवं इस गिरावट की पूर्ति के लिये पशु संख्या में अधिक वृद्धि इत्यादि बुरे परिणाम होते हैं। अतएव अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित वन चराई ढोरे की नस्ल सुधारने में अत्यन्त बाधक होती है। यह धारणा कि किसान की सम्पति उसके पशुधन (चाहे उनमें गुणों का अभाव है) की संख्या पर निर्भर है एक कारण है जिससे कि भारतीय पशुधन का आर्थिक महत्व नहीं होता। इस धारणा से प्रतिरोध अत्यावश्यक है।

(ग) चराई को मुख्यतः राजस्व का एक स्रोत नहीं मानना चाहिये। लेकिन चराई के नियमन तथा नियंत्रण एवं चराई तथा ढोरों को खासियत में सुधार लाने का साफ और सादा उपाय यह है कि चराई पर उचित फीस लगा दी जाय।

(घ) जिन क्षेत्रों को फिर से उगाया जा रहा है और जहां ताजी बुआई की गई हो वहां जब तक पौधे पनप न जायें चराई की इजाजत नहीं देना चाहिये, क्योंकि उनके खाये या कुचले जाने का भय बना रहेगा।

(ङ) रक्षण वनों में चराई कम से कम कराई जानी चाहिये।

२२---भेड़ और बकरियां---भारत एवं विदेशों से प्राप्त अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि वनों में भेड़ों के चराने पर प्रतिबन्ध लगा देने चाहिये और बकरियों को तो बिलकुल घुसने भी न देना चाहिये। अक्सर इनके चरे हुये छोटे-छोटे पौधों के नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता है और इनका वनों के अन्दर आना वन प्रबन्ध के उद्देश्य एवं ध्येय से संगत नहीं होता। इनके लिये खास स्थान नियत कर देना आवश्यक है जहां चारा पैदा किया जाय तथा बारी-बारी से नियंत्रणपूर्वक वे चराई जा सकें

२३---स्थान परिवर्ती कृषि---कुछ क्षेत्रों में कृषि की जगह बदलते रहने से वनों को हानि पहुंचती है जिससे उसे बचाना अत्यावश्यक है। आदिवासी जो हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं और जो कृषि के लिये केवल मात्र कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुये बड़ी कठिनता से अपनी गुजर कर पाते हैं उनको युगों की रूढ़िवद्ध तथा हानिकारक प्रथायें छुड़ाने के लिए बल का प्रयोग न करके उन्हें समझाना होगा। सेवावृत से उन्हें इसके लिये प्रेरित करना होगा न कि आदेश देकर स्थान परिवर्ती कृषि अर्थात्

जिस कृषि की जगह अनियमित रूप से बदलती रहती है उसे नियमित करने के लिये वन (तौंग्य) प्रक्रिया के साथ संयुक्त कर देने की सम्भावना के विषय में खोज आवश्यक है जिससे कि दोनों का हित हो सके। इस दिशा में सफलता किसानों के पूर्ण सहयोग एवं विश्वास प्राप्त करने तथा उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं का आदर करने पर निर्भर है।

२४—वन उपज की निरन्तर प्राप्ति—वनों के प्राप्त साधनों को सदा बनाये रखने के लिये नयी वन नीति में यह बात आवश्यक समझी गई है कि वनों की पूर्वोक्त सब श्रेणी के प्रबन्ध के विषय में उसकी उपज की कमी या बेशी से सरकारी बजट उद्योगों एवं अन्य राष्ट्रीय व्यवसायों की व्यवस्था बिगड़ जायेगी इस कारण इसे कम से कम करना चाहिये। निजी वनों के सम्बन्ध में तो यह बात और अधिक महत्व रखती है। अतएव समस्त ठोस योजनाओं के निर्माण में निम्न बातें अवश्य होनी चाहिये :

(क) उपज में बढ़ोत्तरी की गणना जिससे कि वार्षिक बढ़ोत्तरी एवं वार्षिक कटाई समान की जा सके तथा मौलिक संपति अक्षुण्ण या संवृद्ध रहे।

(ख) नकशों का तैयार करना तथा वन पदार्थों की विविध अवान्तर जातियों के प्रचार, संभाल एवं वृद्धि उनके उगाने में सर्वाधिक अनुकूल कारण एवं उपज के नियमन के विषय में खोज।

(ग) घटिया वृक्षों के स्थान पर व्यापारिक महत्व के बहुमूल्य वृक्ष जातियों को लगाकर संयोजित वन रोपण सम्बन्धी योजनायें।

अतएव योजनाओं के निर्माण, संशोधन परिवर्तन, अनुसंधान एवं अंकगणन तथा वर्तमान वन स्रोतों को विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिये प्रत्येक राज्य को एक स्थाई संगठन की स्थापना करनी चाहिये, क्योंकि सुयोजित वन व्यवस्था के लिये ये काम अनिवार्य है।

२५—वन प्रशासन—कुशल वन प्रशासन के लिये यह अत्यावश्यक है कि वन विभाग उचित हो, वन कर्मचारी प्रशिक्षित तथा उतम हो एवं वन विज्ञान प्राणिविद्या तथा उपयोगिता के पहलुओं पर गवेषणा के काम में प्रगति हो।

२६—वन सम्बन्धी विधान—जहां तक केन्द्रीय सरकार तथा "क" भाग वाले राज्यों द्वारा नियंत्रित वनों का सम्बन्ध है, भारतीय वन अधिनियम तथा मद्रास वन अधिनियम में काफी विधियां मौजूद हैं "ख" भाग वाले कुछ राज्यों में कानून के बजाय वन नियम हैं। किन्तु इसमें कानून के समान ही शक्ति है लेकिन कुछ "ग" भाग वाले ऐसे राज्य भी हैं जहां वन सम्बन्धी कानून बिलकुल ही नहीं हैं। अतएव यह आवश्यक है कि सब राज्य जहां वन सम्बन्धी कोई अधिनियम नहीं है भारतीय वन अधिनियम के ढंग का अधिनियम बनाये या भारतीय वन अधिनियम को अपने राज्य में लागू करे कई राज्यों ने निजी वनों के नियंत्रण के लिये विधान जारी कर ही दिया है। जिन राज्यों में ऐसा कानून नहीं है उन्हें शीघ्र ही इसे जारी कर देना चाहिये। निजी वनों के विषय में कानून बनाते समय राज्य सरकारें यह न भूल जायें कि कानून के अमल करवाने के लिये उचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होगी।

२७—वन शिक्षा—वन राजिको और उच्च वन अफसरों के लिये वन अनुसंधान संस्थानों तथा कालेजों में आजकल वन विज्ञान के पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्यों को यह सलाह दी जाती है कि वे केंद्रीय सरकार के देहरादून कालेज से प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठाते रहें। यह कालेज विश्वविख्यात एवं सर्वांगसम्पूर्ण वन अनुसंधान से संयुक्त है। कालेज की वन विज्ञान की सामान्य शिक्षा वन अफसरों में ऐक्य भावना उत्पन्न करने में बड़ी कारगर होती है। इससे वन संबंधी विषयों पर सामान्य दृष्टिकोण लाया जा सकता है एवं देश भर में सुगंठित तथा समन्वित नीति बनाई जा सकती है। वन प्रबन्ध के कर्मचारियों की उन्नति की संभावना सीमित है। इसलिये वन विज्ञान शिक्षा के विकेंद्रीकरण से आर्थिकता एवं योग्यता को धक्का लगेगा, भेद की भावनाओं को बढ़ावा मिलेगा, बेकारी बढ़ेगी तथा वन स्त्रोतों का सुयोजित विकास कठिन हो जायगा।

२८—वनों में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रशिक्षण—उन निम्नवर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना होगा जिनकी तकनीकी कुशलता पर वन योजनाओं का क्रियान्वित होना तथा विस्तार अन्त में निर्भर है। ऐसे विद्यालयों के खोलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिये जिनमें पूर्ण सुविधायें उपलब्ध न हों। बिलकुल मितव्ययता से राज्य अपनी आवश्यकतायें पूरी कर सके इस कारण आवश्यक है कि परस्पर संलग्न राज्य आपस में मिलकर सहयोगपूर्वक सर्वांगपूर्ण तथा अब तक की जानकारी से युक्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय स्थापन करें।

२६—प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता—कुछ लोगों की यह भ्रममूलक धारणा है कि वनों की उत्पत्ति आप ही आप होती रहती है और उनके प्रबन्ध के लिये तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं। तकनीकी कर्मचारियों की कमी से तथा वन प्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों की वन व्यवसाय के विषय में योग्यता की गिरावट से, न केवल राजस्व में ही हानि होगी प्रत्युत वनों की आय स्थिति भी बिगड़ेगी जिससे वन उपज कम हो जायगी और देश की भौतिक परिस्थितियां बिगड़ जायंगी।

३०—वन अनुसंधान—वृक्ष वर्द्धन, वनस्पति विज्ञान एवं कीटविज्ञान जैसे वन विज्ञान के जैविक पहलुओं पर किया हुआ अनुसंधान कार्य विविध राज्यों के वन विभागों के सहयोग पर निर्भर रहा है। बहुत से राज्यों के पास इस काम के लिये अपने संगठन भी है। प्रत्येक राज्य में उसके अपने साधनों तथा आवश्यकताओं के अनुसार एक अनुसंधान संगठन का चलाना पूर्ण देश के वनों के उत्तम प्रबन्ध के लिये हितकारी है। दूसरी ओर वन उपज की उपयोगिता पर अनुसंधान कार्य हमेशा वन अनुसंधान संस्थान में, जहां अनुसंधान के लिये अपेक्षित विशेष उपकरण मौजूद हैं, आरम्भ किया गया तथा चलाया जाता रहा। इस संतुलित व्यवस्था के परिणामस्वरूप कार्य निपुणता एवं मितव्ययता सुरक्षित रहती है। स्वभावतः यह अनुसंधान शाला वन उद्योग सम्बन्धी विशेष शिक्षा का केन्द्र बन गया है। विविध उद्योगों की विशेषज्ञ व्यक्तियों की मांग पूरी करने के लिये काग एवं प्लायवुड सम्बन्धी तकनीकी विज्ञान लकड़ी का परिरक्षण, इमारती लकड़ी का संशोधन तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों के विशेष पाठ्यक्रम भी नियत किये जा चुके हैं।

३१—उद्योगों के साथ सम्पर्क—वन उपज पर किये हुए अनुसंधान कार्य के परिणामों का लाभ व्यापारों तथा उद्योगों को प्राप्त हो तदर्थ वर्तमान स्थिति में सुधार लाने का काफी क्षेत्र हैं। वन अनुसंधान संस्थान तथा इमारती लकड़ी एवं वन उपज का व्यापार और उद्योग करने वालों के बीच अधिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रचार कार्य के साथ-साथ संस्थान में विशेष सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था को सशक्त बनाना चाहिये।

३२—जनता की शुभ भावना सहकारी समितियां तथा वन-कार्यकर्ता—यद्यपि वनों का सुव्यवस्थित प्रबन्ध, वन विधान, शिक्षा तथा अनुसंधान पर आश्रित है, तो भी उसका दृढ़ आधार समीप रहने वाली जनता की कल्याण तथा शुभ भावनाएं ही हैं। जनता की हार्दिक सहायता तथा सहयोग के बिना किसी भी वन नीति की सफलता की रत्ती मात्र भी आशा नहीं की जा सकती है, चाहे वह कितनी भी सावधान पूर्वक निर्मित हो और जनता के कल्याण की भावना भी रखती हो। यह मान लेना ही काफी नहीं हैं कि जनता को रियायती दर पर या राजशुल्क से मुक्त वन उपज को खरीदने का अधिकार है, आवश्यकता इस बात की है कि जनता को वनों की उयोगिता में साक्षात दिलचस्पी लेने के लिये प्रेरित किया जाय। बिचौलिये अपने लाभ के लिये वनों एवं स्थानीय मजदूरों से अनुचित लाभ उठाया करते हैं। उन्हें हटाकर उनके स्थान पर स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल वन मजदूरों की सहकारी समितियां बना देने से लाभ होगा। स्थानीय जनता का एक बार यह जान लेना कि वन उनकी आजीविका के साधन हैं, वन नीति की सफलता की दिशा में एक बड़ा भारी कदम होगा।

३३—वन बजट—चूंकि वन सम्बन्धी सारा काम लम्बे अर्से तक चलता रहता है इसलिये राज्य सरकारों का यह कर्त्तव्य है कि इसे वार्षिक बजट की अनियमितता का शिकार न होने दें। वनों से सम्बन्ध रखने वाले कई काम निरन्तर रूप से चलते रहते हैं। वर्ष भर में कटाई से हानि की पूर्ति करना, शेष फसलों को सुधारना, दूरवर्ती क्षेत्रों में संचार साधनों का विकास करना तथा बचाव के

उपाय करना, इन निरन्तर चलने वाले कामों की सफलता के लिये धन का बराबर मौजूद होना बिलकुल अनिवार्य है। ये काम जिन योजनाओं पर मदार रखते हैं वे उचित काल एवं बदलती परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये बनाई जाती है और उन्हें पूरा विचार करने के बिना जल्दी से छोड़ देना उचित नहीं हैं। राज्यों की अर्थ सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष बजट में जो कटौतियां हुआ करती हैं उनसे वन प्रबन्ध बराबर चलते रहने में धक्का लगेगा, वनों से प्राप्त राजस्व में घाटा होगा एवं आगामी वर्ष में होने वाले फायदे भी जाते रहेंगे। इस कारण, राजस्व धन का कुछ भाग सरकारी हुंडियों में लगाकर एक निक्षेपनिधि (सिंकिंग फंड) का निर्माण करना चाहिये। भावों के चढ़ाव वाले वर्ष में तो इस प्रकार करना और भी अच्छा होगा। इस निक्षेप निधि से न केवल हानि की पूर्ति या विकास कामों के लिये ही धन उपलब्ध हो सकेगा बल्कि इससे एक सरकारी निधि का भी काम लिया जा सकेगा। तात्कालिक लाभ का विचार छोड़ देना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे प्रतिरक्षा एवं उद्योगों के लिये अपेक्षित बड़ी तथा विशेष प्रकार की इमारती लकड़ी मिलनी मुश्किल हो जायगी तथा जलवायु में परिवर्तन हो जाने से कृषि पर बुरा असर पड़ेगा। बड़ी और लम्बी लकड़ी के पैदा करने के हेतु की हुई, बारी-बारी की फसल देश की आम अर्थ-व्यवस्था के लिये वनों में लगाये हुये धन से ज्यादा से ज्यादा व्याज कमाने के भावना से की जाने वाली बारी-बारी की फसल के अवसर अधिक महत्वपूर्ण हैं।

३४—**नीति सामान्य सिद्धांतों का स्पष्टीकरण एवं कथन**—यद्यपि अपने-अपने राज्य सीमाओं के भीतर वन प्रशासन सम्बन्धी व्यौरों का नियमन करने के विषय में राज्य सरकारों का अपने विवेकानुसार निर्णय करने पर कोई भी बन्धन नहीं लगाया गया है तो भी उन्हें वन नीतियों का निर्माण तथा वन स्रोतों के संरक्षणार्थ विधान तैयार करते समय, सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में पूर्वोक्त वन नीति के सामान्य सिद्धांतों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। प्रत्येक राज्य की वन नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे पास वाले राज्य की आर्थिक तथा भौतिक स्थिति को हानि न पहुंचे। राज्यों की वन नीति केन्द्रीय वन नीति के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप होनी चाहिये। यह नीति केन्द्र ने राष्ट्र के वन स्रोतों की रक्षा तथा विकास करने के लिये निर्धारित की है जो कि सर्व साधारण के कल्याण के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

परिशिष्ट ८

उत्तर प्रदेश सरकार

वन विभाग

विविध

१३ जुलाई, १९३१ ई०

सरकारी सूचना संख्या ४४१/१४-३६६, सरकारी सूचना संख्या ५७५/१४—२६६-१९२४ से संबंधित जो संख्या १०० २—१४-३६६, दिनांक २५ जुलाई, १९३३ ई० व संख्या १२२-एफ/१४—२२८, दिनांक २५ जून, १९३६ ई० की सूचनाओं द्वारा संशोधित हुई, यहां सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित की जाती है कि गवर्नर महोदय ने कौंसिल सहित शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, १८७४ ई० (१८७४ ई० की ऐक्ट सं० १४) की धारा ६ के अनुसार कुमायूं के पंचायती जंगलों के प्रबन्ध की व्यवस्था के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं :—

कुमायूं के पंचायती जंगलात के नियम

१—ये नियम समस्त कुमायूं कमिश्नरी के लिये लागू होंगे और उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रयोग में आ जावेंगे। ये नियम "कुमायूं के पंचायती जंगलात के नियम" के नाम से विदित होंगे और कुमायूं कमिश्नरी के पंचायती जंगलात के विषय में बने हुए पुराने सब नियमों को रद्द कर देंगे।

२—म्युनिसिपल और कैन्टोनमेंट की सीमाओं के बाहर कोई भी भूमि, जिसके प्रबन्ध के लिये एक योजना इन नियमों के अनुसार तैयार की गई हो, "पंचायती जंगल" समझी जायगी और ऐसी भूमि में ये सब नियम लागू होंगे।

३—किसी गांव के दो या दो से अधिक हिस्सेदार या खायकर अथवा खेती या शिल्पकारी का काम करने वाले, जो स्वयं या जिनके परिवार वाले दरख्वास्त देने की तारीख से बारह वर्ष पूर्व से वहां रहते हों, अपने गांव की ८० साल के बन्दोबस्त की सीमा के भीतर पंचायती जंगल की योजना निर्मित करने की प्रार्थना डिप्टी कमिश्नर महोदय को भेज सकते हैं। ८० साल के बन्दोबस्त के अलावा उन गांवों के अन्दर भी पंचायती जंगल की योजना की दरख्वास्त दी जा सकती है, जहां गांव वालों का हक़ किसी बन्दोबस्त या अदालत के फैसले के द्वारा स्थापित हुआ हो; किन्तु यदि एक-तिहाई या उससे अधिक निवासी हिस्सेदार या खायकर अपनी सीमा के अन्दर की किसी भूमि पर योजना के विरुद्ध आपत्ति प्रकट करें, तो वहां "पंचायती जंगल" की स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी।

प्रार्थना-पत्र में प्रार्थित भूमि की स्थिति और सीमा का यथासंभव पूरा-पूरा खुलासा देना होगा।

विशेषता—जिन गांवों में धड़े वा दलबन्दी पाई जावे वहां डिप्टी कमिश्नर साहब की इच्छा पर निर्भर होगा कि वे अलग-अलग धड़ों की पंचायतें निर्मित कर गांव की जो कुछ बंजर भूमि हो उसमें पंचायती जंगल निर्मित करने के लिये इन धड़ों में बांट दें।

नोट—जिन गांवों में लोग रहते न हों वहां के "निवासी" उन लोगों को समझा जायगा, जो वहां खेती करते हों। यदि वहां खेती न होती हो, तो वह हिस्सेदार या खायकर वहां के "निवासी" समझे जायेंगे, जो उस गांव के निकट बसते हों और उस गांव में जंगलात की पैदावार के हक बरतते हों।

४—नियम ३ के अनुसार प्रार्थना-पत्र पाने पर डिप्टी कमिश्नर महोदय उस गांव के प्रधान या उन गांवों के प्रधानों के नाम सूचना भिजवायेंगे, जिसकी दरख्वास्त पड़ी हो। यह सूचना आस पास के उन सब गांवों के प्रधानों को भी, भेजी जायगी, जिनको जंगलात के बन्दोबस्त के अनुसार प्रार्थित भूमि में हक या रियायतें प्राप्त हों। सूचना में प्रार्थित भूमि की स्थिति और सीमाओं का पूरा-पूरा खुलासा हो। और वह जिस निमित्त चाहिये उसका भी उल्लेख होगा। इसमें एक तारीख नियुक्त की जायगी। उस दिन प्रार्थना-पत्र यदि कोई उज्रदारी आई हो, तो उसकी सनवाई होगी।

५—नियुक्त तारीख को या उस अगली तारीख को, जिस दिन के लिये कार्यवाही स्थगित की गई हो, डिप्टी कमिश्नर महोदय मौके का निरीक्षण करेंगे। यदि कोई हक या उज्र उपस्थित हुए हों तो उनकी सुनवाई और निर्णय वहीं मौके पर कर देंगे। अगर साल ८० की सीमा के बाबत कोई तकरार हो तो डिप्टी कमिश्नर महोदय इसका भी फैसला सरकारी रीति पर कर देंगे और अपने फैसले के अनुसार बनाये जाने वाले पंचायती जंगलात की हदबन्दी का काम आरम्भ करेंगे। डिप्टी कमिश्नर महोदय के ऐसे निर्णय को वह माल अदालत, जिसको इसका अधिकार हो, संशोधन कर सकेगी। लेकिन डिप्टी कमिश्नर महोदय के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वे इस दावे के निर्णय होने तक पंचायती जंगल को बनाना स्थगित कर दें। डिप्टी कमिश्नर महोदय अपने निर्णय में कारण देते हुए पूरी अर्जी को या इसके किसी भाग को मंजूर या खारिज कर सकते हैं और मंजूरी की शर्तें भी नियत कर सकते हैं।

५—अ—जो पंचायती जंगल दर्जा १ व दर्जा २ रिजर्व फारेस्ट में बनाये गये हों उनमें केवल उन्हीं लोगों को हक दिये जावेंगे, जिनके अधिकार जंगलात के हक लिस्ट में दर्ज हों या जिनके साल ८० सरहद अन्दर वे जंगल हों।

६—इसके उपरान्त डिप्टी कमिश्नर महोदय एक सुविधाजनक स्थान पर और समय में उस इलाके के अस्सी साल के हकदार निवासियों को या जिनको इस जंगल के बन जाने से लाभ होगा अथवा उन दोनों को बुलायेंगे और अपने सामने उपस्थित व्यक्तियों से पंचायत चुन लेने को कहेंगे। पंचायत में कम से कम तीन और अधिक से अधिक नौ पंच रहेंगे। यथाविधि पंचों का चुनाव हो जाने पर वे अपने में से सरपंच छांट लेंगे।

७—(क) डिप्टी कमिश्नर महोदय उपरोक्त नियम ४,५,५–अ और ६ के अनुसार जो कुछ निर्णय देंगे उस पर कमिश्नर महोदय द्वारा पुनर्विचार हो सकेगा।

(ख) नियम २० के अनुसार "नियुक्त स्पेशल आफिसर महोदय" नियम ४,५,५–अ और ६ के अनुसार जो कुछ निर्णय देंगे उसकी अपील डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास हो सकेगी और डिप्टी कमिश्नर महोदय के फैसले पर कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार हो सकेगा।

(ग) उपरोक्त नियम ४,५,५–अ और ६ से संबंध रखने वाले सब विषयों में कमिश्नर महोदय का निर्णय अंतिम होगा और उसके विरुद्ध किसी भी दीवानी या माल अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

८—जब नियम ६ के अनुसार एक पंचायत यथाविधि निर्मित हो जाय तो डिप्टी कमिश्नर महोदय इस पंचायत से उस भूमि के लिये जो उसको सौंपी या दी गई हो, प्रबन्ध करने और उसका काम चलाने के लिये एक लिखित इकरारनामा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर महोदय जहां पंचायती जंगल स्थित किया जाय उस इलाके की वर्तमान हालतों का ध्यान रखते हुए इकरारनामा की शर्तें निश्चित करेंगे और अपनी कार्यवाही की स्वीकृति के लिये कमिश्नर महोदय के पास भेजेंगे।

९—नियम ८ के अनुसार पंचायतों से लिये जाने वाले इकरारनामें की शर्तें नियुक्त करते समय डिप्टी कमिश्नर महोदय प्रधानतया निम्नलिखित विषयों का उल्लेख करेंगे:—

(क) पंचायत या उसके पंच, पंचायती जंगल के लिये स्वीकृत भूमि का न तो बंटवारा कर सकेंगे और न बेंच सकेंगे।

(ख) कोई पंचायत पंचायती जंगल की पैदावार को गांव के लोगों और उन हकदारों के, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर महोदय ने माना हो, सर्वोत्तम लाभ के लिये लगायेगी।

(ग) पंचायत पेड़ों के लापरवाही से किये जाने वाले विनाश को रोकेगी।

(घ) पंचायती जंगल के लिये सौंपी हुई भूमि में पंचायत किसी को खेती नहीं करने देगी।

(ङ) पंचायत हदबन्दी के पिलर बनवाकर उनकी रक्षा करेगी।

(च) डिप्टी कमिश्नर महोदय पंचायती जंगल की उन्नति और रक्षा के लिये समय-समय पर जो कुछ आदेश देंगे उन सब का पंचायत पालन करेगी। इन आदेशों के मूल में निर्धारित योजना का सुधार कर देना भी सम्मिलित होगा।

(छ) ऊपर (क) से (च) तक की शर्तों के पालन न किये जाने पर पंचायत को दी हुई या सौंपी हुई भूमि की स्वीकृति काट दी जा सकती है।

१०—पंचायतों के पंचों का अवधिकाल तीन वर्ष का होगा और किसी पंच का स्थान खाली होने पर पंचायत को इस अवधिकाल में दूसरा पंच नियुक्त कर लेने का अधिकार होगा, परन्तु नियम ११ के अनुसार हटाये गये मेम्बर की स्थान पूर्त्ति वह नहीं कर सकेगी। रिक्त स्थान की पूर्त्ति तीन वर्ष पूरे होने में शेष समय के लिये होगी।

११—यदि कोई पंचायत बहुमत से अपने किसी पंच को हटा देना आवश्यक समझे, तो सरपंच को इसकी सूचना डिप्टी कमिश्नर महोदय को देनी होगी। डिप्टी कमिश्नर महोदय गांव में जाकर पंचायत के लिये वोट देने के अधिकारी लोगों की इच्छा जान कर उसके अनुसार कार्य करेंगे, यदि कोई मेम्बर पंचायत से हटा दिया जायगा, तो डिप्टी कमिश्नर महोदय तुरन्त ही एकत्रित वोटरों से एक नया मेम्बर चुन लेने को कहेंगे।

१२—पंचायत का पद जंगलात के आफिसर के समान होगा और पंचायत को सौंपे हुए क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकार होंगे:—

(क) पंचायती जंगल के अन्दर किये जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिये ५ रु० तक जुर्माना कर सकना और जिस अपराध के लिये इतना जुर्माना पर्याप्त न समझा जाय उसकी रिपोर्ट करके दोषी पर मुकदमा चला देना।

(ख) इन नियमों के अनुसार पैदा होने वाले दावों की पैरवी और जवाब देही करना।

(ग) जंगल को बिना किसी प्रकार हानि पहुंचाये जंगल की पैदावार, जिसमें बिनाई और छवाई के पत्थर भी सम्मिलित हैं, बेंचना, चराई, घास कटाई और जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के लिये फीस लेकर पास जारी करना।

परन्तु सरकार से विशेष आज्ञा प्राप्त किये बिना अथवा कंजरवेटर महोदय जंगलात कुमायूं सर्किल की स्वीकृति के बिना और उन सब आज्ञाओं का पालन किये बिना, जिन्हें कंजरवेटर महोदय डिप्टी कमिश्नर इंचार्ज कुमायूं की सम्मति से दें, पेड़ों से लीसा न निकाला जा सकेगा और न बेंचा जा सकेगा। इन आज्ञाओं में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हो सकेंगी:—

(१) कि लीसा निकालने और बेंचने का कार्य जंगलात विभाग स्वयं करेगा। इस अवस्था में लीसा बेंचने से यदि कोई लाभ होगा तो वह पंचायत और जंगलात विभाग के बीच उसी अनुपात में बांटा जायगा, जैसा कंजरवेटर महोदय बतावेंगे, अथवा

(२) कि निम्नलिखित शर्तों पर पंचायत लीसा निकालने और बेंचने का कार्य स्वयं भी कर सकती है:—

(अ) कि पेड़ों पर घाव लगाने और लीसा निकालने का काम जंगलात विभाग के ही प्रचलित नियमों के अनुसार होगा और जंगलात विभाग यह निश्चय करने के लिये कि उसके नियमों का यथाविधि पालन हो रहा है या नहीं, किसी भी समय इस कार्य का निरीक्षण कर सकेगा, और

(ब) कि निकाला हुआ समस्त लीसा जंगलात विभाग को बेंचा जायगा अथवा उस आढ़त को बेंचा जायगा, जिसे कन्जरवेटर महोदय प्रांतीय सरकार की अनुमति से बतलावेंगे।

विशेषता—यदि कंजरवेटर महोदय यह समझें कि कोई पंचायती जंगल लीसा निकालने के योग्य नहीं है या उपरोक्त आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है अथवा किसी और कारण से लीसा निकाला जाना उपयुक्त न समझें, तो कंजरवेटर महोदय को स्वाधीनता होगी कि वे डिप्टी कमिश्नर महोदय इंचार्ज, कुमायूं की सम्मति लेकर ऐसा लीसा निकालना पूर्णतया बन्द करा दें।

उपरोक्त विशेषता में घरेलू काम या औषधि के लिये लीसा निकालने का कोई निषेध नहीं है।

(घ) पंचायती जंगल में पशुओं के जाने व चराई की व्यवस्था करना।

(ङ) पंचायत की आज्ञा के बिना पंचायती जंगल में प्रवेश करने वाले पशुओं को खोड़ में डालना, और ४८ घंटे तक उन्हें रोक सकना।

(च) इन नियमों के द्वारा मिले हुए अधिकारों के अनुसार पंचायत ने जो आज्ञायें निकाली हों, ऐसी आज्ञाओं को न मानने वाले को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पंचायती जंगल को हानि पहुंचावे या आग लगावे, तो इसके विरुद्ध पर्याप्त कारण होने पर उसको पंचायती जंगल के किसी एक या सब अधिकारों से वंचित कर देना।

(छ) पंचायती जंगल के भीतर जंगलात संबंधी अपराधों के करने में काम में लाये सब हथियारों को छीन लेना।

नियम १२ के (च) और (छ) के अनुसार दी हुई पंचायत की आज्ञाओं के विरुद्ध अपील डिप्टी कमिश्नर महोदय के पास हो सकेगी।

१३—पंचायती जंगल की पैदावार हकदारों के बीच बांटने के लिये विधिवत् चराई, घास कटाई और जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने या इन नियमों के अनुकूल और किसी कार्य के लिये पंचायत अपने उपनियम (बाई-लाज) बना सकती है। पंचायत आज्ञाओं का पालन कराने के लिये पतरौल और चौकीदार नियुक्त कर सकती है।

१४—यदि प्रांतीय सरकार चाहे तो इन नियमों के अनुसार निर्मित किसी पंचायत को उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त पंचायत को सौंपे हुए क्षेत्र में किये हुए जंगलात संबंधी अपराधों में राजीनामा करने का अधिकार या फारेस्ट ऐक्ट की धारा ७२ के अनुसार एक या सब अधिकार दे सकती है। जब तक ये अधिकार पंचायत को नहीं दिये जाते तब तक ये सब डिप्टी कमिश्नर महोदय के होंगे।

१५—पंचायत का निर्णय बहुमत से होगा और मिनिट्स बुक (कार्यवाही रजिस्टर) में लिखा जायगा। पंचायत की सभा का कार्य चलाने के लिये बैठक में पंचों की संख्या कुल पंचों की की संख्या के दो-तिहाई से कम न होनी चाहिए। बराबर वोट होने पर सरपंच निर्णयात्मक वोट देगा।

१६—पंचायत को अपना हिसाब रखने के लिये उपयुक्त किताब और रजिस्टर डिप्टी कमिश्नर महोदय नियुक्त करेंगे। रजिस्टर हिसाब और धन अथवा अन्य चल-सम्पत्ति सरपंच की रक्षा में रहेगी।

१७—पंचायत की आय पंचायत फंड के नाम जमा की जायगी और सब से पहले पंचायती जंगल की उन्नति में व्यय की जायगी और कुछ बच रहे, तो पंचायती ग्राम के सार्वजनिक हित के कामों में लगाई जायेंगी।

१८—डिप्टी कमिश्नर महोदय को अधिकार होगा कि अपने कर्त्तव्य पालन की बार-बार उपेक्षा करने वाली पंचायत को अस्थिर अथवा भंग कर दें और गांव वालों को बुला कर नई पंचायत निर्माण करा दें। ऐसी अवस्था में यदि ग्रामवासी नई पंचायत निर्मित करने के लिये तत्पर न हों, तो डिप्टी कमिश्नर महोदय उस इलाके को किसी दूसरी पंचायत को सौंप दें, जो उसके प्रबन्ध करने के लिये तत्पर हो। जब तक एक नई पंचायत का निर्माण न हो, ऐसे जंगल के प्रबन्ध की अल्पकालिक व्यवस्था मुहकमा माल या जंगलात के कर्मचारियों द्वारा करा लें और उसके लिये नियुक्त फारेस्ट गार्ड या चौकीदार का व्यय उन पंचायती जंगल से संबंध रखने वाले ग्रामवासियों से वसूल करेंगे। ऐसी अवस्था में नियम १२ के अनुसार पंचायत को मिले सब अधिकार डिप्टी कमिश्नर महोदय को होंगे। यदि दूसरी पंचायत का निर्माण करना संभव न समझा जाय तो जंगल टूट जायगा और वह भूमि अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जायगी।

१९—पंचायती जंगल में खर्च हुए हिसाब मद्धे या इन नियमों के अनुसार बेची गई जंगलात की पैदावार के मूल्य मद्ध अथवा और कोई हिसाब मद्धे, जो न्यायतः इन नियमों के अनुसार गांव वालों से हकदारों से अथवा जंगल के अपराधियों से पंचायत को कोई रुपया लेना है, ऐसे पंचायत को प्राप्त होने वाला सब धन सरकारी धन के समान समझा जायगा और सरकारी बकाया लगान की भांति इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की धारा ८२ के अनुसार अपराधियों अथवा उस जाति या लोगों से, जिनको उस जंगल से लाभ होता हो, वसूल किया जा सकेगा।

२०—प्रान्तीय सरकार कुमायूं फारेस्ट कमेटी की सम्मति से एक या एक से अधिक स्पेशल आफिसरों को इन नियमों के अनुसार निर्मित पंचायती जंगलों के निरीक्षण और नई रचना के लिये नियुक्त करेगी। प्रत्येक आफिसर कमिश्नर महोदय के अधीन कार्य करेगा, लेकिन जिले में जंगलात के विषय में डिप्टी कमिश्नर महोदय का सहायक प्रतिनिधि स्वरूप होकर कार्य करेगा। इस नियम के अनुसार नियुक्त स्पेशल आफिसर को वे सब अधिकार होंगे, जो इन नियमों के अनुसार डिप्टी कमिश्नर महोदय को प्राप्त हैं। इसमें जंगलात के अपराधों का राजीनामा करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

२१—डिप्टी कमिश्नर महोदय के आदेश पर कंजरवेटर महोदय या डिवीजन फारेस्ट आफिसर महोदय अपने डिवीजन के पंचायती जंगलों का निरीक्षण कर सकेंगे और जांच के लिये पंचायत से अपने सब कागज पत्र उपस्थित करने को कह सकेंगे और पंचायत की कार्य-व्यवस्था और जंगल की अवस्था की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर महोदय को कर सकेंगे।

२२—कुमायूं फारेस्ट कमेटी के मेम्बरों को भी किसी पंचायत और उसके जंगल का निरीक्षण कर सकने का अधिकार होगा। उनको अपने निरीक्षण के लेख की एक नकल डिप्टी कमिश्नर महोदय को उचित कार्यवाही के लिये भेज देनी चाहिये।

परिशिष्ट—९

हक-हकूक की लकड़ी देने के लिए प्रस्तावित रजिस्टर के फार्म का नमूना

नाम ब्लाक जिसमें गांव को हक या रियायत दी गई थी	वार्षिक तादाद जो निर्धारित है घनफुट			वार्षिक तादाद जो छापी गई घनफुट			मांग पत्र की तिथि	छपान की तिथि
	मकान	गोशाला	काश्तकारी	मकान	गोशाला	काश्तकारी		
१	२			३			४	५

हक की लकड़ी के लिए आवेदन-पत्र दाता	आवेदन-पत्र की तिथि	मांग की गई लकड़ी की तादाद घनफुट			दी गई लकड़ी की तादाद घनफुट			पिछली बार इसी कार्य के लिए कितनी लकड़ी दी गई			दिनांक
		मकान	गोशाला	काश्तकारी	मकान	गोशाला	काश्तकारी	मकान	गोशाला	काश्तकारी	
१	२	३			४			५			६

ऐसा रजिस्टर शा० आज्ञा ३६५१/१४-५१५—१९४९ दिनांक ८ फरवरी, १९५२ के अनुसार रखना अनिवार्य है।

निरीक्षणकर्त्ता के हस्ताक्षर, पद और दिनांक

परिशिष्ट—१०

सचिव, संयुक्त प्रान्त शासन, वन विभाग, इलाहाबाद द्वारा अरण्यपाल कुमायूं वृत्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित शासकीय आदेश सं० ६९०/१४-३१२ (५) दिनांक १ नवम्बर, १९३२ की प्रतिलिपि।

आपके पत्र संख्या ५६६/४८–३०, दिनांक ३० अगस्त, १९३२ के उल्लेख से मुझे आप को यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि परिषद् में गवर्नर महोदय ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने की कृपा की है कि कुमायूं वृत्त में वन विभाग ने कुमायूं के वास्तविक निवासियों को वह वन सम्पदा जो बेची नहीं जा सकती, तथा जिसका हटाया जाना वन विज्ञान के दृष्टिकोण से वांछनीय तथा अनुज्ञेय है निःशुल्क प्रदान की जाय। जब ऐसी उपज की पूर्ति, मांग के बराबर न हो, तो वन से गांव की समीपता को अभ्यर्थना (दावे) की प्राथमिकता निश्चित करने में सामान्यतः आधार माना जायगा, किन्तु वितरण करते समय उक्त उपज इतने अधिक से अधिक, ग्रामीणों को दी जायगी, जो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये व्यावहारिक रूप में संभव हो, और ऐसे ग्रामों को, जिन्हें वन-बन्दोबस्त के समय अधिकार दिये गये हों, कोई विशेष प्राथमिकता न दी जायगी।

मुझे आपसे यह अनुरोध करने का भी निर्देश हुआ है कि कुमायूं बन समिति इन आदेशों से अवगत करा दी जाये।

परिशिष्ट—११

प्रस्ताव

वन विभाग

संख्या ६११/१४—१०६

इलाहाबाद, १२ जून, १९२२ ई०

कुमायूं में वन नीति

अवलोकन—१९११ में प्रारम्भ की गई, कुमायूं की पहाड़ी पट्टियों में सिविल वनों को सुरक्षित करने की नीति के कारण ग्रामीणों को कष्ट पहुंचने की अनेक शिकायतों पर विचार करके, गवर्नर सपरिषद् ने प्रस्ताव संख्या ७१२-सी, दिनांक १३ अप्रैल, १९२१ के द्वारा एक ऐसी समिति नियुक्त करने की कृपा की है जो उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि इस नीति अथवा इन नियमों अथवा इनके अन्तर्गत किये गये वन सुरक्षण में क्या संशोधन करना वांछनीय है।

२—समिति का निर्माण निम्नलिखित रूप में हुआ था:

(१) मिस्टर पी० विन्ढम, सी० आई० ई० सी० वी० ई०, आयुक्त, कुमायूं खंड, सभापति।

(२) ठाकुर जोध सिंह, बी० नेगी, एम० एल० सी०।

(३) मिस्टर पी० आर० मेरियर उप-अरण्यपाल।

पंडित लक्ष्मी दत्त पाण्डे, अध्यक्ष नगरपालिका, अल्मोड़ा की समिति के अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिलों के दौरे में वर्तमान समिति के सदस्यों के मत से सदस्य बना लिया गया था।

३—सम्बन्धित क्षेत्र का विस्तृत दौरा करने तथा छोटी-बड़ी प्रस्तुत की गई सभी शिकायतें की व्योरेवार जांच करने के उपरान्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें शिकायतों के निराकरण के उदार उपाय प्रस्तुत किये। समिति इस नतीजे पर पहुंची है कि गांव वाले वन बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा, जिन्होंने १९११–१७ में कुमायूं के बहुत से क्षेत्र सुरक्षित किये, बनाये गये नियमों को भली प्रकार नहीं समझ पाये हैं इसके परिणाम-स्वरूप इन नियमों को पूर्णरूप से, लागू करना असंभव रहा है, अतः अब उनका संशोधन आवश्यक है।

४—समिति की मुख्य संस्तुतियां, जिनको संयुक्त प्रान्त बन बोर्ड ने स्वीकृत किया है, निम्नलिखित है —

(१) यद्यपि व्यावसायिक महत्व के वनों की व्यवस्था विभाग के अधीन रहनी चाहिये, तथापि वन बन्दोबस्त अधिकारियों की नीतियों पर आधारित प्रकृष्ट वन प्रशासन का अब अधिकाधिक परित्याग कर दिया जाय:

(२) अव्यावसायिक वनों के सभी एकत्रित खंडों को वन विभाग के प्रबन्ध से पृथक कर देना चाहिये।

(३) इस प्रकार पृथक किये जाने वाले बनों का चुनाव जिला अधिकारियों को करना चाहिये जो कि पृथक किये गय क्षेत्रों को उनके पूर्ववत् सिविल बनों के स्तर पर ले जायेंगे, और

(४) पृथक किये गये वनों का प्रबन्ध पंचायतों द्वारा होना चाहिये और यदि संभव हो तो अन्त में सामुदायिक नियमों को प्रचलित करना चाहिये।

ऐसे वनों के सम्बन्ध में जिन्हें वन विभाग से पृथक न किया जाना चाहिये किन्तु उसी के अन्तर्गत रहना चाहिए, समिति सिफारिश करती है कि ऐसे वनों को दो श्रेणियों में विभक्त कर देना चाहिये:—

(क) वन जो, यद्यपि विशेष व्यावसायिक महत्व के नहीं हैं, किन्तु मुख्य नदियों को तथा जलागम क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था बनाये रखने के कारण महत्वपूर्ण है, और

(ख) वन जो, व्यावसायिक शोषण के उपयुक्त इमारती लकड़ी से भरे हों, और ईंधन तथा घास के भी सुरक्षित क्षेत्र।

समिति ने संस्तुति की कि प्रथम श्रेणी के वनों में वन विभाग का प्रशासन केवल नाम मात्र का होना चाहिये। वन रक्षक न रक्खे जाने चाहिये यद्यपि रेंजरी तथा उच्च वन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिये। विशेषरूप से आग से बचाव करने और पुनः उत्पत्ति के उपायों की व्यवस्था करने के लिये, दूसरी श्रेणी के वनों में अधिक कठोर नियंत्रण आवश्यक होगा, किन्तु इस सम्बन्ध में सावधानी बरतना चाहिये कि समीप के गांवों को यथासंभव कम से कम असुविधा हो।

५—समिति में इस प्रश्न पर मतभेद था कि वृक्षारोपण वन विभाग के अन्तर्गत रहे या न रहे। इस विषय में संयुक्त प्रान्तीय बन बोर्ड का मत है कि वृक्षारोपण क्षेत्र जब तक कि वे पर्याप्त रूप से बढ़ न जायं वन विभाग के नियन्त्रण में ही रहें और जब वे इस तरह बढ़ जांय, तो सरकार प्रत्येक दशा में पृथक निश्चय करें, कि ऐसे वृक्षारोपण क्षेत्र स्थानीय अधिकारों की पूर्ति के लिये खोल दिये जांय या नहीं। सरकार ने बोर्ड के इस मत को स्वीकार कर लिया है।

६—कुमायूं व्यय के दर्शनार्थ खाते के विषय में समिति द्वारा की गई कुछ संस्तुतियां अभी सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार वर्तमान समय में समिति के इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय देना अनावश्यक समझती है कि वन विभाग के नियंत्रण में इस समय जो वन हैं उन्हें किसी दूसरी संस्था के नियन्त्रण में देना अन्त में संभव होगा या नहीं?

उपर्युक्त अपवादों के साथ और आवश्यक दशाओं में भारत सरकार के अनुमोदन के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत गवर्नर सपरिषद् ने समिति की संस्तुतियां को स्वीकार कर लिया है। इन संस्तुतियों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है या की जा चुकी है।

७—गवर्नर महोदय सपरिषद् समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को समिति के कार्य के सम्बन्ध में किये गये श्रम तथा मूल्यवान प्रतिवेदन के लिये हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

आदेश दिया गया कि इस प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि समिति के सभापति तथा सदस्यों को सूचनार्थ भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया गया कि एक प्रतिलिपि आयुक्त कुमायूं, मुख्य अरण्यपाल संयुक्त प्रान्त को क्रमशः शासकीय आदेश सं० ३३६/३३७, दिनांक फरवरी, १७, १६२२ के क्रम में उनके पते से सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया गया कि एक प्रतिलिपि संयुक्त प्रान्तीय गजट में प्रकाशित कर दी जाय।

आज्ञा से,

ए० बी० रीड

सचिव।

परिशिष्ट—१२

कुमांयू में सिविल डिवीजन के वनों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों का जिलेवार विवरण

जिला		पुराने सुरक्षित वन (एकड़ों में) (अ)	नये सुरक्षित वन श्रेणी २ (एकड़ों में) (आ)	नये सुरक्षित वन श्रेणी १ (एकड़ों में) (इ)	रक्षित वन	योग
नैनीताल	..	५७,५०६	४,२०,१०७	५२,४५६	४,८९,०९०	१०,१९,१५९
अलमोड़ा	..	७७,३९१	४,५०,८८२	२,२३,९८३	..	७,५२,२५६
गढ़वाल	..	१,१५,०१६	६,२०,७१८	८,३९,०१९	..	१५,७४,७५३
टेहरी-गढ़वाल	..	..	१७,३७,३७५	..	..	१७,३७,३७५
योग	..	२,४९,९१३	३२,२८,०८२	११,१५,४५८	४,८९,०९०	५०,८३,५४३

५०,८३,५४३ एकड़ में ११,१५,४५८ एकड़ में श्रेणी १ वन हैं जो जिलाधीशों की देखरेख में हैं। ३९,६८,०८५ एकड़ में वन विभाग की देख-रेख में हैं।

(अ) ये वन हैं जो १९११ से पहले सुरक्षित वन घोषित किये गये थे।

(आ) ये वे वन हैं जो १९११ के बाद सुरक्षित किये गये और विभाग के नियंत्रण में हैं।

(इ) ये वे वन हैं जो १९११–१७ के बीच सुरक्षित घोषित किये गये थे और १९२१ के बाद जिलाधीशों को सौंप दिये गये।

परिशिष्ट—१३

कुमायूं सिविल डिवीजन में स्थित वनों की आय और व्यय का ब्योरा:—

खण्डों के नाम	आय (१९५०–५१)	व्यय (१९५०–५१)	शेष (१९५०–५१)	आय (१९५८–५९)	व्यय (१९५८–५९)	शेष	
१	२	३	४	५	६	७	
नैनीताल ..	५,४३,८१६ +४३,८१९*	५,६४,८०२ +६१,३९५*	२०,९८६ −१७,५७६*	१०,४७,८५१ +५,११,५४४*	९,६१,३२८ +६५,७५८*	+८६,५२३ +४,४५,७८६*	अरण्यपाल के कार्यालय की आय और व्यय
पश्चिमी अल्मोड़ा	१६,३३,००१	१६,९०,९०८	−५७,९०७	२०,८१,२७२	१६,९१,७१६	+३,८९,५५६	
दक्षिणी अल्मोड़ा ..	४,३२,६५९	२,२९,७३६	+२,०२,९२३	११,९७,१२५	७,५१,०२२	+४,४६,१०३	
उत्तरी अल्मोड़ा ..	—+	–	–	१४,२४,७३९	३,९४,७५४	+१०,२९,९८५	
उत्तरी गढ़वाल ..	१०,०३,५२२	२,५५,९२९	+७,४७,५९३	१०,२०,५००	७,१०,४५१	+३,१०,०४९	
दक्षिणी गढ़वाल ..	—+	—	—	४,४२,२३४	१,९०,८९८	+२,५१,३३६	
योग, कुमाऊं वन वृत्त	३६,५६,८१७	२८,०२,७७०	+८,५४,०४७	७७,२५,२६५	४७,६५,९२७	+२९,५९,३३८	
टेहरी ..	७,०४,९८१	२,६९,७९३	+४,३५,१८८	१५,८६,२७१	७,९५,७८१	+७,९०,४९०	
उत्तरकाशी ..	७,३५,८३८	१,९९,०४१	+५,३६,७९७	२१,१८,७५७	१०,७२,२१३	+१०,४६,५४४	

खण्डों के नाम	आय (१९५०-५१)	व्यय (१९५०-५१)	शेष (१९५०-५१)	आय (१९५८-५९)	व्यय (१९५८-५९)	शेष (१९५८-५९)
१	२	३	४	५	६	७
यमुना ..	४,६४,५९९	१,९८,८८४	+२,६५,७१५	२७,४१,१४८	५,४५,३६०	+२१,९५,७८८
टौन्स ..	८,५६,८४३	२,८३,८७०	+५,७२,९७३	३०,३८,७८२	३,२६,५१८	+२७,१२,२६४
योग, टेहरी वृत्त ..	२७,६२,२६१	९,५१,५८८	+१८,१०,६७३	९४,८४,९५८	२७,३९,८७२	+६७,४५,०८६
हल्द्वानी ..	१८,३७,९१५	४,९२,८४०	+१३,४५,०७५	३०,०६,९७८	५,९०,३९१	+२४,१६,५८७
रामनगर ..	२१,३२,२५६	४,०६,७२८	+१७,२६,५२८	२९,१०,९०२	५,८३,०४२	+२३,२७,८६०
कालागढ़ ..	२४,७७,७९२	३,०३,७३२	+२१,७४,०६०	१३,१६,२६७	५,३२,४१०	+७,८३,८५७
लैन्सडाउन ..	१८,८९,१३९	२,६९,१२८	+१६,२०,०११	११,५६,२३९	४,२६,६२२	+३,२९,६१७
तराई भाबर ..	१८,९२,४८१	२,७४,८५१	+१६,१७,६३०	२८,६८,०९९*	४,९६,९३६*	+२१,७१,१६३
योग, पश्चिमी वृत्त ..	१,०२,३०,५८३	१७,४७,२७९	+८४,८३,३०४	१,१२,५८,४८५	२६,२९,४०१	+८६,२९,०८४
पूर्ण योग ..	१,९६,४९,६६१	५५,०१,६३७	+१,११,४८,०२४	२,८४,६८,७०८	१,०१,३५,२००	+१,८३,३३,५०८

*इस आय में खटीमा रेन्ज की आय भी सम्मिलित है।

परिशिष्ट—१४

कुमायूं सिविल डिवीजन के जिलेवार क्षेत्रफल श्रेणीवार

जिला			क्षेत्रफल	प्रतिशत
गढ़वाल				
१—आबाद भूमि ..	..	..	८,६०,६७३	२३.६
२—खेती योग्य बंजर ..	..	..	१,३३,८४१	३.७
३—परती ..	..	..	३३.६८२	६.०
४—वन	..	..	२०,५४,७०७	५७.१
५—खेती के लिये प्राप्त नहीं है	..	..	५,१३,१०४	१४.३
	योग	..	३५,६६,३०७	१००.०
नैनीताल				
१—आबाद भूमि ..	..	..	२,६६,७७५	१५.०
२—खेती योग्य बंजर	..	..	२,८८,८१४	१६.१
३—परती ..	..	..	३४,५२७	१.६
४—वन	..	..	११,४७,६७६	६४.०
५—खेती के लिये प्राप्त नहीं	..	..	५३,८६८	३.०
	योग	..	१७,६४,६६०	१००.०
अल्मोड़ा				
१—आबाद भूमि ..	..	..	५,०५,०२६	१४.८
२—खेती योग्य बंजर ..	..	..	२१,६६१	०.७
३—परती ..	..	..	४३,६२२	१.३
४—वन	..	..	६,६०,१०१	२०.२
५—खेती के लिए प्राप्त नहीं है	..	..	२१,५०,७४६	६३.०
	योग	..	३४,११,७५६	१००.०
टेहरी				
१—आबाद भूमि ..	..	..	६४,४०७	२.३
२—खेती योग्य बंजर ..	..	..	२,४४,०००	८.५
३—परती ..	..	..	६५१	..
४—वन	..	..	१७,७५,६८६	६१.७
५—खेती के लिये प्राप्त नहीं है	..	..	७,६४,६६५	२६.५
	योग	..	२८,८०,००६	१००.०

परिशिष्ट—१५

हक-हकूकों व रियायतों में दी गई लकड़ी

वन खण्ड	हक में दर्ज की गई लकड़ी की मात्रा	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	औसत	ग्रामों की संख्या जिन के हक दर्ज हैं	वे गांव जो छूट गए थे और बन्दोबस्त की आवश्यकता है	वे गांव जिन के हकूक अधिक दूर पर हैं
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	घन फीट	घन फीट	घन फीट	घन फीट	घन फीट			
नैनीताल ..	१,६२,२२७	८०,०००	४९,०००	५२,०००	६०,३३४	५९९	६३	९८
पं० अल्मोड़ा ..	३,८१,२५९	१,८७,२५०	२,३०,३४३	१,९९,९४५	२,०५,८४९	१,१६७	८२	७
द० अल्मोड़ा	२,१४,२७०	८६,०००	८४,०००	३७,०००	६९,०००	१,४४१	——	४८
उत्तरी अल्मोड़ा ..	१,२०,५८९	..	४,२७०	१०,४४७	७,३५८	१,३७९	१३८	२
उ० गढ़वाल ..	१,३६,९३२	८६,४२६	७८,९७७	७८,१२१	८१,१७५	७०६	२३	४३
दक्षिणी गढ़वाल ..	१,७८,७९१	..	५४,४०३	६५,९०२	६०,१५२	१,६४०	३५	९८
योग, कुमायूं वृत्त ..	११,९४,०६८	४,३९,६७६	५,००,९९३	४,४३,४१५	४,८३,८६८	६,९३२	३४१	२९६

टिहरी ..	.. हक दर्ज नहीं है	१,०७,५३७	७०,०००	९६,०००	९१,१७९	१,६६४ ग्राम १,०२९ चक्स	५०	३८
यमुना ..	.. „	६७,७५०	५३,२००	६५,७७७	६२,२४२	४८८	..	..
टौन्स	.. „	१३,०००	१८,०००	१७,०००	१६,०००	..	..	..
उत्तर काशी	.. „	४७,२३०	४९,२७०	५६,०००	५०,८३३	४८७	१३	..
योग, टेहरी वृत्त	..	२,३५,५१७	१,९०,४७०	२,३४,७७७	२,२०,२५४	२,६३९ ग्राम १,०२९ चक्स	६३	३८
हल्द्वानी ..	.. २२,६६४	११,१८५	८,१३१	९,२०३	९,५०६	६००	४१	..
रामनगर ..	.. ७२,४६४	४५,५९७	५०,०३९	५४,८०९	४७,१४८	२२७	२२	८२
कालागढ़	.. ३५,०६०	१२,९६२	२४,०६०	१८,२०४	१८,४०९	४०५	..	२८७
लैन्सडाउन ..	.. ३३,०२१	३१,३०५	२५,२५५	२४,०५३	२६,८७१	३५३	..	१२२
तराई भावर	.. हक दर्ज नहीं है	५७,२९९	४९,४९९	५२,११९	५२,९६२	..	..	..
खटीमा रेञ्ज	.. ..	१३,१९९	१८,१६५	१४,९५३	१५,४२९	१,१६०	..	२५५
योग, पश्चिमी वृत्त ..	१,६३,२०९	१,७१,४८७	१,७५,१४९	१,६४,३४१	१,७०,३२५	२,७४५	६३	१,४४६

परिशिष्ट १६

सार्वजनिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर दी गई लकड़ी का विवरण

बन खंडों के नाम	प्राप्त हुए सार्वजनिक उपयोगिता प्रमाण पत्र				ग्रहण किये गये सार्वजनिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र				ग्रहण किये सार्वजनिक उपयोगिता प्रमाण पत्र पर दी गई लकड़ी			
	विगत पांच वर्षों का औसत (५१–५२ से ५५–५६)	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	विगत पांच वर्षों का औसत (५१–५२ से ५५–५६)	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	विगत पांच वर्षों का औसत (५१–५२ से ५५–५६)	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
नैनीताल ..	६	२	२	१	६	२	२	१	२,२८२	५००	२००	१८८
पश्चिमी अल्मोड़ा ..	१६	१६	६	२९	१६	१६	६	२९	४,९८९	२,५३६	२,२८०	८,२७५
दक्षिणी अल्मोड़ा ..	१९	२५	११	२०	१६	२४	७	१४	३,२८१	२,०८०	१,८००	२,८६०
उत्तरी अल्मोड़ा ..	..	५	६	४	..	२	५	१	..	२००	९,९५०	७५
उत्तरी गढ़वाल ..	१०	६	३	२	१०	६	३	..	२,६५६	९११	१,१७९	..
दक्षिणी गढ़वाल	..	..	३	२	..	..	३	२	..	—	३६९	२७६
योग कुमाऊं ..	५१	५४	३१	५८	४८	५०	२६	४७	१३,२०८	६,२२७	१५,७७८	११,६७५

टेहरी ..	१७	७	..	..	१७	७	..	..	६,०६३	२,६२०	..	..
यमुना ..	११	३	..	..	१०	३	..	..	२,२०२	७६४	..	..
उत्तरकाशी ..	६	३	..	..	८	३	..	..	३,५०२	८८४	..	..
टोन्स ..	विवरण	प्राप्त	नहीं	हुआ								
योग टेहरी वृत्त ..	३७	१३	..	..	३५	१३	..	..	११,७६७	४,२६८	..	..
हल्द्वानी ..	..	३	..	..	..	३	..	..	..	९९३	..	..
रामनगर ..	१३	८	५	१०	१३	८	५	१०	१,६६५	२,०८४	५,५१९	१५,८८७
कालीगढ़ ..	१	२	..	..	१	..	..	..	१७	५१०	..	.
लैन्सडाउन ..	१	३	१	..	१	३	१	..	२१४	४१९	४९५	..
तराई भावर	२	..	..	..	२	..	..	..	६६०	..	..	..
योग पश्चिमी वृत्त ..	१७	१६	६	१०	१७	१६	६	१०	२,८५६	४,००६	६,०१४	१५,८८७
पूर्ण योग ..	१०५	८३	३७	६८	१००	७९	३२	५७	२७,८३१	१४,५०१	२१,७९२	२७,५६१

परिशिष्ट १७

जिन्होंने कुमायूं वन तथ्य निरूपण समिति के समक्ष गवाहियां दीं उनका व्योरा

नाम	जिला नैनीताल	जिला अलमोड़ा	गढ़वाल	टिहरी	योग
ग्राम सभापति	३३	७५	७०	३०	२०८
सरपंच	७	२८	१३	२०	६८
प्रधान	..	११	१२	२	२५
एम० एल० ए०	२	४	३	३	१२
एम० पी०	१	१	..	..	२
एम० एल० सी०	१	१	..	..	२
अध्यक्ष, नगरपालिका सदस्य, अ० जि० पं० तथा नोटिफाइड एरिया	२२	६	५	१८	५४
सदस्य, कुमाऊं वन समिति	३	२	२	..	७
मुख्य अरण्यपाल	१	..	..	..	१
अरण्यपाल	२	..	..	१	३
उपअरण्यपाल	३	३	४	३	१३
अवकास प्राप्त अरण्यपाल	१	..	..	..	१
अवकाश प्राप्त उप-अरण्यपाल	१	..	१	१	३
अवकाश प्राप्त रेंजर	..	..	२	..	२
अवकाश प्राप्त फौरेस्ट पंचायत आफिसर ..	१	..	..	..	१
जिला नियोजन अधिकारी	१	१	..	..	१
फौरेस्ट पंचायत इंसपेक्टर	२	..	..	..	२
बी० डी० ओ०	..	३	३	२	८
फौरेस्ट रेंजर	३	४	२	२	११
अन्य	१४६-	२०६	१०४	७६	५४१
योग ..	२३३	३५१	२२१	१६१	६६६

परिशिष्ट १८

शासकीय आदेश सं० ४७० (१४)१, दिनांक १४ जून, १६५१ से सुसंगत उद्धरण

नियम ३

अधिकारों तथा सुविधाओं के अन्तर्गत प्राप्य इमारती लकड़ी अधिक से अधिक १० वर्ष तक की पूर्ति तक एकत्रित की जा सकती है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी गांव के लेखे में एकत्रित लकड़ी की मात्रा २००० घन फुट से अधिक न होगी, अथवा ऐसे गांव की दशा में जिसे २००० घन फुट से अधिक लकड़ी प्रति वर्ष प्राप्त हो, एक वर्ष की पूर्ति से अधिक न होगी। जब कोई गांव पांच वर्षों अथवा अधिक की लकड़ी एकत्र होने की मांग करे और उप-अरण्यपाल का यह मत हो कि मांगी गई सम्पूर्ण लकड़ी, उस खंड के कल्याण को दृष्टिगत करते हुये, जिसमें अधिकार तथा सुविधाएं अंकित हों नहीं दी जा सकती, तो वह इस प्रकार मांगी गई लकड़ी पूर्णतः या अंशतः समीपतम दूसरे ऐसे खंड अथवा खंडों से प्रदान कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसका मत हो कि वन को बिना क्षति पहुंचाये उक्त मांग पूरी की जा सकती है।

अधिकारों तथा सुविधाओं के अन्तर्गत कृषि प्रयोजनों के लिये लकड़ी अधिक से अधिक तीन वर्ष तक की एकत्रित की जा सकती है।

नियम ४

किसी खंड में ईंधन की लकड़ी का अधिकार अथवा सुविधा केवल गिरी सूखी लकड़ी तक सीमित है जो वस्तुतः उस खंड में उस समय उपलब्ध हो। वन विभाग ऐसी लकड़ी या किसी कमी को जो उसकी प्रत्यक्ष कार्यवाही के फलस्वरूप न उत्पन्न हुई हो, पूरा करने के लिये उत्तरदायी नहीं है।

नियम ५

चारे, छप्पर की घास, भावर घास, हरी और सूखी पत्तियों, फलों और जड़ों, लताओं की छालों और पत्तियों तथा रिंगाल के समस्त अधिकार अथवा सुविधायें उस मात्रा तक सीमित हैं जो कि समय-समय पर उस खंड में उपलब्ध हों, जिसमें उक्त अधिकार अथवा सुविधा अंकित हो। वन विभाग किसी ऐसी कमी का उत्तरायी नहीं है जो अधिकार अथवा सुविधा प्राप्त व्यक्ति के कार्य, आग, प्राकृतिक कारणों अथवा भारतीय वन अधिनियम की धारा १३ के अधीन उक्त खंड के किसी भाग के बन्द किये जाने से उत्पन्न हो।

नियम ८

शाख तराशी की समस्त सुविधाओं पर निम्नलिखत प्रतिबन्ध है :

(१) किसी वृक्ष की ऊंचाई के दो-तिहाई भाग से अधिक ऊंचाई तक शाखा तराशी न की जायगी।

(२) १॥ इंच व्यास से अधिक मोटी कोई शाखा न तराशी जायगी।

(३) किसी ऐसे वृक्ष की शाख तराशी न की जायगी जिसका तना १ फुट ६ इंच से कम मोटा हो।

नियम १०

अधिकारों के इस बन्दोवस्त में मछली मारने के अधिकार सम्मिलित नहीं हैं। अनुसूची (ख) में किसी प्रविष्टि के न होने से मछली मारने के किसी ऐसे अधिकार पर कोई प्रभाव न पड़ेगा

जो सम्बन्धित बन के सुरक्षित किये जाने के पूर्व वर्तमान हो, किन्तु जब कोई नये अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते ।

नियम ११

अनुसूची "ख" में किसी प्रविष्टि के न होने से रास्ते के वर्तमान अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किन्तु अब रास्ते के कोई नये अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते ।

नियम १२

छिलुके की लकड़ी किसी खड़े वृक्ष से न काटी जायगी, किन्तु किसी गिरे या काटे गये वृक्ष के ठूंठ से छिलुके के लिये लकड़ी काटने की सामान्य सुविधा रात में चलने वाले सभी पथिकों को प्रदान की जाती है ।

नियम १८

श्मशान घाटों के उपयोग के पृथक अधिकार अंकित नहीं हैं। इससे यह समझना चाहिये कि किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे वह जहां भी रहता हो, किसी वर्तमान घाट के वैध प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा, और कोई भी व्यक्ति चाहे उसे अधिकार प्राप्त हो या न हो ऐसे घाट पर मुर्दा जलाने के लिये समीपस्थ किसी वन से गिरी सूखी लकड़ी एकत्रित करने का अधिकारी है । किन्तु किसी सुरक्षित बन में कोई नया श्मशान घाट स्थापित नहीं किया जायगा ।

नियम १९

शहद एकत्र करने के कोई अधिकार अंकित नहीं है किन्तु इस सम्बन्ध में वर्तमान प्रथा में कोई हस्तक्षेप न किया जायगा ।

नियम २०

इस दशा में जब कि बन की सीमाओं में या बाहर रास्ते, श्मशान घाट या किसी सामान्य अन्य अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उस विवाद का निर्णय जिलाधीश करेगा और उसकी अपील आयुक्त के यहां की जायगी ।

अनुसूची "ख" में अधिकारों तथा सुविधाओं की अंकन विधि की व्याख्या

समस्त दशाओं में लकड़ी की मात्रा चीड़ के परिमाण में व्यक्त की गई है। जब साल के स्थान पर चीड़ दिया जाता है तो स्तम्भ ५ में अंकित मात्रा का केवल ३/५ दिया जायगा ।

परिशिष्ट १९.

बोर्ड के आदेश सं० ७६६/एम-११—२७८—बी, दिनांक २३ सितम्बर, १९३६ द्वारा स्वीकृत तथा सरकारी आदेश संख्या ६४/१, दिनांक ४ मार्च, १९३८ और शासकीय आदेश संख्या ७२२/१, १९३७, दिनांक २६ मार्च, १९४१ द्वारा संशोधित, तराई भाबर सरकारी इस्टेट के आसामियों को तराई भावर वन खंड से निःशुल्क इमारती लकड़ी प्रदान करने के नियम।

प्रारम्भिक

१—मूल्यवान जातियों की लकड़ी के सम्बन्ध में पूर्व प्रवृत्त प्रथा, जो अधीक्षक के द्वारा, अथवा सीधे रेंज अधिकारी को मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने की प्रणाली पर आधारित है, व्यावहारिक रूप में, अप्रवन्धनीय सिद्ध हुई है और अधीक्षक तथा विशेष वन अधिकारी के कार्यालयों में देर तथा अनावश्यक कार्य का कारण हुई है। यह निर्णय किया गया है कि (१) पक्के मकानों के लिये, (२) नये बसने वालों अर्थात् तराई भावर इस्टेट के एक वर्ष से कम के, काश्तकार आसामियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मांग पत्रों को छोड़ कर, मांग पत्रों की इस प्रथा को समाप्त किया जाता है। पक्के मकानों तथा नये बसने वालों की इमारती लकड़ी के मांग पत्र अधीक्षक, तराई भावर के द्वारा पूर्व रीति के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे। अन्य सभी आसामियों पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

तीन फिट से कम मोटाई की घटिया किस्म की इमारती लकड़ी

२—समस्त किसानों को इस बात की अनुमति होगी कि वे ऐसे क्षेत्रों से जो साल तथा वृक्षारोपण कार्य वृत्त (केवल पुराने तथा नये वृक्षारोपण क्षेत्र) में सम्मिलित न हों बिना किसी अनुज्ञापत्र के, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिये निम्नलिखित मूल्यवान जातियों के वृक्षों को छोड़ कर तीन फीट मोटाई से कम, कोई भी ऐसा वृक्ष काटें जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो :

साल, सैन, हल्दू, शीशू, खैर, सीमल, और अमलताश।

तीन फीट से अधिक मोटाई के मूल्यवान तथा घटिया किस्म के वृक्ष

३—अनुच्छेद १ में उल्लिखित (१) पक्के मकानों तथा (२) नये बसने वालों के अतिरिक्त मांग पत्रों का प्रस्तुत करना आवश्यक न होगा। अन्य समस्त प्रयोजनों के लिये आसामियों की मांगों की पूर्ति, उनकी अनुमानित वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार, नई पौध, लट्ठे अथवा वृक्ष देकर की जायगी। पौध लट्ठे अथवा वृक्ष जिस अनुपात के अनुसार दिये जायेंगे वह ३१ मार्च को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के दौरान में वास्तविक प्रयोग में आने वाले हलों की संख्या पर आधारित होगा। इस अनुमान द्वारा पिछले स्वीकृत सभी अनुपात रद्द किये जाते हैं।

वास्तविक प्रयोग में प्रत्येक हल के निमित्त स्वीकृत माप दंड

संलग्न अनुसूची "क" तथा "ख" के स्तम्भ १ में लिखित हलों की संख्या के अनुसार साम्भ २ से ५ में नई पौध, लट्ठे तथा वृक्षों की वह संख्या दिखाई गई है जिसके अनुसार वितरण किया जाता है। पौध की लकड़ी तथा लट्ठे मकानों और गौशालाओं और वृक्ष खेती के औजार बनाने के लिये दिये जाते हैं :

(क) अनुसूची "क" (भावर)

(ख) अनुसूची "ख" (तराई)

अनुसूची ख के अनुमाप के अनुसार दी जाने वाली लकड़ी थारूओं और बोक्साओं के नये मकानों तथा गाड़ियों के लिये अपर्याप्त है इसलिये उनके लिये अनुसूची ख में दी गई मात्रा के अतिरिक्त

लकड़ी का निम्नलिखित अनुमाप निर्धारित किया जाता है । लकड़ी जैसा कि उसका अनुमाप नीचे दिया गया है उन दशाओं में दी जानी चाहिये जबकि मकानों और गाड़ियों के निर्माण अथवा मरम्मत के लिये अनिवार्य रूप से वह आवश्यक समझी जाय और इस तरह मांगी गई लकड़ी की मात्रा का सम्बन्धित पेशकार जांच तथा सत्यापन करेगा :

एक कमरे वाले मकान २१ × १५ क्षेत्र फल ३१५ वर्ग फीट	४ फीट से १४ फीट तक लम्बे और २ फुट से २।। फुटतक मोटे १७ खम्बे । कोरया अथवा बांस ६ से आठ कोड़ी (बीसे) तक ।
दो कमरे वाले मकान ४२ × १५ क्षेत्रफल ६३० वर्ग फीट	खम्बे २६, बल्ली १२ और बांस १५ कोड़ी ।
गाड़ियां ..	साल १०.५ घनफुट शीशू ११ घन फुट ।

(ग) ऐसे गांवों के प्रधानों को, जिनको सुरक्षित बनों से हक की इमारती लकड़ी पाने का अधिकार हो, चाहिये कि वे १५ अक्तूबर से पहले तराई भावर के इस्टेट के सम्बन्धित रेंजर को प्रति वर्ष यह लिखित सूचना दे दें कि यदि वे सुरक्षित वनों से इमारती लकड़ी लेंगे तो कितनी मात्रा में । यदि वे समय से यह सूचना न देंगे तो हक की लकड़ी की वह पूरी मात्रा जिसके वे अधिकारी हैं, लकड़ी को उस कुल मात्रा से घटा दी जायगी, जिसके वह उपर्युक्त अनुमाप के अन्तर्गत तराई भावर इस्टेट के बनों से पाने के अधिकारी हैं और उन्हें शेष लकड़ी दी जायगी । यदि बाद में यह पता लगे कि प्रधान ने गलत सूचना दी है तो तराई और भावर के बनों से जो इमारती लकड़ी अधिक मात्रा में दे दी गई, वह अगले वर्ष में तराई भावर के वनों से दी जाने वाली इमारती लकड़ी की मात्रा में से घटा दी जायगी ।

टिप्पणी—भावर के ऐसे गांवों को, जिनको रामनगर और हलद्वानी बन खंडों के सुरक्षित बनों से हक की लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार हो, अनुज्ञापत्त जारी करने के पूर्व, तराई भावर के रेंजर इन दोनों खंडों के हक हकूकों की छपी सूची को आवश्यक सावधानी के साथ देख लें और जैसा ऊपर कहा गया है आवश्यक कटौती कर लें, क्योंकि पच्छिेद ३ (क) के अन्तर्गत प्रत्येक जाति की लकड़ी के योग में सुरक्षित बनों और तराई भावर इस्टेट के बनों से दी जाने वाली लकड़ी सम्मिलित है ।

प्रधान द्वारा प्रेषित अंकों को, यदि कोई हो, जांच के लिये विशेष बन अधिकारी तराई व भावर, राम नगर और हलद्वानी बन खंडों के उप अरण्यपाल से जुलाई में प्रतिवर्ष एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करने को कहेंगे जिसमें ३० जून को समाप्त होने वाले वर्ष में भावर के प्रत्येक गांव को दी जाने वाली हक की लकड़ी की मात्राएं प्रत्येक वृक्ष की जाति के अनुसार दी गई होंगी । यह विवरण पत्र तराई भावर के सम्बन्धित रेंजरों को इस उद्देश्य से भेजे जायेंगे कि वे पिछले वर्ष में तराई भावर से दी गई लकड़ी की अधिक मात्रा आगामी वर्ष के अनुज्ञापत्रों की मात्राओं से घटा दें ।

(घ) पक्की इमारतें—भावर या तराई में आसामियों को चाहिये कि वे पक्की इमारतों चाहे नई इमारतों के निर्माण हों अथवा पुरानी इमारतों की मरम्मत, के लिये आवेदन पत्र अधीक्षक तराई तथा भावर इस्टेट के द्वारा प्रस्तुत करें । जब तक उक्त अधीक्षक सिफारिश न करेगा कोई इमारती लकड़ी नहीं दी जायगी । निम्नलिखित अनुमाप जिसमें खेती के क्षेत्र के अनुसार दी जाने वाली इमारती लकड़ी की मात्रा दिखाई गई है पथ-प्रदर्शक के रूप में है किन्तु किसी भी मामले पर उसके औचित्य को ध्यान में रखते हुये विचार किया जा सकता है ।

५०० बीघे तक	..	..	छाल के नीचे कुन्दे
साल २०० घन फुट	..	..	की माप के अनसार

हल्दू १०० घन फुट बाद के .. .. छाल के नीचे कुन्दे की माप के अनुसार

प्रत्येक ५०० बीघे के लिये।

साल १०० घन फुट .. .. छाल के नीचे कुन्दे की माप के अनुसार।

हल्दू ५० घन फुट .. .. छाल के नीचे कुन्दे की माप के अनुसार।

मरम्मत—अधीक्षक की सिफारिश के अनुसार किन्तु साल तथा हल्दू की सम्मिलित वार्षिक अधिकतम मात्रा १५ घन फुट के, प्रतिबन्ध के साथ, कोई इमारती लकड़ी मरम्मत से पृथक इमारत के विस्तार के लिये न दी जायगी यदि ऊपर निर्धारित अधिकतम मात्रा में लकड़ी नई इमारत के लिये पहले ही दे दी गई हो। यदि पहले उक्त मात्रा से कम लकड़ी दी गई हो तो शेष इमारत के विस्तार के लिये दी जा सकती है। मरम्मत की लकड़ी १० वर्ष के लिये एकत्र की जा सकेगी। ताकि यदि मरम्मती लकड़ी १० वर्ष तक न ली जाय तो अधिकतम १५० घन फुट तक लकड़ी दी जा सकती है यदि वास्तव में आवश्यकता उत्पन्न हो।

रेंज कार्यालय में एक पृथक रजिस्टर रक्खा जायगा जिसमें पक्की इमारतों के लिये प्रदान की गई लकड़ी की मात्रा, उन व्यक्तियों के नाम जिनको लकड़ी प्रदान की गई तथा प्रदान करने की तिथियां अंकित की जायगी।

(ङ) **नये बसने वालों के लिये इमारती लकड़ी**—समस्त आवेदन पत्र अधीक्षक, तराई तथा भावर के द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिये, और उन पर उसकी सिफारिश होनी चाहिये। किन्तु दी जाने वाली इमारती लकड़ी की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित होगी :

दो वर्षों में दी जाने वाली लकड़ी के बराबर लकड़ी नये बसने वाले व्यक्तियों को बसने के पहले वर्ष में, दी जानी चाहिये और बाद के वर्षों में उनको वार्षिक मांग की पूरी इमारती लकड़ी दी जा सकती है।

यदि अधीक्षक ने सिफारिश की हो, तो किसी पक्की इमारत के लिये उपयुक्त मात्रा के अतिरिक्त इमारती लकड़ी दी जा सकती है।

रेंज कार्यालयों में एक अलग रजिस्टर रखा जायगा जिसमें नये बसने वालों को दी गई लकड़ी और नियत मात्रा से अधिक दी गई लकड़ी की वसूली अंकित की जायगी।

(च) उपर्युक्त अनुमाप तराई तथा भावर इस्टेट के ऐसे समस्त आसामियों पर लागू होंगे, जो तराई के खाम प्रतिबन्ध १९३६ के परिच्छेद २ (ग) में उल्लिखित पूंजीपति न हों। पूंजीपतियों को दी जाने वाली इमारती लकड़ी की मात्रा के सम्बन्ध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

(छ) उपर्युक्त अनुमाप घामतप्पा, कवाड़ी अथवा ऐसे व्यक्तियों पर लागू न होंगे जो उपर्युक्त इस्टेट में अपने पशु शुल्क देकर चराते हों। ऐसे व्यक्तियों को चाहे वे गांवों में रहते हों या खत्तों में, झोंपड़ी या पशुशाला बनाने के लिये रेंज अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों पर ३ मोटी कुकाट की लकड़ी दी जायगी। उन्हें ऐसे अनुज्ञा पत्रों के लिये रेंज अधिकारी को आवेदन पत्र प्रति वर्ष अवश्य भेजना चाहिये।

(ज) कीमती किस्म की कोई इमारती लकड़ी बाड़ के खम्बों के लिये नहीं दी जायगी। बाड़ के खम्भों के लिये आसामियों की आवश्यकताएँ, खराब किस्म की ३ फीट से कम मोटी लकड़ी से पूरी की जायगी जो वे परिच्छेद ९ के अन्तर्गत बिना अनुज्ञा पत्र के काट सकते हैं

(४) पौध की लकड़ी, बल्लों अथवा वृक्षों के लिये, नियम ३ (क) व (ख) के अधीन स्वीकृत अनुमाप के अनुसार अनुज्ञा-पत्र रेंज अधिकारी द्वारा नैत्यक कार्यक्रम के रूप में प्रतिवर्ष १५ अक्तूबर से १५ नवम्बर की अवधि के भीतर पेशकारों को गांव के प्रधानों को देने के लिये जारी किये जायेंगे । कोई मांग पत्र आसामियों द्वारा प्रस्तुत न किये जायेंगे ।

(५) इस उद्देश्य से कि रेंज अधिकारी उपर्युक्त परिच्छेद ४ के अनुसार नैत्यक कार्यक्रम के रूप में अनुज्ञापत्र जारी कर सके, तराई भावर का अधीक्षक प्रति वर्ष विशेष बन अधिकारी को ऐसी तहसीलवार सूचियां प्रस्तुत करेगा जिनमें ३१ मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष में प्रत्येक तहसील के प्रत्येक गांव में वास्तविक रूप से प्रयोग में लाये गये हलों की संख्या और वे नाम दर्ज होंगे जिन पर अनुज्ञा पत्र जारी होने चाहिये । ऐसी समस्त सूचियां तराई भावर के विशेष बन अधिकारी के पास प्रति वर्ष १ अगस्त तक पहुंच जानी चाहिये ।

(६) अधीक्षक, तराई भावर से उपर्युक्त सूचियां प्राप्त होने पर, विशेष वन अधिकारी प्रत्येक रेंज अधिकारी के पास उक्त सूची के उस अंश की प्रतिलिपि भेजेगा जो उसके रेंज से सम्बन्धित हो और रेंज अधिकारी उपर्युक्त परिच्छेद ४ के अनुसार, अनुज्ञापत्र जारी करेगा ।

(७) रेंज अधिकारी पेशकारों से उनके द्वारा जारी किये गये समस्त अनुज्ञा पत्रों की एकीकृत रसीद प्राप्त करेगा और पेशकार प्रधानों से अनुज्ञापत्रों की रसीदें प्राप्त करेगा जब अनुज्ञा पत्र बांटे जायें ।

(८) यदि किसी अनुज्ञा पत्र के प्राप्त करने पर कोई प्रधान यह तय करे कि उक्त अनुज्ञा पत्र में अंकित मात्रा स्वीकृत अनुमाप के अनुसार नहीं है तो वह उसे विशेष वन अधिकारी को वापस भेज सकता है जो उक्त अंकित मात्रा की जांच करेगा और रेंज अधिकारी को आवश्यक आदेश जारी करेगा ।

(९) (क) यदि किसी प्रधान को यह प्रतीत हो कि उसके अनुज्ञा पत्र में अंकित लकड़ी स्वीकृत अनुमाप के अनुसार होने पर भी चालू वर्ष की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है तो वह उसकी पूर्ति के लिये विशेष वन अधिकारी को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और विशेष वन अधिकारी स्वीकृत अनुमाप के अनुसार अगले वर्ष की पूर्ति को पेशगी के रूप में स्वीकार कर सकता है । ऐसी पेशगी पूर्ति को रेंज अधिकारी अगले वर्षों में अनुज्ञा पत्र जारी करते समय उक्त प्रधान से दो बराबर की किस्तों में वसूल करेगा ।

सामान्यतः १ वर्ष से अधिक की पेशगी लकड़ी किसी भी प्रधान को नहीं दी जायगी । बन में दैवी आपदाओं में जैसे, कि आग लग जाना, वर्तमान आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायगी । यह परिस्थितियां इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आती ।

(ख) विशेष आवश्यकता की दशा में किसी प्रधान को तीन वर्षों की पेशगी लकड़ी दी जा सकती है । ऐसे मामलों में अधीक्षक की सिफारिश, जो गांव में स्थायी खेती की सम्भावना पर विचार करने के पश्चात् की जायगी, आवश्यक है, और अगले दो वर्षों तक लकड़ी का कोई अनुज्ञा पत्र सम्बन्धित प्रधान को जारी न किया जायगा ।

उन दशाओं के अतिरिक्त जिन में सिसू तथ तुन के सम्बन्ध में अनुदान की लकड़ी एकत्र करने की व्यवस्था पहले ही की गई हो, प्रधान को इसकी भी अनुज्ञा होगी कि वह तीन वर्ष की निःशुल्क अनुदान की अपनी लकड़ी एकत्र होने दे ।

(१०) प्रत्येक रेंज कार्यालयों में एक ऐसा रजिस्टर रखा जायगा जिसमें परिच्छेद ९ के अधीन पेशगी दी गई इमारती लकड़ी और उसकी वसूली अंकित की जायगी । विशेष वन अधिकारी इस रजिस्टर की प्रति वर्ष जांच करेगा ।

(११) प्रत्येक गांव का प्रधान इस बात का उत्तरदायी होगा कि निकाली गई इमारती लकड़ी उसके आसामियों में ठीक तौर से बांटी जाय । पड़ताल करने वाले अधिकारी,

प्रत्येक पड़ताल के समय मौखिक पूछताछ करेंगे कि लकड़ी ठीक तौर और निष्पक्षरूप से बांटी गई है या नहीं, और तदनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

(१२) गांवों के आसामियों को जारी की गई इमारती लकड़ी की जांच, निम्नलिखित वन अधिकारियों द्वारा की जायगी :

(क) विशेष वन अधिकारी उतने समय में जांच करेगा जितना वह निकाल सके ।

(ख) वन रेंजर, विशेष वन अधिकारी के रेंज सहायकों के रूप में कार्य करते हुये, पिछले मौसम में जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों के अन्तर्गत दी गई कम से कम २० प्रतिशत की जांच करेंगे, और साथ ही साथ चालू मौसम में जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र धारियों द्वारा निर्यात की गई इमारती लकड़ी की भी जांच करेगा । उपर्युक्त पद से कम के वन अधिकारियों द्वारा कोई जांच नहीं की जायगी ।

उपर्युक्त जांच में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :

(१) अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत निर्यात की गई समस्त इमारती लकड़ी की जांच ।

(२) आसामियों से इस बात का व्यक्तिगत सत्यापन कि प्रधान से उनको इमारती लकड़ी का उचित भाग प्राप्त हुआ है ।

(३) इस बात की जांच करना कि प्रधान और उसके आसामियों द्वारा इमारती लकड़ी का कैसे उपयोग किया गया है, और इस सम्बन्ध में की गई किसी अनियमितता की सूचना विशेष वन अधिकारी को देना ।

मुख्य अनियमिततायें जिनकी जांच करके प्रतिवेदन भेजा जायगा, यह हैं :—

(क) प्रधान और आसामियों द्वारा इमारती लकड़ी की बिक्री ।

(ख) प्रधान द्वारा अपने प्रयोग के लिये आवश्यकता से अधिक इमारती लकड़ी रख लेना और आसामियों को काफी लकड़ी न देना ।

(ग) लकड़ी का किसी ऐसे प्रयोजन के लिये उपयोग जो वास्तव में व्यक्तिगत उपयोग न हो ।

(घ) कच्चे मकानों तथा कृषि औजारों के लिये दी गई लकड़ी का पक्की इमारतों के निर्माण या विस्तार में प्रयोग । पक्की इमारतों के लिये अपेक्षित समस्त इमारती लकड़ी के लिये पृथक मांग पत्र अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(ङ) तराई में बैल गाड़ियों के निर्माण के लिये सिस्सू और साल की इमारती लकड़ी का प्रयोग जो बिक्री के लिये निर्यात की जाती है ।

सरकारी आदेश संख्या ४०/१४ (२), दिनांक २२ जून, १६०६ जिसमें भारतीय वन अधि-नियम की धारा ३२ के अधीन प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये गये नियम दिये हुये हैं, के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम की धारा ३२ के अधीन निःशुल्क इमारती लकड़ी का, प्रधानों या आसामियों द्वारा अवैध उपयोग एक अपराध है ।

विशेष वन अधिकारी व्यक्तिगत जांच के पश्चात यह निर्णय करेगा कि किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना आवश्यक है और नैनीताल के उप आयुक्त और तराई भावर के अधीक्षक को की गई किसी कार्यवाही की सूचना देगा ।

निःशुल्क अनुदान की गई इमारती लकड़ी पर चिन्हांकन तथा निर्यात का विनियमन

१३—बहुमूल्य तथा घटिया जातियों के ३ फीट से अधिक मोटे वृक्षों पर चिन्हांकन—१५ नवम्बर के तुरन्त बाद जब समस्त अनुज्ञापत्र जारी किये जा चुके हों रेंज अधिकारी ऐसी संख्या में, वृक्षों पर चिन्हांकन की व्यवस्था करेंगे जिनका योग लकड़ी की उस मात्रा के बराबर हो जिसके लिये अनुज्ञापत्र जारी किये गये हों। वृक्षों पर चिन्हांकन साल और खैर की कार्य योजना में निर्धारित विधियों के अनुसार किया जायगा। इसका ध्यान रखना चाहिये कि साल की कार्य योजना में आसामियों के निश्चित कूप नियत हैं किन्तु खैर के लिये कोई निश्चित कूप या क्षेत्र नहीं है। खैर कार्य वृत्त में खैर उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जिनमें इंडियन वूड प्राडक्ट्स कंपनी या अन्य विक्रियों के लिये खैर के वृक्ष काटे या चिन्हांकित किये जा रहे हों, खैर के वृक्षों की पूर्ति की जा सकती है। खैर और अन्य जातियों के वृक्ष निश्चित क्षेत्रों में विशेष वन अधिकारी द्वारा समय-समय पर बनाई जाने वाली योजना के अनुसार चिन्हांकित किये जायेंगे।

१४—परिशिष्ट "क" में दिये हुए—(१) साल वृक्ष, (२) खैर वृक्ष, (३) सिस्सू वृक्ष, (४) हल्दू वृक्ष, (५) सब जातियों के वृक्षों के लट्ठे, घटिया जातियों के ३ फीट से अधिक मोटे वृक्ष उपज सारिणियों के अनुसार, प्रति वर्ष चिन्हांकित किये जाने वाले प्रत्येक जाति के वृक्षों पर रेंज अधिकारियों द्वारा चिन्हांकित किया जायगा।

अनुज्ञा पत्रों में घनफीट में अंकित लकड़ी की मात्रा के अनुसार निर्यात को विनियमित करने के लिये भी उपर्युक्त सारिणियों का प्रयोग किया जायगा।

१५—कार्ययोजना में निर्धारित कार्य विधियों के अनुसार साल वृक्षों का चिन्हांकन स्वयं रेंज अधिकारियों द्वारा किया जायगा।

खैर के वृक्षों पर चिन्हांकन रेंज अधिकारी या संलग्न उप रेंजर तथा वनरक्षक द्वारा किया जायगा। आसामियों के लिये खैर के अच्छे और सीधे वृक्षों और लट्ठों का चिन्हांकन होना चाहिये। यदि टेढ़े-मेढ़े वृक्षों का चिन्हांकन किया जायगा, तो आसामियों द्वारा बहुत सी लकड़ी का अपव्यय होगा। कत्था निर्माण के लिये टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष उतना ही उपयुक्त है जितना कि कोई सीधा वृक्ष। किन्तु आसामियों के प्रयोजनों के लिये ऐसा नहीं है। इसलिये टेढ़े मेढ़े वृक्षों को बिक्री के लिये सुरक्षित रखना चाहिये और सीधे वृक्ष आसामियों को देना चाहिये। जब खैर के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाय तो प्रधानों को चिन्हांकन करने वाले अधिकारियों के साथ जाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि वे उस किस्म के वृक्षों को बता सकें जो वे चाहते हों। जब खैर के वृक्षों पर चिन्हांकन किया जाय, उस समय वन विज्ञान को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

हल्दू और सिस्सू के वृक्षों पर चिन्हांकन रेंज अधिकारी, या संलग्न उपरेंजर या वन रक्षक द्वारा किया जायगा। घटिया जातियों के तीन फीट से अधिक मोटे वृक्षों पर वन रक्षक अपने बोट हैमर से चिन्हांकन करेंगे।

वृक्षों के काटे जाने और निर्यात का नियंत्रण

१६—निःशुल्क अनुदान किये गये बहुमूल्य जातियों के वृक्षों का काटा जाना—परिच्छेद १५ में नियत विधियों के अनुसार रेंज अधिकारियों या उनके संलग्न अधिकारियों द्वारा बहुमूल्य वृक्षों के चिन्हांकित किये जाने के पश्चात्, साल, खैर, हल्दू और सिस्सू के काटे जाने पर निम्नलिखित प्रक्रिया लागू की जायेगी। चिन्हांकन के पश्चात् आसामियों द्वारा चिन्हांकित वृक्षों में से ऐसे वृक्षों का चुनाव करने की अनुमति होगी जिनसे उन्हें परिशिष्ट "क" में दी गई उपज सारणियों के अनुसार उनके अनुज्ञा-पत्र में अंकित जाति की अपेक्षित घन फीट लकड़ी मिल जाये। वन रक्षक को आसामी के साथ अवश्य जाना चाहिये और जब आसामी चिन्हांकित वृक्षों में से अपने वृक्ष चुन ले, तो वन रक्षक को चाहिये

कि वह ऐसे प्रत्येक वृक्ष के तने के नीचे उस चिन्ह के निकट, जो पहले अंकित किया गया है, एक दूसरा चिन्ह अंकित कर दें इसके बाद वन रक्षक को उक्त चिन्ह पर अपने बीट हैमर (beat hammer) के निशान लगाना चाहिये। वन रक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि यह देखे कि अनुज्ञा पत्र में अंकित घनफीट से अधिक की लकड़ी के वृक्षों पर वह निशान न लगाये। रेंज अधिकारियों को चाहिये कि वे प्रत्येक वन रक्षक को उपर्युक्त सारिणियों को प्रयोग में लाने की शिक्षा दें और प्रत्येक वन रक्षक को उक्त सारिणियों तथा इन नियमों की एक-एक हिन्दी प्रति दी जायगी। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् आसामियों को वृक्ष काटने की अनुमति दी जायगी।

बहुमूल्य जातियों की लकड़ी के निर्यात का नियंत्रण

१७--जब आसामी इमारती लकड़ी का निर्यात् करे उस समय वन रक्षक को वन में अवश्य उपस्थित रहना चाहिये और उस ठूंठ तथा समस्त इमारती लकड़ी के टुकड़ों पर अपने बीट एक्सपोर्ट (निर्यात) हैमर से चिन्ह लगाने चाहिये। वह समस्त ठूंठों पर क्रम संख्या अंकित करेगा, और वह अपने मासिक विवरण पत्र में। (परिशिष्ट "ख" में दिये हुये नमूने के अनुसार) उन व्यक्तियों के नाम के सामने, जिनको वृक्ष दिये गये हों, इन क्रम संख्याओं को अंकित करेगा।

सभी वन रक्षक (परिशिष्ट "ख" में दिये हुए नमूने के अनुसार) मासिक विवरण पत्र की दो प्रतियों के साथ एक रजिस्टर रखेगा। एक प्रतिलिपि रेंज अधिकारी को प्रति मास भेजी जायगी और दूसरी प्रतिलिपि वन रक्षक के पास रहेगी और उसकी जांच किसी भी समय वन में की जा सकेगी।

परिशिष्ट "क" में दी हुई सारिणियों में अंकित उपज के अंक सामान्यतया स्वस्थ वृक्षों के सम्बन्ध में जिनके साधारण लम्बाई के तने हों ठीक परिणाम व्यक्त करेंगे, किन्तु इन परिणामों में असाधारण छोटे तने के शाखादार या अस्वस्थ वृक्षों के कारण गड़बड़ हो सकती है। जब कभी ऐसी दशायें उत्पन्न हों, तो निःशुल्क अनुदान प्राप्त लोग रेंज अधिकारी के यहां इस विषय की अपील कर सकते हैं, और व्यक्तिगत जांच करने के पश्चात् रेंज अधिकारी को अधिकार होगा कि वह इतने अतिरिक्त चिन्हांकित वृक्षों के काटने की स्वीकृत दे दे कि अनुज्ञापत्र पर अंकित घनफुट की लकड़ी की कमी पूरी हो जाय।

तथापि ऐसे समस्त मामलों की सूचना जिनमें सामान्य उपज सारिणियों के विपरीत कार्यवाही की गई हो, रेंज अधिकारी विशेष वन अधिकारी को तुरन्त भेजेगा जो इस सम्बन्ध में ऐसे अधिक सत्यापन की आज्ञा दे सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

चूंकि समस्त उपज सारिणियां वृक्षों की कुल ऊंचाई पर आधारित होती हैं इसलिये रेंज अधिकारियों को चाहिये कि वे अपने वन रक्षकों को वृक्षों की कुल ऊंचाई का ठीक से अनुमान करने का प्रशिक्षण दें। थोड़े अभ्यास के बाद इस प्रकार अनुमान करना कठिन न होगा।

घटिया जाति के तीन फिट से अधिक मोटे वृक्षों का चिन्हांकन तथा निर्यात

१८--अनुज्ञा पत्रों में ३ घनफीट में अंकित मात्राओं के अनुसार इन वृक्षों पर चिन्हांकन वन रक्षकों द्वारा किया जायगा। घटिया जातियों के वृक्षों के सम्बन्ध में परिशिष्ट "क" में दी हुई उपज सारिणी का प्रयोग किया जायगा। जब वन से लकड़ी का निर्यात् किया जाय तो वन रक्षक अपने एक्सपोर्ट बीट हैमर से लकड़ी के ठूंठ तथा सब टुकड़ों पर निशान बना देगा। ठूंठों पर क्रमशः नम्बर डाले जायेंगे और उनके ब्योरे परिच्छेद १७ में वर्णित विधि के अनुसार, वन रक्षकों के रजिस्टरों में अंकित किये जायेंगे।

१९--आसामियों को चाहिये कि वे प्रति वर्ष १ दिसम्बर और ३१ मार्च की अवधि में समस्त लकड़ी की निकासी करें।

परिशिष्ट २०

सुरक्षित बनों के सम्बन्ध में गांव वालों को सुविधाएं तथा उनके उत्तरदायित्व

टिहरी

सभी बन महाराज की सम्पत्ति हैं अतः किसी व्यक्ति को कोई बन सम्पदा उसका मूल्य दिये बिना अधिकार वस्तु के रूप में ले जाने की अनुमति नहीं है किंतु निम्नलिखित सुविधाएं अनुग्रह के रूप में महाराज द्वारा दी गई हैं, जो किसी भी समय महाराज की इच्छानुसार विलोपित की जा सकती हैं।

२—वार्षिक निःशुल्क अनुदान। प्रति मवासा इमारती लकड़ी के वार्षिक अनुदान का अनुमाप निम्नलिखित होगा—

(क) उन गांव वालों को जो लकड़ी के मकानों में रहने के आदी हों (उदाहरणार्थ रंवांई के ठंडे क्षेत्र में) विदोहन योग्य १० घन फीट लकड़ी। किन्तु जब राई मुरंड अथवा विदोहन न की जा सकने वाली जातियों की इमारती लकड़ी मकान बनाने के काम में लाई जाती हो तो निःशुल्क अनुदान के रूप में दी जाने वाली लकड़ी की मात्रा ३० घन फीट होगी।

(ख) पत्थर के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये ७ घनफीट प्रति मवासा विदोहन योग्य लकड़ी अथवा २१ घनफीट विदोहन न की जा सकने वाली जाति की लकड़ी बान अथवा दरली की दशा में जब तक इन जातियों के लिये घन माप सारिणी उपलब्ध न हो जाय, प्रति मवासा आधा वृक्ष दिया जायेगा।

(ग) कार्य योजना अधिकारी प्रत्येक गांव को स्वीकृत इमारती लकड़ी की मात्रा अपने विवरण पत्र में इस धारा के अन्तर्गत अंकित करेगा। उपअरण्यपाल निःशुल्क इमारती लकड़ी प्रदान करते समय अनुज्ञेय लकड़ी के घन फल को वृक्षों की संख्या में परिवर्त्तन करेंगे जिसका हिसाब सम्बद्ध बन खंडों के कार्य योजना में दी हुई घन माप सारिणी के अनुसार लगाया जायगा।

३—गांव वालों को अपनी आवश्यक इमारती लकड़ी लाने के लिये १० मील तक भी जाना पड़ेगा, यदि इस दूरी के भीतर वृक्ष उपलब्ध हों, और उस बन की दूरी, जहां से उन्हें अपनी आवश्यकता की इमारती लकड़ी लानी पड़ेगी, पूर्ण रूप से कार्य योजना में नियत व्यवस्था पर निर्भर होगी। कार्य योजना अधिकारी स्वस्थ बन प्रबन्ध की आवश्यकताओं पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् गांव वालों को निःशुल्क लकड़ी दिये जाने के क्षेत्र निश्चित करेगा। ग्रामीण इमारती लकड़ी बनाने के लिये आरी का प्रयोग करेगा, और वह अपव्यय न करने, वृक्ष गिराने सम्बन्धी निर्देशों, गिरे हुये वृक्षों को हटाने, वृक्षों से इमारती लकड़ी बनाने की अवधि, निःशुल्क इमारती लकड़ी के हटाने आदि के विषय में बन विभाग के नियमों का पालन करेंगे।

बन खंड के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित महीनों में निःशुल्क लकड़ी के लिये आवेदन-पत्र १ रुपये के रियासती स्टाम्प पर दिये जायेंगे। निःशुल्क लकड़ी केवल तीन वर्ष तक एकत्रित होती रहेगी।

४—जहां पर कुकाट के वृक्ष, बन-विज्ञान के दृष्टिकोण से किसी सुरक्षित बन क्षेत्र में उपलब्ध हों, गांव वालों को उप अरण्यपाल के द्वारा समय पर प्रसारित किये गये निर्देशों तथा अनुदेशों के अनुसार निःशुल्क दिये जायेंगे।

५—देवदार वृक्षों का कोई निःशुल्क अनुदान दरबार की विशेष अनुमति के बिना नहीं किया जायगा।

६—वार्षिक निःशुल्क अनुदान के अतिरिक्त, गांव वालों को, यदि वे बन विभाग को सफाई, छटाई तथा वैभागिक आग लगाने के लिये निःशुल्क श्रम प्रदान करेंगे, ठेकेदारों द्वारा छोड़े गये चुंडे तथा मुंडे और सफाई तथा छटाई में निकाले गये वृक्ष भी निःशुल्क ले जाने की अनुमति दी जायगी।

कार्य योजना अधिकारी उन गांवों का विभिन्न खंडों के अनुसार वर्गीकरण करेगा जिसमें चुंडे मुंडे और सफाई छटाई की लकड़ी उनको इस प्रकार उपलब्ध की जायगी।

७—अनुमान किया जाता है कि चीड़ के बनों में ४० वर्षों के बाद १५ वर्ष का संकट काल आयेगा, जब व्यावसायिक विदोहन के लिये कोई वृक्ष न रह जायेंगे। जब तक यह संकटकाल समाप्त न हो जाये, यह वांछनीय है कि सुरक्षित बनों के सभी वृक्षों को बन की पूंजी समझा जाय, तथा संकट काल में व्यवस्था करने के लिये उनको सावधानी के साथ सुरक्षा की जाय और उनको बन विभाग द्वारा पहले चिन्हांकित किये बिना हटाने को अनुमति न दी जाय। इस संकटकाल की समाप्ति पर दरबार, निःसंदेह, गांव वालों की सुरक्षित बनों में देवदार तथा कैल के अतिरिक्त अन्य बहुमूल्य जातियों के वृक्षों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगा।

८—खेती के औजारों की आवश्यकता पूर्ति के लिये गांव वालों को कुकाट जाति के वृक्ष निःशुल्क काटने की अनुमति दी जायगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इससे दूसरी बहुमूल्य जातियों के वृक्षों, अन्य बन सम्पत्ति तथा जल सोतों को कोई हानि न पहुंचने पाये। कार्य योजना अधिकारी, खंडों के अनुसार उन गांवों का खंडों में वर्गीकरण करेगा जिनसे कुकाट के वृक्ष काट कर खेती के औजारों सम्बन्धी लकड़ी की पूर्ति की जायेगी। जहां बन-विज्ञान के दृष्टिकोण से बान के वृक्ष कृषि यंत्रों के लिये उपलब्ध हों तथा कृषि यंत्रों के निर्माण के लिये आवश्यक हों, कार्य योजना अधिकारी इमारती लकड़ी के अतिरिक्त, उक्त लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति की व्यवस्था करेंगे।

६—ऐसे समस्त पशुओं को जो गांव वालों की कृषि अथवा घरेलू आवश्यकता पूर्ति के लिये आवश्यक हों, कार्य योजना में नियत व्यवस्था के अन्तर्गत सुरक्षित बनों में चरने के लिये खुले क्षेत्रों में निःशुल्क चरने की अनुमति दी जायगी। किन्तु जो पशु व्यावसायिक प्रयोजनों के लिये पाले जाते हैं उन पर चराई शुल्क लिया जायगा। इस उद्देश्य के लिये कार्य योजना अधिकारी एक विवरणपत्र तैयार करेंगे जिसमें प्रत्येक गांव की निजी, कृषि सम्बन्धी तथा मनुष्यों की आवश्यकता पूर्ति के लिये आवश्यक चौपायों, भैसों, गायों, बैलों अथवा भेड़ों की संख्या अंकित की जायगी। ताकि सुरक्षित बनों अथवा उसके बाहर की बेनाम भूमि में चरने वाले पशुओं की अतिरिक्त संख्या पर चराई निश्चित करने में कोई कठिनाई न हो।

निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में पाले गये पशुओं पर भविष्य में चराई शुल्क का निम्नलिखित अनुमाप लागू होगा :

भैंसे	३ रुपया प्रति भैंस प्रति वर्ष
गाय	१ रु० ८ आ० प्रति गाय प्रति वर्ष।
बैल	१ रु० प्रति बैल, प्रति वर्ष
भेड़	१ आना प्रति भेड़ प्रति वर्ष।

१०—उन क्षेत्रों को छोड़ कर जो पुनः उत्पत्ति के लिये बन विभाग द्वारा विशेष रूप से बंद कर दिये जायें, गांव वालों को सुरक्षित जंगलों से निःशुल्क घास काटने की अनुमति होगी।

११—ग्राम निवासियों को सुरक्षित बनों में सूखी कुकाट की लकड़ी ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने की अनुमति दी जायगी, और जहां बन विज्ञान के दृष्टिकोण से उपयुक्त हों, ईंधन तथा इमारती लकड़ी के लिये हरा कुकाट काटने की भी अनुमति दी जायगी।

१२—उन क्षेत्रों को छोड़ कर जो वन विभाग द्वारा पुनः उत्पत्ति के लिये बंद कर दिये जायें, ग्राम निवासियों को सभी क्षेत्रों से झाड़, झाड़ियां हटाने की भी अनुमति दी जायगी।

१३—उन क्षेत्रों को छोड़ जिन्हें कार्य योजना अधिकारी द्वाराभूत काल में अत्यधिक शाख तराशी के फलस्वरूप कमजोर उपज के कारण विशेष रूप से बंद कर दिया जाय, गांव वालों को कुकाट के पेड़ों की शाख तराशी करने की अनुमति है।

उन क्षेत्रों को छोड़ कर जहां बान का विनाश करना बन विज्ञान के दृष्टिकोण से आवश्यक हो, शाखतराशी जहां तक तराशी जाने वाली शाखों की मोटाई और ऊंचाई का प्रश्न है, बन विभाग के नियमों के विपरीत नहीं की जायगी, अर्थात् ६ इंच मोटाई से अधिक तथा वृक्ष के दो तिहाई से अधिक ऊंचाई पर शाख तराशी नहीं की जायगी।

१४—कार्य योजना अधिकारी द्वारा छांटे गये स्थानों तथा अन्य स्थानों में गांव निवासियों को खरक बनाने की अनुमति दी जायेगी, गांव निवासियों को किसी विशेष स्थान पर अधिक समय तक खरक स्थापित रखने की अनुमति नहीं दी जायगी, क्योंकि यह पुनः उत्पत्ति के लिये हानिकारक है। खरकों की अनुमति तभी दी जायगी जब ऐसे उपयुक्त स्थान उपलब्ध हों जहां बन संरक्षण को हानि पहुंचने की संभावना न हो।

१५—खरकों की अनुमति केवल उन्हें नियमों के अनुसार दी जायगी जो इस संबंध में अब तक प्रसारित हो चुके हैं।

१६—यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार अथवा व्यवसाय के निमित्त पत्थरों या स्लेटों को निकालने के लिये आवेदन पत्र दिया जाय तो उप-अरण्यपाल ठेका उन्हीं शर्तों पर देगा जो तय हो जाय, और यदि संभव हो तो ठेके को नीलाम करने अथवा उसके लिये मांग पत्र तलब करने के पश्चात वह ऐसा करेगा, यदि वह देखे कि उक्त व्यवसाय के इच्छुक बहुत से व्यक्ति हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इससे दरबार द्वारा प्रदत्त वर्तमान सुविधाओं पर कोई गम्भीर प्रभाव न पड़ता हो।

१७—गांव वालों को वर्तमान रास्तों तथा गूलों के प्रयोग की अनुमति है, किन्तु उन्हें नये रास्तों और गूलों के लिये बन विभाग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये। जहां पर गांव वालों को प्राप्त सुविधाओं के उपभोग के लिये नये मार्गों की आवश्यकता हो उन्हें ऐसे नये मार्गों के निर्माण में बन विभाग की सहायता करनी पड़ेगी।

१८—रियासत के बनों में शिकार खेलना और नदियों में मछली मारना उन नियमों से विनियमित होगें जो समय-समय पर दरबार द्वारा प्रसारित किये जायें।

१९—गांव निवासियों को बनों की आग बुझाने तथा परिच्छेद ६ में वर्णित कार्यों के लिये प्रथम सूचना पाने पर बिना मजदूरी के काम करना पड़ेगा। उन्हें बन विभाग को बन-संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिये भी काम करना पड़ेगा जिसके लिये उन्हें उस निर्धारित अनुमाप के अनुसार जिसे दरबार अनुमोदित करे, मजदूरी दी जायगी।

२०—प्रत्येक गांव से सुरक्षित बनों में उसके बन अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में इन नियमों से संलग्न प्रपत्र अर्थात् बन्दोबस्त प्रपत्र संख्या क में एक स्वीकार पत्र लिखवा लेना चाहिये।

२१—प्रपत्र संख्या 'क' में अभिलिखित निर्णय के अनुसार दो बन बन्दोबस्त अभिलेख तैयार किये जायेंगे अर्थात्:—

(क) गांव, तथा

(ख) खंडों के अनुसार।

२२—यदि कोई गांव कार्य योजना के अधिकारी के बन सम्बन्धी सुविधाओं तथा उत्तरदायित्वों के निर्णय से संतुष्ट न हों तो वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीन माह के भीतर राजस्व सदस्य के यहां अपील कर सकता है। राजस्व सदस्य के निर्णय के एक माह के भीतर हजूर के न्यायालय में दूसरी अपील की जा सकेगी।

२३—रियासत की प्रजा को रियासत के अन्दर अपने निजी पक्के मकानों तथा गुलों के निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चूना निकालने तथा फूंकने की अनुमति है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी बन, सड़क आदि को कोई हानि न पहुचनें पाये। गांव वाले ५० मन तक चूना फूंक सकते हैं, किन्तु इससे अधिक मात्रा के लिये उन्हें बन विभाग से परामर्श करना चाहिये। चूने पर कोई रायल्टी नहीं ली जायगी।

परिशिष्ट २१

नैनीताल—जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण

(अध्ययन विषय)

१—सामान्यतया वृक्षारोपण की योजना का स्वागत किया गया किन्तु जहां कहीं आबादी के समीप वृक्षारोपण किया गया है वहां चराई आदि कष्टों के कारण ग्रामीणों को असंतोष है। ग्रामीणों को यह भी शिकायत है कि वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र निश्चित करने से पहले ग्रामवासियों की सहूलियतों का ध्यान नहीं रक्खा जाता और उनके गोचर, पनघट, रास्ते आदि घेर लिये जाते हैं। पंचायती और सिविल जंगलों की व्यवस्था को सुधारने की ओर ध्यान दिया जाय।

२—प्रायः सभी स्थानों पर यह कहा गया कि आबादी बढ़ जाने से हक-हकूक में प्राप्त लकड़ी आवश्यकतानुसार पूरी नहीं पड़ती, हक की लकड़ी देर में छापी जाती है जिससे उसका समय से उपभोग नहीं होता, यह बात विशेषकर तराई भावर क्षेत्र में लागू होती है। नई आबादी के गांवों को कोई हक प्राप्त नहीं हैं। खेतों को घेर बाड़ के लिये भी बन उपज नहीं मिल रही है।

३—कोयले और इमारती लकड़ी की व्यवस्था और मूल्य के विषय में जनता में असंतोष है। कोयले की मूल्य वृद्धि एकाएक कर दी गई और पूर्व परम्परा के अनुसार नगरपालिका, जिलाधीश आदि से इस हेतु कोई परामर्श नहीं किया गया। समिति से यह भी कहा गया कि वन विभाग ने आवश्यकता से अधिक मूल्य वृद्धि की और वर्तमान मूल्य में कमी की जा सकती है। कोयले की किस्म के बारे में भी लोगों को शिकायत है। उनका कहना है कि कोयला चूरा वाला और गीला मिलता है। नैनीताल नगर में इमारती लकड़ी के लिये केवल सिलीपरों की ही व्यवस्था की गई और यह भी नियम बना दिया गया कि दिसम्बर तक की आवश्यकता जून १५ तक ही खरीद ली जाय। इससे जनता को अत्यन्त असुविधा हुई और शहर में अन्य आकारों की इमारती लकड़ी का अभाव हो गया।

सुझाव दिये गये कि दूरस्थ वनों से सस्ते मूल्य पर कोयला उपलब्ध करने के लिये मोटर सड़कें बनवाई जायं, उत्तम किस्म के पत्थर के कोयले की व्यवस्था इस नगर के लिये की जाय और बिजली के हीटरों को प्रोत्साहन देने के लिये बिजली की दरों में कमी की जाय।

४—वृक्षारोपण के लिये घेरे गये क्षेत्रों से विशेषकर आबादी के समीप चरान की सुविधा में बहुत कमी हो गई है। शाख तराशी की सुविधा समाप्त कर दी गई है और तराई भावर के क्षेत्र में चराई शुल्क बढ़ा दिया गया है।

५—तराई भावर क्षेत्र में सूखी पड़ी लकड़ी उठाने पर प्रतिबन्ध की चर्चा की गई। हल्द्वानी, रामनगर और टनकपुर के समीप इस प्रकार की शिकायतें मुख्य रूप से हैं। रामनगर और हल्द्वानी शहरों में जो लोग गिरी पड़ी लकड़ी जंगल से उठाकर इन शहरों में बेंचने लाते थे उन पर परमिट लेने और एक निर्धारित डिपो पर बेंचने का नियम बनाया गया है। जिससे मुख्य रूप से घमतप्पा लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने रामनगर में स्टार पेपर मिल्स को पेचदार चीड़ की लकड़ी देने का विरोध किया। उनका कहना है इससे ग्रामवासियों को ईंधन की कमी हो गई है।

६—जनता ने कई स्थानों पर भूमिहीनों को भूमि देने के लिये क्षेत्रों का सुझाव दिया जैसे गूलरभोज, हल्दू चौड़, दमुवाढूंगा, भागुलीखाल आदि।

७—कहीं कहीं पर सार्वजनिक उपयोग के लिये जिलाधीश से जनोपयोगी कार्य का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर भी लकड़ी मिलने पर बिलम्ब होता है।

८—कुमायूं के उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये इस हेतु लीसा, जड़ी बूटियां आदि के कारखाने, यहीं खुलने चाहिये। पानी की गूल आदि मिलने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। छिलुका जिसको ग्रामीण जनता अपने घरों में प्रकाश के हेतु प्रयोग में लाती हैं पर रुकावट लगी हुई है।

गत कुछ वर्षों से बन विभाग के अधिकारी जनता की सुख-सुविधा के प्रति उदासीन हैं। विभाग को जनता की सद्भावना प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये।

परिशिष्ट २२

टिहरी-गढ़वाल—जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण

१—वृक्षारोपण ग्रामीणों के परामर्श से किया जाना चाहिये। जनता वृक्षारोपण के पक्ष में है किन्तु यह गांवों के बहुत समीप नहीं किया जाना चाहिये। वृक्षारोपण करते समय पनघट, गोचर, रास्ते आदि का ध्यान रखना चाहिये। औद्योगिक महत्व के वृक्षों के अतिरिक्त किसान के उपयोग के वृक्ष जैसे बांज, भिकुला, गेठो, सादन, क्वेराल आदि भी लगाये जायं। वृक्षारोपण की प्रगति कुछ स्थानों पर संतोषजनक है किन्तु अधिकांश स्थानों पर पानी के अभाव में वृक्षारोपण सफल नहीं हुआ है। काणाताल के पास गोचर पनघट बन्द कर दिये गये हैं।

२—पहले इमारती लकड़ी व खेती के औजारों की लकड़ी के विषय में कोई कठिनाई न थी किन्तु अब इसमें काफी कठिनाई अनुभव की जा रही है। देवदार का दिया जाना बन्द कर दिया गया है। ७ घनफुट लकड़ी जो इस समय दी जाती है पर्याप्त नहीं होती। यह बढ़ाई जाय। सुविधायें अधिकारों में बदल दी जायं। रवन्ना सरलता से नहीं मिलता है। कृषि यंत्रों के लिये लकड़ी उदारतापूर्वक दी जाय। विलीनीकरण के बाद जनता की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। धनस्याली में ३३० आदमियों का चालान किया गया है। खेती की लकड़ी के लिये ६ रुपये शुल्क लिया जाता है यह समाप्त कर दिया जाय। बन अधिकारी पत्थर आदि निकालने में हस्तक्षेप करते हैं। क्षेत्र के प्रकृत निवासियों को निजी उपयोग के लिये पत्थर, स्लेट आदि निकालने की पूरी सुविधा होनी चाहिये। रंवाई, उत्तर काशी तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में पत्थरों का ठेका दिया जाने लगा है। इसके कारण जनता को बहुत कठिनाई है।

३—नगरों में उचित मूल्य पर लकड़ी, कोयला तथा इमारती लकड़ी की व्यवस्था की जानी चाहिये।

४—वृक्षारोपण के लिये क्षेत्रों के घेरे जाने के कारण पशुओं को चराई का कष्ट हो गया है। जानवरों को सुरक्षित जंगलों में चरने के लिये नहीं जाने दिया जाता। जानवरों पर राहदारी ली जाती है। इसको अविलम्ब समाप्त किया जाय। छनियां जो जप्त कर ली गई हैं, पुनः दे दी जायं। मुनारों को हटाकर चरागाहों के लिये जमीन निकाली जाय। जाड़ लोगों से बकरी की चराई चार आने से आठ आने तक टिहरी तथा देहरादून बन खंड में ली जाती है। उत्तर काशी में कुछ नहीं लिया जाता। लैन्सडाउन वन खंड में चराई की उचित दरें लागू की जायं।

५—कहीं-कहीं वन कर्मचारी गिरी पड़ी लकड़ी उठाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। छापा मुंडी ग्रामीण जनता के लिये नहीं छोड़े जाते। इन्हें भी ठेकेदार उठा ले जाता है। सूखे खड़े पेड़ जनता को दे दिये जायं। पहले सूखे गिरे पेड़ निःशुल्क लाने की सुविधा थी। कुछ क्षेत्रों में निःशुल्क ईंधन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई अनुभव की जा रही है।

६—भूमिहीनों को बसाने के प्रश्न पर तुरन्त ध्यान दिया जाय। इन्हें खोला तथा लोहाघाट में, गंगा तथा यमुना के तट पर, जौनपुर क्षेत्र में बसाया जाय।

७—गत कुछ वर्षों से जनोपयोगी कार्यों के लिये निःशुल्क लकड़ी नहीं दी जा रही है। महाराज के समय में यह सुविधा प्राप्त थी। इसके अभाव में अत्यन्त असुविधा अनुभव की जा रही है तथा स्कूलों आदि का निर्माण रुक गया है।

८—सोयम वनों को पंचायती बनों में परिवर्तित कर दिया जाय। टिहरी-गढ़वाल में भी प्रदेश का फारेस्ट मैनुवल लागू होना चाहिये। मुनारे जहां कहीं समीप आ गये हैं, दूर हटाये जायं। आग लगने पर समस्त गांव को क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है। आग बुझाने के लिये बाल वृद्ध सभी को बुलाया जाता है। रेंज कार्यालय में रवन्ना के लिये जाने पर रेंजर नहीं मिलते। इससे किसानों को अत्यन्त असुविधा होती है। उचित हो कि रवन्ने काटने के दिन निश्चित कर दिये जायं जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। सिंचाई के लिये गूल स्वीकृत करने में देरी होती है। इन गूलों का शुल्क

समाप्त किया जाय। बन अधिकारी रसीदें नहीं देते। ऊंचे क्षेत्रों में जड़ी-बूटी उत्पन्न करने को निश्चित योजना बनाई जाय। जंगल के मुनारे पीछे हटाकर आलूचक के लिये भूमि दी जाय।

गूजरों को निश्चित स्थानों पर बसा दिया जाय। यह वन सम्पत्ति तथा खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें गांवों के समीप के बनों में चराई के परमिट न दिये जायं। सहकारी समितियों को लीसा निकालने तथा अन्य कार्य दिये जाय। जिला स्तर पर बन समिति का निर्माण किया जाय। सीमाबन्दी तथा अन्य प्रश्नों को निबटाने के लिये बन बन्दोबस्त किया जाय।

बनों की सीमाबन्दी १९३५-३६ में हुई। यह दोषपूर्ण थी। १९४८ में कुछ अनधिकृत कब्जे (encroachment) हुये। बाद में उद्यान आदि के लिये भूमि उपलब्ध करने के लिये मुनारे पीछे हटाने का निश्चय किया गया किन्तु वास्तव में अनेक स्थानों पर मुनारे पीछे नहीं हटाये गये। सीमाबन्दी से बहुत असंतोष है। यह कहा गया है कि अनेक स्थानों पर नाप भूमि जंगल में ले ली गई है, किन्तु इसका लगान अब भी गांव वालों को देना पड़ रहा है। टिहरी की बन-आय का चौथाई भाग विकास के लिये जिले को दिया जाय। जंगलात की सड़कों का विकास किया जाय तथा नई सड़कें बनाई जायं। लीसे के छोटे प्लांट स्थापित किये जायं। रिंगाल उद्योग का विकास किया जाय। रिंगाल के ठेके समाप्त कर दिये जायं। श्मसान घाट पर लकड़ी की व्यवस्था की जाय।

खुदकाश्त जंगलों की लीसे की आय गांव पंचायतों को दी जाय। पटवारी तथा वन रक्षक (Forest guard) नाप भूमि से पेड़ काटने पर आपत्ति करते हैं।

जाड़ लोगों के तिब्बत व्यापार में कमी आ गई है। ऊन का मूल्य ८ रुपये प्रतिमन कर दिया गया है तथा दो रुपये मन टैक्स लिया जाता है।

१९३० में बड़कोट में मुनारे के हटाये जाने पर तिलाड़ी में गोलीकांड हुआ था। इनके न हटाये जाने से जनता में बहुत असंतोष है।

बन अधिकारियों तथा कर्मचारियों का व्यवहार जनता के साथ खराब है। बहुत से कर्मचारी तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर हैं, उनका तबादला किया जाय।

प्लान्टेशन क्षेत्रों के अन्दर घास काटने की इजाजत हो। सोयम बनों की लकड़ी सरकारी इमारतों में न लगाई जाय।

आग लगने पर जंगलात विभाग वाले ग्रामीण जनता से मुआवजा लेते हैं किन्तु जंगल की आग से ग्रामीण जनता के झोपड़े जलने पर जंगलात विभाग लकड़ी नहीं देता।

खील की अनुमति दी जाय। घास, पत्ती, पिरूल का हक दिया जाय।

परिशिष्ट २३

गढ़वाल:—जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण

अध्ययन विषय—१—बन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिये कई स्थान घेर लिये गये हैं एसे कुछ स्थान गांव के बहुत समीप हैं। जिससे ग्राम वासियों को चरान-चुगान में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कहीं-कहीं तो चरागाह, पनघट, मरघट और कदीमी रास्ते भी घेर लिये गये हैं जिससे जनता को बहुत कष्ट है।

कई स्थानों पर ग्रामवासियों ने स्वयं श्रेणी १ के बनों की दशा पर चिन्ता प्रगट की और उनकी सुरक्षा का उचित प्रबन्ध करने के लिये जोर दिया। पंचायती बनों के संबंध में इस जिले में और जिलों की अपेक्षा अधिक असंतोष व्यक्त किया गया। पंचायती बनों के कारण सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न हो गये हैं। ऐसा भी कहा गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के पंचायतें बना ली जाती हैं और बहुत ग्रामवासी जो उन वनों में हक हकूक और रियायतों का उपभोग करते थे बन पंचायत बनने के कारण इनसे वंचित हो जाते हैं और उस बन की उपज का उपभोग नहीं कर सकते। पंचायती बनों की सुव्यवस्था करने अथवा उनको बन विभाग को सौंपने की मांग की गई।

लोगों ने अपनी बेनाप भूमि पर बन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये जाने की भी मांग की।

२—हक में जो लकड़ी मिलती है वह गांव की बढ़ती आबादी को देखते हुए बहुत ही अपर्याप्त है। कहीं-कहीं हक बहुत दूर दर्ज हैं जिससे उनके उपभोग करने में कठिनाई होती है।

कहीं-कहीं जड़ी बूटी आदि निकालने में प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। खेती के औजारों जैसे हलनासी के लिये पेड़ उपलब्ध नहीं होते। हक की लकड़ी के वितरण के लिये कोई रजिस्टर नहीं रखा जाय।

३—पौड़ी और लैन्सडाउन में जलाने की लकड़ी और कोयले के दाम एकाएक बढ़ा दिये गये। मूल्य बढ़ने के उपरान्त भी अच्छी और पर्याप्त मात्रा में ये वस्तुयें उपलब्ध नहीं हैं। इमारती लकड़ी के लिये भी कोई प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ आदि स्थानों पर लकड़ी और कोयले के टालों की मांग की गई।

४—वृक्षारोपण के लिये बनों को घेर लिये जाने से चराई के क्षेत्र में कमी आ गई है। कुछ स्थानों पर शाख तराशी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। गूजर लोग खेती और बन सम्पत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। उनको कहीं बसा दिया जाय। गूजर लोगों ने भी अपने पुनर्वास के लिये कहा।

भोटियों (जाड़) लोगों को पूर्व की तरह ही सुविधा दी जाय, उनके पड़ाव पहले की ही तरह कायम रक्खे जायं।

५—गिरी पड़ी लकड़ी लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है परन्तु सूखे, खड़े या गिरे पेड़ नहीं लाने दिये जाते। बनों में सूखी गिरी लकड़ी लाने के लिये कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करने दिया जाता, जिससे केवल हाथ से तोड़ कर ला सकने वाली लकड़ी ला पाते हैं।

६—शिल्पकारों को दी गई भूमि विशेषकर मोहन खाल में अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुई है। कुछ भूमि बतलाई गई जो भूमिहीनों को दी जा सकती है। कुछ स्थानों पर मुनारे जो खेती के बहुत समीप आ गये हैं पीछे हटाये जाने की भी मांग की गई।

कुछ ऐसे मामलों की भी चर्चा की गई जिसमें ग्रामीणों की नाप भूमि बन विभाग में ले ली गई है पर उनसे अब भी लगान लिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी स्थान बताये गये जो बनों से घिरे हैं और लोग उसके बदले में गांवों के समीप भूमि चाहते हैं।

७—सार्वजनिक कार्य के लिये निःशुल्क बन उपज मिल जाती है पर कभी-कभी विलम्ब होता है।

८—घरेलू उद्योग धंधों के लिये बन उपज दी जाने की मांग की।

आग लग जाने पर बाल-वृद्ध प्रत्येक को आग बुझाने जाना पड़ता है। किसी को भी छूट नहीं दी जाती और आग बुझाने में आकस्मिक चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।

परिशिष्ट २४

अल्मोड़ाः—जनता द्वारा दी गई साक्षी का संक्षिप्तीकरण

अध्ययन विषय—१—जनता ने इस अध्ययन विषय के अन्तर्गत मुख्यतया विभाग की वृक्षारोपण की नीति की आलोचना की। वृक्षारोपण के महत्व को जनता समझती है किन्तु जनता को ग्रामों के समीप वृक्षारोपण से असंतोष है। समिति को यह भी बतलाया गया कि कहीं कहीं उनके कदीमी रास्ते, गोचर और पनघट घेर लिये गये हैं। कई स्थानों पर यह भी कहा गया कि केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष ही लगाये जा रहे हैं और ग्रामीण जनता के चारे, ईंधन के उपभोग में आने वाले वृक्षों की उपेक्षा की जा रही है, इससे भविष्य में ग्रामीण जनता को इस हेतु कष्ट का सामना करना पड़ेगा। श्रेणी १ के बनों को श्रेणी २ में लेने के संबंध में ग्रामवासियों के हक-हकूकों और रियायतों में कटौती का संदेह व्यक्त किया किन्तु अनेक स्थानों पर इन बनों की सुरक्षा की ओर समिति का ध्यान दिलाया गया और जनता ने उनकी वर्तमान दशा पर चिन्ता व्यक्त की। पंचायती वनों के लिये अधिनियम बनाया जाय और उनका क्षेत्र व्यापक किया जाय।

२—जनता ने अपने वर्तमान हक-हकूकों को अपर्याप्त बतलाया और कहा कि आबादी बढ़ जाने से यह मात्रा बहुत कम है। कहीं-कहीं पर छपान की देरी की भी शिकायत की गई। हक हकूकों में प्राप्त लकड़ी के बंटवारे के संबंध में जनता ने असंतोष व्यक्त किया और कहा कि जिनको वास्तव में लकड़ी की आवश्यकता होती है नहीं मिल पाती। कई स्थानों पर लोगों ने हक हकूकों की लकड़ी को अधिक दूरी पर मिलने का और कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलने की शिकायत की। कदीमी खानों से पत्थर और पटाल निकालने पर प्रतिबन्ध की भी चर्चा की गई और शुल्क लिए जाने की भी शिकायत की गई। कई स्थानों पर सूखी पत्ती और पिरुल (चीड़ की पत्ती) को उठाने पर भी प्रतिबन्ध लगाने की बात समिति से कही गई। कई स्थानों पर जड़ी बूटियों के निकालने पर लगाए गए प्रतिबन्धों की शिकायत भी आई। हल पनियाली के लिए मिलने वाली लकड़ी की कमी की बात भी कही गई और कहा गया कि इस कार्य में उपभोग में आने वाली लकड़ी के वृक्षों को उगाया जाय। रिंगाल की कमी के सम्बन्ध में असकोट और पिथौरागढ़ के क्षेत्रों में कहा गया इससे बहुत से लोगों को जिनका जीविकोपार्जन का आधार टोकरी आदि बनाना था कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।

३—इस विषय की चर्चा अल्मोड़ा और रानीखेत में विशेष रूप में की गई। जनता ने इमारती लकड़ी के संबंध में शिकायत की कि हर साइज की लकड़ी उन्हें नहीं मिलती है और केवल निर्धारित मात्रा और साइज ही में मिल पाती है। १५ जून के बाद इमारती लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है। मूल्य भी एकाएक बढ़ गये। कोयले के संबंध में कहा गया कि कीमत बिना किसी परामर्श के बढ़ा दी गई और उसको बढ़ाने में केवल रायल्टी को ही ध्यान में रखा गया। रानीखेत में कहा गया कि कीमतों को एकाएक बढ़ाया गया और फिर २ माह बाद ही कुछ घटा दिया गया इससे यह प्रतीत होता है कि दाम बिना पूर्णविचार किये ही बढ़ाये गये। कोयले की किस्म के विषय में भी चर्चा की गई और इसमें पानी और चूरे होने की शिकायत की गई। अल्मोड़ा, बागेश्वर, भिकियासेन, द्वाराहाट आदि स्थानों पर श्मशान घाट की व्यवस्था करने के लिये भी कहा गया।

४—चराई की सुविधा में कमी आ गई है। क्योंकि वृक्षारोपण के कारण बहुत-सा क्षेत्र घेर लिया गया है। शाख तरासी की सुविधा समाप्त कर दी गई है। कतिपय स्थानों में खरकों की सुविधा देने के लिये भी लोगों ने कहा यह बात खास कर असकोट में घनधूरा और हिमधूरा के वनों के संबंध में कही गई।

५—गिरी पड़ी लकड़ी उठाने के लिये कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करने दिया जाता जिससे गिरी पड़ी मोटी लकड़ी जो हाथ से टूट नहीं सकती नहीं लाई जा सकती। सूखे खड़े पेड़ों को नहीं लाने दिया

जाता। स्टार पेपर मिल्स को पेचदार लकड़ी दिये जाने का बागेश्वर, द्वाराहाट, भिकियासैन, अल्मोड़ा और रानीखेत आदि स्थानों पर प्रबल विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि इससे उनकी आवश्यकता पूर्ति में बाधा पड़ रही है इस लकड़ी का प्रयोग यहीं किया जाय और उन्होंने यह भी कहा कि यह लकड़ी स्टार पेपर मिल्स को सस्ते दामों में दी जा रही है।

६—जनता ने कई स्थानों में भूमिहीनों को भूमि देने का प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर विशेषरूप से असकोट, पिथौरागढ़ और घमरघर में ऐसे बहुत से मामले समिति के सम्मुख आये जिसमें भूमिहीनों ने सुरक्षित बन में अनाधिकार खेती कर ली है। बन रावतों ने भी समिति से अपने पुनर्वास के लिये भूमि की मांग की। शिल्पकारों के लिये निर्धारित भूमि अभी पूरी तरह आबाद नहीं हो सकी है।

७—प्राय: सार्वजनिक उपभोग के लिये जिलाधीशों के जन उपभोगी कार्य का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर लकड़ी मिल जाती है पर कतिपय स्थानों में ऐसा नहीं हुआ और कहीं-कहीं विलम्ब हुआ।

८—पानी की गूल में शुल्क लेने की शिकायत की गई। घरेलू उद्योग धंधों को प्रोत्हासन देने के लिये बन उपज दिये जाने को कहा गया। चीड़ तार उद्योग को बढ़ावा देने के लिये छिलका दिये जाने को कहा गया।

सिविल बन के लीसे पर बाजार भाव पर रायल्टी नहीं मिलती अतएव उसपर बाजार भाव पर रायल्टी मिले जो ग्राम सभा के कोष में सीधे ही जमा हो जाय।

मुनारे गांव के बहुत समीप है उनको हटाया जाय।

बन अधिकारियों और जनता के सहयोग से ही बनों की रक्षा हो सकती है.गत कुछ वर्षों से विभागीय अधिकारी जनता की सुख-सुविधा का ध्यान नहीं रखते।

परिशिष्ट २५

प्रश्न पत्र के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण:

गढ़वाल

१—वन विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। अखरोट, शहतूत, सुरई और चीड़ के वृक्ष लगाये गए। लीसे का प्रयोग करने वाले उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, मौन पालन तथा फल व्यवसाय का विकास किया जा सकता है।

वन विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए तार बाड़ की गई है। कुछ स्थानों पर शिकायत मिली है कि बन कर्मचारी गांव वालों की घास छीन लेते हैं तथा दंराती कुल्हाड़ी जप्त कर लेते हैं। जनता पर जुर्माना भी किया गया है। अधिकांश जनता अशिक्षित होने के कारण जुर्माने के औचित्य तथा अनौचित्य जानने की चेष्टा नहीं करती। इमारती लकड़ी कुछ स्थानों पर आवश्यकतानुसार प्राप्त हो जाती है तथा कुछ स्थानों पर इसकी कठिनाई है।

जानवरों को चराने के सम्बन्ध में कुछ स्थानों पर कठिनाई है तथा अन्य स्थानों पर कोई कठिनाई नहीं है। कुछ स्थानों पर चराई भी ली जा रही है। जंगलों के विकास से ग्रामीणों को इमारती लकड़ी, ईंधन, फल, घास का लाभ प्हुंचेगा। वृक्षारोपण की प्रगति संतोषजनक है। कुछ स्थानों पर जहां विभाग ने जनता की सुविधा का ध्यान नहीं रखा विभाग के प्रति जनता में रोष है।

जिले में कण्व आश्रम तथा कौरवेट राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु विहार हैं। इन की अवस्था संतोषजनक नहीं है। जनता केवल हिंसक पशुओं से घृणा करती है। विभाग द्वारा वन्य जन्तुओं के सम्बन्ध में चेतना लाने का कोई कार्य नहीं किया गया है। विभाग द्वारा वन्य जन्तुओं के मारने पर कोई जुर्माना नहीं हुआ। मछली पालन का कार्य बन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। डाइनामाइट से मछली मारना वर्जित है।

२—हक में साल, सादन, बांस, चीड़, मालघन, बावड़, तुन आदि मिलती है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण इमारती लकड़ी के हक अपर्याप्त हो गए हैं। इनको बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर उखड़े गिरे पेड़ों के उठाने पर प्रतिबन्ध है। खाद के लिए पत्ती लेने को दो से सात मील तक जाना पड़ता है। चारागाह, पनघट, खरक एवं गोठ गांव के समीप से छै-सात मील दूर तक स्थित हैं। कुछ स्थानों पर इनके समीप की भूमि पर अस्थाई फसल पैदा करने की सुविधा है किन्तु अधिकांश स्थानों पर नहीं है। खेती के औजारों के लिए निर्धारित जंगलों से लकड़ी प्राप्त होती है लेकिन यह आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होती है। रिंगाल, शहद, जड़ी-बूटी, स्लेट आदि निकालने का अधिकार नहीं है। पुनः बन्दोवस्त न होने और पंचायती बनों के निर्माण के कारण हक हकूक कम हो गए हैं। इनके प्राप्त करने में भी असुविधा अनुभव की जाती है। कुछ गांवों के हक बहुत ही दूरी पर रख दिए गए हैं। हक समय पर नहीं मिलते। १९११ के बाद वन विभाग ने जब ग्रामीणों की भूमि ली तो कुछ स्थानों पर मुआवजा दिया, कुछ स्थानों पर भूमि दी तथा कुछ स्थानों पर कुछ भी नहीं दिया। हक समीपवर्ती बनों में दिए जाने चाहिए।

गांवों के समीप लकड़ी, कोयले तथा इमारती लकड़ी के डिपो होने चाहिए। जिन गांवों के हक नहीं हैं वे खरीद कर तथा मांग कर काम चलाते हैं।

३—शहर में इमारती लकड़ी, ईंधन व कोयले के टाल हैं। पौड़ी में कोयला ४.४०, लकड़ी १.२५ प्रति मन मिलती है। इमारती लकड़ी का भाव ४.०० प्रति घनफुट है। मजदूरी के बढ़ने, समीपवर्ती जंगलों की समाप्ति तथा नई व्यवस्था में व्यवस्था व्यय में वृद्धि

मूल्य वृद्धि का कारण हो सकता है। मूल्यों में कमी की जानी चाहिए, ठेकेदारों के स्थान पर ठेके गांव सभाओं तथा सहकारी संघों को दिए जाने चाहिए ।

४—चरागाह आबाद होने, पशुओं की संख्या में वृद्धि होने समीपवर्ती बनों की समाप्ति तथा बन विभाग द्वारा तार बाड़ किए जाने से चारागाह के क्षेत्रों में कमी हो गई है। पंचायती व सिविल जंगलों में कुछ स्थानों पर चराई पर प्रतिबंध है। चराई शुल्क में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। अधिकांश बनों में शाख तराशी पर प्रतिबंध है। जंगलात सीमा के भीतर जाड़ों में गोठ, पड़ाव, छानी की सुविधा का उपयोग नहीं करने दिया जाता। इस विषय में बन विभाग से प्रार्थना करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिस क्षेत्र में गूजर आते हैं वे वन सम्पत्ति तथा खेती को हानि पहुंचाते हैं किन्तु इन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाय और चराई भी न बढ़ाई जाय ।

भोटिया जाड़ लोग थोड़े दिनों के लिए आते हैं। उनको सभी सुविधायें पूर्ववत दी जांय। कुछ क्षेत्रों में राहदारी देनी पड़ती है वह समाप्त कर दी जाय ।

५—कुछ क्षेत्रों की गिरी पड़ी लकड़ी लाने पर प्रतिबंध है। इस कार्य के लिए कुछ स्थानों पर पांच रुपया जुर्माना भी किया गया है। सभी ग्रामीण बाजार में लकड़ी नहीं बेचते, बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गिरी पड़ी लकड़ी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये ।

६—बन विभाग द्वारा कोई बन खेती के लिए मुक्त नहीं किया गया है। जंगलों में खेती योग्य ५०० एकड़ भूमि का बन विहीनीकरण किया जा सकता है तथा इसमें ५० परिवार बसाये जा सकते हैं।

कुछ गांव चारों ओर बनों से घिर गए हैं इनको दूसरी जगह बसा दिया जाय।

७—टिहरी से सम्बन्धित है ।

८—टिहरी तथा कुमायूं वन वृत में एक ही प्रकार के नियम लागू होने चाहिए। पुनःसीमाबन्दी की जानी आवश्यक है। सीमाबन्दी के परिणामस्वरूप खेती, उद्यानों के लिए भूमि मिल सकती है। बन खंडों का पुनस्संगठन हक हकूकों को दृष्टिगत करते हुए किया जाय। मालगुजारी तथा गांव प्रधान कोई हक हकूकों का रजिस्टर नहीं रखते हैं। विकास कार्यों के लिए सरलता से लकड़ी नहीं मिलती है। बन उपज पर आधारित उद्योगों का इस क्षेत्र में विकास किया जाय। लीसा निकालने के कार्य में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय। चीड़ के पेड़ सुरक्षित घोषित किए जाने से ईंधन, इमारती लकड़ी की कठिनाई हो गई है। जनता के प्रतिनिधियों तथा वन विभाग की मिली जुली सहकारी समितियां होनी चाहिए। वन अधिकारियों का जनता के साथ व्यवहार सौहार्द पूर्ण होना चाहिए। गांव के समीप की भूमि चारागाह के लिए छोड़ दी जाय। गांव के समीप वृक्षारोपण चारागाह के लिए पर्याप्त स्थान होने पर ही किया जाय ।

परिशिष्ट २६

प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण:

नैनीताल १

१—कहीं-कहीं वन विभाग द्वारा नया काम हुआ है। अंगू, देवदार, अखरोट, सागौन, शीशम इत्यादि का वृक्षारोपण किया गया है तथा अंगू, अखरोट, शीशम इत्यादि पुराने वनों में लगाये गये हैं। बन विभाग द्वारा कहीं-कहीं पर मार्ग बनाये गये हैं। वन सम्पदा के सदुपयोग के लिये कोई नया उद्योग प्रारम्भ नहीं किया गया है।

बन उपज से बहुत से उद्योग चलते हैं किन्तु वे यहां स्थित नहीं हैं।

वर्तमान समय में कुमांऊ की जनता को वन विकास के कार्यों से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। शासन को इस क्षेत्र में वन सम्पदा पर आधारित उद्योग खोलने चाहिए।

वन विभाग के विकास कार्यों से जनता की आवश्यकता पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। स्थान-स्थान पर तार-बाड़ कर दी गई है। ईंधन व घास के लिये दूर-दूर जाना पड़ता है।

पतरौल, फारेस्टर आदि दरांती छीन लेते हैं। पहाड़ में २ रुपये से ५ रुपये तक तथा तराई में २ से २० रुपये तक जुर्माना लिया जाता है। अधिकतर जनता अनपढ़ होने के कारण जुर्माने के औचित्य तथा अनौचित्य को जानने की चेष्टा नहीं करती।

इमारती लकड़ी अच्छी तथा आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं होती। लकड़ी गांवों से बहुत दूर दी जाती है।

जहां गोचर उपलब्ध हैं पशु चराये जाते हैं। तराई-भावर में जमीन के मालिकों को छोड़ शेष लोगों से चराई शुल्क लिया जाता है। वृक्षारोपण के कारण पशु दूर ले जाने पड़ते हैं।

नई पौध लगाने से भविष्य में ईंधन, लकड़ी, कोयला व फल इत्यादि प्राप्त हो सकते हैं। विलो, मेपाल, शहतूत व अखरोट के वृक्ष औद्योगिक विकास में सहायता दे सकते हैं। आम, नीबू, च्यूरा, अखरोट, से फल प्राप्त हो सकते हैं। सभी वृक्षों से फलों की पत्तियां प्राप्त हो सकती हैं।

नई पौधे की सुरक्षा की जा रही है किन्तु कहीं-कहीं प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसका कारण जंगली जानवरों का उत्पात स्थानीय जनता व राजस्व अधिकारियों की उदासीनता है। वृक्षारोपण में जनता की सुविधा का ध्यान नहीं रक्खा गया है। जनता ने वृक्षारोपण का विरोध नहीं किया है।

नैनीताल जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वन्य जन्तु राष्ट्रीय निधि हैं। हिंसक जानवरों के मारने पर इनाम दिया जाता है अवैध शिकार करने पर जुर्माना किया जाता है। मछलियां पालने की चेष्टा केवल नैनीताल, भीमताल व भुवाली में की गई है। डाइनामाइट से मछली मारना जुर्म समझा जाता है। शारदा नदी के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जाल द्वारा मछली मारने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

२—वन सम्बन्धी हक-हकूक, इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा, घास पत्ती पत्थर स्लेट, रिंगाल और साधारण वन उपज छिलका इत्यादि की सुविधायें वन विभाग द्वारा निर्धारित हैं। सारे जिले के लिये १,०५,६३६ घनफुट लकड़ी निर्धारित है। पहाड़ी क्षेत्र में इमारती लकड़ी के लिये चीड़, देवदार, तथा तराई भावर में शीशम और साल दिया जाता है।

निश्चित वनों से गिरी पड़ी लकड़ी लाने तथा चिरान के उपरान्त फालतू लकड़ी इकट्ठा करने में अड़चन नहीं है।

गांव के समीपवर्ती वनों से लकड़ी खाद के लिये बांज व चीड़ की पत्ती एकत्र करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। खरक, छानी, गोठ गांव के समीपवर्ती वनों में दिये गये हैं। खरक व गोठ वाली जमीन पर अस्थाई फसल पैदा करने के अधिकार नहीं है।

खेती के औजारों के लिये समय पर कांन्टेदार जंगलों तथा मोटे पेड़ वाले जंगलों में लकड़ी नहीं मिलती। यदि मिल भी गई तो पर्याप्त नहीं होती। नई बस्तियों के लिये यह लकड़ी भी स्वीकृत नहीं है।

रिंगाल एकत्र करने को कहीं-कहीं मनाही कर दी गई है। इसके कारण टोकरी बनाने वाले कठिनाई में पड़ गये हैं। लघुवन उपज एकत्र करने का अधिकार है किन्तु अब इस पर भी सहकारी समिति के लोग हस्तक्षेप करने लगे हैं।

अलग-अगल गांवों को अगल-अलग स्थानों पर हक हकूक निकटवर्ती तथा दूर मिले हुये हैं। हक जन संख्या में वृद्धि होने के कारण अपर्याप्त हैं। हक समय पर नहीं मिलते, मात्रा कम है और वितरण व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। हक हकूकों व रियायतों पर वन अधिकारियों की उपेक्षा, सरकारी नीति तथा समय पर न मिलने के कारण रोक है।

वन विभाग ने अनेक स्थानों पर आबाद भूमि ले ली है। इसके स्थान पर कहीं-कहीं भूमि दी गई है। मुआवजा वर्षों बाद दिया जाता है।

हक-हकूक की मात्रा में वृद्धि कर दी जाय और समीपवर्ती वनों में दिये जायं।

गांवों के समीप लकड़ी, कोयले तथा इमारती लकड़ी के डिपो स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

अधिकार रहित ग्रामीण, पंचायती वनों से मांगकर अथवा खरीद कर अपनी आवश्यकतायें पूरी करते हैं।

३—नैनीताल में लकड़ी कोयले के टाल हैं, व्यवस्था तो ठीक है किन्तु लकड़ी, कोयला अच्छे प्रकार का नहीं मिलता। इमारती लकड़ी सभी आकार में नहीं मिलती। कोयले तथा लकड़ी के ठेके पुरानी व्यवस्था के अनुसार दिये जाने चाहिये।

लगभग पांच वर्ष पूर्व लकड़ी कोयले व इमारती लकड़ी, के दाम निम्निलिखित थे :

	कोयला		लकड़ी		इमारती लकड़ी
	रु०	आ०	रु०	आ०	
नैनीताल	३	७	१	७	दो रुपया आठ आने प्रति घन-फुट।
भुवाली	२	१५		१५	..

कोयला तथा इमारती लकड़ी के दामों में असाधारण वृद्धि हुई है। इसका कारण कुछ सीमा तक मजदूरी की वृद्धि तथा वनों का दूर होना हो सकती है। लकड़ी के दामों में कमी हुई है। अन्य सभी वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। ठेके थोड़े से लोगों को दिये जाते हैं। छोटे-छोटे ठेके अनेक व्यक्तियों को दिये जांय। इससे ठेकेदारों से प्रतिद्वन्दिता उत्पन्न होगी।

समीपवर्ती जंगलों के शोषण तथा वर्तमान व्यवस्था में सुधार कर मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है। ठेकेदारी व्यवस्था अधिक सुविधाजनक रहेगी।

४—कहीं-कहीं चरान की सुविधायें समीपवर्ती स्थानों पर वृक्षारोपण करने से सीमित हो गई हैं। आबाद भूमि में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। वन विभाग द्वारा कई स्थानों पर तार-बाड़ कर दी गई है। सिविल तथा पंचायती जंगलों में पशु चराने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जिन गांवों के समीप वृक्षारोपण हुआ है उन्हें अपने पशु दूर ले जाने पड़ते हैं। बांज कुकाट की पत्तियां हाथ से तोड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु दराती का उपयोग नहीं किया जा सकता।

गांव वालों को गोठ खरक की सुविधा है। तराई-भावर में चराई शुल्क लिया जाता है और उसमें पिछले पांच वर्षों से काफी वृद्धि हो गई है। गोठ तथा खरकों की सुविधा कुछ स्थानों पर बन्द कर दी गई है। उन्हें पुनः प्रदान करने विषयक जनता के आवेदन-पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ग्राम सभाओं या पंचायतों द्वारा कोई चराई नहीं ली जाती।

गूजरों के जानवरों से खेती तथा वन सम्पत्ति को हानि पहुंचती है किन्तु उनकी चराई में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

वन पंचायतों द्वारा कहीं-कहीं पर भोटियों के पड़ाव डालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह प्रतिबन्ध अनुचित है भोटियों के पड़ावों की व्यवस्था होनी चाहिए।

५—गिरी पड़ी लकड़ी लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसे लाने पर कभी किसी को जुर्माना नहीं हुआ है। गिरी पड़ी लकड़ी नगरों में बेचने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए अन्यथा गांवों वालों को ईंधन की कठिनाई होगी।

रामनगर, हलद्वानी में समतप्पा से रायल्टी ली जाती है तथा उसे अपनी लकड़ी टाल पर बेचनी पड़ती है।

ग्रामीणों को गिरी पड़ी लकड़ी एकत्र करने की सुविधा केवल निजी प्रयोग के लिये होनी चाहिए।

६—नैनीताल जिले में तराई भावर तथा कुछ पहाड़ी हिस्से में अनेक वनों को साफ कर खेती के लिए भूमि दी गई है। जंगलों को साफ करने से जो हानि हुई है उसकी तुलना में लाभ कुछ नहीं हुआ है। जमीन वास्तविक काश्तकार को नहीं दी गई है।

चोला चौड़, गुलीया पानी, डो वन (बाड़ा खोली रेंज) तथा गोला पार, बागजाला में भूमिहीन बसाये जा सकते हैं। ऐसी लगभग दस हजार एकड़ भूमि है और उसमें एक हजार परिवार बसाये जा सकते हैं।

बहुत से गाव चारों ओर जंगलों से घिरे हुए हैं ऐसे गांवों को अन्यत्र बसाना लाभ दायक है। खेती योग्य भूमि भूमिहीनों को दी जाय किन्तु जंगल न काटा जाय।

७—टिहरी से सम्बन्धित है।

८—कुमाऊं के लिए वर्तमान नियम ठीक है। नियम कोई भी लागू किये जांय, जनहित का ध्यान रक्खा जाय। वनों की पुर्सीमावन्दी कहीं-कहीं पर आवश्यक है। खेतों के लिए अधिक भूमि उपलब्ध होनी चाहिए।

दर्जा एक जंगलों का ह्रास हो रहा है। दर्जा एक के जंगल विकास के लिये वन विभाग की देख रेख में सौंप दिये जांय किन्तु जनता के अधिकारों में कोई कमी न आवे।

गांवों की साल अस्सी की सीमाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय।

गांव प्रधान तथा मालगूजार हकों का रजिस्टर नहीं रखते हैं। सार्वजनिक कार्यों के लिये लकड़ी मिलने में रुकावट है। गांव पंचायतों तथा सिविल जंगलों के वृक्षों की विक्री में वन विभाग से तत्परता से आवश्यक सहायता नहीं मिलती।

वन राष्ट्र की सम्पत्ति है इनकी रक्षा करना सभी का उत्तरदायित्व है। पर्वत क्षेत्र में स्थान-स्थान पर कुटीर उद्योग खोले जांय।

कुछ समय से रिंगाल, वनोत्पति जड़ी बूटियों के एकत्रित करने में रोक हो गई है जिसके कारण गरीब जनता को अत्यधिक कष्ट व असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

वन पंचायत तथा सिविल जंगलों का लीसा वन विभाग द्वारा लिया जाता है लीसा निकालने के कार्य में स्थानीय जनता को आजीविका प्राप्त होती है। लीसा निकालने का कार्य सहकारी समितियों द्वारा कराया जाये। अभी तक वन विभाग ने सहकारी समितियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। लीसे के छोटे-छोटे प्लान्ट सहकारिता के आधार पर स्थान-स्थान पर लगाये जायं।

खैर, सीशम, सेमल, साल, कंजू सुरक्षित कर दिये गये हैं, जिससे इमारती लकड़ी मिलने में असुविधा हो जाती है।

वन सम्बन्धी हक हकूकों और रियायतों की रक्षा के लिये तथा वनों के विकास के लिये सहकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों की समिति के गठन से लाभ होगा। ऐसी समितियां प्रत्येक रेंज में स्थापित की जायं।

ठेकेदारों को निकासी में बड़ी असुविधा होती है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। इसकी समुचित व्यवस्था की जाय।

गांव के समीप की भूमि चारागाह के लिये छोड़ दी जाय उसके कुछ भाग में गांव सभा को पेड़ लगाने के लिये उत्साहित किया जाय।

परिशिष्ट २७

प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण :

अल्मोड़ा

१—वन विभाग द्वारा अंगू, पांगर, अखरोट, देवदार आदि के नये वृक्षारोपण किये गये हैं। पुराने वनों में अखरोट, अंगू, चीड़ की पौध लगाई गई है। कहीं-कहीं पर विभाग ने अश्व तथा कुछ स्थानों पर मोटर मार्ग का निर्माण किया है। वन सम्पदा के उपयोग के लिये बन विभाग द्वारा कोई उद्योग नहीं शुरू किये गये हैं। लीसे, छिलुके तथा गौण बन उपज का कार्य अधिक विकसित किया जा सकता है। छिलुके तथा लीसे का उपयोग करने वाले उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। वन विभाग द्वारा किये गए कार्यों से जनता को कोई तात्कालिक लाभ नहीं हुआ है। वृक्षारोपण के स्थानों पर तार-बाड़ की गई है अतः जनता को ईंधन व घास के लिये दूर जाना पड़ता है वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दराती तथा कुल्हाड़ियां अनेक बार जप्त कर ली गई हैं। जनता ने इसका औचित्य तथा अनौचित्य जानने की चेष्टा कभी नहीं की।

इमारती लकड़ी आवश्यकतानुसार तथा अच्छे किस्म की नहीं मिलती है तथा गांव से बहुत दूर मिलती है। पशुओं को जंगलों में चराने दिया जाता है किन्तु चराने के लिये दूर जाना पड़ता है। वन विभाग के वृक्षारोपण से जनता को ईंधन, इमारती लगड़ी, घास, फल, पत्तियां आदि का लाभ होगा। नये पौधों को सुरक्षा में संतोषजनक प्रगति हो रही है। राष्ट्रीय उद्यान तथा पशु-विहार नहीं है। हिंसक जानवरों के मारने पर इनाम मिलता है। बन्द जंगलों में जानवरों के मारने पर प्रतिबन्ध है। वन विभाग से परमिट लेना पड़ता है। वन विभाग द्वारा मत्स्य पालन का कार्य नहीं किया जाता। नदियों में जाल द्वारा मछली मारने पर पाबन्दी नहीं है।

२—हक की लकड़ी हक लिस्ट के अनुसार मिलती है। हकों में चीड़, साल देवदार की लकड़ी मिलती है। वनों से सूखी गिरी पड़ी लकड़ी उठाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। चिराई के बाद शेष लकड़ी लाई जा सकती है। पत्तियां लाने के लिये गांव से दूर जाना पड़ता है। चरागाह, पनघट तथा खरक गांवों से दूरी पर स्थित हैं। यह दोनों प्रकार से समतल तथा ढालू भूमि पर हैं। इनमें अस्थाई रूप से फसल पैदा करने का अधिकार नहीं है। खेती के औजारों को बनाने के लिये पर्याप्त तथा सुगमता से लकड़ी नहीं मिलती है। रिंगाल, स्लेट आदि के अधिकार हैं। हक-हकूकों की लकड़ी श्रेणी एक तथा दो वनों से मिलती हैं। हक-हकूकों के सम्बन्ध में कोई रोकटोक नहीं है। वन विभाग ने कुछ स्थानों पर गांव वालों की भूमि ली है। इसके स्थान पर भूमि भी दी गई है तथा मुआवजा भी दिया गया है। आबादी वृद्धि के परिणामस्वरूप हक-हकूकों में काफी कमी हो गई है। इनमें वृद्धि होनी चाहिये, हक नजदीक के जंगलों से मिलने चाहिये तथा देने का तरीका सरल होना चाहिये। लकड़ी कोयले के टाल गांवों के समीप खुलने से ग्रामीण जनता को कोई लाभ नहीं होगा। कुछ गांवों के हक बहुत दूरी पर स्थित हैं। कुछ गांवों की जनसंख्या कम हो गई है। केवल ऐसे गांव अपने हकों का पूरा प्रयोग नहीं करते, शेष गांव अपने हकों का पूरा प्रयोग करते हैं।

३—लकड़ी, कोयले तथा ईंधन के मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिये गए हैं। इन वस्तुओं के मूल्य कम कर दिए जांय। पहले कोयला, ईंधन व इमारती लकड़ी का मूल्य क्रमशः ३, १ प्रतिमन और २.५० रु० प्रतिघन फुट था। वर्तमान मूल्य ४.४०, १.२५ प्रतिमन तथा ४.०० रु० प्रति घनफुट है। मूल्य वृद्धि के कारण अन्य वस्तुओं में मूल्य वृद्धि, जंगलों का दूर होना, वन विभाग द्वारा मनमाने तरीके से मूल्य वृद्धि तथा वर्तमान व्यवस्था का ठीक न होना हो सकता है। वर्तमान व्यवस्था को सुधार, समीप के वनों का शोषण कर मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है। यह व्यवस्था स्थानीय निकायों को दे दी जाय।

४—आबाद भूमि में वृद्धि, वन विभाग द्वारा तार-बाड़ करने व पशुधन में वृद्धि हो जाने के कारण चरागाह कम हो गए हैं। पंचायती वनों में कहीं-कहीं पर पशु चराने पर रोक है। बांज की

पत्ती काटने पर प्रतिबंध नहीं है। चराई नहीं ली जाती है। जाड़ों में वन की सीमा के अन्दर गोठ व खरकों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता। ग्राम पंचायतों द्वारा चराई नहीं ली जाती। भोटिया जाड़ लोगों को घाटियों में पड़ाव की सुविधाएँ मिलती हैं।

५—वनों में गिरी व सूखी लकड़ी लाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई जुर्माना नहीं हुआ। निजी उपयोग के लिये वनों से लकड़ी लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ग्रामीण लकड़ी कहीं भी बेच सकते हैं। सरकारी टाल में लकड़ी १ रुपये मन बेच सकते हैं खुले बाजार के मूल्य ८ आने से १ रुपये ८ आने प्रति मन तक हैं। वनों में गिरी पड़ी लकड़ी गांव वालों के उपयोग के लिये छोड़ देनी चाहिये। ठेकेदारों को नहीं दी जानी चाहिये।

६—वन विभाग द्वारा वन में खेती करने के लिए भूमि नहीं दी गई है। सौनी कम्पार्टमेंट २४, २५, घमास, तल्ला सल्ट, दुगलगढ़, मिल्मोडिया, चान का चौड़ नामक स्थानों पर भूमिहीनों को बसाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में लगभग एक हजार परिवार बसाये जा सकते हैं। वनों का विहीनीकरण कर भूमिहीनों को न बसाया जाय।

७—टेहरी से सम्बन्धित है।

८—कुमाऊं तथा टेहरी के वन सम्बन्धी नियम एक होने चाहिये। पुनर्सीमाबन्दी का होना आवश्यक है क्योंकि वन गांवों के बहुत समीप आ गए हैं। मुनारे हटाये जाने से खेती तथा बगीचों के लिये भूमि मिल सकती है। श्रेणी एक वनों का ह्रास हो रहा है। यह वन विभाग को सौंप दिए जांय अथवा इनमें वन पंचायतें बना दी जांय। गांव वालों को समीप में हक-हकूक देने के लिये वनों का पुर्नसंगठन किया जाय।

कहीं-कहीं पर गांव प्रधान या मालगुजार हक-हकूकों के रजिस्टर नहीं रखते।

वन विभाग द्वारा विकास कार्यों में सहयोग मिलता है। वनों की आग बुझाना सभी का कर्त्तव्य है। नये उद्योगों में लीसा उद्योग का विकास किया जाय। लीसे के छोटे-छोटे प्लान्ट स्थान-स्थान पर लगाए जांय। जड़ी बूटीयों, छिलुका उद्योग भी चल सकता है। स्थानीय जनता को लीसा निकालने में आजीविका मिलती है। लीसा निकालने के कार्य में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। चोर तार का काम सहकारी समतियों को दिया जाना चाहिये। इस कार्य में ग्राम सभाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। देवदार, सुरही, अखरोट तथा तुन के पेड़ सुरक्षित किए गये हैं। इससे गांव वालों को असुविधा हो गई है। वन श्रमिक सहकारी समितियां नहीं हैं। वनों के विकास तथा हक-हकूकों की रक्षा के लिये पंचायत स्तर पर वन विभाग तथा जनता की मिली जुली समितियां बनाई जानी चाहिये।

गांवों के समीप की भूमि चरागाहों के लिये छोड़ दी जाय, जहां चरागाह से अधिक भूमि उपलब्ध हों वहां ईंधन व इमारती लकड़ी के पेड़ लगाए जांय।

परिशिष्ट २८

प्रश्नावली के उत्तरों का संक्षिप्तीकरण

टेहरी

विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। इमारती लकड़ी के लिये चीड़, देवदार, केल, सुरई औद्योगिक वृक्षों में अखरोट, प्रभूर्ज तथा सेव आदि के वृक्ष लगाए गये हैं। पुराने वनों में नई पौधें भी उगाई गई हैं। वन विभाग द्वारा कुछ स्थानों पर पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई है तथा अन्य स्थानों पर सड़कों का निर्माण किया गया है। नई सड़कें अश्व तथा मोटर दोनों प्रकार की बनाई है। इन सम्पदा के सदुपयोग के लिये कोई नया उद्योग प्रारम्भ नहीं किया गया है। मुनि-की-रेती में एक लीसा फैक्टरी पिछले कुछ वर्षो से कार्य कर रही है।

जिले में कुछ समय से लीसा निकालने का कार्य प्रारम्भ किया गया है किन्तु इस उद्यम में जिले के बाहर के व्यक्ति लगे हैं। अधिकांश व्यक्तियों की इच्छा है कि जिले में निकलने वाले लीसे के प्रयोग के लिये यहीं फैक्टरी बनाई जाय जो स्थानीय जनता को आजीविका दे।

(२) जंगलात के विकास कार्यों से जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। तात्कालिक लाभ के लिये "वन सहकारी समितियां" खोली जांय, ग्राम निवासियों को लीसा निकालने में प्रशिक्षण दिया जाय, अधिकाधिक मोटर मार्ग बनाए जांय। रिंगाल उद्योग को पुनर्जीवित किया जाय।

बहुत से स्थानों पर वन विभाग द्वारा घास का ठेका कर दिये जाने के कारण स्थानीय जनता को कठिनाई हो गई है। आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में समीप में घास प्राप्त नहीं होती तथा दूर जाना पड़ता है। कहीं-कहीं पर गांवों के समीप तार-बाड़ कर दिये जाने के कारण भी ग्रामीण जनता को गौचर की कठिनाई हो रही है पशुओं पर चराई शुल्क लिया जाता है। जनता ने वृक्षारोपण का स्वागत किया है।

दराती, कुल्हाड़ी जप्त करने की शिकायतें नहीं है। मुआवजे की राशि विभाग द्वारा मन-माने तरीके से निश्चित की जाती है।

इमारती तथा कृषि यंत्रों की लकड़ी आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम मिलती है। कहीं-कहीं से प्राप्त उत्तरों के अनुसार लकड़ी बहुत ही कठिनाई से मिल पाती है। ग्राम निवासियों को लकड़ी पुरानी आबादी के अनुसार दी जाती है जो नितान्त ही अपर्याप्त है।

देवदार के वृक्ष ग्राम निवासियों को इमारती लकड़ी के लिये नहीं दिये जाते अधिकांश इमारती लकड़ी ठेकेदारों को बेच दी जाती है और जनता की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाती। कुछ स्थानों पर अच्छी किस्म की इमारती लकड़ी नहीं मिलती तथा अन्य स्थानों पर बहुत दूर दी जाती है।

वृक्षारोपणों से जनता को विशेष लाभ नहीं पहुंचेगा क्यों कि वन विभाग का दृष्टिकोण मुख्य रूप से व्यापारिक है। आशा है, वृक्षारोपण से भविष्य में जनता को चारा, ईंधन व इमारती लकड़ी की सुविधाएं प्राप्त होंगी, भूमि कटाव रुकेगा, समय पर वर्षा होगी।

अंगू, बिलो, मैपुल, शहतूत, अखरोट, पांगर के लगाने से तब तक ग्रामीण जनता को विशेष लाभ नहीं पहुंचेगा जब तक वन सम्पदा पर निर्भर उद्योग यहां स्थापित नहीं किये जाते। आम, नीबू, अख-रोट, च्यूरा आदि लगाने का जनता ने समर्थन किया है।

विभाग द्वारा जंगल से पत्ती लाने पर प्रतिबन्ध है। वन विभाग इन पत्तियों को जला देता है। पत्तियां लाने पर जो प्रतिबंध है समाप्त कर दिया जाय तथा ग्राम निवासियों के लाने के बाद जो पत्तियां बचें केवल वहीं जलाई जांय।

जिन स्थानों पर वृक्षारोपण जनता से परामर्श तथा सहमत लेने के बाद किये गए हैं वहां नई पौध की प्रगति अच्छी है। वृक्षारोपण की सफलता जनता के सहयोग पर निर्भर है।

सोयम वनों में वन विभाग का एकाधिकार न होने के कारण, जनता का ध्यान न रखते हुए पौधे लगाने के कारण, वन अधिकारियों द्वारा जनता का सहयोग प्राप्त न करने के कारण नई पौधों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कुछ स्थानों पर जनता को यह भी शिकायत है कि जंगलों में आग लगने पर आग गांव वासियों द्वारा बुझाई जाती है, जंगलों में नई पौध गांव निवासियां द्वारा लगाई जाती है किन्तु वन विभाग ग्राम निवासियों की आवश्यकता पूर्ति करने के स्थान पर अधिकांश वन उपज को बेच देता है। अधिकांश ग्रामीणों ने स्वीकार किया है कि वे वन विभाग से भयभीत रहते हैं।

नैखाड़ खाई क्षेत्र में गोविन्द पशु-विहार है। पशु-विहार की दशा अच्छी नहीं है। पशु-विहार के कारण समीपवर्ती गांवों को कठिनाई हो गई है। इस पशु विहार के हिंसक पशु ग्रामीणों के जानवरों को हानि पहुंचाते हैं। जनता फसल को हानि पहुंचाने वाले पशुओं से घृणा करती है। वन्य जन्तुओं को मूल्यवान राष्ट्रीय निधि समझने के दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव है। केवल पालतू जानवरों को हानि पहुंचाने वाले पशुओं के मारने पर इनाम मिलता है। चोरी से शिकार करने में लोगों को जुर्माना हुआ है। वन विभाग की ओर से पहले उत्तरकाशी में मछलियां पाली जाती थी अब कहीं-नहीं पाली जाती हैं। इस कार्य को अब टेहरी-गढ़वाल में मत्स्य विभाग ने ले लिया है। छोटी छोटी नदियों पर ही लोग चोरी से डाइनामाइट से मछली मारते हैं। पकड़े जाने पर उन पर जुर्माना किया जाता है। मछलियां मारने पर जिले में कड़ा प्रतिबंध है।

इमारती लकड़ी पुराने बन्दोवस्त के समय अंकित मात्रा में मिलती हैं। आबादी में वृद्धि होने से यह लकड़ी वर्तमान आवश्यकताओं के लिये पूरी नहीं होती। गिरी पड़ी लकड़ी एकत्र करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। चिरान के उपरान्त फालतू लकड़ी साधारणतः गांव वालों को एकत्र करने दी जाती है, किन्तु कहीं-कहीं पर इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ग्रामवासी साधारणतः सोयम व सुरक्षित दोनों प्रकार के वनों से पत्ती ला सकते हैं। पनघट, गौचर सामान्यतः गांवों के समीप ही स्थिति हैं।

खरक, गोठ या पड़ाव गांव के समीप के वनों से ६ मील दूर तक स्थित हैं। खरक, गोठ तथा छानी में पहले अस्थाई फसल पैदा करने का अधिकार था किन्तु अब नहीं है, खेती करने की अनुमति पुनः दे दी जाय।

खेती के औजार बनाने के लिये सरलता से लकड़ी मिलने में कठिनाई है। ग्रामीण जनता ने ऐसे डिपो खोलने का सुझाव दिया है जहां से ऐसे यंत्र आसानी से मिल जावें।

रिंगाल लाने के लिये अब अनुमति लेनी पड़ती है। ग्राम निवासियों को पहले शहद, जड़ी बूटी, स्लेट आदि का अधिकार था किन्तु अब यह बन्द कर दिया गया है।

हक-हकूक ग्रामीणों को सोयम तथा सुरक्षित वनों से दी जाती है। आबादी की वृद्धि के परिणाम स्वरूप यह हक-हकूक अपर्याप्त हैं। अतः नया बन्दोबस्त किया जाय। श्रेणी एक तथा पंचायती जंगलों की वृद्धि के हक-हकूकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हक की लकड़ी का समय पर छपान नहीं होता, खने समय पर नहीं मिलते। हक की लकड़ी का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता। सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा के कारण हक समय पर नहीं मिल पाते हैं। हक बहुधा बहुत देर में फरवरी, मार्च में छाने जाते हैं।

वन विभाग ने १६२१ अथवा उसके बाद अनेक स्थानों पर आवाद भूमि जंगल लगाने के लिये ली। बहुत स्थानों पर सरकार अब भी ग्रामीणों से राजस्व ले रही है। ग्रामीणों को ऐसी भूमि के स्थान पर कोई भूमि भी नहीं दी गई है।

ग्रामीण हक-हकूकों की संख्या में वृद्धि, समीप के जंगलों में हक, तथा इस सम्बन्ध में सरल नियम बनाये जांय चाहते हैं अधिकांश जनता गांवों के समीप लकड़ी कोयले के टाल व इमारती लकड़ी के डिपो खोले जाने के विरुद्ध है।

जनता द्वारा हकों का पूरा प्रयोग न किये जाने का मुख्य कारण हकों का अत्यधिक दूर स्थित होना तथा जंगल विभाग द्वारा उनका समय पर न छापा जाना है ।

जिन ग्रामों को हक नहीं दिये गए उनके निवासी अपनी आवश्यकताएँ मोल लेकर तथा पंचायती व सोयम जंगलों से पूरा करते हैं ।

३--विभाग के द्वारा ईंधन, कोयले के जो डीपो खोले गए हैं उनमें ईंधन, कोयला उपलब्ध नहीं होता । जनता वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है ।

नगरों की जनता को ईंधन उचित मूल्य में पर्याप्त मात्रा में सरलता से मिले तथा देहात की जनता को यह निःशुल्क प्राप्त हो ।

टेहरी-गढ़वाल में स्लीपर १६.०० रु० प्रति स्लीपर ईंधन,कोयला क्रमशः ३.२५ तथा ५.५६ रु० प्रति मन मिलता है । पांच वर्ष पूर्व मूल्य निश्चित न थे किन्तु बहुत कम थे । मूल्य वृद्धि का कारण सभी प्रकार की मजदूरी में वृद्धि, वनों की बढ़ती हुई दूरी, वर्तमान त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, विभाग द्वारा मनमाने ढंग से मूल्यों का निश्चित किया जाना है ।

स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिये इस मूल्य वृद्धि को रोका जाना चाहिये । वनों द्वारा सर्वप्रथम स्थानीय जनता की आवश्यकताएं पूरी की जानी चाहिये उसके पश्चात् ही इनको ठेका दिया जाय ।

जनता ठेकेदारों द्वारा मांग पूर्ती किये जाने के विरुद्ध है । वह चाहती है मांग पूर्ती की व्यवस्था सरकारी संघों, गांव सभावों को दी जाय ।

४--पशुधन तथा आबाद भूमि में वृद्धि, वृक्षारोपण के लिये क्षेत्रों को बन्द करने के कारण चरान चगान की सुविधाओं में कमी हो गई है । सिविल तथा पंचायती जंगलों के कारण चरान चुगान में विशेष अन्तर नहीं पड़ा है । बांज, कुकाट आदि की पत्तियां काटने पर प्रतिबन्ध है । जाड़ों में जंगलात सीमा के अन्दर स्थित गोठ व खरकों का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं दी जाती इस स्थानों पर विभिन्न जानवरों की चराई अलग-अलग ली जाती है । चराई की दर गत पांच वर्षों में दुगनी से पांच गुनी तक बढ़ा दी गई है । जनता के निरन्तरप्रार्थना करने पर भी अभी तक उनको खरक गोठ आदि की सुविधा नहीं दी गई है । पंचायती वनों में साधारणः कोई चराई कर नहीं लिया जाता ।

गांवों के समीप के मुनारों को हटा कर वन बन्दोबस्त किया जायं, स्पष्ट हक-हकूक निर्धारित कियेजायं । चराई शुल्क न लिया जाय तथा गांव के समीप वृक्षारोपण न किये जायं ।

गूजरों के जानवर खेती तथा वन सम्पत्ति को हानि पहुंचाते हैं गूजरों के जानवरों के कारण स्थानीय जानवरों के लिये घास की कमी हो जाती है । गूजरों पर चराई शुल्क बढ़ाया जाय तथा उनको किसी स्थान पर स्थायी रूप से बसा दिया जाय ।

भोटिया लोगों को पड़ाव की सुविधायें सामान्यतः पूर्ववत प्राप्त हैं । इनको भी स्थायीरूप से बसा दिया जाय । टिहरी में राहदारी ली जाती है । इसे समाप्त कर दिया जाय ।

५--कुछ स्थानों पर गिरी पड़ी लकड़ी उठाने पर रोक है तथा कुछ स्थानों पर इसके लिये जुर्माना भी हुआ है किन्तु अधिकांश स्थानों पर जनता को यह सुविधा प्राप्त है । सभी ग्रामीणों द्वारा लकड़ी को बाजार ले जाकर बेंचने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता केवल नगरों के समीप स्थित गांव वाले लकड़ी ले जाकर बेंचते हैं । केवल कुजणी तहसील देवप्रयाग के ग्रामीण लकड़ी सरकारी डिपो पर बेंचते हैं जिसके लिये उन्हें ०.७५ रु० प्रतिमन का मूल्य मिलता है ? खुले बाजार में लकड़ी का कोई निश्चित मूल्य नहीं है ।

गिरी पड़ी लकड़ी तथा, सूखे वृक्षों के उठाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये ।

६—टिहरी-गढ़वाल में वन विभाग ने किसी भी क्षेत्र को खेती के लिये वन विहीनीकरण नहीं किया है। लक्ष्मणझूला से गोहरी, चीला लालढांग पापी डांडा, कोटद्वार से पूर्व रामगंगा नदी के किनारे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कीमती बन नहीं है तथा जिनमें भूमिहीन बसाये जा सकते हैं। इन क्षेत्रों का क्षेत्रफल बीस हजार एकड़ से अधिक होगा।

टिहरी क्षेत्र में बहुत से गांव ऐसे हैं जो चारों ओर जंगलों से घिरे हैं। ऐसे गांव को जो चारों ओर से जंगलों से घिरे हैं। मुआवजा देकर कहीं अन्यत्र बसा दिया जावे। भूमिहीनों को उपयुक्त क्षेत्रों का विहीनीकरण कर बसाया जाय।

७—सार्वजनिक कार्यों के लिये पहले निःशुल्क लकड़ी दी जाती थी किन्तु अब यह सुविधा नहीं दी जाती है।

८—कुछ उत्तरों के अनुसार समस्त कुमायूं राजस्व खंड में एक ही प्रकार के नियम होने चाहिये। किन्तु अधिकांश व्यक्ति चाहते हैं कि टिहरी मैनुअल के नियम जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उचित संशोधन के साथ लागू किये जायं।

नई सीमाबन्दी होनी आवश्यक है। मुनारे गांवों के बिलकुल समीप आ गये हैं। मुनार १५० फीट पीछे हटाये जायं और यह भूमि खेती तथा उद्यानों के लिये दी जाय।

सीमाबन्दी से टिहरी-गढ़वाल की जनता को कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। सीमाबन्दी में वन विभाग जनता की सुविधा का ध्यान नहीं रख रहा है।

श्रेणी एक तथा सोयम वनों को अब पंचायतों को सौंप दिया जाय। जहां पर ऐसे वनों का क्षेत्र विस्तृत हो वे वन विभाग को सौंप दिये जायं। टिहरी-गढ़वाल में भी गांव सीमा निर्धारित की जावे। अधिकांश मालगुजार तथा गांव सभापति हक-हकूकों का रजिस्टर नहीं रखते हैं।

वन विभाग जनता की सुख सुविधा के दृष्टिकोण से कार्य नहीं करता है। हक रहित गांवों के निवासी आग बुझाने के लिये बुलाया जाना अनुचित समझते हैं। नये उद्योग चलाने के लिये वन उपज का सदुपयोग किया जा सकता है। वन विभाग के द्वारा कच्चे माल के प्रयोग के लिये उद्योग विकसित किये जाने चाहिये।

रिंगाल के ठेके दिये जाने का स्थानीय जनता ने विरोध किया है इसके कारण टोकरी आदि का कार्य करने वालों को कठिनाई हो रही है।

लीसा निकालने और चीड़तार उत्पादन के कार्य को सहकारी समितियों को दिया जाय।

जंगल विभाग ने दौराने हाल बन्दोबस्त वनों की भूमि से जनता का कब्जा छुड़ाने के लिये आपत्तियां की है तथा कुछ स्थानों पर १९४८ से पूर्व आबाद की भूमि भी छुड़ाई जा रही है।

चीड़ तथा देवदार के पेड़ रक्षित घोषित कर दिये गये हैं जिनके कारण इमारती लकड़ी पाने में असुविधा हो रही है।

संसद सदस्य श्री भक्त दर्शन ने श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा वनों के ठेके का काम करने का सुझाव दिया है। ऐसी समितियां इस समय बम्बई तथा अन्य राज्यों में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

जनता तथा वन विभाग की मिली जुली सलाहकार समिति से निर्माण का सभी क्षेत्रों ने स्वागत किया है। ऐसी समितियां प्रत्येक वन खंड में बनाई जायं। इनमें दो तिहाई गैरसरकारी सदस्य हों। यह समितियां केवल परामर्शदात्री होंगी।

वृक्षारोपण तथा अन्य विकास कार्यों में जनता का सहयोग लिया जाय। वन कर्मचारी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें। गांव के समीप की भूमि चरागाह के लिये छोड़ दी जाय।

रियायती मूल्य पर आवश्यकता पड़ने पर इमारती लकड़ी प्राप्त करने की सुविधा हो।

परिशिष्ट २९

कुमांऊ सिविल डिवीजन की जिलेवार जन-संख्या

वर्ष		गढ़वाल	अल्मोड़ा	नैनीताल	टेहरी गढ़वाल	योग
१९०१	..	४,२९,४३०	४,३३,५८१	३,२४,०१९	२,६८,८८५	१४,५५,९१५
१९११	..	४,७९,६४१	५,२५,६३०	३,२३,५१९	३,००,८१९	१६,२९,६०९
१९२१	..	४,८५,१८६	५,३०,३३८	२,७६,८७५	३,१८,४१४	१६,१०,८१३
१९३१	..	५,३३,८८५	५,८३,३०२	२,७७,८६६	३,४९,५७३	१७,४४,६२६
१९४१	..	६,०२,११५	६,८७,२६६	२,९२,८६१	३,९७,३६९	१९,७८,६११
१९५१	..	६,३९,६२५	७,७२,८९६	३,३५,४१४	४,१२,०४७	२१,५९,९८२

MAP OF KUMAUN CIVIL DIVISION

SHOWING FOREST AREAS UNDER FOREST DEPARTMENT.

SCALE 1·014 INCHES TO 16·0 MILES

REFERENCES

1. Boundary of International and State
2. " " Civil Division
3. " " District
4. " " Forest Circle
5. " " " Division
6. River
7. Motor Road
8. Bridle Road
9. Rail Way Line
10. Forest Rest House
11. Class I Forest
12. Reserved Forest

Secretary
Kumaun Forest Facts Finding Committee
NAINITAL

[signature]
Draughtsman.

MAP OF KUMAUN CIVIL DIVISION

SHOWING FOREST AREAS UNDER FOREST DEPARTMENT.

SCALE 1·014 INCHES TO 16·0 MILES

REFERENCES

1. Boundary Of International And State
2. " " Civil Division
3. " " District
4. " " Forest Circle
5. " " Division
6. River
7. Motor Road
8. Bridle Road
9. Rail Way Line
10. Forest Rest House
11. Class I Forest
12. Reserved Forest

Secretary
Kumaun Forest Facts Finding Committee
NAINITAL

Draughtsman.

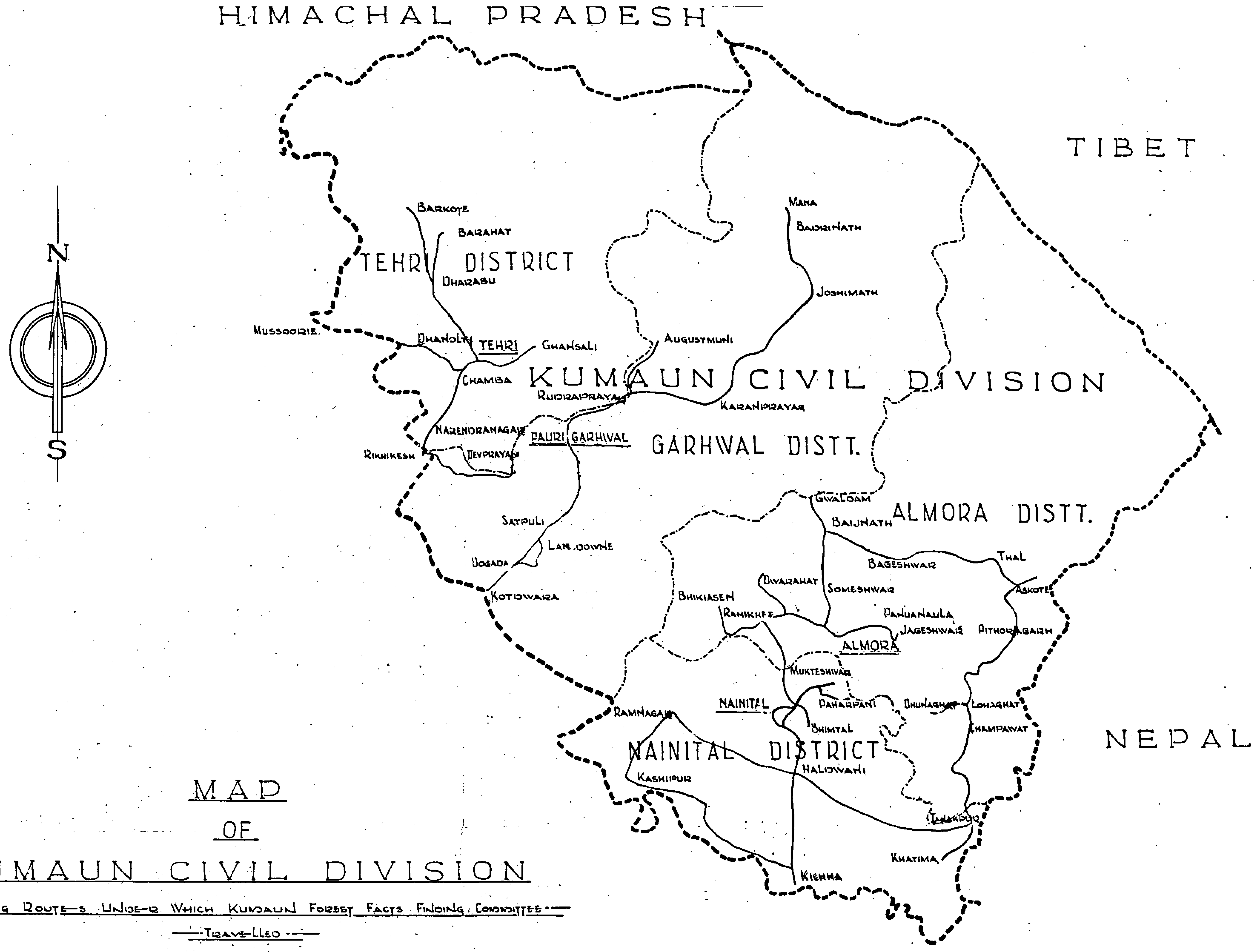

MAP OF KUMAUN CIVIL DIVISION

howing Routes Under Which Kumaun Forest Facts Finding Committee Travelled

SCALE 1·014 INCHES TO 16·0 MILES

REFERENCES

1. Boundary of International and State
2. " " Civil Division
3. " " District
4. Route Under Which K.F.F.F.C., Travelled

Draughtsman
5. 3. 1960.

Conservator of Forests
Kumaun Circle U.P.
NAINITAL

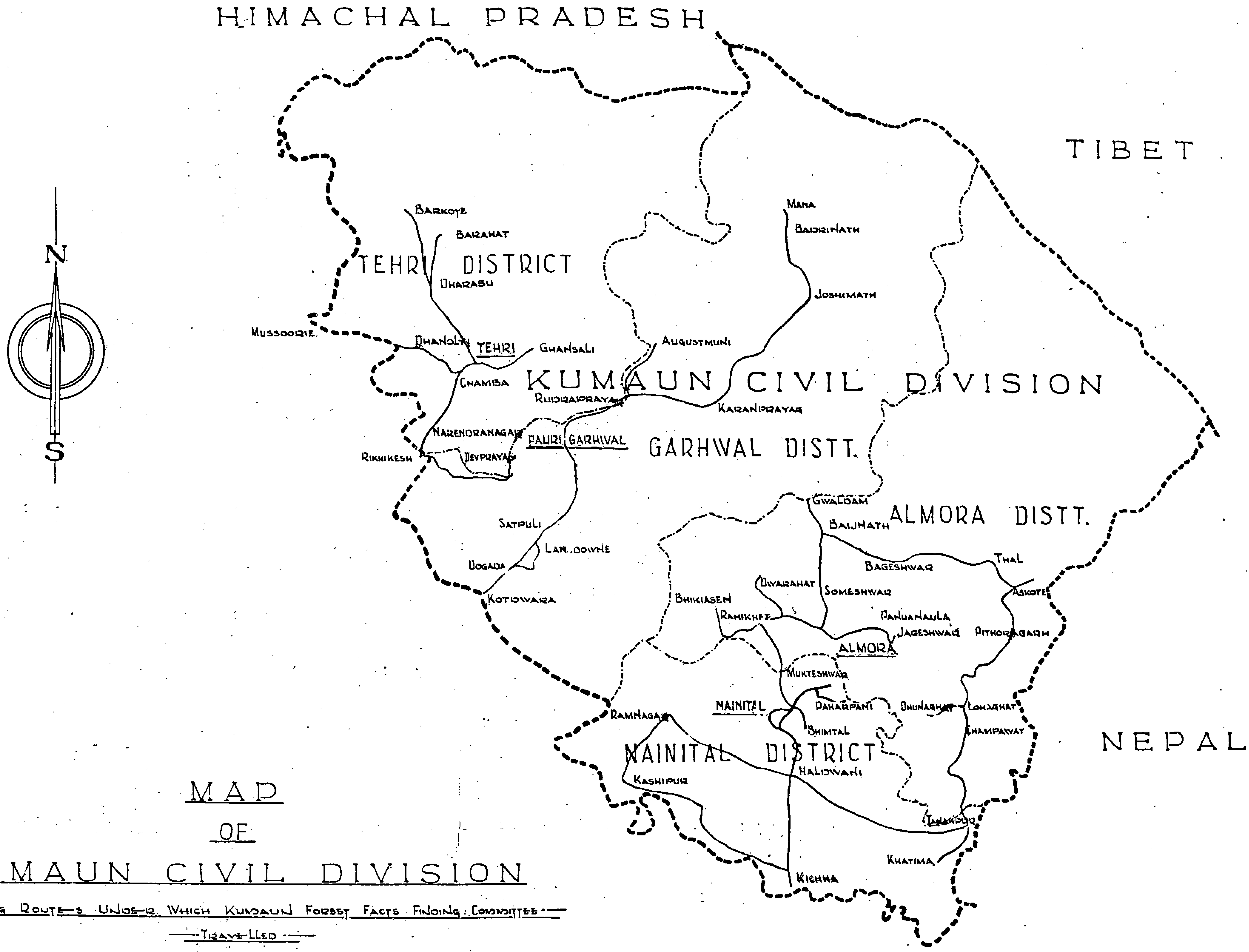

MAP

OF

KUMAUN CIVIL DIVISION

SHOWING ROUTES UNDER WHICH KUMAUN FOREST FACTS FINDING COMMITTEE

TRAVELLED

SCALE 1.014 INCHES TO 16.0 MILES

REFERENCES

1. BOUNDARY OF INTERNATIONAL AND STATE
2. " " CIVIL DIVISION
3. " " DISTRICT
4. ROUTE UNDER WHICH K.F.F.F.C., TRAVELLED

[signature]
DRAUGHTSMAN
5.3.1960.

CONSERVATOR OF FORESTS
KUMAUN CIRCLE U.P.
NAINITAL